अष्टम माला, खंड 13, अंक 4

बुधवार, 26 फरवरी, 1986
7 फाल्गुन, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 13 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 13, पांचवां सत्र, 1986/1907 (शक)

अंक 4, बुधवार, 26 फरवरी, 1986/7 फाल्गुन, 1907 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	... ...	1—23
*तारांकित प्रश्न संख्या : 41 से 45 और 48		
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	... ...	24—195
तारांकित प्रश्न संख्या : 46, 47, 49, से 58 और 60		
अतारांकित प्रश्न संख्या : 443 से 546, और 548 से 583		
रेल बजट, 1986-87—प्रस्तुत	... ...	195—208
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	... ...	208—218
राज्य सभा से संदेश	... ...	218
मोटर यान (संशोधन) विधेयक	... ...	219
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में		

* किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	219
ग्यारहवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
प्राक्कलन समिति	219
25वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	220—235
श्रीलंका में तमिलों की जातीय समस्याओं को न सुलझाये जाने से उत्पन्न स्थिति	
श्री पी० कुलनदईवेलू	220
श्री बी० आर० भगत	220
श्री श्रीराम मूर्ति भट्टम	224
श्री हरीश रावत	228
श्रीमती विभा घोष गोस्वामी	229
लोकपाल विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव	235—236
नियम 377 के अधीन मामले	236—242
(एक) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में हाल ही की ओलावृष्टि के कारण हुई क्षति से प्रभावित लोगों को आवश्यक राहत देने की आवश्यकता	
श्री बनवारी लाल पुरोहित	236
(दो) टांडा ताप विद्युत परियोजना, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश, के लिए स्वीकृत अनुदान में कथित कटौती और परियोजना को पूरा करने की तत्काल आवश्यकता	
श्री राम प्यारे सुमन	237
(तीन) भारी वर्षा और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार को पर्याप्त सहायता देने की आवश्यकता	
श्री शांति धारीवाल	238

विषय				पृष्ठ
(चार) पश्चिम बंगाल में औद्योगिक रुग्णता की समस्या को सुलझाने के लिए उपाय करने की आवश्यकता				
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	...	...	...	238
(पांच) बिहार में तीन संस्थानों, अर्थात् (1) पाली, संस्थान, नालन्दा (2) प्राकृत संस्थान, वैशाली (3) पंचाग बनाने वाले निजी पंडितों की संस्था को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता				
श्री सी० पी० ठाकुर	...	...	...	239
(छह्) उड़ीसा में खुर्दा स्थित ऐतिहासिक किले के संरक्षण के लिए और "जय राजगुरू" और "बक्शी जगबन्धु" की स्मृति में स्मारक डाक-टिकट जारी करने के लिए अविलम्ब कदम उठाने की आवश्यकता				
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	...	...	...	239
(सात) निजी चिकित्सा व्यवसायियों का पंजीकरण करने सम्बन्धी भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र को वापस लेने और भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता				
डा० ए० कलानिधि	...	...	...	240
(आठ) संविधान के अनुच्छेद 310 और 311 में संशोधन करने की आवश्यकता				
श्री अजय बिश्वास	...	...	...	240
(नौ) बंगलौर जल प्रदाय और मल-व्ययन बोर्ड को बेतार संचार प्रणाली स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने की आवश्यकता				
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	...	...	...	242
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ...	...	...	...	242—328
डा० ए० कलानिधि	...	...	...	242
श्री पी० नामग्याल	...	...	...	247
श्री सी०पी० ठाकुर	...	...	...	255

विषय		पृष्ठ

	श्री सी० माधव रेड्डी	258
	श्री श्रीपति मिश्र	262
	श्री महावीर प्रसाद यादव	266
	श्री सोमनाथ चटर्जी	267
	श्री वक्कम पुरुषोत्तमन	276
	श्री मुकुल वासनिक	279
	श्री चिंतामणि पाणिग्रही	281
	सैयद शाहबुद्दीन	286
	श्री अजय मुशरान	290
	श्री डी० पी० यादव	298
	श्री पी० कुलनदईवेलू	304
	श्री चिरंजीलाल शर्मा	309
	श्री एस० बी० सिदनाल	315
	श्री शांता राम नायक	318
	श्री मदन पांडे	322
	श्री बाला साहेब विखे पाटिल	324
कार्य मंत्रणा समिति		328
	19वां प्रतिवेदन— प्रस्तुत	

लोक सभा

बुधवार, 26 फरवरी, 1986/7 फाल्गुन, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

पंजाब समझौते का कार्यान्वयन

*41. श्री नरसिंह मकवाना†
श्री ए० के० पटेल
: क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मन्त्री और स्वर्गीय श्री हरचन्द सिंह लोंगोवाल के बीच हुए पंजाब समझौते को कार्यान्वियत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) मैथ्यू आयोग ने सरकार को अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था और क्या सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है;

(ग) इस समझौते को कार्यान्वित करने में किस प्रकार की रुकावटें आ रहीं हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) उपर्युक्त समझौता कब तक पूर्णतया कार्यान्वित कर लिया जाएगा;

(ङ) क्या सरकार ने एक नया आयोग नियुक्त करने के संबंध में मैथ्यू आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(च) यदि हां, तो नए आयोग की नियुक्ति कब तक किये जाने की सम्भावना है?

[अनुवाद]

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

प्रधान मन्त्री और स्वर्गीय सन्त हरचन्द सिंह लोंगोवाल द्वारा हस्ताक्षर किए गये समझौते ज्ञापन में दी गई 11 मदों में से अब तक निम्नलिखित मदों को पूर्णतः कार्यान्वित किया जा चुका है :—

मद—1 मारे गये निर्दोष व्यक्तियों को मुआवजा।

मद—2 सेना में भर्ती।

मद—3 नवम्बर की घटनाओं की जांच पड़ताल।

मद—4 सेना से निकाले गये व्यक्तियों का पुनर्वास।

मद—6 अनिर्णीत मामलों का निपटान।

मद—3 केन्द्र राज्य सम्बन्ध।

मद—10 अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व।

2. उन मदों की स्थिति, जिन्हें अभी तक पूर्णतः कार्यान्वित नहीं किया गया है, इस प्रकार हैं:

मद—7 क्षेत्र सम्बन्धी दावे।

समझौते के पैराग्राफ 7.1 और 7.3 एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। पैराग्राफ 7.1 पंजाब को चण्डीगढ़ और चण्डीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के कुछ क्षेत्र क्रमशः पंजाब और हरियाणा को हस्तांतरित करने से सम्बन्धित हैं। पैराग्राफ 7.3 के अनुसार पंजाब को चण्डीगढ़ का वास्तविक हस्तांतरण और चण्डीगढ़ के बदले हरियाणा को दिये जाने वाले क्षेत्र का हस्तांतरण साथ-साथ होगा।

समझौते के पैराग्राफ 7.2 के अनुसरण में नियुक्त किये गये मैथ्यू आयोग ने 25 जनवरी 1986 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आयोग ने देखा कि वह हरियाणा को पंजाब के हिन्दी भाषी क्षेत्र हस्तांतरित करने की सिफारिश नहीं कर सकता क्योंकि पंजाब के फाजिल्का अबोहर के गांव और कस्बे जिनको आयोग द्वारा हिन्दी भाषी के रूप में पता लगाया था, तारतम्यता के मानदण्ड को पूरा नहीं करते। मैथ्यू आयोग ने कहा है कि चन्डीगढ़ के बदले हरियाणा को पंजाब के कुछ हिन्दी भाषी क्षेत्रों को हरियाणा को हस्तांतरित करने के श्रीमती इन्दिरा गांधी के सामान्य इरादे को कार्य रूप देने के

लिये भारत सरकार कोई आयोग स्थापित करने सहित ऐसे उपयुक्त उपाय कर सकती है जो वह उचित समझे। इसके अनुसरण में, गृह मन्त्री ने अगली कार्यवाही के बारे में निर्णय के विचार से पंजाब और हरियाणा के मुख्य मन्त्रियों के साथ विचार विमर्श किये हैं।

जहां तक अन्य मदों का सम्बन्ध है, अखिल भारतीय गुरुद्वारा विधेयक (मद—5) से संबंधित कार्यवाही की जा रही है, रावी व्यास प्रणाली में जल के हिस्से के बारे में दावों का फैसला करने के लिये एक न्यायाधिकरण नियुक्त कर दिया गया है और एस० वाई० एल० नहर के निर्माण को मोनिटर किया जा रहा है। (मद—9) और पंजाबी भाषा (मद—11) की प्रोन्नति के लिए विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री नरसिंह मकवाना : माननीय अध्यक्ष जी, मैं गृह मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि चण्डीगढ़ के बदले में हरियाणा को जो गांव देने हैं उनके बारे में पंजाब और हरियाणा के मुख्य मंत्रियों के साथ गृह मन्त्री की चर्चा हुई है उसमें कोई दोनों में सहमति होने जा रही है या नहीं ?

श्री एस० बी० चव्हाण : अध्यक्ष जी, जो बातचीत दोनों चीफ मिनिस्टर्स के साथ हुई, उसमें उनसे यह कहा गया है कि वे इस मामले में कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें, लेकिन दो मर्तबा वे मिले हैं और अभी तक उसके बारे में कोई कंक्रीट प्रपोजल्स सामने नहीं रखे हैं। अगर वे आपस में कोई समझौता कर सकते हैं, तो वह बेहतर रास्ता होगा।

श्री नरसिंह मकवाना : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि रावी और व्यास जल के बारे में न्यायाधिकरण की नियुक्ति कर दी गई है तो क्या वह दोनों पक्षों को मन्जूर है या नहीं। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जो नहर का काम चल रहा है, उसकी मानिटरिंग की क्या व्यवस्था है और कितने समय में वह काम पूरा होगा ?

श्री एस० बी० चव्हाण : अध्यक्ष जी, जो शेयरिंग आफ वाटर्स का ट्रिब्यूनल है, उसके बारे में कल ही इस सदन के अन्दर एक विधेयक पेश किया गया है और अगर आप उसको देखें, तो आप पाएंगे कि दोनों स्टेट्स पर यह बाइंडिंग होने वाला है। कंस्ट्रक्शन के बारे में आपने पूछा है, उनकी मानीटरिंग वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट की तरफ से की जाती है।

[अनुवाद]

डा० ए० के० पटेल : क्या मैथ्यू आयोग ने पिछले साल अबोहर फाजिल्का और कन्दूखेड़ा में भाषायी गणना कराने की इच्छा व्यक्त की थी पर सरकार इसके लिए सहमत नहीं हुई ? इसके बाद सरकार 26 जनवरी 1986 से 10 दिन पहले भाषायी गणना कराने के लिए तैयार कैसे हो गई जब कि वातावरण बहुत तनावपूर्ण था जिसके कारण पंजाब और हरियाणा के बीच कड़वाहट बढ़ी ?

श्री एस० बी० चव्हाण : प्रश्न का पहला भाग सही नहीं है।

श्री चरनजीत सिंह वालिया : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं मन्त्री जी से यह पूछ सकता हूं कि क्या राजीव-लोंगोवाल समझौते पर संसद ने स्वीकृति दी थी यदि हां तो चण्डीगढ़ को स्थानांतरित करने की 26 तारीख को बदलने के लिए क्या संसद को विश्वास में लिया गया था ? क्या मैं सभा की अवमानना करने वाले व्यक्तियों तथा सरकार के अन्दर तथा बाहर इस समझौते को निष्फल करने का प्रयास करने वाले तत्वों के बारे में जान सकता हूं ?

श्री एस० बी० चव्हाण : जहां तक पंजाब समझौते का सम्बन्ध है सभा को समझौते के बारे में सूचित किया जाता रहा है। सभा की अनुमति का प्रश्न नहीं था इसलिए सभा की अवमानना का प्रश्न पैदा नहीं होता। पंजाब को चण्डीगढ़ स्थानांतरित करने के मामले में सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जहां तक पंजाब को चण्डीगढ़ स्थानांतरित करने का सम्बन्ध है इससे मुकरने का कोई सवाल ही नहीं है। माननीय सदस्य अगर समझौते को पढ़ें तो वह पाएंगे कि समझौते में ही यह दिया है कि यह बात चण्डीगढ़ के बदले हरियाणा को कुछ हिन्दी भाषी क्षेत्र स्थानांतरित करने पर निर्भर है। और यह दो बातें एक साथ होनी चाहियें।

श्री पी० नामग्याल : अध्यक्ष महोदय, मैथ्यू आयोग ने तारतम्यता के अभाव के कारण इसकी सिफारिश नहीं की क्योंकि कन्दूखेड़ा गांव अबोहर-फाजिल्का और हरियाणा के बीच आ रहा है। क्या इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने किसी स्तर पर इस समझौते को लागू करने और हरियाणा को हिन्दी भाषी क्षेत्र स्थानांतरित करने के लिये अबोहर-फाजिल्का और हरियाणा के बीच सम्पर्क बनाने के लिये इस गांव से या पड़ोसी राज्य होने के नाते राजस्थान से एक मार्ग बनाने पर विचार किया था।

श्री एस० बी० चव्हाण : यदि मुझे ठीक से याद है तो समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद सरकार या मैथ्यू आयोग के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया था। हां पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर होने से पूर्व किसी स्तर पर कोई ऐसा प्रस्ताव था पर उस पर सहमत नहीं हुआ जा सका।

[हिन्दी]

श्री चरनजीत सिंह अठवाल : अध्यक्ष जी, मैं आपके जरिये से मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं 1961 में जब मर्दमशुमारी हुई थी, वह भी टैंशन में हुई थी, उस मर्दमशुमारी को आज तक करैक्ट नहीं माना गया। मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मेरा विलेज भी उसी इलाके में फाल करता है, आपको पता है, और उसके बाद 1971 और 1981 में दो बार वहां मर्दमशुमारी फिर हुई। कमीशन ने 1981 की मर्दमशुमारी को ठीक नहीं माना। उसी का यह रिजल्ट हुआ कि सरकार को वहां दोबारा सैन्सस करवाना पड़ा और वह भी टैंशन में हुआ। जब 1981 की मर्दमशुमारी को भी ठीक नहीं माना गया, जो गवर्नमेंट एम्पलाईज ने की थी, उसी तरह से हरियाणा में हिमाचल में या राजस्थान में कई विलेजेज ऐसे हो सकते हैं, जहां पंजाबी लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं, यदि कल को वे भी ऐसी ही मांग करने लगें कि हम पंजाब में जाना चाहते हैं तो क्या उनकी मांग को देखते हुए उन इलाकों में फिर से सरकार मर्दमशुमारी करवायेगी।

श्री एस० बी० चव्हाण : अगर खुदा-न-खास्ता इसी किस्म का कोई कमीशन मुकर्रर कर

दिया जाता है और वह कमीशन हमसे सिफारिश करे कि दोबारा सैंन्सस कराने की जरूरत है, तो सम्भव है। गर्वनमेंट ने अपने तौर पर वहां सैंन्सस नहीं कराई लेकिन कमीशन अगर हमसे कहता है कि यहां पर दोबारा सैंन्सस कराया जाना जरूरी है तो उससे इंकार नहीं किया जा सकता।

श्री चरनजीत सिंह अटवाल : कमीशन से सुनने से पहले, यदि गवर्नमेंट डिजायर करे कि हम वहां सैंन्सस करवायेंगे तो भी क्या दोबारा सैंन्सस हो सकता है क्योंकि सैंन्टर की मर्जी से वहां सर्वे कराया गया है।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं समझता हूं कि ऑनरेबल मैम्बर को शायद बराबर जानकारी नहीं है। सैन्टर ने कभी ऐसा नहीं कहा कि वहां पर मर्दमशुमारी करो। हमारी राय नहीं थी लेकिन कमीशन ने हमसे कहा कि यदि हम इन इलाकों की मर्दमशुमारी करना चाहे तो इसमें क्या सैन्ट्रल गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। हमने उनसे कहा कि यदि आप समझते हैं कि मर्दमशुमारी करना जरूरी है तो उसके लिए जो भी एसिस्टेंस आप हमसे चाहेंगे वह हम देने के लिए तैयार हैं और इसीलिए रजिस्ट्रार जनरल आफ इण्डिया और सारी मशीनरी उनके लिए डिस्पोजल पर दी गई।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हम बहुत उत्सुक हैं कि पंजाब समझौते को पूरी तरह लागू किया जाए। हमें बहुत दुख और चिंता है कि समझौते को कार्यान्वित नहीं किये जाने के कारण विक्षोभ बढ़ता जा रहा है और उग्रवादी मजबूत होते जा रहे हैं। हम सबको इससे बहुत चिंता है और हम इसके विरुद्ध हैं बात यह है······

अध्यक्ष महोदय : अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या ऐसा करने का कोई कारण है ? क्या आतंकवादियों द्वारा सिर उठाने का कोई कारण है।

प्रो० मधु दंडवते : भावावेश के लिए किसी कारण की जरूरत नही होती।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बात यह है कि स्थिति से ठीक से नहीं निपटने तथा उसे उसी हाल में छोड़ देने के कारण समझौता कार्यान्वित नहीं हुआ। समझौते में यह बात मानकर नहीं चला गया कि क्षेत्रों का स्थानांतरण फाजिल्का और और अबोहर तक सोमित रहेगा। लेकिन मैथ्यू आयोग ने इसी पर विचार किया। प्रश्न यह है कि चण्डीगढ़ के बदले में कुछ अन्य क्षेत्र दिए जाने होंगे उत्तर से प्रतीत होता है कि मैथ्यू आयोग कि असफलता के बाद सरकार ने यही कदम उठाया है कि आगे की कार्यवाही पर निर्णय लेने के लिए गृह मन्त्री पंजाब और हरियाणा के मुख्य मन्त्रियों से विचार विमर्श करें। हमने देखा कि हरियाणा के मुख्यमन्त्री किस तरह से राष्ट्रवाद का समर्थन कर रहे हैं ··

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए। मैं अनुमति नहीं दे रहा। यह विषय से दूर हटना है अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बहुत नाजुक मसला है । इसलिये, मैं इसे बहुत सावधानी से रख रहा हूं। सरकार क्या ठोस उपाय किये जा रहे हैं ? इसे कार्यान्वित करने तथा स्थानांतरण करने के लिए क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपने दिल से यह बात निकाल दें कि समझौते के लागू न होने के कारण उग्रवादी—उग्रवादी या आतंकवादी कार्यवाहियां कर रहे हैं। (**व्यवधान**) मैं सोचता हूं कि माननीय सदस्य सबसे पहले इस बात को जान लें। (**व्यवधान**) माननीय सदस्यों को तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। मेरे विचार से अब आप मुझे उत्तर देने की अनुमति देंगे। आपने प्रश्न रखा है। मुझे उत्तर देने का अधिकार है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । मुझे यह पसन्द नहीं। आप सोचते हैं कि हर वक्त कार्यवाही में व्यवधान डालना आपका काम है। मुझे यह पसन्द नहीं।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं कि आपको उत्तर का एक भाग अप्रिय लग सकता है। मैं यह भ्रम मिटाना चाहता हूं। माननीय सदस्यों को यह बात पता होनी चाहिए कि उग्रवादी पूरी तरह से इस समझौते के खिलाफ हैं। इसलिए इस या उस भाग को कार्यान्वित न करने का सवाल नहीं उठता। यह मुद्दे से एकदम बाहर की बात है। यदि माननीय सदस्य उत्तर को पढ़ें तो उन्हें पता लगेगा कि अधिकतर मुद्दों को, जहां कार्यवाही की जानी थी, कार्यान्वित किया गया है। मैथ्यू आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और इसमें उन्होंने स्वयं कहा है कि सरकार या तो दोनों पक्षों को निकट लाने तथा उनके साथ विचार-विमर्श करने पर अथवा एक अन्य आयोग का गठन करने पर विचार कर सकती है। आगे कोई उपाय करने से पूर्व पक्षों के साथ विचार-विमर्श करना जरूरी है ताकि हम उसी निष्कर्ष पर न पहुंचे जिस पर पिछला आयोग पहुंचा था। जरूरत इस बात की है कि हम मामले पर उनके साथ विचार-विमर्श करें और यही हम कर रहे हैं।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : मैं इसमें दो शब्द और जोड़ना चाहूंगा। अगर आप हस्ताक्षरित समझौते को देखें, यदि मुझे ठीक से याद है, तो चंडीगढ़ के प्रश्न विशेष से संबंधित पैरा सात, तो पाएंगे कि हम उससे पीछे नहीं हटे हैं। उस समझौते के अनुसार हमें एक आयोग का गठन करना है और आयोग के कहे अनुसार चलना है। दुर्भाग्य से आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट के कारण हम 26 जनवरी को कुछ ऐसी कार्यवाही नहीं कर सके जो हम करना चाहते थे।

प्रो० मधु दंडवते : पहले से अनुमान लग गया था।

श्री राजीव गांधी : पहले से अनुमान नहीं लगा था। मैं अनुमान नहीं लगाता कि न्यायाधीश आयोग में क्या करते हैं। हो सकता है आप अनुमान लगा रहे हों। मैं जो बात कहना चाहता हूं वह यह है कि समझौते को कार्यान्वित करने से पीछे नहीं हट रहे हैं यह आयोग के कथनानुसार ही है। हम अब ठीक वही कर रहे हैं जिसकी सिफारिश आयोग ने की है। इसने सिफारिश की है कि हमें दोनों मुख्य मंत्रियों के बीच समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए या एक और आयोग का गठन करना चाहिए। हम दोनों पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। हम दोनों मुख्य मंत्रियों से सम्पर्क बनाए हुए हैं

और इस प्रक्रिया के ठीक से पूरे हो जाने पर जल्दी ही अगला कदम उठाएंगे।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि पंजाब को चंडीगढ़ के बदले में हरियाणा को अबोहर और फाजिल्का क्षेत्र के हिन्दी भाषी गांव मिलेंगे और उक्त गांवों को हरियाणा से जोड़ने के लिए कन्दूखेड़ा गांव की भूमि से रास्ता दिया जाना चाहिए। मौजूदा निर्णय भी लगभग यही है। इसका मतलब है कि स्वर्गीय प्रधानमन्त्री की इच्छा तभी पूरी की जा सकती है जब कन्दूखेड़ा गांव से रास्ता देने के साथ-साथ अबोहर और फाजिल्का के गांव हरियाणा को दिए जाएं। तो महोदय, इन परिस्थितियों में मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या हरियाणा को न्याय दिलाने के लिए कन्दूखेडा गांव से रास्ता देने के साथ-साथ अबोहर और फाजिल्का के हिन्दी भाषी गांवों और चंडीगढ़ का स्थानांतरण एकमुश्त में किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : इसे दोबारा से दोहराया गया है : आप जो प्रश्न पूछना चाहें पूछ सकते हैं।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : मेरा प्रश्न है। क्या चंडीगढ़ के स्थानांतरण के साथ-साथ हरियाणा को अबोहर और फाजिल्का के हिन्दी भाषी गांवों का स्थानांतरण और कन्दूखेड़ा गांव से रास्ता देने का काम एकमुश्त रूप में किया जाएगा।

श्री एस० बी० चव्हाण : जहां तक रास्ता देने का संबंध है, एक माननीय सदस्य को दिए गए उत्तर में मैं बता चुका हूं कि स्थिति क्या है। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद, ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की गई। अगर माननीय सदस्य स्वयं समझौते को पढ़ें तो उन्हें पता लग जाएगा कि चंडीगढ़ का स्थानांतरण तथा हरियाणा को हिन्दी भाषी गांव स्थानांतरण करने का काम एक साथ किया जाना है और स्वयं समझौते में ऐसी व्यवस्था है।

● दक्षिण यमन में भारतीय राष्ट्रजनों की सुरक्षा

*42. **श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी** †
श्री अनन्त प्रसाद सेठी } : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण यमन में अभी हाल ही में हुए आंतरिक उपद्रवों में भारतीय राजदूत के आवास पर आक्रमण किया गया था और कई भारतीय मारे गए, घायल हुए और वहां फंस गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा दक्षिण यमन भारतीय राष्ट्रजनों की जान और माल की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए;

(घ) उन लोगों को दक्षिण यमन से बाहर निकालने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या मारे गए भारतीयों के शोक संतप्त परिवारों को प्रतिपूर्ति की अदायगी का प्रश्न

दक्षिण यमन की सरकार से उठाया गया है; और

(च) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

विदेश मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

यमन लोकतांत्रिक जन गणराज्य में अन्दरूनी उपद्रव 13 जनवरी, 1986 की सुबह शुरू हुए थे। यमन लोकतांत्रिक जनगणराज्य तथा बाहरी विश्व के बीच 13 से 27 जनवरी, 1986 तक संचार की सभी सामान्य व्यवस्थाएं बिल्कुल ठप्प पड़ी रहीं। हालांकि यह लड़ाई पूर्ण रूप से यमन लोकतांत्रिक जन गणराज्य का अन्दरूनी मामला था, फिर भी, इससे 3000 भारतीय राष्ट्रिकों सहित उस देश में मौजूद बड़ी संख्या में विदेशी राष्ट्रिक प्रभावित हुए थे।

सोवियत और ब्रिटिश सरकारों के पास उपलब्ध संचार व्यवस्थाओं के जरिए अदन में अपने दूतावास के साथ सम्पर्क करने के हमने सभी सम्भव प्रयास किए। अदन के आसपास उनके जो जहाज मौजूद थे वे विदेशी राष्ट्रिकों को अदन से बाहर निकालने में मदद कर रहे थे और हमारे अनुरोध पर वे भारतीय राष्ट्रिकों को भी वहां से निकालने के लिए राजी हो गए। तदनुसार 17 से 24 जनवरी के बीच इन जहाजों पर लगभग 425 भारतीय राष्ट्रिकों को अदन से जिबूती पहुंचाया गया। इसके साथ ही भारतीय जहाजरानी निगम को यह कहा गया कि वे अपने मालवाहक पोतों को फौरन जिबूती भेज दे। तदनुसार "विश्वर्षा" और "विश्व उमंग" नामक दो जहाज क्रमशः 31 जनवरी और 7 फरवरी को 69 और 63 भारतीय राष्ट्रिकों को बम्बई लाए। एयर इंडिया का एक विशेष चार्टर्ड विमान भी जिबूती भेजा गया और 27 जनवरी, 1986 को इस जहाज द्वारा 44 भारतीय राष्ट्रिकों के साथ बंगला देश और श्रीलंका के 110 राष्ट्रिकों को भी वहां से बाहर निकाला गया। इसके अतिरिक्त भी वाणिज्यिक विमानों से भारतीय राष्ट्रिकों को भी वहां से निकाला गया था जिसकी व्यवस्था उनके अपने-अपने नियोक्ताओं ने की थी।

भारत सरकार ने जनवरी के अन्तिम सप्ताह में अदन के निकट भारतीय नौसेना का एक फ्रिगेट भी भेजा ताकि वह राष्ट्रिकों को वहां से बाहर निकालने की प्रक्रिया में मदद करने के लिए वहां उपलब्ध रह सके।

अदन से जिबूती पहुंचने वाले लोगों से यह भी पता चला कि लगभग 800 भारतीय वहां से निकलने की प्रतीक्षा में हैं किन्तु स्थानीय प्राधिकारी नहीं चाहते कि वे लोग वहां से जाएं क्योंकि इस समय में उनकी सेवाएं अनिवार्य समझी जा रही हैं। दिल्ली में यमन लोकतांत्रिक जनगणराज्य के राजदूत से अनुरोध किया गया था कि मौजूदा जोखिम को देखते हुए वे तत्काल अपनी सरकार से सम्पर्क करके यह देखें कि इन लोगों को वहां से जाने की अनुमति दी जाए क्योंकि वे अपनी सरकार के साथ सम्पर्क करने में सफल नहीं हो पाए, हमने सोवियत सरकार से यह अनुरोध किया कि वे अदन स्थित हमारे

मिशन और यमन लोकतांत्रिक जन गणराज्य की सरकार के साथ सम्पर्क करके हमारे राष्ट्रिकों को तत्काल वहां से बाहर निकालने में मदद करें। इस बीच हमने बराबर इस बात का इंतजाम रखा कि जब भी जरूरत हो अदन से हम अपने राष्ट्रिकों को ला सकें।

29 जनवरी को अदन स्थित हमारे मिशन के साथ टेलेक्स संचार सम्पर्क पुनः कायम होने पर मिशन को यह कहा गया कि वह यमन लोकतांत्रिक जन गणराज्य के साथ विचार विमर्श करके भारतीय राष्ट्रिकों को वहां से बाहर निकालने के सभी स्थानीय प्रबन्धों को अंतिम रूप दे। तब तक स्थिति में सुधार होना शुरू हो गया था और वहां से निकल आने के इच्छुक भारतीयों की संख्या में धीरे-धीरे कमी हो गई। फरवरी के प्रारम्भ से अदन से हवाई जहाजों का आना-जाना शुरू हो गया। यमन लोकतांत्रिक जन गणराज्य में भारत के राजदूत श्री मैनर्स 7 फरवरी को जिबूती से अदन पहुंच गये। श्री मैनर्स 22 जनवरी को जिबूती पहुंच गये ताकि वहां पहुचने वाले लोगों का इन्तजाम किया जा सके और वहां स्थित अवैतनिक प्रधान कौंसल की सहायता से, और वहां रहने वाले अन्य भारतीयों की सहायता से, जिन्होंने मुसीबत में फंसे अपने साथी राष्ट्रिकों की सहायता के लिए उपलब्ध सभी संसाधन जुटाये, उन लोगों को भारत पहुंचाया जा सके।

हमारे 11 राष्ट्रिकों के मारे जाने की खबर हमें तब मिली जबअदन से कुछ लोग जिबूती पहुंचे थे। जैसे ही अदन के साथ टेलेक्स सम्पर्क पुनः स्थापित हुआ तो हमने अपने मिशन से यह कहा कि वह इन खबरों की पुष्टि करे और यमन लोकतांत्रिक जन गणराज्य से इसका ब्यौरा हासिल करें। साथ-साथ ही दिल्ली में यमन लोकतांत्रिक जन गणराज्य के राजदूत से यह कहा गया कि वह मौत की खबरों के बारे में हमारी गम्भीर चिन्ता से तथा उस देश में रह रहे हमारे अन्य राष्ट्रिकों की सुरक्षा का आश्वासन दिए जाने के बारे में भी अपनी सरकार को अवगत कराएं। उनसे यह भी कहा गया कि वे उन सभी भारतीय राष्ट्रिकों को जो वहां से अविलम्ब बाहर जाना चाहते हैं, अनुमति दिए जाने की अपनी सरकार की स्वीकृति तत्काल हमें दें।

मंत्रालय में खाड़ी मामलों की देखभाल करने वाले संयुक्त सचिव को 11 से 15 फरवरी तक पांच दिन की यात्रा पर अदन भेजा गया था ताकि वे स्थिति का मौके पर जायजा ले सकें। अदन में अपने प्रवास के दौरान संयुक्त सचिव ने भारतीय समुदाय के विभिन्न वर्गों के लोगों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की जिनमें मजदूर, डाक्टर, प्राध्यापक, नर्स, "आइटेक" विशेषज्ञ तथा अन्य लोग शामिल थे। बहुत कम लोगों को छोड़कर उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की कि वे यमन लोकतांत्रिक जन गणराज्य में ही काम करते रहना चाहते हैं क्योंकि उनका विचार था कि जो होना था सो हो चुका है तथा स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होती जा रही है। केवल 80 लोगों ने वहां से बाहर जाने की इच्छा व्यक्त की और अपने राजदूतावास से यह कहा गया कि इन लोगों के नियोक्ताओं के साथ परामर्श करके उन्हें शहर से बाहर निकालने की व्यवस्था करें।

अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि जो 11 भारतीय मारे गए थे वे अदन के निकट अपने शिविर स्थल में अपने मैस में थे। वे तब मारे गये थे जब 15 जनवरी को टैंक से गोला-बारी हुई। प्रत्यक्ष-

दर्शियों के अनुसार उनके मृत शरीर क्षत-विक्षत हो गये थे और इस कदर जल गये थे कि उन्हें पहचानना नामुमकिन हो गया था। उनके मित्रों और स्थानीय प्राधिकारियों ने उनके अवशेषों को दफना दिया था क्योंकि उस भयानक लड़ाई में यह सम्भव नहीं था कि इन अवशेषों को संभाल कर रखा जा सकता या उन्हें उनके संबंधियों को भेजा जा सकता। चार अन्य मजदूर भी घायल हुए थे। उन्हें चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई और यमन लोकतांत्रिक जन गण राज्य की सरकार उन्हें भारत वापस भेज रही है। इनके अतिरिक्त किसी अन्य भारतीय राष्ट्रिक के गम्भीर रूप से घायल होने की खबर नहीं मिली। वे सभी सुरक्षित बताए जाते हैं। यमन लोकतांत्रिक जन गणराज्य की सरकार के साथ हमने यह मामला उठाया है और वे मृतक भारतीय परिवारों को तथा घायलों को मुआवजा देने के लिए सहमत हो गए हैं।

अदन में हमारे राजदूत के निवास को भी क्षति पहुंची है। यह खबर मिली थी कि 16 जनवरी को कुछ सैनिकों ने घरों में घुस कर उनके नौकर पर गोलियां चलाई जिसके कारण उसकी दायीं बांह जख्मी हो गई थी। ऐसा लगता है कि सैनिकों ने शहर में चल रही लड़ाई के दौरान इस भवन का अस्थाई तौर पर इस्तेमाल किया था। तथापि, के साज सामान को कोई भारी क्षति नहीं पहुंची थी।

इस लड़ाई के समुचित दौर में हालांकि बहुत से अन्य विदेशी राजदूतावास बन्द हो गए थे तथा उनके कार्मिक शहर छोड़कर चले गए थे किन्तु हमारे राजदूतावास के कर्मचारी अपने-अपने स्थानों पर ही रहे और उनमें से कोई भी वहां से नहीं हटा। लड़ाई के दौरान उनके कार्य में भारी बाधा पहुंची थी और अन्य भारतीय राष्ट्रिकों की भांति उन्हें भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।

सारी संचार व्यवस्था ठप्प पड़ जाने के कारण इस घमासान लड़ाई के समय हमारे अधिकारी और कर्मचारी बिना बिजली पानी के चांसरी में ही फंस गए और उनके परिवार अपने-अपने घरों में भारी शारीरिक और मानसिक कठिनाई में उन्होंने जिस साहस का परिचय दिया वह सराहनीय है। यमन लोकतांत्रिक जन गणराज्य की सरकार ने भी इस बात की अत्यन्त सराहना की है कि उपद्रवों के दौरान भारतीय डाक्टरों, नर्सों तथा अन्य लोगों ने समय पर अपनी सेवाएं उपलब्ध की। यमन लोकतांत्रिक जन गणराज्य की सरकार ने भारत सरकार से इस बात पर खेद प्रकट किया है कि उपद्रवों के दौरान भारतीय राष्ट्रिकों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर में मैंने देखा कि मेरे प्रश्न के भाग (च) का उत्तर नहीं दिया गया है। वह प्रश्न घायल हुए लोगों के 11 शोक संतप्त परिवारों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में है। उन्होंने केवल यह कहा है कि मुआवजे के प्रश्न के सम्बन्ध में यमन सरकार सहमत हो गई है। वास्तव में स्थिति क्या है ? क्या मुआवजे की रकम निश्चित कर ली गई है और इस बारे में निर्णय ले लिया गया है ? क्या शोक संतप्त परिवारों को अभी तक किसी किश्त का भुगतान किया गया है और यदि नहीं तो क्या संघ सरकार इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मृतकों के परिवारों को अभी तक शव भी नहीं सौंपे गये हैं, इन शोक संतप्त परिवारों को स्वयं मुआवजा देगी।

श्री बी० ग्रार० भगत : विवरण व्यापक है और इसमें मुआवजे के बारे में वही बताया गया है जो उस समय स्थिति थी। हमने मन्त्रालय से अपने एक विशेष प्रतिनिधि के रूप में एक संयुक्त सचिव को वहां भेजा है। उन्होंने वहां जाकर यमन अधिकारियों और विदेश मन्त्री से 11 मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने के प्रश्न के बारे में चर्चा की। दुर्भाग्य से शव इतने क्षत-विक्षत हो गए थे कि उन्हें पहचाना भी नहीं जा सकता था। उनकी पहचान नहीं की जा सकी और वहां के श्रमिकों ने ही उन्हें दफना दिया। अत: शव सौंपे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जहां तक मुआवजे सम्बन्धी प्रश्न का सम्बन्ध है, निर्माण उप-मन्त्री—जो इसके प्रभारी हैं—ये सभी श्रमिक निर्माण कार्य में लगे थे, ने हमारे राजदूतावास को आश्वासन दिया कि वह इस मामले पर विचार कर रहे हैं और मुआवजे का भुगतान किये जाने को प्राथमिकता दे रहे हैं और मुझे आशा है कि यह काम शीघ्र पूरा हो जायेगा।

श्री ई० ग्रय्यपू रेड्डी : मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। यह मात्र अफवाह है कि मुआवजा दिया जाएगा; यह बात संयुक्त सचिव द्वारा काफी समय पहले दिए गए वक्तव्य में कही गई थी। इस सम्बन्ध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं? क्या मुआवजे की राशि निर्धारित की गई है? क्या उन्हें उसका भुगतान किश्तों में किया जाएगा? उन्होंने किसी बात का जिक्र नहीं किया है। कितना मुआवजा दिया जाएगा? क्या मुआवजा निर्धारित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं? उन्हें कुछ राशि का तुरन्त भुगतान करना चाहिए। इन परिवारों को कुछ राशि तुरन्त दी जानी चाहिए। लेकिन कुछ भी नहीं किया गया है।

मेरा अगला पूरक प्रश्न यह है: यह सब देखने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे कि हमारे दूतावास और संघ सरकार के बीच स्थानीय दंगों के कारण संचार-व्यवस्था में गड़बड़ नहीं होगी···

ग्रध्यक्ष महोदय : वह उसका आश्वासन कैसे दे सकते हैं?

श्री ई० ग्रय्यपू रेड्डी : इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए यह देखने के लिए संघ सरकार क्या कदम उठा रही है कि संचार-व्यवस्था में गड़बड न हो और जहां तक दूतावास और सरकार के बीच संचार-व्यवस्था का संबंध है, वह पूरी तरह बना रहे और उसकी पूरी सुरक्षा की जाये।

श्री बी० आर० भगत : अत्यन्त असाधारण, और हिंसा की असामान्य परिस्थितियों में, सबसे पहले संचार-व्यवस्था पर असर पड़ता है। ऐसा हर जगह होता है।

ग्रध्यक्ष महोदय : सबसे पहले संचार-व्यवस्था ही शिकार बनती है।

श्री बी० ग्रार० भगत : संचार-व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्थित होने के बावजूद, हमने अपने दूतावास से सम्पर्क बनाने के लिए अत्यधिक प्रयास किए और तीसरे विश्व के देशों के माध्यम से उनके साथ सम्पर्क स्थापित करने में सफल हुए। हमने सबसे पहले वहां अपना वायुयान, अपना समुद्री जहाज और अपनी नौसेना को वहां भेजा। हमने सम्पर्क स्थापित करने का हर प्रयास किया।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : उन्हें कब तक मुआवजे की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा ?

श्री बी० आर० भगत : मुआवजे की पहली किस्त का शायद भुगतान कर दिया गया है। मैं पता लगाऊंगा। हमारे राजदूत इस काम में लगे हुए हैं। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

श्री अनन्त प्रसाद सेठी : जो भारतीय राष्ट्रिक प्रभावित हुए हैं उन्हें वहां से निकालने के लिए सरकार ने जो कदम उठाये हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं। लेकिन साथ ही मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कब तक सभी प्रभावित भारतीय राष्ट्रिकों को वहां से निकाला जाएगा। जैसा कि वक्तव्य में कहा गया है, हाल ही में हुए दंगों के दौरान 3000 भारतीय राष्ट्रिक प्रभावित हुए हैं। सरकार ने उन सभी भारतीय राष्ट्रिकों को निकालने के लिए क्या कदम उठाये हैं ? साथ ही आपने वक्तव्य में यह भी कहा कि 800 भारतीय राष्ट्रिक अभी भी वहां से आने का इन्तजार कर रहे हैं लेकिन स्थानीय अधिकारी उन्हें जाने की अनुमति देने में आनाकानी कर रहे हैं क्योंकि उनकी सेवाएं वहां आवश्यक मानी गई हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वहां के भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : सभा में फुसफुसाहट हो रही है। कृपया इसे बंद कीजिये।

श्री बी० आर० भगत : जहां तक वहां रह रहे कार्मिकों अथवा श्रमिकों को वहां से निकालने का सम्बन्ध है, संकट के समय, जब वहां संघर्ष जारी था, ज्यों ही हम सम्पर्क स्थापित कर पाए, हम 400 से अधिक भारतीयों को जहाजों और वायुयानों द्वारा यहां ले आए। जब हमने अपने संयुक्त सचिव को वहां भेजा, तो उन्होंने वहां सबसे मुलाकात की। करीब 500 भारतीयों ने वहां से निकलने की इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने उनसे सम्पर्क स्थापित किया और कहा कि जो भी भारत या अन्य सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहेंगे उनकी सहायता की जाएगी। लेकिन चूंकि स्थिति सामान्य हो गई थी, वे वहां से आना नहीं चाहते थे और यमन लोकतांत्रिक जनगणराज्य सरकार भी चाहती थी कि डॉक्टर, नर्सें और तकनीकी काम करने वाले अन्य लोग जो निर्माण कार्य में लगे थे, आपना काम करते रहें, हमने कहा कि उन्हें हर तरह से सुरक्षा का आश्वासन दिया जाना चाहिए। अब वे लोग वहां से निकलना नहीं चाहते थे परन्तु उन्हें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति वहां से निकलना चाहे तो उसे वहां से निकाला जाएगा।

श्री सुरेश कुरूप : मृतकों के परिवारों से यह शिकायतें मिली हैं कि विदेश मन्त्रालय ने इन समाचारों के समाचार-पत्रों में छपने के बाद भी उन्हें सही ढंग से सूचना नहीं दी। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यमन से मृतकों के बारे में सूचना विदेश मन्त्रालय को किस तारीख को मिली और क्या उनके परिवारों को इस बारे में सूचना दी गई थी और यदि हां, तो किस तारीख को तथा क्या यह सूचना देर से दी गई थी और यदि हां तो विलम्ब क्यों किया गया।

श्री बी० आर० भगत : अदन से आने और जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों को फरवरी, 1986 के पहले सप्ताह में पुनः शुरू किया गया था। हमने जिबूती स्थित अपने राजदूत से कहा कि वह

तुरन्त अदन जाएं और वह 7 फरवरी को ही वहां चले गए। हमारे संयुक्त सचिव, जिन्हें हमने यहां से भेजा था वहां 11 फरवरी को पहुंचे। इस प्रकार जैसे ही हमें सम्पर्क स्थापित करने का अवसर मिला हमने तुरन्त सम्पर्क स्थापित किया। इससे मृतकों और घायलों के परिवारों से सम्पर्क स्थापित किया और उन्हें हर सम्भव सहायता दी गई।

श्री सुरेश कुरूप : मेरे प्रश्न का सही ढंग से उत्तर नहीं दिया गया है। महोदय, आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। सारी सूचना समाचार-पत्रों में 4 तारीख को प्रकाशित हो गई थी और 3 तारीख को मैंने विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री को अपने निर्वाचन क्षेत्र से यह जानने के लिए टेलीफोन किया था कि क्या फलां-फलां व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि हमें कोई सूचना नहीं मिली है। लेकिन ये सभी बातें अगले दिन समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो गई थीं।

श्री बी० आर० भगत : मेरे सहयोगी ने मुझे सूचना दी कि उसी दिन उन्होंने स्वयं सभी परिवारों को तार दिये।

श्री सुरेश कुरुप : किस तारीख को ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : मुझे सही तारीख याद नहीं लेकिन जिस दिन मुझे यमन से टेलेक्स मिला उसी दिन शाम को मैंने सभी 11 परिवारों को तार भेजी, जिनके पते मुझे बताए गए थे तथा समाचार-पत्रों को भी जानकारी दी गई।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, यह स्थिति बहुत बुरी है। जो लोग मारे गए वे सभी गरीब लोग थे।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न श्रीमती किशोरी सिंह पूछेंगी।

विज्ञान मंत्रणा परिषद्

*43. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री के लिए एक विज्ञान मंत्रणा परिषद् की योजना की गई है;

(ख) क्या प्रधान मन्त्री के लिए विज्ञान सलाहकार भी है; और

(ग) यदि हां, तो परिषद् और सलाहकार कोई पुनरुक्ति न करके एक दूसरे से भिन्न क्या कार्य करेंगे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए और परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी, अन्तरिक्ष और महासागर विकास विभागों के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। श्रीमान्।

(ख) जी, हां, पदनाम वैज्ञानिक सलाहकार है।

(ग) विज्ञान सलाहकार परिषद् के निम्नलिखित कार्य हैं : --

(1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सम्मुख मुख्य मुद्दे;

(2) देश में विज्ञान और प्रौद्योगिक की स्थिति तथा जिस दिशा में इसे बढ़ना चाहिए;

(3) सन् 2001 के लिए भावी योजना; के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री को सलाह देना।

परिषद् विभिन्न वैज्ञानिक विभागों की विशिष्ट समस्याओं, नीतियों, अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी मिशन आदि के लिए प्राथमिकताओं पर भी विचार करेगी। इस परिषद् को विशिष्ट विषयों का अध्ययन करने के लिए उप-समूहों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान की गई है।

वैज्ञानिक सलाहकार उन्हें भेजी गई विशिष्ट समस्याओं पर सलाह देने के अलावा, प्रधान मंत्री को निरंतरता के आधार पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति से संबंधित मामलों पर सलाह देगा। साथ ही, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना के समग्र कार्यान्वयन का मानीटरन करने की जिम्मेदारी उनकी होगी।

श्रीमती किशोरी सिंह : उत्तर विस्तार में दिया गया है। लेकिन साथ ही मैं जानना चाहती हूं कि किन कारणों से विज्ञान सलाहकार परिषद की नियुक्ति प्रधान मन्त्री के लिए की गई और मंत्रिमंडल के लिए नहीं की गई जैसा कि फरवरी, 1980 में इसके पुनर्गठन से पहले था और विशेष रूप से जब माननीय प्रधान मन्त्री को परामर्श देने के लिए एक वैज्ञानिक सलाहकार है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मात्र नाम में भिन्नता है। माननीय प्रधान मन्त्री जी को जो परामर्श दिया जाएगा वह जानकारी मंत्रिमंडल को भी उपलब्ध होगी और मंत्रिमंडल को जो परामर्श दिया जाएगा वह जानकारी प्रधान मन्त्री को भी उपलब्ध होगी।

प्रो० मधु दंडवते : इसका कारण यह है कि प्रधान मन्त्री भी मंत्रिमंडल के ही सदस्य है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : जी हां।

श्री सोमनाथ चटर्जी : लेकिन वह किसके समक्ष जिम्मेदार हैं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : पहले की परिषद विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी मंत्रिमंडल समिति को परामर्श देती थी और उसके माध्यम से मंत्रिपरिषद को यह सलाह दी जाती थी अब यह जानकारी सरकार को होगी। (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : आपने इसमें परिवर्तन क्यों किया ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्रीमती किशोरी सिंह : मैं जानना चाहती हूं कि ये परिवर्तन और डा० वरदाराजन और प्रो० यशपाल जैसे कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों को फरवरी, 1986 में अपने पदों से हटाकर कहीं और भेजने का सम्बन्ध प्रधान मन्त्री द्वारा खुले आम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान पर यह असंतोष व्यक्त किए जाने का परिणाम है कि वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास सम्बन्धी उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा है ? यदि हां, तो क्या इन परिवर्तनों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान नये रूप में काम करेगा ।

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : मैं समझता हूं कि ऐसा कोई विचार नहीं था । इसके पीछे विचार यह था कि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में कुछ वैज्ञानिक आदान छोड़ दिए जाएं जहां प्रो० यशपाल और श्री वरदाराजन को नियुक्त किया गया है । ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि वह काम नहीं कर रहे थे । ऐसा केवल इसलिए हुआ कि वह अच्छी तरह काम कर रहे थे । हम और अधिक क्षेत्रों में रचनात्मक आदान चाहते थे । इसीलिए हमने उन्हें वहां नियुक्त किया है ।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह इस तथ्य से अवगत हैं कि प्रसिद्ध खगोल-भौतिकी डा० नरेन्द्रीकर ने वैज्ञानिक सलाहकार परिषद की रचना और इसकी शक्तियों और कार्यों के सम्बन्ध में सार्वजनिक रूप से कुछ सुझाव दिए थे । क्या वह उन से अवगत हैं ? सरकार की उन सुझावों के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : इस समय वह वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं और उन्हें परिषद के एक सदस्य के रूप में अपने विचार व्यक्त करने की सुविधा प्राप्त है और उनकी सलाह सचमुच सरकार को भी उपलब्ध होगी और उनके द्वारा तथा परिषद द्वारा दिये गये परामर्श की उचित ढंग से जांच के पश्चात, कार्यवाही की जा सकती है ।

प्रो० मधु दंडवते : मेरा प्रश्न यह था कि : क्या वह इस तथ्य से अवगत हैं, और क्या उन्होंने सार्वजनिक रूप में कुछ सुझाव दिए हैं ? वह कह सकते हैं "मुझे नहीं मालूम ।"

श्री राजीव गांधी : मेरा विश्वास है कि उनके वक्तव्य के पश्चात् मैंने वैज्ञानिक सलाहकार परिषद से बहुत देर तक चर्चा की और हम परिषद के काम करने के ढंग के बारे में सहमत हो गये हैं । और वह ऐसा ही कर रहे हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : प्रधान मन्त्री को अधिक जानकारी है ।

पाकिस्तान के साथ शांति संधि का प्रस्ताव

*44 **श्री चित्त महाता**†
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही } : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पाकिस्तान ने भारत के शांति, मैत्री और सहयोग संधि विषयक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में पाकिस्तान के क्या विचार हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री बलिराम भगत) : (क) से (ग) शांति और मैत्री की एक व्यापक संधि के मसौदे पर विचार विमर्श चल रहा है। इस प्रस्तावित संधि के कतिपय महत्वपूर्ण पहलुओं पर मत-भेद अभी बने हुए हैं।

[हिन्दी]

श्री चित्त महाता : अध्यक्ष जी, माननीय विदेश मन्त्री जी ने अपने जबाब में कहा है —इस प्रस्तावित संधि के कतिपय महत्वपूर्ण पहलुओं पर मतभेद अभी बने हुए हैं। 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था, मैं विदेश मन्त्री जी से जानना चाहूंगा, वे महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं ? लेकिन उसको अभी तक पारित नहीं किया गया। काश्मीर की समस्या भी ऐसी है। दूसरी ओर पंजाब में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान में उग्रवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। यह भारत सरकार को भी मालूम है कि वहां जो उग्रवादियों ने ट्रेनिंग प्राप्त की हैं, अभी भी वे पाकिस्तान में हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान सरकार उनको भारत सरकार के हवाले कर देगी ?

श्री बी० आर० भगत : सबसे महत्वपूर्ण सवाल जिसमें मतभेद है, वह यह है कि हम चाहते हैं कि शिमला एग्रीमेंट के तहत जो बाइलेट्रलइज्म का सिद्धांत है, उसके अनुसार शांतिमय तरीके से हम दोनों देश मिलकर सभी सवालों को हल कर लें और हम तो इस से भी आगे बढ़ना चाहते हैं कि हम दोनों देशों के बीच में बाहर की शक्तियां या बाहर की ताकतें, जो गड़बड़ पैदा करती हैं, वे न कर पाएं। इसका प्रारूप क्या होना चाहिए संधि में, इसके बारे में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की जो स्थिति है, बह अलग-अलग है। उसे जरा नजदीक लाना होगा।

दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात है और जिस पर मतभेद है, वह यह है कि हमने यह प्रस्ताव किया है कि दोनों देश अपने क्षेत्र में कोई मिलिट्री बेस किसी को न दें और पाकिस्तान ने इस पर कहा है कि यह हमारी सोवरेन्टी पर, सार्वभौमिकता जो देश का अधिकार होता है, उस पर आघात है। यद्यपि वे कहते हैं कि हमने किसी को मिलिट्री बेस नहीं दिए हैं और न देने का इरादा है मगर हम इसको नहीं मानते हैं। इन दोनों महत्वपूर्ण बातों पर अभी हमारी स्थिति अलग-अलग है बातचीत के कई दौर हो चुके हैं और आगे भी होंगे।

श्री चित्त महाता : मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी यह है कि यह बात सही है कि पाकिस्तान और और भारत के बीच शांति और मैत्रीपूर्ण समझौता होना चाहिए, जिससे दोनों देश प्रगति करें, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अमेरिका की रेगन सरकार इस समझौते में कुछ बाधा डाल रही है। विदेश मन्त्री ने क्या अमेरिका के साथ इस बारे में बात की है ?

श्री बी० आर० भगत : अमेरिका सरकार से जो बात हुई है, उसमें उन्होंने यह स्पष्ट रूप से

कहा है कि वे चाहते हैं कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में मेल हो, दोस्ती बढ़े और इस तरह की संधि हो, जिससे हिन्दुस्तान ही में नहीं बल्कि सारे दक्षिण एशिया में सभी देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हों। ऐसे उन्होंने अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त किए हैं।

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : कल इस सभा में हमें यह बताया गया था कि जब तक पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों जैसे आतंकवादियों को विशेष शिविरों में प्रशिक्षण देने और उन्हें अन्य प्रकार से सहायता देने में लगा रहेगा तब तक भारत पाकिस्तान संबंधों में कोई सुधार नहीं हो सकता है। किंतु आज के समाचार पत्रों के अनुसार, जब कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों ने जिया-उल-हक से पूछा कि भारत को उपलब्ध इन नए सबूतों को देखते हुए कि उग्रवादियों को पाकिस्तानी शिविरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या निकट भविष्य में हमारे प्रधान मन्त्री की पाकिस्तान की यात्रा की सम्भावना है, तो उन्होंने यह वक्तव्य दिया कि चालू वर्ष के पूर्वार्ध में प्रधान मन्त्री पाकिस्तान की यात्रा करेंगे।

विदेशी मामलों के विश्लेषकों ने हाल ही में इस बात की सूचना दी है कि पाकिस्तान के शांति प्रस्ताव दो बातों पर आधारित हैं। एक यह है कि पाकिस्तान वर्तमान 3.2 अरब डालर अमरीकी सैनिक सहायता के अतिरिक्त 6 अरब डालर अमरीकी सैनिक सहायता प्राप्त करना चाहता है। दूसरा फलिपीन्ज में जो कुछ हुआ है उसे देखते हुए श्री जिया-उल-हक शायद यह महसूस करते हैं कि इस समय श्री राजीव गांधी की उनके देश की यात्रा उनके लिए सहायक सिद्ध होगी और उन्हें बढ़ावा मिलेगा। वह यह सोचते होंगे कि यदि वह यह कहते हैं कि वह स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं तो उन्हें अमेरिका से 6 अरब डालर की सहायता मिल जाएगी। इस पृष्ठभूमि में मैं स्थिति की वास्तविकता जानना चाहता हूं।

श्री बी० आर० भगत : कल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई और मैंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ मित्रतापूर्वक तथा सहयोगी सम्बन्ध स्थापित करने अथवा शांति और मित्रता स्थापित करने में कुछ सकारात्मक तत्व और कुछ नकारात्मक तत्व हैं। एक नकारात्मक तत्व यह है कि पाकिस्तान पंजाब के उग्रवादियों को प्रशिक्षण और शस्त्र प्रदान कर रहा है और शरण दे रहा है जिससे दो देशों के बीच विश्वास, शन्ति और मित्रता स्थापित करने की इस प्रक्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैंने कहा है कि 17 दिसम्बर, के 6 सूत्रीय समझौते में, प्रधान मन्त्री की इस्लामाबाद यात्रा से शान्ति स्थापित करने वाली इन सभी गतिविधियों की पराकाष्ठा के रूप में होगी और शांन्ति और मैत्री समझौते पर हस्ताक्षर को एक ऐतिहासिक घटना माना जाएगा। किंतु यह यात्रा इन सभी मामलों—व्यापार के मामले, रक्षा सचिव की बात-चीत, विदेश सचिव की यात्रा, संयुक्त आयोग की बैठक और अन्य विभिन्न बैठकें—की संतोषजनक प्रगति पर निर्भर है एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। शान्ति और मैत्री समझौते के लिए निश्चित तथा ठोस ढांचा इन सब बातों की संतोषजनक प्रगति पर निर्भर है। मैंने कहा कि इस समय वह स्थिति नहीं आई है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : इसमें केवल "अगर ही अगर" है। मैं जानता हूं कि क्या इन सभी "बातों" में कोई एक भी ऐसी बात है जहां यह "अगर" न हो।

श्री बी० आर० भगत : हम अभी तक हुई चर्चाओं के परिणामों की प्रगति का मूल्यांकन कर रहे हैं। उसके पश्चात् हम आगे कदम उठाएंगे।

श्री सी० माधव रेड्डी : समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि हमारे प्रधान मन्त्री और राष्ट्रपति जिया मौखिक रूप से इस बात पर पहले ही सहमत हो गये हैं कि कोई भी देश दूसरे देश के परमाणु संस्थापनों पर आक्रमण नहीं करेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी नियमित समझौते का प्रारूप तैयार करने के बाद यह तय किया गया है और क्या समझौते पर हस्ताक्षर हो गये हैं

श्री बी० आर० भगत : जब विदेश सचिव इस्लामाबाद गए थे तब दोनों देशों में परमाणु सुविधाओं पर हमला न करने के मामले पर भी चर्चा हुई थी। चर्चा तो हुई, किंतु दो देशों की स्थिति को समझने में कुछ मतभेद रहा। इस पर आगे विचार किया जाएगा।

प्रो० मधु दंडवते : "आक्रमण न करने" में क्या अन्तर है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ है कि आप आक्रमण नहीं करेंगे।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : महोदय, पाकिस्तानी मन्त्री ने वहां के सदन में भारत की साम्प्रदायिक स्थिति के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया है; दूसरा अमरीका पाकिस्तान को पूरी सहायता दे रहा है; और तीसरा पाकिस्तान हमारे मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मैं जानना चाहता हूं क्या अभी भी उनके साथ शान्ति समझौते की कोई आवश्यकता है, विशेषकर जब हमारे पास शिमला समझौता और दिल्ली समझौता है। जब तक हमारे दो देशों के बीच यह तीन समस्याएं चलती रहेंगी तब तक क्या यह सतही समझौता नहीं है ?

श्री बी० आर० भगत : महोदय जहां तक पाकिस्तान को सहायता देने के बारे में अमरीका की स्थिति का प्रश्न है, हमने कल ही स्पष्ट किया है और हम इसे स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमने यह बात अमरीका सरकार और वहां के अधिकारियों को बता दी है कि इस से शस्त्रों की दौड़ बढ़ेगी और इससे इस क्षेत्र में स्थिरता और शान्ति पर भी प्रभाव पड़ेगा। इससे और तनाव बढ़ जाता है और यहां तक कि हमें अपने विकास संसाधनों को सुरक्षा पर लगाने पड़ते हैं। यह हम पर एक बहुत भारी बोझ है। यह बात कही गई है।

दूसरा अफगानिस्तान के सम्बन्ध में स्थिति। भारत अमरीका सम्बन्ध में पैदा हुई गलत फहमी है अमरीका के साथ अच्छे और मित्रतापूर्वक संबंधों का यह अर्थ नहीं है कि हम अन्य देशों के साथ अपने पूर्व सम्बन्धों से दूर हट रहे हैं। हमारी सिद्धांतिक स्थिति यह रही है कि एक देश के साथ हमारे संबंध दूसरे देश की कीमत पर नहीं होने चाहिए। सोवियत संघ के साथ हमारे संबंध तीन दशकों से भी अधिक पुराने हैं और ये और दो देशों के बीच कुछ उच्च सिद्धांत पर मैत्री की ठोस नींव पर खड़े हैं। अतः वह अलग बात है। यदि हम अमरीका के साथ सम्बन्ध स्थापित करने में कामयाब होते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि ये भारत, रूस सम्बन्ध अथवा अन्य किसी बात की कीमत पर स्थापित किए गए हैं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या यह मेरे प्रश्न का उत्तर है ? मेरा विचार है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे पास शिमला और दिल्ली समझौते हैं, क्या वह उन समझौतों से सन्तुष्ट नहीं हैं और एक और शांति समझौता कराना चाहते हैं विशेषकर जब हमारे देश के सामने अन्य कई समस्याएं हैं ? क्या वह उन समझौतों के अतिरिक्त कोई शांति समझौता करना चाहते हैं ?

श्री बी० आर० भगत : मैंने पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। हम शिमला समझौते के अतिरिक्त कुछ करना चाहते हैं। हमारे पास शान्ति और मैत्री के समझौते का प्रारूप तैयार है। यह हमने पाकिस्तान को दे दिया है। इससे इन दो देशों के बीच स्थाई शान्ति निश्चित होती है। हम इस से आगे जाना चाहते हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के आंचलिक संवर्ग

*45. श्री मुरलीधर माने†
श्री गुरुदास कामत } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा के आंचलिक संवर्ग बनाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंचलिक संवर्गों के सृजन से देश में प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार कारगर बन सकेगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री मुरलीधर माने : क्या मैं आदरणीय मन्त्री से जान सकता हूं कि सरकार ने आंचलिक संवर्गों को असंगत ठहराया है। क्या यह सच है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियो और पदोन्नत उच्च अधिकारियों को अन्य अंचलों से लेकर दूसरे राज्यों में नियुक्त किया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : वह ऐसा पहले ही कर चुके हैं। यह एक अखिल भारतीय सेवा है। इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। यह एक अखिल भारतीय संवर्ग है। यह करना पड़ेगा।

श्री मुरलीधर माने : 'टाइम्स आफ इण्डिया' में छपे एक समाचार में श्री चिदम्बरम् को यह कहते हुए उद्धृत किया गया है कि सरकार पांच अंचल बनाने जा रही है। इस समय छब्बीस अंचल हैं। राष्ट्रीय एकता को दृष्टि में रखते हुए इन भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को दूसरे राज्यों मे नियुक्त किया जा रहा है ··(व्यवधान)

श्री पी० चिद्म्बरम् : मैंने इन्कार किया है कि आंचलिक संवर्ग बनाने का कोई प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई ऐसा अखिल भारतीय संवर्ग है जिसको आंचलिक संवर्ग बनाया जा सकता हो उसे एक ही समझा जाना चाहिए। बस इतनी बात है।

श्री मुरलीधर माने : प्रश्न को भली प्रकार नहीं समझा गया। इन भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम है मैं यह जानना चाहता था कि इससे हमारे प्रधान मन्त्री के वायदे किस हद तक पूरे हो जाएंगे ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस प्रश्न को समझे क्या आप प्रश्न के सिर पैर का पता लगा सके हैं ?

श्री पी० चिदम्बरम् : यह प्रश्न आंचलिक संवर्ग से सम्बन्धित है। आदरणीय सदस्य प्रशिक्षण के बारे में जानना चाहते हैं। मैं प्रशिक्षण के बारे में उत्तर दे सकता हूं। दो प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं— पहला, एक सप्ताह का रिफ्रेशर कोर्स है और दूसरा चार सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। दोनों कार्यक्रमों के अलग-अलग उद्देश्य हैं। इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए इक्तालीस संस्थानों को चुन लिया गया है। हम एक सप्ताह के रिफ्रेशर कोर्स का पहला दौर जून 1986 तक समाप्त कर लेने की आशा करते हैं। चार सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला दौर हम तीन वर्ष में समाप्त करने की आशा करते हैं और हम सोचते हैं कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के संवर्ग के लिए बहुत लाभप्रद होगा और यह प्रशासन में सहायक होगा।

श्री गुरुदास कामत : चूंकि सरकार ने प्रशासनिक मशीनरी को गतिशील बनाने के लिए बहुत से कदम उठा लिए हैं, इसलिए क्या मन्त्री महोदय हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भविष्य में विशेषज्ञता वाले कामों पर विशेषज्ञ ही लगाये जाएंगे और भारतीय प्रशानिक सेवा केवल आवश्यक संवर्गों के पदों पर ही रखे जाएंगे।

श्री पी० चिदम्बरम् : यह सुझाव मंत्रालय में गम्भीर रूप से विचाराधीन है और जब हम इस सेवा के ढांचे का पुनर्गठन करने के बारे में नीति को अन्तिम रूप देंगे तो अन्य बातों के साथ साथ इसे भी हम अपने ध्यान में रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 46 श्री लक्ष्मण मलिक यहां नहीं हैं, न ही श्री कमला प्रसाद रावत हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : श्री रावत इस प्रश्न को रखने के लिए उत्सुक थे।

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : मुझे कोई एतराज नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को कोई एतराज नहीं हो सकता, लेकिन मुझे है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : वह पंजाब में अपने आपको आतंकवाद का विशेषज्ञ बना रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह आतंकवाद विरोधी दस्ता बना रहे हैं।

प्रो० के०के० तिवारी : श्रीमान, आप भी इस मामले में रुचि रखते हैं।

अध्यक्ष महोदय : स्वाभाविक है, मेरी रुचि है। अगला प्रश्न संख्या 47 श्री डेनिस और न श्री भोये यहां हैं।

अगला प्रश्न संख्या 48 है – श्री सनत कुमार मण्डल यहां उपलब्ध नहीं हैं। श्री मोहम्मद महफूज अली खां।

पाकिस्तान द्वारा अमरीका से इलेक्ट्रानिक हथियारों की खरीद

*48. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** †
श्री सनत कुमार मंडल
} : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान इस वर्ष अमरीका से 41 मिलियन डालर मूल्य के फायर फाइन्डर्स और इलैक्ट्रानिक हथियार खरीद रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे भारत की सुरक्षा को भारी खतरा पैदा हो गया है; और

(ग) अमरीका सरकार द्वारा पाकिस्तान को इन घातक हथियारों से लैस किए जाने से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमरीका से फायर फाइंडर रडार सिस्टम प्राप्त कर रहा है।

(ख) और (ग) इस प्रकार के अत्याधुनिक हथियारों का हासिल किया जाना चिन्ता का विषय है क्योंकि इसकी वजह से संसाधनों को आर्थिक विकास की बजाय रक्षा पर लगाना पड़ता है। सरकार ऐसी सभी घटनाओं पर बराबर निगाह रखती है, जिनसे देश की सुरक्षा प्रभावित होती है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : स्पीकर साहब, मुझे यह मालूम करना था कि पिछली मर्तबा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका तशरीफ ले गए थे तो आखिर पाकिस्तान को मदद क्यों दी जा रही है। जबकि पाकिस्तान हम लोगों के लिए ही तैयारी कर रहा है। इस सिलसिले में क्या तय हुआ। अमेरिका क्या पाकिस्तान को ही वेपन्स देगा या हमारी कन्ट्री को भी कुछ मदद मिलेगी।

श्री बी० आर० भगत : अभी तो वे पाकिस्तान को ही दे रहे हैं। हमने तो उनसे कोई इस तरह की मदद मांगी नहीं है और न मांगने का इरादा है।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : मांगने का इरादा तो नहीं है लेकिन उनकी तैयारियां हमारी कन्ट्री के लिए बराबर हो रही हैं। यह सब उनका बहाना है कि हम दूसरी कन्ट्री पर अटैक करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका से बात करें। ताकि हमको भी कुछ मदद मिल सके।

श्री बी० आर० भगत : जहां तक मुल्क की सुरक्षा का सवाल है और जो पाकिस्तान को मदद मिल रही है और इससे हमको जो चिंता और खतरा हो रहा है, इसके बारे में आपको और सदन को भी मालूम है। हमने बार-बार इस पर अपनी चिंता प्रकट की है और इसकी सारी तैयारी, कि हमारी सुरक्षा महफूज रहे, हम कर रहे हैं। इसके बारे में प्रधान मन्त्री जी ने और हमने भी उनसे, अमेरिकी नेताओं और अधिकारियों से बात की है। और हमने इन दो खास बातों की तरफ ध्यान दिलाया है कि इससे न केवल हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में, बल्कि पूरे साउथ एशिया में, तमाम क्षेत्र में अशांति फैल रही है, टैंशन बढ़ रही है। इससे लड़ाई का वातावरण तैयार होता है जो शान्ति के लिए मौजूं नहीं है। दूसरी बात हमने यह कही कि हमें भी अपनी तैयारी, पूरी रखने के लिए, क्योंकि हमें आशंका है कि पाकिस्तान हम पर उन हथियारों का दुरुपयोग करेगा, जैसा मैंने सवाल के जवाब में भी कहा है, अपने साधनों को आर्थिक विकास से हटाकर सामरिक विकास की ओर लगाना पड़ेगा जबकि हमारे पास साधन बहुत सीमित हैं। हमने इन बातों पर भी जोर दिया है।

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : इस प्रश्न का उत्तर देते हुए एक बार उन्होंने कहा था कि अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की जो सप्लाई की जा रही है उसके कारण हमारे देश की सुरक्षा को बहुत गम्भीर खतरा पैदा होता जा रहा है। जब हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो रहा है तो हम पाकिस्तान के साथ आक्रमण न करने की संधि और मित्रता तथा शान्ति बनाये रखने की बात कैसे कर रहे हैं। सरकार इन दो उलट स्थितियों में कैसे समन्वय कर रही है। क्या वह इस बात को महसूस नहीं करते कि जिया-उल-हक की सरकार द्वारा आक्रमण न करने की संधि करने या मित्रता का हाथ बढ़ाने की जो बात की जा रही है वह अपने सैनिक शासन को वैधता का कवच पहनाने के लिए है क्योंकि आज विभिन्न देशों में लोकतंत्रात्मक सरकारों के मुकाबले सैनिक सरकारों को खतरा बना हुआ है।

श्री बी० आर० भगत : हमारे साथ शान्ति चाहने के पीछे पाकिस्तान का सम्भवतः यह इरादा हो सकता है लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान अपने को जो मजबूत कर रहा है अपने आप को जो हथियार बन्द कर रहा है और हमारे लिए जो खतरा पैदा कर रहा है इस सच्चाई में कोई सन्देह नहीं है। वास्तविक प्रश्न तो यह है कि दो पड़ोसी देश होने के नाते हमें परस्पर किस प्रकार के सम्बन्ध रखने चाहिए। मेरे विचार से किसी के मस्तिष्क में लेशमात्र भी संदेह नहीं है कि अनिवार्यतः चाहे लम्बी अवधि या छोटी अवधि या मध्यम अवधि पर आधारित व्यवस्था हो भारत और पाकिस्तान को शान्ति एवं मित्रता के सम्बन्ध बढ़ाने चाहिए, यही दोनों देशों के हित में है। आज ही

नहीं बल्कि हमेशा से इस विचार का अनुसरण करते हुए हम इस दिशा में प्रयत्न करते रहे हैं, यद्यपि पाकिस्तान इससे भिन्न दिशा और अवस्था अपनाता रहा है। पाकिस्तान ने टकराव का रास्ता अपनाया है लेकिन हम विश्वास करते हैं कि यदि भारत और पाकिस्तान के लिए कोई तर्कसंगत तथा परस्पर लाभकारी व्यवस्था हो सकती है तो वह स्थाई शान्ति बनाए रखने की है जबकि हम पाकिस्तान द्वारा हथियारों खास किस्म के हथियारों को एकत्र करने के खतरे से अनभिज्ञ नहीं है जो कि हमारे लिए एक खतरे का रूप धारण कर रहे हैं; हम इसका अलग से ध्यान कर रहे हैं और इसे उन देशों में कूटनीतिक तरीके से हल कर रहे हैं जहां से यह हथियार खरीद रहा है जिनसे भारत की शान्ति एवं सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है, लेकिन उसी के साथ-साथ हम पाकिस्तान के साथ मित्रता और सहयोग बनाने का मार्ग भी पकड़े हुए हैं।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : आपने अभी कहा कि हमने अमेरिका की तवज्जह इस तरफ दिलाई है कि उससे जूनूब मशरकी एशिया को भी खतरा है तो आप यह भी बताईये कि आपकी तवज्जह दिलाने पर अमेरिका ने क्या रद्दे अमल किया ? उनके ऊपर क्या असर पड़ा।

श्री बी० आर० भगत : ये बातें तो हमेशा चलती रहती हैं और आर्म्स देने का पहला दौर जबसे शुरू हुआ, जिसमें पाकिस्तान को लगभग 3.2 बिलियन के आर्म्स और इकानामिक ऐड देने की बात चली तबसे हम उनको बराबर यह बताते रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अमेरिका हमारी बातों पर विचार करेगा, क्योंकि हर मामले में उनकी अपनी परसैप्शन्स हैं, अपने ग्लोबल परसैप्शन्स हैं, इस रीजन में अपनी परसैप्शन हैं, अपने नेशनल इन्टरैस्ट्स हैं। फिर भी ये बातें उस हिसाब से चलती रहती हैं।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : मैंने तो यह पूछा था कि जब आपने अमेरिका की तवज्जह इस बात की ओर दिलाई तो उनका अमेरिका पर क्या असर पड़ा, आप हमें उसके बारे में बताईये।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको दूसरे प्रश्न के लिए एलाव नहीं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : श्रीमान अध्यक्ष महोदय, श्रीमान ···(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। अनुमति नहीं दी गई है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

———

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

पंजाब में उग्रवादी गतिविधियां

*46. श्री लक्ष्मण मलिक
श्री कमला प्रसाद रावत } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ महीनों के दौरान उग्रवादियों ने पंजाब में गोली मार कर अनेक लोगों की हत्या कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पंजाब सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उक्त स्थिति को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) पंजाब सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 1-10-1985 से 10-2-1985 तक की अवधि के दौरान उग्रवादी/आतंकवादी गतिविधियों के कारण 50 व्यक्ति मारे गये ।

(ग) पंजाब सरकार द्वारा उठाये गये कई कदमों में गश्त गहन करना, उग्रवादी हिंसा के लिए प्रवृत्त क्षेत्रों में पुलिस प्रबन्ध को सुदृढ़ करना और उग्रवादी तत्वों के छिपने के स्थानों पर कड़ी निगरानी रखना सम्मिलित है ।

(घ) केन्द्र सरकार ने आन्तरिक सुरक्षा प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त अर्ध-सैनिक बल उपलब्ध कराये हैं ।

श्रीलंका में जातीय समस्या

*47. श्री एन० डेनिस
श्री आर० एम० भोये } : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार अन्ततः भारत तथा श्रीलंका के बीच 1964 में हुए करार के अंतर्गत श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों से संबंधित शेष समस्याओं का समाधान करने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) क्या श्रीलंका में तमिलों पर हिंसा की घटनाएं लगातार हो रही हैं; और

(ग) समस्या का समाधान करने के लिए श्रीलंका तथा भारत के बीच चल रही बात-चीत का नवीनतम परिणाम क्या निकला है और समस्या के समाधान की क्या सम्भावनाएं हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) भारत सरकार श्रीलंका सरकार और श्रीलंका के तमिल ग्रुपों के बीच मतभेदों को कम करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है।

महाराष्ट्र में विकास बोर्डों का गठन

*49. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 371(2) तथा नागपुर समझौते के अंतर्गत पहले से स्वीकृत महाराष्ट्र राज्य में विकास बोर्डों के गठन के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लिये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) अभी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 371(2) के अधीन राज्य में क्षेत्रीय विकास बोर्डों की स्थापना के लिए महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त योजना का मसौदा विचाराधीन है।

पर्यावरण को खराब और दूषित होने से रोकने हेतु भारतीय विज्ञान कांग्रेस की सिफारिशें

*50. श्री जगन्नाथ पटनायक
श्री श्रीहरि राव } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विज्ञान कांग्रेस ने अपने 73वें अधिवेशन में पर्यावरण को खराब और दूषित होने से रोकने के लिए अनेक सिफारिशें सरकार से की हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दिए गए सुझावों का सार क्या है और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 73वां अधिवेशन 3 से 8 जनवरी, 1986 तक दिल्ली में आयोजित किया गया। अधिवेशन का मुख्य विचारणीय विषय था "पर्यावरणीय प्रबन्धन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी"। अधिवेशन में हुए विचार-विमर्श के आधार पर, एसोसिएशन, सरकार के विचारार्थ सिफारिशें तैयार करती है। एसोसिएशन ने 73वें अधिवेशन की सिफारिशें अभी तक सरकार के पास नहीं भेजी हैं। जब सिफारिशें प्राप्त हो जायेंगी तो सरकार उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए उनकी जांच करेगी।

"प्राकृतिक उद्यान, अभयारण्य और प्राकृतिक जलाशयों का विकास"

*51. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार देश में प्राकृतिक उद्यानों, अभयारण्यों और प्राकृतिक जलाशयों के विकास की कुछ परियोजनाएं कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा तथा अन्य राज्यों के किन-किन प्राकृतिक उद्यानों, अभयारण्यों और प्राकृतिक जलाशयों का विकास करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस संबंध में तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) बाघ रिजर्वों सहित राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्यों के विकास के लिए तीन केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा उड़ीसा में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जा रही है।

1. सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान,
2. भिट्टारकानिका अभयारण्य,
3. सतकोसिया जार्ज अभयारण्य,
4. चण्डका अभयारण्य,
5. नन्दनकानन अभयारण्य।

इन स्कीमों के अन्तर्गत प्राथमिकताओं तथा निधि की उपलब्धताओं के आधार पर विकास के लिए अतिरिक्त क्षेत्र भी लिए जा सकते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में अन्य राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य एवं जीवमंडल रिजर्व जिनको वित्तीय सहायता दी जा रही है या देने के लिए विचार किया जायेगा, उनकी सूची संलग्न है।

(ग) राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर राष्ट्रीय उद्यानों तथा बाघ रिजर्वों समेत अभयारण्यों के विकास की पृथक-पृथक स्कीमों का अनुमोदन किया जाता है तथा केन्द्र सरकार ने वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विकास के प्राथमिक क्षेत्रों का अभिनिर्धारण किया जाता है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें, सुरक्षा उपाय, प्राकृतिक वास सुधार, निर्माण कार्य, वाहन एवं उपकरणों की खरीद, संचार सुविधाओं में सुधार, आगंतुक सूचना सेवा, वन्य जानवरों की गणना, प्रतिरोधक क्षेत्र में विकास कार्य एवं अनुसंधान की गतिविधियां प्रारम्भ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

विवरण

निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के चुने गये राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य जिनको सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में वित्तीय सहायता देनी है :—

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य का नाम
1	2
आसाम	काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
	सोनाई रूपाई अभयारण्य
	ओरंग अभयारण्य
	मानस अभयारण्य
	लाखोवा अभयारण्य
	बरनदी अभयारण्य
आन्ध्र प्रदेश	पोचरम अभयारण्य
	नागार्जुन सागर अभयारण्य
	कवल अभयारण्य
	पुलीकट अभयारण्य
	मनजीरा अभयारण्य
	कोरिंगा अभयारण्य
	पापीकोन्डा अभयारण्य
	पाखाल अभयारण्य
	कोलेरु अभयारण्य
अन्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	मैरीन राष्ट्रीय उद्यान

1	2
	नारकोन्डम अभयारण्य
	सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान
अरुणाचल प्रदेश	नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान
	ईटानगर अभयारण्य
	महावो रिजर्व अभयारण्य
बिहार	पालामाऊ राष्ट्रीय उद्यान
	बाल्मीकि नगर अभयारण्य
	कैमूर अभयारण्य
	हजारीबाग अभयारण्य
	डालमा अभयारण्य
गुजरात	ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क
	बारदा अभयारण्य
	रन आफ कच्छ अभयारण्य
	नलसरोवर अभयारण्य
	वेलावदार राष्ट्रीय पार्क
	वन्सदा राष्ट्रीय उद्यान
	जैसोर अभयारण्य
	गिर राष्ट्रीय उद्यान
	दुमखल स्लोथ बैयर अभयारण्य
	रतनमहल अभयारण्य
	गिर शेर अभयारण्य
	वन्य गर्दभ अभयारण्य
	समुद्री राष्ट्रीय उद्यान
गोवा दमन एवं द्वीव	भगवान महावीर अभयारण्य
हिमाचल प्रदेश	ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान
	कलाटोप और खजियार अभयारण्य

1	2
	कंवर अभयारण्य
	पोंग डैम झील
	दरंगघाटी
हरियाणा	सुल्तानपुर अभयारण्य
जम्मू एवं काश्मीर	दचीगम राष्ट्रीय उद्यान
	ओवेरा अभयारण्य
	सुरीनसर मन्सर पटवार अभयारण्य
	किस्तवर राष्ट्रीय उद्यान
केरल	पेरियार राष्ट्रीय उद्यान
	ईरावीकुलेम राष्ट्रीय उद्यान
	साईलेन्ट वैली राष्ट्रीय उद्यान
	वैनद अभयारण्य
	पैरमबीकुलेम अभयारण्य
	नैयर अभयारण्य
	सचिनदुरुनई अभयारण्य
	इदुक्की अभयारण्य
	चिनार अभयारण्य
	थाटीकड अभयारण्य
कर्नाटक	बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान
	भद्रा अभयारण्य
	रानेबैनूर अभयारण्य
	बैनरघाट राष्ट्रीय उद्यान
	दनवेली अभयारण्य
	बिलीगिरी रंगा स्वामी अभयारण्य
	नगरहोल राष्ट्रीय पार्क
मध्य प्रदेश	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान

1	2
	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान
	बन्धवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान
	पेंच राष्ट्रीय उद्यान
	तैमोर पिंगला अभयारण्य
	बोरी अभयारण्य
	गोमर्दा अभयारण्य
	नोरादेही अभयारण्य
	संजय दुबरी अभयारण्य
	अचानक मार अभयारण्य
	राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य
	घाटीगांव ग्रेट भारतीय सोहनचिड़िया अभयारण्य
	कैन घैरियल अभयारण्य
	पालपुर (कूनो) अभयारण्य
	संजय राष्ट्रीय उद्यान
	सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान
	कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान
	रतापानी अभयारण्य
	माधव राष्ट्रीय उद्यान
	पन्ना राष्ट्रीय उद्यान
	इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान
मेघालय	सिजू अभयारण्य
	नौनघैलम अभयारण्य
	बालपकरम राष्ट्रीय उद्यान
	नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान
महाराष्ट्र	ग्रेट भारतीय सोहनचिड़िया अभयारण्य
	तनसा अभयारण्य

1	2
	टाडोबा अभयारण्य
	नागजिरा अभयारण्य
	पेंच राष्ट्रीय उद्यान
	बोरीविली राष्ट्रीय उद्यान
	मेलघाट अभयारण्य
मणिपुर	कैबूल लामजो राष्ट्रीय उद्यान
मिजोरम	दाम्पा अभयारण्य
नागालैंड	ईटानकी अभयारण्य
उड़ीसा	भिटार कनिका अभयारण्य
	सतकोसिया जार्ज अभयारण्य
	सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान
	कोटागढ़ अभयारण्य
	चण्डका अभयारण्य
	हडगढ़ अभयारण्य
पंजाब	हरीके अभयारण्य
	अबोहर अभयारण्य
राजस्थान	सरिसका राष्ट्रीय उद्यान
	रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान
	सीतामाता अभयारण्य
	कुंभलगढ़ अभयारण्य
	माऊंट आबू अभयारण्य
	दराह अभयारण्य
	घाना पक्षी अभयारण्य
	राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य
	फुलवारी अभयारण्य

1	2
	बेहन्सरोड गढ़ अभयारण्य
	रामगढ़ अभयारण्य
	कैलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान
	मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान
तमिलनाडु	गुन्डी राष्ट्रीय उद्यान
	मुन्डुमलाई अभयारण्य
	साथानूर अभयारण्य
	कलाकड़ अभयारण्य
	ताहर अभयारण्य
	प्वाइंट कैलीमर अभयारण्य
	पुलीकैट जल पक्षी अभयारण्य
	मुंडनथुराई अभयारण्य
	अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान
	मैराईन राष्ट्रीय उद्यान
उत्तर प्रदेश	कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान
	राजाजी राष्ट्रीय उद्यान
	केदारनाथ अभयारण्य
	गोविन्द पशुविहार अभयारण्य
	किसानपुर अभयारण्य
	चिला अभयारण्य
	राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य
	कैमूर अभयारण्य
	दुधवा राष्ट्रीय उद्यान
	नन्दा देवी राष्ट्रीय उद्यान
पश्चिम बंगाल	सुन्दरबन अभयारण्य
	जल्दपारा अभयारण्य

1	2
	सजनाखली अभयारण्य
	महानन्दा अभयारण्य
	गोरूमारा अभयारण्य
	नैयोरा घाटी अभयारण्य
सिक्किम	खार्चेंगजोंग राष्ट्रीय उद्यान

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित 13 क्षेत्रों को जीवमंडल रिजर्व के रूप में विचार करने के लिए अभिनिर्धारण किया गया है :—

1.	नीलगिरी	तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल
2.	नामदाफा	अरुणाचल प्रदेश
3.	नन्दा देवी	उत्तर प्रदेश
4.	उत्तराखंड	उत्तर प्रदेश
5.	अन्डमान का उत्तरी द्वीप समूह	अन्डमान और निकोबार
6.	मनार की खाड़ी	तमिलनाडु
7.	काजीरंगा	आसाम
8.	सुन्दरबन्स	पश्चिम बंगाल
9.	थार रेगिस्तान	राजस्थान
10.	मानस	आसाम
11.	कान्हा	मध्य प्रदेश
12.	नौकरेक तुरा रंगा	मेघालय
13.	रन आफ कच्छ	गुजरात

रंगीन टेलीविजन के पुर्जों का आयात

*52. श्री चिन्तामणि जैना
श्री मोहनभाई पटेल } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंगीन टेलीविजन में प्रयोग किए जाने वाले पुर्जों का अधिकांशतः आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 में टेलीविजन के पुर्जों के आयात पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या सरकार ने टेलीविजन निर्माताओं से टेलीविजन के पुर्जों का निर्माण देश में ही करने हेतु कदम उठाने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उनकी क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं; और

(ङ) सरकार ने देश में ही टेलीविजन के पुर्जों का निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) आमतौर पर संघटक-पुर्जों का उत्पादन उपस्करों की मांग के बाद ही शुरू होता है। इस समय, रंगीन दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण के लिए आवश्यक लगभग 20% इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जों का उत्पादन देश में ही किया जा रहा है, जबकि शेष 80 प्रतिशत भाग का आयात किया जा रहा है। देश में वर्ष 1986-87 तक अधिकांश निर्णायक किस्म के संघटक-पुर्जों (रंगीन पिक्चर ट्यूबों को छोड़कर) के सम्भावित उत्पादन शुरू हो जाने के साथ ही, आयात के बिल में लगभग 60 प्रतिशत कटौती हो जाने की सम्भावना है। वर्ष 1988 से देश में ही रंगीन पिक्चर ट्यूबों के सम्भावित उत्पादन शुरू हो जाने के साथ ही आयातित वस्तुओं की मात्रा नगण्य रह जाएगी।

(ख) कैलेण्डर वर्ष 1983, 1984 तथा 1985 के दौरान रंगीन दूरदर्शन के संघटक-पुर्जों का आयात करने में जो राशि अनुमानतः खर्च की गई है, उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है। यह विवरण इन तीन वर्षों के दौरान हुए रंगीन दूरदर्शन रिसीवर के सेटों के अनुमानित उत्पादन पर आधारित है :—

वर्ष	रंगीन दूरदर्शन सेटों का उत्पादन
1983	0.5 लाख
1984	2.8 लाख
1985	6.6 लाख

नोट : उत्पादन संबंधी आंकड़ों का संकलन कैलेण्डर वर्ष के आधार पर किया जा रहा है।

इस पर खर्च की गई अनुमानित विदेशी-मुद्रा

	(अमरीकी डालर में)
1983	6.0 लाख
1984	33.6 लाख
1985	75.9 लाख

(ग) से (ङ) कम्प्यूटरों की मांग को देश में ही पूरा करने के उद्देश्य से सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप, रंगीन पिक्चर ट्यूबों को छोड़कर रंगीन दूरदर्शन उद्योग के लिए आवश्यक अधिकांश निर्णायक किस्म के संघटक-पुर्जों का उत्पादन वर्ष 1986-87 के दौरान देश में ही शुरू हो जाएगा। रंगीन दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों का आद्योपान्त उत्पादन वर्ष 1988 के दौरान शुरू हो जाने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के लोगों की समस्याएं

*53. **श्री काली प्रसाद पांडेय :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर गये आर्य समाज के शिष्टमंडल के एक सदस्य ने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की समस्याओं से सरकार को अवगत कराया है;

(ख) यदि हां, तो बताई गई समस्याओं का ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं;

(ग) क्या वर्तमान प्रतिबंधों को हटाकर अथवा उनमें ढील देकर दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय पुस्तकें, अध्यापक तथा धार्मिक उत्सवों के लिए पुरोहित और अन्य उपभोक्ता सामान सीधे भेजने का सरकार का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) जिन समस्याओं का उल्लेख किया गया है, उनमें दूसरी समस्याओं के साथ-साथ धार्मिक पुस्तकों, पत्रिकाओं का अभाव; भारतीय भाषाओं के शिक्षकों की तथा संस्कृत और हिन्दू दर्शन-शास्त्र प्रोफेसरों की और पुजारियों की कमी।

(ग) और (घ) सरकार का दक्षिण अफ्रीका को निर्यात की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस प्रकार का वाणिज्यिक लेन-देन दक्षिण अफ्रीका के संबंध में दीर्घकाल से चली आ रही अपनी नीति के प्रतिकूल है। पहले की तरह धार्मिक और ऐसे ही अन्य उद्देश्यों से भारतीय राष्ट्रिकों को कतिपय शर्तों के साथ दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर जाने की इजाजत दी जायेगी।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

*54. श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री महेन्द्र सिंह
: क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा, कोयला, इस्पात, सीमेंट, रेल और आणविक ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र की लगभग 23 प्रमुख परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा होने में विलम्ब होने के कारण उनकी लागत में अत्यधिक वृद्धि हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस स्थिति से बचने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) इन परियोजनाओं के ब्यौरे और प्रस्तावित सुधारात्मक उपाय संलग्न विवरण में दिये गए हैं ।

विवरण

(1) 23 परियोजनाओं का विवरण

(करोड़ रु०)

क्रम संख्या	विभाग	परियोजना	अवस्थिति	शुरू होने की तारीख			परियोजना की लागत		
				मूल	परि-शोधित	प्रत्याशित	मूल	परि-शोधित	प्रत्याशित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	विद्युत	रामागुंडम (एस० टी० पी० पी०) चरण—1 (एन० टी० पी० सी०)	आंध्र प्रदेश	12/84	87-88	7/88	459.14	879.32	917.93
2.	,,	फरक्का एस० टी० पी० पी० चरण—1 पी० एच० (एन० टी० पी० सी०)	पश्चिम बंगाल	3/86	86-87	12/86	296.60	565.47	565.47
3.	,,	रामागुंडम ट्रांसमीटर लाईन्स चरण—1 (एन० टी० सी० पी०)	आंध्र प्रदेश	10/87	10/87	3/88	115.14	272.68	294.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	विद्युत	बोकारो "बी" चरण—1 (डी० वी० सी०)	बिहार	4/84	3/86	6/86	69.76	145.05	203.05
5.	,,	सलाल एफ० ई० पी० (एन० एच० पी० सी०)	जम्मू और कश्मीर	6/79	10/86	3/87	55.15	490.45	567.34
6.	,,	दूलस्ती एच० ई० पी० (एन० एच० पी० सी०)	वही	1/91	1/91	1/91	161.78	—	410.57
7.	पेट्रोलियम	विशाख तेल शोधक कारखाने का विस्तार (एच०पी०सी०एल०)	आंध्र प्रदेश	12/84	12/84	8/85	65.85	163.25	170.19
8.	,,	पालिस्टर स्टेपल फाइबर प्लांट (बी० आर० पी० एल०)	असम	12/81	4/86	4/87	54.06	139.39	147.34
9.	कोयला	मुनिडीह (बी० सी० सी० एल०)	बिहार	71-72	84-85	8/87	15.49	132.07	156.00
10.	,,	बीना (सी० सी० एल०)	उत्तर प्रदेश	85-86	86-87	87-88	56.91	140.55	140.55
11.	,,	राजमहल (ई० सी० एल०)	बिहार	86-87	90-91	90-91	87.43	217.27	217.27
12.	,,	नेवेली द्वितीय विद्युत स्टेशन	तमिलनाडु	4/83	9/85	12/87	213.98	483.42	508 14
13.	इस्पात	विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना आर० आई० एन० एल०	आंध्र प्रदेश	12/87	7/91	7/91	2256.00	3897.28	7467.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	इस्पात	बोकारी 4 एम० टी० का विस्तार (एस० ए० आई० एल०)	बिहार	12/76	9/80	2/88	947.24	1637.55	2014.44
15.	,,	भिलाई इस्पात विस्तार (एस० ए० आई० एल०)	मध्य प्रदेश	12/76	12/84	11/88	937.71	1600.50	2256.41
16.	उर्वरक	पाराद्वीप उर्वरक लि० (पी० पी० एल०)	उड़ीसा	11/87	11/87	5/88	183.64	386.44	449.00
17.	लोक उद्यम	नौगांव कागज परियोजना (एच० पी० सी०)	असम	12/80	12/85	4/86	114.25	228.44	278.54
18.	,,	कछार कागज परियोजना (एच० पी० सी०)	असम	12/81	12/86	4/87	114.00	226.32	305.54
19.	,,	तंदूर सीमेंट परियोजना (सी० सी० एल०)	आंध्र प्रदेश	12/85	12/85	6/86	53.96	113.58	127.55
20	रेलवे	कलकत्ता भूमिगत (डम-डम टालीगंज)	पश्चिम बंगाल	12/78		12/89	140.30	249.50	800.00
21.	,,	न्यू-कोरापुट-रायगढ़ (बी० जी०लाईन)	उड़ीसा	3/87		3/91	112.09		250.00
22.	अणु शक्ति	मद्रास अणु शक्ति परियोजना—1	तमिलनाडु	11/76		8/85	70.63	127.4	136.72
23.	,,	नरोरा अणु शक्ति परियोजना—2	उत्तर प्रदेश	12/84		12/88	209.89	399.64	507.74

(2) सुधारात्मक कार्रवाई

परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब के कई कारण होते हैं, जैसे भूमि का अधिग्रहण, पूर्तिकर्ताओं द्वारा महत्वपूर्ण उपस्कर और सामग्री की पूर्ति (आयातित तथा देशीय), से संबंधित समस्याओं, विस्तृत इंजीनियरी ड्राइंग को अन्तिम रूप देने, आधार-संरचनात्मक सुविधाओं और सेवाओं के अभाव, कानून और व्यवस्था संबंधी दंगों, श्रमिकों की समस्याओं, विक्रेता/पूर्तिकर्ताओं की बेमेल प्रगति, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, धनराशियों के अपर्याप्त आवंटन, ठेकेदारों के अकुशल कार्य संचालन आदि।

यह सुनिश्चित करने का प्रमुख उत्तरदायित्व संबंधित मन्त्रालय (मन्त्रालयों) का है कि परियोजना (परियोजनाएं) समय पर पूरी हो जाएं। उन्हें समय अनुसूची से पीछे रहने वाली परियोजनाओं के लिये सुधारात्मक कार्य करने होते हैं। तथापि, यह मन्त्रालय इन परियोजनाओं के नियमित प्रबोधन, देरी के कारणों आदि की पहचान, और सम्बन्धित मन्त्रालयों तथा सरकार को उच्च स्तर पर सामयिक कार्रवाई शुरू करने के लिए सूचित रखकर उत्प्रेरक भूमिका निभाता है जिस पर बाद में अनुवर्ती कार्रवाई भी की जाती है। 100 करोड़ रु० से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के मामले में संबंधित मन्त्रालयों से देरी के कारणों आदि का पता लगाने और सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए तथा इन्हें इस मन्त्रालय को मासिक आधार पर सूचित करने के लिये अनुरोध किया जाता है। इसके बाद, प्रधान मन्त्री जी के कार्यालय को, तथा संबंधित मन्त्रालय को, समेकित अपवाद (एक्सपशन) रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इन परियोजनाओं के लिये, मन्त्रालय आवधिक समीक्षा बैठकें करते हैं जिनमें संबंधित मन्त्रालयों/उपक्रमों के अधिकारी भाग लेते हैं और उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित उपायों का निर्धारण किया जाता है।

आर्य समाज के एक दल का दक्षिण अफ्रीका का दौरा

*55. श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्यसमाज से संबंधित पांच प्रसिद्ध भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका का दौरा करने की अनुमति दी गई थी; और

(ख) क्या ऐसी अनुमति देना दक्षिण अफ्रीका के बारे में सरकार की नीति के विरुद्ध नहीं है?

विदेश मन्त्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

[हिन्दी]

एवरेस्ट अभियान के दौरान मरे सैनिक कर्मचारियों के परिवारों को अधिक पेंशन

*56. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एवरेस्ट अभियान के दौरान मरे सैनिक कर्मचारियों के परिवारों को अधिक पेंशन देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अन्य पेंशनभोगियों को दी जा रही पेंशन की तुलना में उनकी पेंशन की राशि में कितनी वृद्धि किये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार ने उन्हें अन्य सुविधाएं भी देने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जिन मामलों में मांग की जाती है उनमें पात्र आश्रितों को रोजगार मुहैय्या कराने में उपयुक्त सहायता दी जाती है। सेना सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत उन्हें मिलने वाली राशि के अलावा मृतक के निकटतम सम्बन्धी को अभियान दल के सभी सदस्यों के लिए किये गये विशेष बीमे की 2 लाख रुपये की रकम भी मिलेगी।

विवरण

सेना एवरेस्ट अभियान 1985 में मृत सैनिक अफसरों के परिवारों के लिये युद्ध में वीरगति प्राप्त कार्मिकों के परिवारों को मिलने वाली उदारीकृत पेंशन का 90% विशेष परिवार पेंशन के रूप में मंजूर किया गया है इसके परिणामस्वरूप सामान्य विशेष परिवार पेंशन के साथ इसकी तुलना करने पर इसमें निम्नलिखित वृद्धि हुई है :—

मृत अफसर का नाम व रैंक	प्रतिमाह सामान्य विशेष परिवार पेंशन (मूल पेंशन) रु०	प्रतिमाह स्वीकृत बढ़ी हुई पेंशन (मूल पेंशन) रु०	कालम 2 और 3 में पेंशन का प्रतिमाह अन्तर रु०
1	2	3	4
1. मेजर के० आई० कुमार	495	1215	720

1	2	3	4
2. मेजर जय बहुगुणा	468	1148	680
3. कैप्टन बी० पी० एस० नेगी	शून्य	585	585
4. लेफ्टिनेंट एम० यू० बी० राव	शून्य	262	262
5. लेफ्टिनेंट आर० एस० बक्शी	शून्य	375	375

टिप्पणी :– क्रम सं० 3, 4 और 5 में बताए गए अफसर अविवाहित थे। उनके माता-पिता सामान्य नियमों के अन्तर्गत आश्रित पेंशन पाने के हकदार नहीं थे क्योंकि उनकी आय इसके लिये निर्धारित आय सीमा से अधिक थी। फिर भी, विशेष मामले के रूप में उन्हें उदारीकृत योजना के अन्तर्गत पेंशन मंजूर कर दी गई है जैसा कि ऊपर कालम 3 में दिया गया है।

2. संबंधित पांचों सेना अफसरों के परिवारों को मृत्यु एवं सेवा निवृति उपदान के अलावा परिवार उपदान की निम्नलिखित राशियां विशेष रूप से अदा की गई हैं :—

	नाम और रैंक	परिवार उपदान की राशि
1.	मेजर के० आई० कुमार	3600/— रुपये
2.	मेजर जय बहुगुणा	3600/— रुपये
3.	कैप्टन बी० पी० एस० नेगी	1201.50 रुपये
4.	लेफ्टिनेंट एम० यू० बी० राव	900/— रुपये
5.	लेफ्टिनेंट आर० एस० बक्शी	900/— रुपये

[अनुवाद]

कल्याण मन्त्रियों का सम्मेलन

*57. श्री चिरन्जी लाल शर्मा : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में नई दिल्ली में हुये राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कल्याण मन्त्रियों के दो दिवसीय सम्मेलन में की गई सिफारिशों और उसमें लिये गये निर्णयों का सार क्या है?

कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं लिया गया था। 24-25 जनवरी, 1986 को नई दिल्ली में हुए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के कल्याण मन्त्रियों के सम्मेलन की मुख्य सिफारिशों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—2130/86

जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए दिशा निर्देश

*58. **श्री सी० माधव रेड्डी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या विभिन्न मन्त्रालयों और विभागों द्वारा जनता की शिकायतों को शीघ्र दूर करने के लिये कोई दिशा निर्देश तैयार किए गये हैं;

(ख) क्या जनता की शिकायतों को दूर करने के लिये जनता के साथ अधिक सम्पर्क में आने वाले विभिन्न मन्त्रालयों और विभागों द्वारा अपनायी जाने वाली वर्तमान प्रक्रिया की हाल में पुनरीक्षा की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो पुनरीक्षा के क्या परिणाम निकले हैं और जारी किये गये नये दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां। जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों की मुख्य-मुख्य बातें सभा पटल पर रखे जा रहे विवरण में दी गई हैं।

(ख) और (ग) कुछ विभागों में जनता की शिकायतों को दूर करने वाले तंत्र की प्रभावोत्पादकता का एक सीमित मूल्यांकन हाल में किया गया था। इससे यह पता चला कि यद्यपि शिकायतों को दूर करने की आवश्यकता के प्रति अधिकाधिक जागरुकता बढ़ रही है परन्तु शिकायतों को बढ़ावा देने वाली पद्धति सम्बन्धी कमियों का पता लगाने के बजाये व्यतिगत शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए अधिकाधिक प्रयास किए गये प्रतीत होते हैं। मन्त्रालयों/विभागों से कहा गया है कि वे शिकायतों के वर्गीकरण और विश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से सुधार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाएं जिससे कि समस्याओं के मूल में पहुंचा जाए और पद्धति में परिवर्तन लाए जा सके।

विवरण

जिन मन्त्रालयों/विभागों के साथ जनता का बहुत अधिक वास्ता पड़ता है उनसे अपने विद्यमान शिकायत निवारण तंत्र के मजबूत करने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय करने के लिये कहा गया था :—

(i) जहां कहीं आवश्यक हो वहां वरिष्ठ स्तर के एक अधिकारी निदेशक शिकायत के रूप में पदनामित किया जाना चाहिए तथा जनता से प्राप्त होने वाली शिकायतों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिये उनके अधीनस्थ संगठनों में लोक शिकायत एककों का गठन किया जाना चाहिये।

(ii) सेवोन्मुखी विभागों के पर्यवेक्षी अधिकारियों को चाहिए कि वे यह बात सुनिश्चित

करने के लिये एक प्रभावी भूमिका का निर्वाह करें कि वास्तविक शिकायतों पर कार्रवाई किए जाने और उनका निपटान किये जाने में शीघ्रता बरती जाये ।

(iii) रेलवे अस्पताल बैंकों आदि से संबंधित शिकायतों को जहां तक भी संभव हो सके तत्काल निपटाया जाना चाहिए क्योंकि इनमें समय का महत्व होता है ।

(iv) शिकायतों की जांच प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के नजरिये से भी की जाये ।

(v) शिकायतकर्ताओं को संबंधित कारणों सहित ऐसे उत्तर दिए जाने चाहियें जिनमें स्पष्ट रूप से यह बताया गया हो कि किसी विशेष मामलों में किसी विशेष ढंग से कार्रवाई क्यों की गई है ।

(vi) शिकायतों पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करनी चाहिये ।

(vii) इस पद्धति पर विभिन्न स्तरों पर आवधिक रूप से गहराई से नजर रखी जानी चाहिए ।

(viii) नई व्यवस्थाओं का प्रचार किया जाना चाहिये ।

"पाक ब्लू-प्रिंट फार एनार्की इन पंजाब" शीर्षक समाचार

***60. डा० बी० एल० शैलेश**
श्री गौरीशंकर राजहंस } : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 2 फरवरी, 1986 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" नई दिल्ली में "पाक ब्लू प्रिंट फार एनार्की इन पंजाब" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है और इस बारे में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार को पाकिस्तान द्वारा ऐसे कोई विशिष्ट ब्लू-प्रिंट तैयार किए जाने की जानकारी नहीं है । लेकिन भारत ने पाकिस्तान की सरकार को विभिन्न अवसरों पर तथा विभिन्न स्तरों पर इस बात से अवगत कराया है कि भारत के उग्रवादियों को और आतंकवादियों को पाकिस्तान की ओर से प्रोत्साहन और सहायता मिलना भारत के लिए चिन्ता की बात है ।

[अनुवाद]

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना परिव्यय

443. श्री ई० अय्यपू रेड्डी
श्री अमर राय प्रधान
श्री हुसेन दलवाई
: क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के वर्ष 1986-87 के वार्षिक योजना परिव्ययों को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो 1986-87 के लिए विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितना परिव्यय रखा गया है और 1985-86 के परिव्ययों की तुलना में वास्तव में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार, बढ़े हुए परिव्ययों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को अधिक धन उपलब्ध कराएगी; और

(घ) किन-किन राज्यों ने 1986-87 की वार्षिक योजना के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए हामी भरी है ?

योजना मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) केन्द्र ने 1985-86 की वार्षिक योजना के मुकाबले 1986-87 की राज्य योजनाओं के लिए सहायता के प्रावधान में वृद्धि की है।

(घ) सभी राज्य 1986-87 की अपनी वार्षिक योजना के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए सहमत हो गए हैं।

विवरण

वार्षिक योजना 1985-86 और 1986-87 परिव्यय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रु०)

	1985-86 अनुमोदित परिव्यय	1986-87 सहमत परिव्यय	(2) के मुकाबले (3) का बढ़ा हुआ प्रतिशत
1	2	3	4
राज्य			
आन्ध्र प्रदेश	810.00	1000.00	23.5
असम	410.00	500.00	21.9

1	2	3	4
बिहार	851.00	1150.00	35.1
गुजरात	804.00	950.00	18.2
हरियाणा	480.00	525.00	9.4
हिमाचल प्रदेश	177.00	285.00	15.8
जम्मू और कश्मीर	260.00	315.00	21.2
कर्नाटक	651.00	765.00	17.5
केरल	355.00	390.00	9.9
मध्य प्रदेश	1170.00	1381.00	18.0
महाराष्ट्र	1700.00	8100.00	23.5
मणिपुर	70.00	87.00	24.3
मेघालय	75.00	91.00	21.3
नागालैंड	65.00	78.00	20.0
उड़ीसा	450.00	600.00	33.3
पंजाब	500.00	575.00	15.0
राजस्थान	430.00	525.00	22.1
सिक्किम	41.00	50.00	21.9
तमिलनाडु	960.00	1153.00	20.1
त्रिपुरा	86.00	105.00	22.1
उत्तर प्रदेश	1642.00	2030.00	23.6
पश्चिम बंगाल	675.00	776.00	15.0
जोड़-राज्य	12662.00	15351.00	21.2

1	2	3	4
संघ राज्य क्षेत्र			
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	33.50	69.00*	106.0
अरूणांचल प्रदेश	73.00	90.00	23·3
चंडीगढ़	38.76	42.48	9.6
दादर और नगर हवेली	8.65	8.65	—
दिल्ली	335.00	483.00**	44.2
गोवा, दमन और दीव	64.00	73.00	14.1
लक्षद्वीप	7.65	8.40	9.8
मिजोरम	48.00	58.00	20.8
पांडिचेरी	33.00	39.00	18.2
जोड़—(सं० रा० क्षेत्र)	641.56	871.53	35.8
कुल जोड़—(राज्य/ सं० रा० क्षे०)	13303.56	16222.53	21.9

*तीन जहाजों की खरीद के लिए 34 करोड़ रुपये शामिल हैं।

**दो विद्युत परियोजनाओं के लिए 83 करोड़ रु० शामिल हैं।

टिप्पणी : योजना परिव्ययों का नाम मात्र रूप में अंग्रिम रूप दिया जाता है न कि वास्तविक रूप में।

अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में उच्चाधिकार प्राप्त पैनल की रिपोर्ट

444. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० गोपाल सिंह की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त पैनल की रिपोर्ट जो कि 1983 में प्रस्तुत की गई थी अब तक जारी नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इसे राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों को उनकी टिप्पणियां जानने के लिए परिचालित किया गया है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान ।

गरीबी दूर करने के लिए गैर-सरकारी एजेन्सियां

445. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी गैर-सरकारी एजेन्सी द्वारा भी देश से गरीबी दूर करने के लिए सहायता की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उन एजेन्सियों का विवरण क्या है तथा तैयार किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में गैर-सरकारी अभिकरणों/स्वैच्छिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना की गई है, जिसके ब्यौरे सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के खंड-2 के अध्याय-2 में दिए गए हैं। इस दस्तावेज पर संसद में दिसम्बर, 1985 में विचार-विमर्श हुआ था।

[हिन्दी]

"उद्योगों द्वारा गंगा का प्रदूषण

446. **श्री जगन्नाथ प्रसाद** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा नदी के किनारे ऐसे कितने शहर हैं जिनका मलजल गंगा नदी में जाता है, तथा ऐसे कितने कारखाने हैं जिनका निःस्राव गंगा नदी में जाता है तथा निःस्राव किस प्रकार का है जिसके कारण गंगा का पानी प्रदूषित होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कुछ स्थानों पर तो पानी इतना प्रदूषित है कि लोग इसे सिंचाई के प्रयोजन से भी प्रयोग नहीं करते;

(ग) यदि हां, तो गंगा के प्रदूषित जल से कितने लोग प्रभावित हैं; और

(घ) क्या सरकार ने उन कारखानों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है। जो गंगा के पानी को प्रदूषित करने के जिम्मेदार हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) लगभग 100 नगरों तथा 264 औद्योगिक इकाइयों का मल-जल तथा निःस्राव क्रमशः गंगा नदी में जाता है। कच्चे माल के प्रयोग तथा उत्पादित मदों पर आधारित उद्योगों से निकलने वाले निःस्रावों में आर्गनिक, यूरिया, अमोनिया, प्रलंबित ठोसों, तेल व ग्रीस, धातुओं जैसे जिंक, क्रोमियम आदि सम्मिलित होता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में 264 औद्योगिक इकाइयों में से 68 औद्योगिक इकाइयों का पता लगा लिया गया है जो अधिक प्रदूषणकारी हैं तथा जहां 1000 किलोमीटर प्रतिदिन से अधिक निःस्राव की मात्रा है तथा इस निःस्राव में विषजन्य तत्व शामिल हैं। इसमें से 33 इकाइयां उत्तर प्रदेश, 5 बिहार में तथा 30 पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। सभी सम्बन्धित राज्य प्रदूषण बोर्डों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि ये औद्योगिक इकाइयां निःस्रावों के लिए उपचार सुविधाओं की अवस्थापना के लिए समयबद्ध स्कीमों को प्रस्तुत व क्रियान्वित करें। अब तक 21 औद्योगिक इकाइयों ने बहिस्रावों के उपचार के लिए सुविधाओं की अवस्थापना तथा विकास के लिए कदम उठाए हैं।

पुलिस थानों में हिरासत में रखे नागरिकों के साथ व्यवहार

447. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस की सामान्य प्रथा यह है कि वह लोगों को कथित पूछताछ हेतु पुलिस थानों में हिरासत में रखती है, उसके साथ दुर्व्यवहार करती है और कभी-कभी उन्हें उनके धन एवं अन्य सामान से भी वंचित कर देती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पुलिस द्वारा लोगों के साथ दुर्व्यवहार के अवसरों को रोकने के लिए भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता में उपयुक्त संशोधन करने के लिए कानून बनाने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारे में दोषी पाये गये पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सजा दिये जाने को कुछ सुगम बनाने हेतु कानून में संशोधन करने के लिए भी विधान बनाने का है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) "पुलिस" राज्य का विषय होने के कारण इस विषय में उपाय करना मूलतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए गिरफ्तार व्यक्तियों के साथ व्यवहार के बारे में दण्ड प्रक्रिया

संहिता और राज्य पुलिस नियमावलियों में पर्याप्त मार्गदर्शी सिद्धान्त विद्यमान हैं। भारत सरकार ने भी यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों को मार्गदर्शी निर्देश जारी किये हैं कि पुलिस बल का व्यवहार हमेशा मानवीय हो और पुलिस की तथाकथित ज्यादतियों को गम्भीरता से लिया जाय और जब कभी इस प्रकार के मामले होते हैं तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाय।

बंगलादेशी घुसपैठियों का पता लगाना और उन्हें वापस भेजना

448. श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा, बिहार और दिल्ली में पृथक-पृथक कितने बंगलादेशियों ने अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया है;

(ख) बंगलादेशी घुसपैठियों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के लिए क्या नियम और प्रक्रिया अपनाई जा रही है; और

(ग) 1985 के दौरान प्रत्येक राज्य से कितने बंगलादेशियों को वापस भेजा गया ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) भारत बंगलादेश सीमा की अधिक लम्बाई के कारण बंगलादेश से पश्चिमी बंगाल में से भारत के विभिन्न राज्यों, जिनमें उड़ीसा, बिहार तथा दिल्ली शामिल हैं, में घुसपैठ से इंकार नहीं किया जा सकता। इन राज्यों में ऐसे व्यक्तियों की संख्या उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार को स्थायी निर्देश दिये गये हैं कि बंगलादेश से आये घुसपैठियों को जैसे ही पता चले निष्कासित कर दें/वापस भेज दें। राज्य सरकारों को भी विदेशी नागरिक अधिनियम, 1946 के अधीन पता लगने पर उनके विरुद्ध कारवाई करने की शक्तियां हैं।

[अनुवाद]

इन्सैट-1 सी

449. श्री के० प्रधानी
डा० बी० एल० शैलेश } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा इस वर्ष अन्तरिक्ष में कोई शटल न भेजने की स्थिति में भारत को इन्सैट-1 सी उपग्रह अभियान सेवा के लिए अधिक धन देना पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो कितना भुगतान किये जाने की सम्भावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) अन्तरिक्ष परिवहन प्रणाली (एस० टी० एस०) की उड़ान द्वारा इन्सैट-1 सी के प्रमोचन के लिए अमरीकी स्थिर डालरों (वित्तीय

वर्ष 1982) की शर्तें लागू होती हैं, जिनमें कहा गया है कि राष्ट्रीय वैमानिकी और अन्तरिक्ष प्रशासन (नासा) द्वारा किये गये किसी भी प्रकार के विलंब के कारण इन्सैट-1 सी को अन्तरिक्ष परिवहन प्रणाली द्वारा छोड़ने के लिए अधिक धनराशि नहीं देनी पड़ेगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर तथा उत्तर प्रदेश में यूरेनियम और अन्य खनिजों का पता लगाया जाना

450. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर चालू वित्तीय वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान यूरेनियम और अन्य खनिजों का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण किए गए हैं और प्रत्येक का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो इन सर्वेक्षणों के क्या परिणाम निकले हैं और इन खनिजों का पता लगाने में क्या नवीनतम प्रगति हुई है; और

(ग) क्या नये सर्वेक्षण करने के लिए कुछ और स्थान शामिल करने की कोई योजना है और उन स्थानों के नाम क्या हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) परमाणु खनिज प्रभाग व्यापक स्तर पर भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण करता रहा है तथा निम्नलिखित क्षेत्रों में यूरेनियम की विद्यमानता पाई गई है :—

हिमाचल प्रदेश—हमीरपुर, कुल्लू, किन्नौर, शिमला और चम्बा जिले।

जम्मू और काश्मीर—ऊधमपुर जिला।

उत्तर प्रदेश—टिहरी-गढ़वाल, सहारनपुर तथा देहरादून इन क्षेत्रों में अन्वेषण का काम विभिन्न चरणों में पहुंच चुका है। इनमें से अधिकांश क्षेत्रों में अन्वेषण खाइयां बनाकर, गड्ढे खोद कर और आइसोरेडिंग की सहायता से किये जा रहे हैं। यूरेनियम की विसंगतियों की आर्थिक व्यवहार्यता का अनुमान लगाने और फास्फेट, निकल, मोलिबिडनम आदि जैसे यूरेनियम के साथ मिलने वाले खनिजों की विद्यमानता के बारे में निश्चित जानकारी पाने के लिए भी अन्वेषण किये जा रहे हैं।

(ग) इस वर्ष निम्नलिखित जिलों में भी सर्वेक्षण लिए गए हैं :—

हिमाचल प्रदेश—रामपुर, होशियारपुर, अम्बाला तथा उना जिले।

उत्तर प्रदेश — अल्मोड़ा-नैनीताल, चमोली, उत्तर काशी, पौड़ी तथा पिथौरागढ़ जिले।

सैन्ट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों में असन्तोष

451. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल मेकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की सारी विशेषज्ञ मानवशक्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है तथा उन्हें उचित उद्योगों मुख्य समस्याओं/परियोजनाओं में लगाया जा रहा है;

(ख) क्या वैज्ञानिकों को काम करने की उचित सुविधाएं तथा पर्यावरण उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो अनेक योग्य तथा उच्च अर्हता प्राप्त वैज्ञानिकों द्वारा सेन्ट्रल मेकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर छोड़ने के क्या करण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) संस्थान में लगभग 150 वैज्ञानिकों में से गत 5 वर्षों में औसतन वार्षिक 4 से कम ने छोड़ा है। उन्होंने मुख्यतः व्यक्तिगत कारणों से और भविष्य में कार्य के बेहतर अवसरों के लिए छोड़ा है।

जनरल इंजीनियर्स रिजर्व फोर्स के कर्मचारियों की छटनी

452. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनरल इंजीनियर्स रिजर्व फोर्स के कुछ कर्मचारियों की छटनी कर दी गई थी और उन्हें अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में "यान्त्रिक" परियोजना के अन्तर्गत सेना में पुनः नहीं लिया गया है;

(ख) क्या सरकार को "यान्त्रिक" परियोजना के अन्तर्गत कार्यरत जनरल इंजीनियर्स रिजर्व फोर्स के कर्मचारियों के बोनस, छुट्टी तथा आवास के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति क्या है और इन लोगों के साथ न्याय करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, नहीं।

"यांत्रिक" परियोजना के जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दंगा रोधी केन्द्रीय आरक्षी पुलिस की विशेष बटालियनें

453. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दंगा रोधी बल के रूप में प्रस्तावित केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल की सभी छः विशेष बटालियनों ने कार्य करना शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह प्रस्ताव छोड़ दिया गया है ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) साम्प्रदायिक और जाति विवाद से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की विशेष रूप से प्रशिक्षित और सुसज्जित छः बटालियनों को बनाया गया है तथा वे कार्य कर रही हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में आयुध कारखाने के निर्माण के कारण विस्थापित हुए ग्रामीणों को मुआवजा

454. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के बलानगीर जिले में जहां एक आयुध कारखाना स्थापित किया जा रहा है सोलह गांवों के विस्थापित लोगों को किस दर पर मुआवजा अदा किया गया है;

(ख) क्या लगातार यह मांग की जा रही है कि मुआवजे की मात्रा में वृद्धि की जाए क्योंकि यह बहुत कम है;

(ग) क्या प्राधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को विस्थापित करने से पूर्व उनके पुनर्वास की कोई योजना तैयार की जायेगी; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) बोलनगीर में एक आयुध निर्माणी स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने भूमि अर्जन अधि-

नियम 1894 (1984 में यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार 2707.49 एकड़ निजी भूमि के अर्जन के लिए 14 गांवों को मुआवजा दे दिया है। अधिनियम में इस बात का प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति मुआवजे से संतुष्ट न हो तो वह इसके लिए उपयुक्त न्यायालय में जा सकता है।

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की एक योजना बनाई है जिसमें और बातों के साथ-साथ प्रत्येक विस्थापित परिवार को एक मकान की जगह, मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता और बुनियादी सुविधाओं के साथ बस्तियां विस्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

[हिन्दी]

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से ऊपर लाये गये व्यक्ति

455. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्रों में राज्य-वार कितने व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया गया ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से ऊपर लाए गए लोगों की राज्यवार संख्या बताना सम्भव नहीं है। फिर भी, दो समय अवधियों अर्थात 1977-78 और 1983-84 के लिए गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या के बारे में राज्यवार नवीनतम सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। इस अवधि में, देश में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या, 1977-78 में 350 लाख से घट कर 1983-84 में 327 लाख रह गई। इस सम्बन्ध में, यह उल्लेखनीय है कि जनजाति उप-योजना के अन्तर्गत, जो पांचवीं योजना से कार्यान्वित की जा रही है, विभिन्न आय सृजन स्कीमों के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जा रही है ताकि वे गरीबी की रेखा पार कर सकें। छठी योजना के दौरान, 27.59 लाख परिवारों के लक्ष्य के मुकाबले अनुसूचित जनजाति के 43.58 लाख परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई।

विवरण

गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जनजाति के लोगों की
राज्यवार संख्या

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य	1977-78	1983-84
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	18.58	17.36

1	2	3	4
2.	असम	9.69	6.79
3.	बिहार	36.78	38.25
4.	गुजरात	35.28	26.93
5.	हिमाचल प्रदेश	0.51	0.16
6.	केरल	1.79	0.95
7.	कर्नाटक	8.19	13.63
8.	मध्य प्रदेश	85.98	85.66
9.	महाराष्ट्र	34.09	37.57
10.	उड़ीसा	48.54	41.77
11.	राजस्थान	20.47	28.31
12.	तमिलनाडु	3.01	2.97
13.	उत्तर प्रदेश	1.19	1.07
14.	पश्चिम बंगाल	21.50	18.50
	अखिल भारत	350.33	327.24

टिप्पणी :—अखिल भारत के जोड़ और 14 राज्यों के जोड़ अव्याप्त अन्तर के कारण समान नहीं हैं।

[अनुवाद]

मणिपुर में सरकारी क्षेत्र में इलैक्ट्रानिक उद्योग की स्थापना

456. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मणिपुर में सरकारी क्षेत्र में कुछ इलेक्ट्रानिक उद्योग स्थापित करने का है क्योंकि वहां उद्योगों का एकदम अभाव है और वहां रेल सुविधाएं नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उक्त क्षेत्र की इस अनोखी स्थिति का सर्वेक्षण करने का है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी, अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इस समय मणिपुर में सार्वजनिक क्षेत्र में इलेक्ट्रानिकी उद्योगों की स्थापना करने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां। इस उद्देश्य से इलेक्ट्रानिकी विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने मणिपुर का दौरा किया है। इलेक्ट्रानिकी विभाग इम्फाल में विशेषज्ञों के दल को भेजने की भी योजना बना रहा है ताकि उन इलेक्ट्रानिकी उत्पादों का पता लगाया जा सके, जिनका राज्य के अन्दर विनिर्माण किया जा सकता है।

सल्फर डाइआक्साइड का स्राव"

457. **श्री पी० मानिक रेड्डी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986 के बाद सल्फर डाइआक्साइड के स्राव की मात्रा में तीन गुणा वृद्धि हुई है और यदि हां, तो क्या सुधारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या स्थिति का सामना करने के लिए स्वीडन की तरह (सूर्य जनवरी 1986) कोई महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) यह अनुमान लगाया गया है कि देश में कुल सल्फर डाई आक्साइड निस्सरण में, 1966 के 1.38 मिलियन टन से 1979 में 3.20 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। हालांकि स्वीडन की स्थिति के विपरीत, मौसम विज्ञान वैधशालाओं के माध्यम से किये गये रिकार्ड के अनुसार देश में तेजाब वर्षा की समस्याओं का कोई साक्ष्य नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

"नागरिकों की सुरक्षा के लिए पर्यावरण सम्बन्धी दिशानिर्देश"

458. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागरिकों की सुरक्षा के लिए पर्यावरण के संबंध में कोई दिशानिर्देश हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त दिशानिर्देशों को कब तैयार किया गया था; और

(ग) उक्त दिशा-निर्देशों को किन-किन संस्थाओं को परिचालित किया गया था ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) नागरिकों की सुरक्षा के लिए अभी तक कोई विशेष दिशा निर्देश नहीं बनाये गये हैं। उद्योगों के लिए जगह तथा खनन, पन बिजली एवं तापविद्युत, नदी घाटी परियोजनाओं जैसी अन्य विकास की परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देश बनाये गये हैं। बम्बई वाणिज्य तथा उद्योग मंडल (बम्बई चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज) ने "मार्गदेशिका गैस रिसाव से सुरक्षा" नामक एक पुस्तिका तैयार की है जिसमें क्लोरीन, अमोनिया तथा सल्फर डाई आक्साइड जैसी गैसों के रिसाव की हालत में "क्या करें" व "क्या न करें" बताया गया है।

गोरखपुर में भर्ती केन्द्र खोलना

459. **श्री मदन पांडे** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में भर्ती केन्द्र खोलने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार रक्षा सेनाओं के तीनों अंगों के लिए भर्ती हेतु केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : जी, हां।

(ख) जब भर्ती केन्द्र खोला जाएगा तो उसमें थलसेना और नौसेना के लिए भर्ती की जाएगी।

"वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन"

460. **श्री के० मोहन दास** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान वन संरक्षण अधिनियम 1980 के कारण विभिन्न राज्यों में पन-बिजली योजनाओं को कार्यान्वित करने में समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को लिखा है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इन समस्याओं को दूर करने की दृष्टि से अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने हेतु विधान बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।
(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल में निर्धनता रेखा से ऊपर लाये गये लोग

461. श्री सुरेश कुरूप : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वियन के फलस्वरूप छठी योजनावधि के दौरान केरल में कितने लोगों को निर्धनता रेखा से ऊपर लाया गया ; और

(ख) छठी योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वित करने के परिणामस्वरूप, छठी योजना के दौरान केरल में गरीबी की रेखा से ऊपर उठाए गए व्यक्तियों की संख्या से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, दो समयावधियों अर्थात 1977-78 तथा 1983-84 के लिए गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के बारे में नवीनतम राज्यवार सूचना उपलब्ध है (विवरण 1 और 2 के रूप में संलग्न)। इस अवधि में, केरल में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 1977-78 में 117.1 लाख से घटकर 1983-84 में 71.5 लाख रह गई।

(ख) छठी योजना के लिए कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए।

विवरण-1

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की राज्यवार अलग-अलग संख्या और प्रतिशतः 1977-78 (परिशोधित)

क्रम सं०	राज्य	ग्रामीण		शहरी		सम्मिलित	
		संख्या (लाख)	प्रतिशत	संख्या (लाख)	प्रतिशत	संख्या (लाख)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	176.8	45.4	40.6	37.2	217.4	43.6
2.	आसाम	78.0	48.5	6.4	36.5	84.4	47.3
3.	बिहार	330.5	57.8	33.7	44.8	364.2	56.3
4.	गुजरात	994.6	43.1	27.5	29.8	122.1	38.0
5.	हरियाणा	22.0	23.2	7.0	32.5	29.9	25.2
6.	हिमाचल प्रदेश	10.2	27.8	0.5	17.2	10.7	27.0

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	जम्मू और कश्मीर	13.9	31.7	4.5	40.5	18.4	33.4
8.	कर्नाटक	131.9	53.2	41.6	44.6	173.5	50.8
9.	केरल	94.1	47.4	23.0	53.2	117.1	48.4
10.	मध्य प्रदेश	242.7	61.6	43.1	46.9	285.8	58.9
11.	महाराष्ट्र	234.1	60.4	62.1	31.4	296.2	50.6
12.	मणिपुर	2 9	29.2	0.8	26.8	3.7	28.7
13.	मेघालय	5.2	51.2	0.6	28.6	5.8	47.4
14.	उड़ीसा	151.6	67.9	11.1	41.8	162.7	65.1
15.	पंजाब	15.0	13.1	10.5	25.6	25.5	16.4
16.	राजस्थान	82.7	33.5	20.8	33.9	103.5	33.6
17.	तमिलनाडु	177.2	56.3	67.2	45.3	244.4	52.8
18.	त्रिपुरा	10.6	64.5	0.6	27.5	11.2	60.5
19.	उत्तर प्रदेश	422.8	49.8	83.2	49.2	506.0	49.7
20.	पश्चिमी बंगाल	220.4	58.3	45.1	34.5	265.5	52.2
21.	नागालैंड, सिक्किम और सभी संघ राज्य क्षेत्र	13.8	41.5	6.2	10.1	20.0	21.1
	अखिल भारतीय	2531.0	51.2	537.0	38.2	3068.0	48.3

टिप्पणी : (1) उपर्युक्त अनुमान वर्ष 1973-74 की कीमतों के आधार पर 49.09 रु० प्रति व्यक्ति प्रति मास की गरीबी की रेखा का उपयोग करते हुए प्राप्त किए गए हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता के अनुसार है, 56.64 रु० की गरीबी की रेखा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी की आवश्यकता के अनुसार है।

(2) 1977-78 के लिए, गरीबी की रेखा को अंकित करने के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन का गरीबी उपभोक्ता सूचकांक इस्तेमाल किया गया है।

(3) ये परिणाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के पारिवारिक उपभोक्ता व्यय के 32वें दौर (जुलाई 1977 से जून 78) से संबंधित (परिशोधित) आंकड़ों पर आधारित है।

(4) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अपने राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में दिए गए अखिल भारतीय निजी उपभोक्ता व्यय से संबंधित कुल अनुमानों और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों से प्राप्त कुल अनुमानों में जो अन्तर है, उसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आवंटित करने के संबंध में, किसी सूचना के अभाव में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यथा अनुपात समायोजित किया गया है।

(5) गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या 1 मार्च, 1978 की जनसंख्या से संबंधित है।

विवरण-2

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की राज्यवार अलग-अलग संख्या और प्रतिशत: 1983-84 (अनंतिम)

क्रम सं०	राज्य	ग्रामीण		शहरी		सम्मिलित	
		संख्या (लाख)	प्रतिशत	संख्या (लाख)	प्रतिशत	संख्या (लाख)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	164.4	38.7	40.7	29.5	205.1	36.4
2.	आसाम	44.9	23.8	4.9	21.6	49.8	23.5
3.	बिहार	329.4	51.4	36.1	37.0	365.5	49.5
4.	गुजरात	67.7	27.6	19.9	17.3	87.6	24.3
5.	हरियाणा	16.2	15.2	5.5	16.9	21.7	15.6
6.	हिमाचल प्रदेश	5.8	14.0	0.3	8.0	6.1	13.5
7.	जम्मू और कश्मीर	8.1	16.4	2.2	15.8	10·3	16.3
8.	कर्नाटक	102.9	37.5	34.7	29.2	137.6	35.0
9.	केरल	55.9	26.1	15.6	30.1	71.5	26.8
10.	मध्य प्रदेश	218.0	50.3	36.9	31.1	254.9	46.2
11.	महाराष्ट्र	176.1	41.5	55.9	23.3	232.0	34.9

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	मणिपुर	1.3	11.7	0.6	13.8	1.9	12.3
13.	मेघालय	3.9	33.7	0.1	4.0	4.0	28.0
14.	उड़ीसा	107.7	44.8	10.4	29.3	118.1	42.8
15.	पंजाब	13.7	10.9	10.7	21.0	24.4	13.8
16.	राजस्थान	105.0	36.6	21.2	26.1	126.2	34.3
17.	तमिलनाडु	147.6	44.1	52.6	30.9	200.2	39.6
18.	त्रिपुरा	4.6	23.5	0.5	19.6	5.1	23.0
19.	उत्तर प्रदेश	440.0	46.5	90.6	40.3	530.6	45.3
20.	पश्चिमी बंगाल	183.9	43.8	41.2	26.5	225.1	39.2
21.	नागालैंड, सिक्किम और सभी संघ राज्य क्षेत्र	17.9	47.4	14.4	17.7	32.3	27.1
	अखिल भारतीय	2215.0	40.4	495.0	28.1	2710.0	37.4

टिप्पणी : (1) उपर्युक्त अनुमान वर्ष 1973-74 की कीमतों के आधार पर 49.09 रु० प्रति व्यक्ति प्रति मास की गरीबी की रेखा का उपयोग करते हुए प्राप्त किए गए हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता के अनुसार है, 56.64 रु० की गरीबी की रेखा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी की आवश्यकता के अनुसार है।

(2) 1983-84 के लिए, गरीबी की रेखा को अंकित करने के लिए, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन का गरीबी उपभोक्ता सूचकांक इस्तेमाल किया गया है।

(3) ये परिणाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के पारिवारिक उपभोक्ता व्यय के 38वें दौर (जनवरी, 1983 से दिसम्बर, 1983) से संबंधित अनन्तिम और त्वरित सारणीयन पर आधारित हैं।

(4) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अपने राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में दिए गए अखिल

भारतीय निजी उपभोक्ता व्यय से संबंधित कुल अनुमानों और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों से प्राप्त कुल अनुमानों में जो अन्तर है, उसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आवंटित करने के संबंध में, किसी सूचना के अभाव में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यथा अनुपात समायोजित किया गया है।

(5) गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या 1 मार्च, 1984 की जनसंख्या से संबंधित है।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान वन कटाई/वन रोपण

462. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्यवार कितने क्षेत्र में वनों की कटाई की सूचना मिली है;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्य वार कितने क्षेत्र में पुन: वन रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) इस अवधि के दौरान राज्य वार कितनी धनराशि आबंटित की गई; कितनी धनराशि का उपयोग किया गया तथा कितने क्षेत्र में पुन: वन रोपण किया गया ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) राज्य वार वन क्षेत्र, जो काटा जा चुका है, को विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नहीं है। फिर भी, छठी पंच-वर्षीय योजना के दौरान गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए परिवर्तित किये गये राज्य-वार क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पुन: वनरोपण/वनरोपण के लिए नियत राज्य-वार लक्ष्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण 2 में दिया गया है।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के वानिकी क्षेत्र के अन्तर्गत राज्यवार परिव्यय और व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-3 में दिया गया है। पुन: वनरोपण/वनरोपण के अन्तर्गत भौतिक उपलब्धियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण-1

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान वन (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए परिवर्तित वन क्षेत्र

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	711.878
2.	आसाम	534.250
3.	बिहार	664.273
4.	गुजरात	1670.120
5.	हरियाणा	1.200
6.	हिमाचल प्रदेश	197.306
7.	जम्मू और काश्मीर	—
8.	कर्नाटक	698.910
9.	केरल	511.596
10.	मध्य प्रदेश	8350.710
11.	महाराष्ट्र	3861.050
12.	मणिपुर	0.340
13.	मेघालय	169.120
14.	नागालैंड	—
15.	उड़ीसा	5874.156
16.	पंजाब	2.650
17.	राजस्थान	3128.090
18.	सिक्किम	249.050
19.	तमिलनाडु	528.580

1	2	3
20.	त्रिपुरा	44.492
21.	उत्तर प्रदेश	704.760
22.	पश्चिम बंगाल	103.410
23.	अरुणाचल प्रदेश	378.980
24.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	196.900
25.	चण्डीगढ़	—
26.	दादर और नगर हवेली	140.340
27.	दिल्ली	—
28.	गोवा दमन और द्वीव	66.017
29.	मिजोरम	—
30.	पाण्डिचेरी	—
31.	लक्षद्वीप	—

विवरण-2

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान पुनर्वनरोपण/वनरोपण के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लक्ष्यों एवं उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाख संख्या में बाल पौधे रोपे गये		हैक्टेयर के समतुल्य*	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	5797.68	5830.61	289884	291530
2.	असम	1042.50	1487.12	52125	74356
3.	बिहार	4174.34	4269.20	208717	213460
4.	गुजरात	10572.16	10677.10	528608	533855
5.	हरियाणा	4133.42	3648.08	206671	182104

1	2	3	4	5	6
6.	हिमाचल प्रदेश	2098.68	2064.12	104934	103206
7.	जम्मू और कश्मीर	910.00	925.66	45500	46283
8.	कर्नाटक	8077.09	8294.05	403854	414702
9.	केरल	1899.50	2352.55	94975	117627
10.	मध्य प्रदेश	13243.50	12720.15	662175	636007
11.	महाराष्ट्र	5476.90	7673.79	273845	383689
12.	मणिपुर	382.60	384.53	19130	19226
13.	मेघालय	315.86	314.62	15793	15731
14.	नागालैण्ड	460.20	467.03	23010	23351
15.	उड़ीसा	4097.92	4299.89	204896	214994
16.	पंजाब	2322.09	2296.46	116104	114773
17.	राजस्थान	1966.97	2300.29	98348	115014
18.	सिक्किम	335.50	288.82	16775	14441
19.	तमिलनाडु	5151.88	4958.87	257594	247943
20.	त्रिपुरा	611.25	648.55	30562	32427
21.	उत्तर प्रदेश	10509.00	11240.20	525450	562010
22.	पश्चिम बंगाल	3196.00	3188.00	159800	159400
23.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	268.02	340.77	13401	17038
24.	अरुणाचल प्रदेश	554.27	511.87	27713	25593
25.	चण्डीगढ़	10.00	12.90	500	645
26.	दादरा एवं नागर हवेली	79.16	99.98	3958	4999
27.	दिल्ली	115.00	108.00	5750	5400
28.	गोआ, दमन एवं दीव	95.04	86.80	4752	4340

1	2	3	4	5	6
29.	लक्षद्वीप	5.00	0.54	250	27
30.	मिजोरम	1236.02	1537.50	61801	76875
31.	पांडिचेरी	20.00	25.42	1000	1271

*2000 बालपौधों को एक हैक्टेयर वनरोपण के समतुल्य माना गया है।

विवरण-3

छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के दौरान वानिकी क्षेत्र के अन्तर्गत परिव्यय एवं व्यय का राज्य/संघशासित प्रदेश-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क०सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	परिव्यय	व्यय
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1050	2088.00
2.	असम	2520	4059.52
3.	बिहार	1800	2140.00
4.	गुजरात	8900	10008.06
5.	हरियाणा	1450	2207.00
6.	हिमाचल प्रदेश	2900	3648.00
7.	जम्मू एवं कश्मीर	1028	1579.00
8.	कर्नाटक	3075	3943.00
9.	केरल	1862	1844.00
10.	मध्य प्रदेश	3800	5185.00
11.	महाराष्ट्र	4875	5240.00
12.	मणिपुर	475	482.00
13.	मेघालय	500	599.00

1	2	3	4
14.	नागालैंड	680	587.72
15.	उड़ीसा	1250	1673.00
16.	पंजाब	1290	1689.00
17.	राजस्थान	1500	2053.00
18.	सिक्किम	570	589.00
19.	तमिलनाडु	5900	6278.00
20.	त्रिपुरा	1239	1128.00
21.	उत्तर प्रदेश	7090	8361.00
22.	पश्चिम बंगाल	2200	2727.00
23.	अण्डमान एवं निकोबार	550	423.34
24.	अरुणाचल प्रदेश	952	1397.64
25.	चण्डीगढ़	60	64.79
26.	दादरा एवं नागर हवेली	130	202.23
27.	दिल्ली	90	87.77
28.	गोवा, दमन एवं द्वीव	450	478.02
29.	लक्षद्वीप	—	—
30.	मिजोरम	550	699.60
31.	पांडिचेरी	27.70	26.47

महासागर सतह की छान-बीन करने के लिए अन्य देशों के साथ सहयोग

463. श्री वी० एस० विजयराघवन
श्री के० कुन्जम्बु } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों के सहयोग से महासागर सतह की छान-बीन करने की कोई योजना है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि की व्यवस्था की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं, श्रीमान। इस प्रकार की कोई योजना तैयार नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

रंगीन टेलीविजन सैटों का आयात

464. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रंगीन टेलीविजन सैटों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने और देश में रंगीन टेलीविजन सैटों के निर्माण को बढ़ावा देने का है जिससे कि जनता को विश्वसनीय गुणवत्ता के रंगीन टेलीविजन सैट कम मूल्य पर उपलब्ध हो सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) आयात-निर्यात 1985-86 की प्रविष्टि संख्या 121, परिशिष्ट 2 ख (प्रतिबन्धित वस्तुओं की सूची) के अनुसार रंगीन दूरदर्शन सैटों के आयात पर पहले से ही प्रतिबन्ध लगा हुआ है। उक्त प्रावधान नीचे दिए अनुसार है :—

(121) "औद्योगिक, कृषि सम्बन्धी अथवा पशु जनित ऐसी उपभोक्ता वस्तुएं, चाहे उनका विवरण किसी भी प्रकार से दिया गया हो, और जो परिशिष्ट 3 भाग क तथा 5 में अलग-अलग नहीं दर्शाई गई हैं अथवा खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की सूची में विशिष्ट रूप से नहीं दर्शाई गई हैं।"

आनन्द निकेतन दिल्ली में विस्फोटक उपकरण का पाया जाना

465. **श्री सुभाष यादव**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री सरफराज अहमद
श्री एम० रघुमा रेड्डी
: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 जनवरी, 1986 को आनन्द निकेतन दिल्ली में एक विस्फोटक उपकरण पाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में कोई गिरफ्तारी की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) 11-1-1986 को सी-15, आनन्द निकेतन के सामने फुटपाथ पर एक संदेहास्पद दिखाई देने वाली वस्तु पाई गई थी।

(ख) यह वस्तु एक विस्फोटक उपकरण था जिसमें निम्नलिखित वस्तुएं थीं :—

1— "टाइम काल" मेक का एक टाइमपीस जो 22.15 बजे के समय पर विस्फोट के लिए सैट किया गया था।

2— 15 टी० एन० टी० स्लैब जो सभी 1.5 मीटर लम्बे कोर्डेक्स तार से बंधे हुए थे।

3— एक लम्बे तार सहित दो इलैक्ट्रिक डिटोनेटर।

4— संवर्धक के रूप में प्रयुक्त दो टैट्रिल कारतूस।

5— बैट्री उपकरण।

(ग) अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

(घ) विस्फोटक वस्तु की जांच केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला और मुख्य विस्फोटक नियन्त्रक, नागपुर द्वारा इसके मूल और नुकसान पहुंचाने की शक्ति का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। पुलिस सतर्कता बढ़ा दी गई है और अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

"गंगा सफाई परियोजना"

466. प्रो० चन्द्र भानु देवी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की उन परियोजनाओं को भी जो गंगा नदी में सीधे अपशिष्ट पदार्थ बहाये जाने और प्रदूषण फैलाये जाने को रोकने से सम्बन्धित है, गंगा सफाई परियोजना में शामिल किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत परिव्यय का उद्देश्य विशेष रूप से गंगा के किनारे स्थित कस्बों से मलजल के बहाये जाने से उत्पन्न प्रदूषण को रोकना है। औद्योगिक अपशिष्टों का उपचार मुख्यतः संबंधित औद्योगिक इकाई की जिम्मेदारी है।

(ख) इन शहरों में अभिनिर्धारित नई योजनाओं की सैद्धान्तिक लागत 42.46 करोड़ रुपये है। अब तक बिहार सरकार द्वारा पटना में 4.02 करोड़ रुपये अनुमानित लागत की 14 योजनाओं के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

[अनुवाद]

गंगा नदी के मार्ग बदलने के कारण बिहार, उत्तर प्रदेश सीमा विवाद

467. प्रो० के० के० तिवारी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी के मार्ग बदलने के कारण बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती कुछ गांवों में विशेष भोजपुर क्षेत्र के पास विवाद उत्पन्न हो गया है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप हजारों किसानों के कृषि कार्यों पर प्रभाव पड़ा था और इससे यदा कदा उनमें संघर्ष हो जाता है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त विवाद को हल करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) से (ग) श्री सी० एम० त्रिवेदी के पंचाट, जिसे उत्तर प्रदेश तथा बिहार दोनों सरकारों ने स्वीकार कर लिया था, पर आधारित बिहार तथा उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1968 घटती बढ़ती अन्तर राज्य नदी सीमाओं के स्थान पर निर्धारित सीमाएं रखने के लिए अधिनियमित किया गया था। परन्तु उक्त अधिनियम के लागू होने के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य को हस्तांतरित किए गए कुछ क्षेत्रों में भूमि के स्वामित्व तथा खेती के अधिकारों के दावों के बारे में निजी पक्षों के बीच कभी-कभी विवाद होते रहे हैं। व्यक्तियों के अधिकार अलग-अलग राज्यों के तत्संबंधी राजस्व कानून द्वारा शासित होते हैं। उक्त अधिनियम की धारा 66 में ऐसे कानूनों को जारी रखने की व्यवस्था है, जो ऐसे हस्तांतरण की तारीख से तुरन्त पहले हस्तांतरित किए गए क्षेत्रों में लागू थे, जब तक कि किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की जाए। हस्तांतरित भूमि पर निजी पक्षों के अधिकारों के सम्बन्ध में उनके बीच झगडों को सक्षम न्यायालय द्वारा तय किया जाना है। परन्तु हस्तांतरित क्षेत्रों में शामिल कुछ गांवों में कृषकों की भूमि के बारे में उनके अधिकारों के रिकार्डों के आदान प्रदान पर दोनों राज्य सरकारों के बीच कुछ मतभेद हैं। अनिवार्यतः यह एक ऐसा मामला है जिसे उचित स्तर पर द्विपक्षीय रूप से दो राज्य सरकारों के बीच तय करना है। तथापि, केन्द्र सरकार को ऐसी सहायता देने में प्रसन्नता होगी, जिसकी उन्हें विशेष रूप से अपेक्षा होगी।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख विभाग की स्थापना

468. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अपराध अभिलेख विभाग स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) विभाग की स्थापना जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है गृह मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय के रूप में की गई है। केन्द्रीय पुलिस संगठनों की अपराध अभिलेखों से सम्बन्धित कुछ यूनिटों का विलय इस विभाग में किये जाने का प्रस्ताव है।

कनाडा में भारतीय मिशन के एक अधिकारी का शरण मांगना

469. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी**
श्री आनन्द सिंह
श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री भट्टम श्री राम मूर्ति
: क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टोरेन्टो (कनाडा) में भारतीय मिशन में कार्यरत एक अधिकारी द्वारा कनाडा में राजनैतिक शरण मांगे जाने की सूचना मिली है;

(ख) इस मामले का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर कनाडा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जुवेनिल्स इन स्लम्स सम्बन्धी रिपोर्ट

470. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जुवेनिल्स इन स्लम्सस्टडी आफ सिक्स स्लम्स इन बम्बई (नगरलोक 11 पी० ए०, जुलाई-सितम्बर, 1984) रिपोर्ट की ओर भी आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अपराधों पर काबू पाने के लिए मामले में क्या उपचारी कदम उठाने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) यह लेख गन्दी बस्तियों में रहने वाले किशोरों के सम्बन्ध में एक अध्ययन तथा उनकी स्थिति में सुधार करने में लगे हुए विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के प्रभाव पर आधारित है। सरकार की विभिन्न एजेंसियां और स्वयंसेवी संगठन भी उनकी स्थिति में सुधार करने के कार्य में लगे हुए हैं।

इन्सैट-1 सी का छोड़ा जाना

471. **श्री श्रीराम मूर्ति भट्टम**
श्री विलास मुत्तेमवार
डा० टी० कल्पना देवी
श्री हरीश रावत
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत
श्री के० प्रधानी
डा० बी० एल० शैलेश
: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 जनवरी, 1986 को "चैलेंजर" के विस्फोट के परिणामस्वरूप इन्सैट-1 सी उपग्रह के सितम्बर के अन्त तक छोड़े जाने में विलम्ब होने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो आन्तरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम में विलम्ब से बचने के लिए सरकार के समक्ष क्या वैकल्पिक योजनाएं हैं;

(ग) क्या अमरीका के नेशनल एरोनाटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस संबंध में कोई बातचीत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी०पाटिल) :*(क) इस समय, नासा की सलाह के अनुसार, इन्सैट-1 सी पर कार्य इस आधार पर चल रहा है कि इन्सैट-1 सी के लिए वर्तमान उड़ान कार्यक्रम, अर्थात एस० टी० एम० की उड़ान संख्या 61-1, के लिए प्रमोचन की निर्धारित तिथि सितम्बर 27,1986, को उस समय तक बनाए रखा जाय, जब तक कि "नासा" इसमें किए जाने वाले किसी प्रकार के आवश्यक परिवर्तन के बारे में सूचित नहीं करता है। जबकि एस० टी० एस० उड़ान 51-1 की दुर्घटना के परिणामों को एस० टी० एस० प्रमोचनों को शुरू करने से सम्बद्ध बताया गया

है तथा एस० टी० एस० सूची पर विशिष्ट प्रमोचन कार्यों पर पड़ने वाले प्रभावों का अभी पूरी तरह मूल्यांकन किया जाना है। अन्तरिक्ष शटल के 24 सफल प्रमोचनों को देखते हुए यह विश्वास करना कठिन है कि अन्तरिक्ष –शटल में किसी प्रकार की अविशिष्ट समस्या है और इस बात की पर्याप्त संभावना है कि नासा के अन्तरिक्ष शटल की उड़ानें 1986 के उत्तरार्ध में शुरू होंगी और इन्सैट-1 सी० की प्रमोचन समय-अनुसूची अनावश्यक रूप में प्रभावित नहीं होगी।

(ख) अमरीकी-नासा की एस० टी० एस० उड़ान के शुरू होने में यदि कोई विलम्ब होता है तो उसका प्रभाव इन्सैट-1 सी०और इन्सैट-1 डी० के प्रमोचनों तक ही सीमित रहेगा। फिल्हाल, सरकार इन्सैट-1 सी० और इन्सैट-1 डी० उपग्रहों के प्रमोचन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना जरूरी नहीं समझती है।

(ग)और (घ)एस०टी०एस० के ग्राहकों पर जनवरी 28, 1986 को चैलेंजर की दुर्घटना के हुए प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए नासा गहन कार्य कर रहा है और उसने आश्वासन दिया है कि वह इन्सैट-1 सी० और इन्सैट-1 डी०अंतरिक्षयानों को, अन्तरिक्ष विभाग और नासा की आपसी सहमति से तय शर्तों के अन्तर्गत छोड़ने का अपना पूरा प्रयास करेगा। प्रचालन में रहने वाले अकेले इन्सैट-1 बी० के लिए कक्षा में पूरक उपग्रह प्रदान करने के लिए इन्सैट-1 सी०अन्तरिक्षयान को समय पर छोड़ने की आवश्यकता को पूरी तरह स्वीकार करता है।

[हिन्दी]

सेंट्रल प्रूफ रेंज इटारसी, मध्य प्रदेश में मैटल स्क्रैप

472. **श्री दलीप सिंह भूरिया :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्ट्रल प्रूफ रेंज इटारसी (मध्य प्रदेश) से बिखरे हुए मैटल स्क्रैप इकट्ठा करने के कारण स्थानीय ग्रामीण आदिवासियों की जान को हमेशा खतरा बना रहता है;

(ख) क्या पिछले वर्ष मैटल स्क्रैप इकट्ठा करने के प्रयत्न में 50 ग्रामीणों की गोले फट जाने से मृत्यु हो गई थी;

(ग) क्या मैटल स्क्रैप इकट्ठा करने और उसके निपटान के लिए कोई कारगर उपाय किये गये हैं ताकि स्थानीय ग्रामीण आदिवासियों को खतरा न हो;

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उनके मन्त्रालय को युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938 में संशोधन करने के बारे में प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1972 में जबसे मध्य प्रदेश में इटारसी सेंट्रल प्रूफ रेंज की स्थापना हुई है, जो सुरक्षित एवं वर्जित क्षेत्र है, तब से लेकर अब तक उसमें धातु की कतरनें इकट्ठा करते समय 59 व्यक्ति मारे गए हैं।

(ख) 1985 में धातु की कतरने इकट्ठा करने में किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है।

(ग) प्रूफ रेंज विस्तृत और दुःसाध्य होने से धातु की कतरने इकट्ठा करना और उनका निपटान करना सम्भव नहीं है। इसलिए जमीन में पड़े या जमीन के अन्दर गड़े हुए अनफटे गोलों को ढूंढ़ना मुश्किल हो जाता है।

(घ) और (ङ) होशंगाबाद के प्रभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा गठित समिति ने भी अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया था कि इसके लिए और कड़े कानून बनाए जाने चाहिए। इस सुझाव पर विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

भारत में विदेशियों का अवैध प्रवेश

473. श्री शरद दिघे : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार विदेशियों के सीमा पार कर भारत में बसने तथा उनके द्वारा मताधिकारों की मांग करने संबंधी संभावित खतरे की जांच कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सीमावर्ती राज्यों को इस सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा देश में विदेशियों के अवैध रूप से प्रवेश को रोकने हेतु स्थाई कदम उठाने के लिए कोई अनुदेश जारी किये गये हैं अथवा जारी करने का प्रस्ताव है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) भारत की लम्बी भूमि सीमा है। इसको ध्यान में रखते हुए भारत में विदेशियों के अवैध रूप से आने का संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। फिर भी सीमा पार से विदेशियों की बड़ी संख्या में घुसपैठ करने के भारी खतरे के बारे में सीमावर्ती राज्यों से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। सीमाओं पर घुसपैठ का पता लगते ही उन्हें निष्कासित करने/वापस भेजने के लिए राज्य सरकारों के पास स्थाई अनुदेश विद्यमान हैं। उन सभी विदेशी राष्ट्रिकों के विरुद्ध अधिनियम 1946 के तहत कार्यवाही भी की जाती है, जो भारत में अवैध रूप से ठहरे हुए पाये जाते हैं।

सेवानिवृत्त अधिकारियों की योजना आयोग में परामर्शदाता के रूप में पुनर्नियुक्ति

474. डा० टी० कल्पना देवी : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग में सेवानिवृत्त अधिकारियों को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करने की प्रथा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान योजना आयोग में परामर्शदाता के रूप में कितने सेवानिवृत्त अधिकारी नियुक्त किए गए;

(ग) उनकी नियुक्ति का मानदंड और सेवा शर्तें क्या हैं; और

(घ) योजना आयोग में परामर्शदाता के रूप में इस समय कितने सेवानिवृत्त अधिकारी काम कर रहे हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, हां। उन्हें गैर-सरकारी परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया जाता है।

(ख) 17

(ग) उन्हें, योजना आयोग के वर्तमान हित के विशेष अध्ययन करने के लिए पूरे समय के लिए 2500/- रु० तथा अंशकालिक परामर्शदाता के रूप में 2000/- रु० मासिक समेकित फीस पर नियुक्त किया जाता है। वे अन्य कोई भत्ते या सरकारी आवास, टेलीफोन, इत्यादि के हकदार नहीं होते हैं। हालांकि, इसके अतिरिक्त, वे पेंशन सम्बन्धी लाभों के हकदार हैं।

(घ) गैर-सरकारी परामर्शदाताओं की संख्या इस समय 16 है, जिनमें से 11 सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हैं।

"प्रदूषण की रोक-थाम के लिए प्रस्ताव"

475. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि देश में वायु, जल और शोर के प्रदूषण को रोकने के लिए दिसम्बर, 1985 के अन्तिम सप्ताह में नोपदा, ठाणे (महाराष्ट्र) में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था जिसमें भाग लेने वालों ने प्रदूषण की रोक-थाम के लिए कुछ उपचारात्मक कदम उठाने पर बल दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के उद्घाटन के अवसर पर पाकिस्तानी प्रतिनिधि-मण्डल की उपस्थिति

476. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कल्पक्कम में दिसम्बर, 1985 में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के उद्घाटन के समय पाकिस्तानी-परमाणु-ऊर्जा विभाग का प्रतिनिधि-मण्डल उपस्थित था;

(ख) क्या उक्त प्रतिनिधि-मण्डल ने वहां पर आयोजित फास्ट ब्रीडरों सम्बन्धी गोष्ठी में भी भाग लिया था;

(ग) क्या परमाणु ऊर्जा के विशेषज्ञों के इसी प्रकार के आदान-प्रदान पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) क्या सरकार का विचार पाकिस्तान को उसके परमाणु ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रमों में तकनीकी सहायता देने का है, बशर्ते कि वह पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहे ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) पाकिस्तान के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष तथा दो अन्य पाकिस्तानी अधिकारियों ने बिजली के भावी स्रोत के रूप में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर विषय पर 16 और 17 दिसम्बर, 1985 को कलपाक्कम में हुई अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया था। मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के दूसरे रिएक्टर के समर्पण समारोह में और रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र का नाम बदल कर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र करने के अवसर पर आयोजित समारोह में भी पाकिस्तानी प्रतिनिधि-मण्डल ने अन्य विदेशी प्रतिनिधियों के साथ भाग लिया था।

(ग) और (घ) दोनों देशों के बीच आगे इस प्रकार के आदान-प्रदान का इस समय कोई विचार नहीं है।

परमाणु विद्युत निगम की स्थापना

477. श्री के० राममूर्ति : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के आधार पर अलग परमाणु विद्युत निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है जैसाकि परमाणु विद्युत बोर्ड के चेयरमैन द्वारा प्रेस को बताया गया है;

(ख) क्या परमाणु विद्युत अनुसंधान और अन्य सम्बन्धित गतिविधियों को प्रस्तावित निगम के कार्यक्षेत्र के अधीन लाया जायेगा;

(ग) क्या इस निगम को पूंजी बाजार में वित्तीय साधनों के लिए अनुमति दी जायेगी; और

(घ) इस प्रस्ताव पर कब तक निर्णय होने की सम्भावना है ?

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : (क) से (घ) सिद्धान्त रूप में यह निर्णय लिया गया है कि परमाणु विद्युत निगम की स्थापना की जाए। इस सम्बन्ध में ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में सैनिकों के लिए अतिथि विश्राम गृहों का निर्माण

478. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय का विचार उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में सैनिकों के लिए अतिथि गृहों और विश्राम गृहों का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उनका निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किया जाएगा और उन पर कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, नहीं। रक्षा मन्त्रालय का उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में सेना कार्मिकों के लिए अतिथि गृहों अथवा विश्राम गृहों के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में पहले ही सैनिक विश्राम गृह बने हुए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के संबंध में पटेल आयोग

479. **श्री राजकुमार राय** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटेल आयोग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कुछ सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनका किस सीमा तक कार्यान्वयन किया गया और इसकी सभी सिफारिशों को कार्यान्वित करने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, हां। पटेल कमेटी ने,

जिसने जनवरी, 1986 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के चार जिलों, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया और जौनपुर के विकास की सिफारिश की है।

(ख) सिफारिशें कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियों, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, ग्रामीण विद्युतीकरण, उद्योग, सरकारी क्षेत्र के निकायों, संचार, परिवार नियोजन, प्रशासन इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रकों से सम्बन्धित है।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना की 1966 में समाप्ति के पश्चात, राज्य सरकार को, इस कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन जिलों के लिए विकास कार्यक्रम बनाने तथा उन्हें लागू करने का काम सौंपा गया।

[अनुवाद]

राज्यों में बीस सूत्री कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के लिए सहायता

480. **श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वियन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए अपेक्षाकृत अधिक सहायता की मांग की है?

कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए परिव्यय अलग से और विशिष्ट रूप से निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तथापि, परिव्यय, विभिन्न योजना शीर्षों के अन्तर्गत परिव्ययों से प्राप्त किए जाते हैं। वर्ष 1985-86 में 20 सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए अधिक सहायता देने के वास्ते किसी राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

असम छात्र संघ द्वारा जन गणना कार्य

481. **श्री नारायण चौबे** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जनवरी, 1986 के आनन्द बाजार पत्रिका में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि असम छात्र संघ के स्वयंसेवक 15 फरवरी, 1986 से जनगणना कार्य शुरू करेंगे;

(ख) क्या देश के सभी भागों में जनगणना का कार्य केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा किया जाता है अथवा नहीं;

(ग) यदि हां, तो क्या असम छात्र संघ द्वारा की गई जनगणना को सरकारी तौर पर स्वीकार किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो क्या इसके बाद अन्य राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दलों के स्वयं सेवकों को जनगणना का कार्य करने की अनुमति दी जायेगी अथवा नहीं।

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम सं० 37) के तहत जनगणना कराने के लिए केवल केन्द्रीय सरकार ही सक्षम है। इस अधिनियम के तहत इस प्रकार का अन्य कोई कार्य वैध नहीं है।

बिरसा मुंडा के परिवार संबंधी समाचार

482. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक**
श्री मानिक रेड्डी
श्री सरफराज अहमद
श्री एम० रघुमा रेड्डी
: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 दिसम्बर, 1985 के ब्लिट्ज में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि बिहार के एक स्वतन्त्रता सेनानी परिवार से संबंधित श्री बिरसा मुंडा की बूढ़ी बहन और पोती की स्थिति दयनीय है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और क्या सरकार का श्री बिरसा मुंडा के नजदीकी जीवित सम्बन्धियों को कुछ सहायता देने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सरकार को, श्रीमती कुट्टी मुण्डा तथा स्वर्गीय श्री बिरसा मुंडा को पौत्री जो उनकी जीवित नजदीकी रिश्तेदार हैं, से वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी, बिहार सरकार से मामले का पूरा ब्योरा हमें भेजने का अनुरोध किया गया है और राज्य सरकार से सूचना प्राप्त होने पर उचित कारंवाई की जायेगी।

लक्षद्वीप में श्रेणी-एक और श्रेणी-दो के पद

483. **श्री पी० एम० सईद** : क्या गृह मन्त्री लक्षद्वीप में श्रेणी-एक और श्रेणी-दो के पदों के बारे में 4 दिसम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2396 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियमित आधार पर अपर श्रेणी एक के मंजूर सुदा 43 पदों में से केवल 26 पदों और श्रेणी-दो के 104 पदों में से केवल 57 पदों को भरने के क्या कारण हैं; और

(ख) श्रेणी-एक के 13 और श्रेणी-दो के 16 रिक्त पदों को भरने और तदर्थ आधार पर (रे गये श्रेणी-एक के 4 और श्रेणी-दो के 31 पदों के नियमितीकरण के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में पांच दिन के सप्ताह का मूल्यांकन

484. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष वर्तमान पांच दिन के सप्ताह के स्थान पर सभी केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए छः दिन का सप्ताह पुनः लागू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों में पांच दिन के सप्ताह के दौरान काम की प्रगति का मूल्यांकन किया है;

(ग) क्या भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एन०ए०एल० एल० आर०डी० ई० इत्यादि जैसे अनुसंधान संगठनों ने भी पांच दिन का सप्ताह अपनाया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इससे वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी के विकास की गति पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) फिलहाल छः दिन के सप्ताह की प्रणाली को पुनः आरम्भ करने के लिए विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यद्यपि 5 दिन के सप्ताह की योजना के दौरान काम की प्रगति का कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया गया है, फिर भी ऐसा महसूस किया गया है कि योजना का बहुत स्वागत हुआ है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनता की लम्बित शिकायतें

485. श्री डी० एन० रेड्डी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक शिकायतों के नये विभाग के गठन के पश्चात् लोक शिकायतों को तेजी से दूर करने के लिए कोई अभियान चलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष और इससे अधिक समय से लम्बित शिकायतों का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त विभाग का मंत्रालयों से ऐसी शिकायतों की सूची एकत्र करने का विचार है जिनका सुसम्मत समाधान नहीं किया गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां। जिन मन्त्रालयों/विभागों के साथ जनता का बहुत अधिक वास्ता पड़ता है उन्हें एक समय-बद्ध रूप से शिकायतें निपटाने के लिए कहा गया है। उन्हें शिकायतों के निपटान पर वरिष्ठ स्तरों पर निगांह रखने के लिए भी कहा गया है।

(ख) और (ग) प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग, मंत्रालयों/विभागों से इस आशय की अर्ध-वार्षिक रिपोर्टें प्राप्त करता है कि कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं, उनमें से कितनी निपटाई गई तथा कितनी उनके पास लम्बित पड़ी हैं। 30-9-1985 की स्थिति के अनुसार, इस बारे में 40 मंत्रालयों/विभागों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1-4-1985 से 30-9-1985 तक की अवधि के दौरान प्राप्त हुई तथा निपटायी गई शिकायतों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग का नाम	पिछली बकाया	छमाही के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या	छमाही के दौरान निपटाई गयी शिकायतों की संख्या	30-9-1985 की स्थिति के अनुसार लम्बित पड़ी शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	कृषि मंत्रालय				
	(i) कृषि एवं सहकारिता विभाग	90	37	27	100
	(ii) उर्वरक विभाग	4	5	5	4
	((iii) कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6
2.	वाणिज्य मन्त्रालय				
(i)	वाणिज्य विभाग	55	138	90	103
(ii)	आपूर्ति विभाग	120	116	135	98
3.	संचार मन्त्रालय	1		5	1
(i)	डाक विभाग	62,053	4,10,375	4,12,029	60,399
(ii)	दूरसंचार विभाग	7,868	1,44,018	1,35,964	15,922
4.	रक्षा मन्त्रालय				
(i)	रक्षा विभाग	180	198	166	212
(ii)	रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग	शून्य	12	9	3
5.	ऊर्जा मन्त्रालय				
(i)	विद्युत विभाग	7	45	35	17
6.	विदेश मन्त्रालय	18	342	342	18
7.	वित्त मन्त्रालय				
(i)	आर्थिक कार्य विभाग	50	103	66	87

1	2	3	4	5	6
(ii)	व्यय विभाग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय				
(i)	खाद्य विभाग	337	373	274	436
9.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय				
(i)	स्वास्थ्य विभाग }	73	201	190	84
(ii)	परिवार कल्याण विभाग }				
10.	गृह मन्त्रालय				
(i)	आन्तरिक सुरक्षा विभाग	14	57	56	15
(ii)	राजभाषा विभाग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	मानव संसाधन विकास मन्त्रालय				
(i)	शिक्षा विभाग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	युवा कार्य और खेल विभाग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12.	उद्योग मन्त्रालय				
(i)	रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग	13	3	2	14

1	2	3	4	5	6
13.	सूचना और प्रसारण मन्त्रालय	12	72	73	11
14.	श्रम मन्त्रालय	1,434	20,903	20,009	2,328
15.	विधि और न्याय मन्त्रालय				
(i)	विधि कार्य विभाग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	विधायी विभाग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16.	संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्रालय				
(i)	संसदीय कार्य विभाग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय	125	2,113	1,856	382
18.	योजना मन्त्रालय				
(i)	सांख्यिकी विभाग	15	36	18	33
19.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय				
(i)	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	शून्य	1	शून्य	1
20.	इस्पात और खान मन्त्रालय				
(i)	इस्पात विभाग	128	814	855	87
21.	परिवहन मन्त्रालय				
(i)	नागर विमानन विभाग	376	2,135	1,333	1,178

1	2	3	4	5	6
(ii)	रेलवे विभाग	985	13,992	13,737	1,240
(iii)	स्थल परिवहन विभाग	1,005	7,765	7,714	1,056
22.	शहरी विकास मन्त्रालय	581	509	1247	843
23.	कल्याण मन्त्रालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24.	परमाणु ऊर्जा विभाग	8	8	8	8
25.	इलैक्ट्रोनिक्स विभाग	शून्य	5	12	3
26.	महासागर विकास विभाग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	अन्तरिक्ष विभाग	शून्य	13	13	—
28.	राष्ट्रपति सचिवालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

लीबिया के विरुद्ध शक्ति के प्रयोग पर भारत की चिन्ता

486. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही
श्री लक्ष्मण मलिक
श्री जी० एम० बनातवाला : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने लीबिया के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने की धमकियों पर अपनी चिंता व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो मध्य पूर्व में उत्पन्न स्थिति के बारे में गुट-निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष के रूप में भारत की भूमिका का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) गुट-निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष की हैसियत से भारत ने न्यूयार्क में विचार-विमर्श किया और 6 फरवरी, 1986 को स्थायी प्रतिनिधियों के स्तर पर समन्वय ब्यूरो की एक बैठक बुलाई। समन्वय ब्यूरो ने लीबिया के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किए जाने के खतरों, उसके उपायों तथा उसकी सम्भावना पर चिंता जाहिर की। बैठक में स्वीकार की गई विज्ञप्ति में सभी देशों से यह आह्वान किया गया है कि वे संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 36/103 में निहित राज्यों के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप की अस्वीकार्यता संबंधी घोषणा के उपबन्धों का पालन करें। ब्यूरो ने लीबिया की स्वाधीनता, प्रभुसत्ता तथा प्रादेशिक अखण्डता बनाए रखने में इसके प्रति अपने समर्थन तथा एक-जुटता की पुनः पुष्टि की।

[हिन्दी]

अमरीकी अन्तरिक्ष शटल में जाने के लिए चुने गए भारतीय वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण

487. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी अंतरिक्ष शटल में जाने के लिए अन्तिम रूप से चुने गये दो वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण लेने के लिए ह्यूस्टन में जानसन अंतरिक्ष केन्द्र भेजा गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इंसैट-1 सी का "चैलेंजर" में हुए विस्फोट की जांच के बाद छोड़ा जाना सम्भव होगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं। नासा के उड़ान प्रशिक्षण और सम्बद्ध अनुकारों इत्यादि के लिए एस० टी० एस०/इंसैट-1 सी भारतीय नीतभार विशेषज्ञों

को उड़ान मिशन के लिए प्रमुख एवं पूरक भारतीय नीतभार विशेषज्ञों को नासा के जानसन अंतरिक्ष केन्द्र में प्रमोचन की निर्धारित तिथि से केवल चार माह पूर्व ही भेजा जाना है।

(ख) इस बात की पूरी संभावना है कि चैलेंजर में हुये विस्फोट की जांच के पूरा होने के बाद "नासा" शीघ्र ही एस० टी० एस० के प्रमोचन का कार्यक्रम शुरू करेगा तथा इंसैट-1 सी के प्रमोचन की समय अनुसूची अनावश्यक रूप में प्रभावित नहीं होगी।

[अनुवाद]

परमाणु प्रतिष्ठानों के बारे में भारत तथा पाकिस्तान के बीच करार

488. **श्री आनन्द सिंह :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में जनवरी, 1986 में इस्लामाबाद में भारत तथा पाकिस्तान के बीच हुए अधिकारी स्तर के विचार-विमर्श में एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला न करने के वचन देने संबंधी मसौदा करारों का आदान-प्रदान हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त करारों का मुख्य उद्देश्य क्या है तथा किन परिस्थितियों के फलस्वरूप करारों का आदान-प्रदान हुआ ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) विदेश सचिव की 16 से 21 जनवरी, 1986 तक की पाकिस्तान यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने समरूप पाठ के प्रारूपों का आदान-प्रदान किया तथा उस पर विचार-विमर्श किया। इस पर और विचार-विमर्श किया जाएगा।

(ग) एक दूसरे के संदेहों को दूर करने के लिए प्रधान मंत्री की 17 दिसम्बर, 1985 को जनरल जिया के साथ मुलाकात के दौरान भारत की पहल पर इस बात पर सहमति हुई कि दोनों देश एक ऐसा करार तैयार करेंगे जिसके द्वारा कि दोनों देश यह वचन लेंगे कि वे एक दूसरे के नाभिकीय ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे।

रोम और ऐथेन्स में आतंकवादी कार्यों में लीबिया का हाथ होना

489. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष की हैसियत से रोम और ऐथेन्स में हाल ही में आतंकवादी कार्यों में लीबिया का कथित हाथ होने की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का इस बारे में क्या विचार है; और

(ग) क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन ने लीबिया के विरुद्ध कोई प्रतिबन्ध लगाने का सुझाव दिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) भारत ने इस आशय की खबरें देखी हैं जिनमें अमरीका ने लीबिया पर यह आरोप लगाये हैं कि हाल ही में आतंकवादियों द्वारा रोम और ऐथेन्स हवाई अड्डों पर किये गये हमलों में लीबिया का हाथ था और सरकार ने लीबिया द्वारा इस खबर का खण्डन किये जाने पर भी गौर किया है।

(ख) और (ग) गुट निरपेक्ष समन्वय ब्यूरो ने लीबिया की स्थिति पर न्यूयार्क में बुलाई गई अपनी विशेष बैठक में इस सम्बन्ध में विचार किया और एक वक्तव्य जारी किया जिसमें लीबिया को पूरा समर्थन देने के साथ-साथ उसके प्रति एकजुटता की भी पुनः पुष्टि की गई।

भारत अमेरिका संयुक्त आयोग की बैठकें

490. **श्री बी० तुलसी राम**
कुमारी पुष्पा देवी } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाशिंगटन में हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त आयोग की हुई बैठक में भारत तथा अमेरिका के संबंधों पर विचार विमर्श हुआ था;

(ख) यदि हां, तो विचार विमर्श का क्या परिणाम निकला;

(ग) दोनों देशों के बीच सम्बन्धों का यह नया गठबन्धन कितने समय तक लागू रहेगा तथा इनकी कब समीक्षा की जाएगी; और

(घ) क्या इस आयोग की आगामी बैठक की कोई तिथि निर्धारित की गई है?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) इस विचार-विमर्श से भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच पारस्परिक सद्भाव और सहयोग को बेहतर करने में मदद मिली।

(ग) दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच सम्पर्क का जब भी मौका मिलेगा, भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के संबंधों की समीक्षा की जाएगी।

(घ) भारत-अमरीकी संयुक्त आयोग की बैठक की अगली तारीखें राजनयिक सूत्रों के जरिये तय की जाएंगी।

"गंगा नदी की सफाई के लिए पोलैण्ड की पेशकश"

491. प्रो० के० वी० थामस . क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैण्ड ने गंगा नदी की सफाई के लिए एक बेहतर योजना की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) पोलैण्ड सरकार से गंगा की सफाई के लिए कोई विशेष पेशकश प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा गणतन्त्र दिवस परेड में भाग लिया जाना

492. श्री शांताराम नायक : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 की गणतंत्र दिवस परेड में कितने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने अपने सांस्कृतिक दल भेजकर भाग लिया;

(ख) क्या केन्द्र सरकार की सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा परेड में भाग लेने को अनिवार्य करने की योजना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) नई दिल्ली में 1986 की गणतंत्र दिवस परेड में 16 राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश ने अपने सांस्कृतिक दल भेजकर भाग लिया।

(ख) और (ग) सरकार की ऐसा करने की कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को गणतंत्र दिवस परेड में अनिवार्य रूप से भाग लेना पड़े। इसमें राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश स्वैच्छा से भाग लेते हैं।

"यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाना"

493. डा० सुधीर राय : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाजिक वानिकी निर्धन व्यक्तियों, विशेषकर जनजातियों, को उत्साहित करने में असफल रही है क्योंकि सरकार का मुख्य बल केवल यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने पर है; और

(ख) क्या सरकार अपनी नीति में परिवर्तन करेगी जिससे वानिकी कार्यक्रम निर्धन व्यक्तियों की आर्थिक आवश्यकताओं के लिए उपयोगी बन सके ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांत जनजातीय क्षेत्रों में एक धान्य कृषि (विशेषकर यूकेलिप्टस की) सलाह नहीं देते हैं तथा बहुत से राज्यों ने इस प्रकार के अनुदेश जारी कर दिए हैं।

जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत जिले

494. **श्री अजय विश्वास** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत कितने जिले सम्मिलित किये गये हैं; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आदिवासियों की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जनजातीय उप योजना के अन्तर्गत देश के 26 जिले पूर्णतः तथा 97 जिले अंशतः सम्मिलित किए गए हैं।

(ख) जनजाति के लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए सातवीं योजनावधि के दौरान कृषि बागवानी, पशुपालन तथा वानिकी आदि जैसे मूल आर्थिक क्षेत्रों में उत्पादन स्तरों में वृद्धि करने के अलावा, पोषण, पेयजल की आपूर्ति तथा शिक्षा सहित स्वास्थ्य सेवाओं जैसी सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में लगभग 40 लाख जन-जातीय परिवारों के सहायता कार्यक्रमों के लक्ष्य को हाथ में लिया जाएगा इसके अलावा, शोषक प्रथाओं को दूर करने के उपाय जारी रखे जाएंगे।

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को राज्य का दर्जा दिया जाना

495. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की जनता काफी लम्बे समय से इस द्वीप समूह को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करती रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) हाल में भारत सरकार के ध्यान में औपचारिक रूप से इस प्रकार की कोई मांग नहीं लाई गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

निरीक्षण महानिदेशालय संगठन में सैनिक अधिकारियों को रोजगार

496. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता- बम्बई, दिल्ली और मद्रास में निरीक्षण महानिदेशालय संगठन के अन्तर्गत सामान्य भंडार निदेशालय में कितने सैनिक अधिकारियों को नियुक्त किया गया है;

(ख) इन चार निरीक्षणालयों द्वारा किस प्रकार के भंडारों का निरीक्षण किया जाता है;

(ग) निरीक्षण में किस प्रकार के सैनिक कार्यों/उपभोक्ता अनुभव की आवश्यकता है;

(घ) क्या सिविलियन वैज्ञानिक अधिकारियों द्वारा भी इस प्रकार का निरीक्षण कार्य किया जा सकता है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार गैर/सैनिक कार्यों पर सैनिक अधिकारियों की बेकार नियुक्ति को कम करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सुखराम) : (क) निरीक्षण महानिदेशालय संगठन के अधीन कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास स्थित चार सामान्य भंडार निरीक्षणालयों में 10 सेना अफसर नियुक्त हैं ।

(ख) इन चार निरीक्षणालयों द्वारा जिस प्रकार की वस्तुओं का निरीक्षण किया जाता है उनमें सामान्य भंडार की सभी वस्तुएं आती हैं जिनमें अति ऊंचाई वाले क्षेत्र में पहने जाने वाले वस्त्र, अत्यधिक ठंड में पहने जाने वाले वस्त्र और उपस्कर, परेड और समारोह के अवसरों पर पहने जाने जाने वाले वस्त्र, युद्ध उपस्कर, तम्बू छद्मावरण उपस्कर, जीन-साज-सामान, आदि आदमियों को उतारने/सामान गिराने के पैराशूट, लड़ाकू विमानों के लिए ब्रेक पैराशूट, हवाई वितरण उपस्कर, पर्वतारोहण स्की उपस्कर फील्ड सुरक्षा की तैयारी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण, लड़ाकू वाहनों के लिए विशेष तेल और स्नेहक, फील्ड अस्पतालों के लिए उपकरण, प्राणरक्षी जैकट, बुनियादी टैक्सटाइल, इमारती लकड़ी, प्लास्टिक की वस्तुएं रंग-रोगन, रसायन, दवाईयां, औषध, पेट्रोल, तेल और स्नेहक पदार्थ आदि शामिल हैं ।

(ग) सामान्य भन्डार की मदें बहुत किस्म की होती हैं और सेनाओं को रेगिस्तान से लेकर बहुत ऊंचाई वाले इलाकों में विभिन्न फील्ड परिस्थितियों और युद्ध की स्थिति में इन मदों के इस्तेमाल की विशेष आवश्यकता होती है इसलिए इनके निरीक्षण के लिए उपभोक्ता अनुभव अनिवार्य है ।

(घ) और (ङ) रक्षा मन्त्रालय द्वारा नियुक्त एक उच्च स्तरीय समिति ने ऐसे पदों का पता लगाने के प्रश्न पर विचार किया था जिन पर पहले सेना अफसर नियुक्त थे और जिन्हें सिविल अधि-

कारियों द्वारा भरा जा सकता था । समिति की सिफारिशों को सरकार ने 1982 में स्वीकार करके कार्यान्वित कर दिया ।

जनमत प्राप्त करने के लिए मण्डल आयोग का प्रतिवेदन

497. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 15 नवम्बर, 1985 या उसके आस पास की किसी तारीख को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को यह सूचित किया है कि केन्द्रीय सरकार ने मण्डल आयोग की सिफारिश के अनुसार कुछ जातियों को अन्य पिछड़े वर्ग मानने के लिए जनमत प्राप्त करने का निर्णय लिया है और इस प्रयोजन के लिए मानदण्ड तैयार किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने मण्डल आयोग की सिफारिश पर जनमत प्राप्त करने हेतु मानदण्ड तैयार कर लिए हैं;

(ग) यदि हां, तो उन मानदण्डों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगों) : (क) से (घ) मन्डल आयोग द्वारा तैयार की गई अन्य पिछड़े वर्गों की सूची पर जनमत प्राप्त करने का निर्णय किया गया है। ऐसा जनमत प्राप्त करने की रूप रेखाओं पर सरकार विचार कर रही है। तत्पश्चात् आरक्षण विरोधी और आरक्षण-समर्थक आन्दोलनों के फलस्वरूप देश के कुछ भागों में व्याप्त स्थिति को देखते हुए गृह मन्त्री ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण के सम्बन्ध में राष्ट्रीय सहमति होने तक यथा स्थिति बनाये रखने के सुझाव पर विचार करने के लिये मुख्य मन्त्रियों को पत्र लिखे। अधिकांश मुख्य मन्त्रियों से सुझाव के समर्थन में उत्तर प्राप्त हुए हैं। प्रधान मन्त्री के साथ हुए विपक्षी नेताओं के विचार विमर्श की दृष्टि से इस मामले में तथ्यात्मक टिप्पणी तैयार करने के लिए आरक्षण के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित विस्तृत सूचना के लिए सभी राज्यों को पत्र लिखे गए थे। और राष्ट्रीय सहमति के प्रश्न पर विचार विमर्श में प्रयोग करने के लिए प्राप्त हुई सूचना संकलित कर ली गई है। एक राज्य से अभी सूचना की प्रतीक्षा है।

हाइपर प्योरे पाय सिलिकान की सप्लाई के बारे में अमरीका के साथ बातचीत

498. **श्री एन० वेंकट रत्नम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने हाइपर प्योर पाय सिलिकान की सप्लाई के बारे में अमरीका के साथ बातचीत की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बातचीत इस समय किस अवस्था में है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं। अति शुद्ध सिलिकान की आपूर्ति के लिए सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं की है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास

499. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं योजना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है;

(ख) यदि हां, तो अनसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए सातवीं योजना में कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए राज्य सरकारों को क्या मार्गनिर्देश भेजे गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विशेष कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत निर्धारित कुल राशि और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत निर्धारित कुल राशि का अनुमान क्रमश: 6303.32 करोड़ और 6199.63 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त सातवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों के विकास के लिए 930 करोड़ रु० और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए 756 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता निर्धारित की गई है।

(ग) तथा (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित कार्य-दल की रिपोर्ट में विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए हुए हैं तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के विकास के लिए उठाए जाने वाले कदमों से सम्बन्धित इसकी सिफारिशें पहले ही सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को भेजी जा चुकी हैं। इन समुदायों के लोगों के विकास के लिए उनके द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा कल्याण मन्त्रालय और योजना आयोग

दोनों में होने वाले विशेष कम्पोनेन्ट योजना और आदिवासी उप योजना से सम्बन्धित विचार-विमर्शों के दौरान की जाती है।

[हिन्दी]

पुलिस बल को आधुनिक बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता

500. श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस बल को आधुनिक बनाने के लिए 1984 और 1985 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा दी गई सहायता और अनुदान की राशि क्या है और 1986 और 1987 में दी जाने वाली ऐसी सहायता और अनुदान की राशि कितनी है ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। 1986-87 के दौरान दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता संसद द्वारा स्वीकृत निधियों के अनुसार होगी।

विवरण

पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय सहायता

(लाख रु० में)

	राज्य का नाम	1934-85 में दी गई राशि	1985-86 में आवंटित राशि	1986-87 के दौरान की जाने वाली प्रस्तावित राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	46.64	63.76	63.76
2.	असम	38.18	50.91	50.91
3.	बिहार	47.74	63.65	63.65
4.	गुजरात	37.96	50.61	50.61
5.	हरियाणा	20.39	27.19	27.19
6.	हिमाचल प्रदेश	13.94	18.59	18.59

1	2	3	4	5
7.	जम्मू और कश्मीर	20.52	27.36	27.36
8.	कर्नाटक	31.52	42.03	42.03
9.	केरल	35.31	47.08	47.08
10.	मध्य प्रदेश	59.67	79.56	79.56
11.	महाराष्ट्र	56.46	75.28	75.28
12.	मणिपुर	7.56	10.08	10.08
13.	मेघालय	8.48	11.31	11.31
14.	नागालैण्ड	8.85	10.78	10.78
15.	उड़ीसा	35.22	46.96	46.96
16.	पंजाब	113.07	37.38	37.38
17.	राजस्थान	52.78	70.38	70.38
18.	सिक्किम	3.15	4.20	4.20
19.	तमिलनाडु	56.35	75.14	75.14
20.	त्रिपुरा	9.42	12.56	12.56
21.	उत्तर प्रदेश	68.02	104.06	104.06
22.	पश्चिम बंगाल	53.35	71.13	71.13
		823.815	1000.00	1000.00

भारतीय प्रशासनिक सेवा का पुनर्गठन

501. श्री आर० एम० भोये : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा का पुनर्गठन करने के लिए कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की भर्ती, प्रशिक्षण तथा कैरियर प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा कर रही है। जहां तक प्रशिक्षण का संबंध है, सरकार, ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों के लिए एक सप्ताह के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा अपेक्षतया अधिक अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरम्भ किए हैं। सरकार द्वारा लिया गया दूसरा निर्णय सीधी भर्ती वालों के संवर्ग आबंटन में परिवर्तन के संबंध में है। आबंटन की नई पद्धति ऐसी है जिससे भारतीय प्रशासनिक सेवा के उच्च रैंक तथा निम्न रैंक के उम्मीदवारों का विभिन्न संवर्गों में एक समान आबंटन सुनिश्चित हो सके तथा अपेक्षतया अधिक अन्तर्राज्यीय अदला-बदली हो सके जिससे राष्ट्रीय एकता में सहायता मिलेगी। इस प्रकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के विभिन्न पहलुओं के प्रति सरकार सजग है।

[अनुवाद]

जनता की शिकायतों पर अनुवर्ती कार्यवाही

502. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता की शिकायतों का शीघ्र दूर किया जाना सुनिश्चित करने के लिए न केवल केन्द्रीय स्तर के मंत्रालयों/विभागों में बल्कि दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम जैसे अन्य लोक निकायों में भी आवश्यक आधारभूत ढांचा बनाने के लिए क्या उपाय किए गये हैं;

(ख) क्या मामलों के युक्तिसंगत निपटारे के लिए संबंधित शिकायत कक्षों अथवा ऐसी अन्य संस्थागत एजेंसियों द्वारा कोई अनुवर्ती कार्यवाही की जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) ऐसे मंत्रालयों/विभागों की एक सूची (विवरण-1) संलग्न है, जिन्होंने विभिन्न स्तरों पर शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति की है। दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम सहित ऐसे विभागों में जिनके साथ जनता का अपेक्षतया अधिक वास्ता पड़ता है, जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए किए गए प्रबंधों के कुछ उदाहरण भी विवरण-II में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) विभागों द्वारा शिकायतों के निपटान पर निगाह रखी जाती है। प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग द्वारा शिकायतों के निपटान के संबंध में एक छमाही विवरणी भी प्राप्त की जाती है।

विवरण-I

ऐसे मंत्रालयों/विभागों की सूची जिन्होंने शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति की है

निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने लोक शिकायतों पर कारंवाई करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर ली है और शिकायत एकक स्थापित कर दिए हैं

क्र० सं०	मंत्रालय/विभाग	शिकायत अधिकारी का रैंक/पद नाम
1	2	3
1.	डाक	(i) निदेशालय-निदेशक (ii) परिमण्डल—सहायक पोस्टमास्टर जनरल (iii) क्षेत्र—क्षेत्रीय निदेशक (iv) प्रभाग – प्रभागीय अधीक्षक (v) प्रधान डाक घर – सुझाव तथा शिकायत पुस्तिका पूछताछ काउं-टर पर रखी है।
2.	दूर संचार	(i) निदेशालय—निदेशक (ii) सिंगल विंडो लोक शिकायत एकक—मंडल इंजीनियर।
3.	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	(i) मंत्रालय—उपसचिव (ii) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं को, दिल्ली/नई दिल्ली में चिकित्सीय सुविधाओं की देखरेख से सम्बन्धित शिकायतों के निवारण के उद्देश्य से मुख्य शिकायत आयुक्त पदनामित किया गया है। (iii) अस्पताल—उप चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में कार्य करता है।

1	2	3
4.	बैंकिंग	(i) बैंकिंग प्रभाग—निदेशक (ii) उपभोक्ता सेवा केन्द्र—प्रत्येक बैंक का क्षेत्रीय अधिकारी (iii) बैंकों में —"सहायता कक्ष"
5.	रेलवे	(i) रेलवे बोर्ड—सदस्य (स्टाफ) और निदेशक (ई० एण्ड आर०) (ii) क्षेत्रीय स्तर—अतिरिक्त महाप्रबंधक (जोनल) वरिष्ठ महा प्रबंधक (iii) प्रभागीय स्तर—अतिरिक्त प्रभागीय प्रबंधक (iv) रेलवे स्टेशन—लोक शिकायत बूथ का संचालन एक विशेष कार्य अधिकारी करता है।
6.	शहरी विकास	(i) मंत्रालय—उप सचिव (ii) दिल्ली विकास प्राधिकरण—उपाध्यक्ष, सदस्य (इंजीनियरी), सदस्य (वित्त), आयुक्त (आवास), आयुक्त (भूमि) और निदेशक स्लम तथा झुग्गी झोंपड़ी) द्वारा निर्धारित दिनों में जनता की शिकायतों की सुनवाई की जाती है।
7.	वाणिज्य	(i) मंत्रालय—निदेशक (ii) मुख्य नियन्त्रक आयात और निर्यात—जन सम्पर्क अधिकारी (उप मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात) (iii) संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात—सतर्कता अधिकारी (नियन्त्रक, आयात और निर्यात) शिकायत अधिकारी के रूप में कार्य करता है।
8.	राजस्व	अपर सचिव

1	2	3
9.	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	शिकायत एकक सीधे ही अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधीन कार्य करता है।
10.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड	(i) मुख्यालय—निदेशक (सीमा शुल्क) उप सचिव (भू सीमा-शुल्क) उप सचिव (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क), और मुख्य सतर्कता अधिकारी।
		(ii) समाहर्तालयों/सीमा-शुल्क गृहों में समाहर्ता के अधीन लोक शिकायत समितियां हैं।
		(iii) हवाई अड्डे—जन सम्पर्क अधिकारी।
11.	सिविल विमानन	(i) विभाग—उप सचिव
		(ii) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण—उपनिदेशक (संचालन)
		(iii) एयर इंडिया—प्रबन्धक के स्तर का अधिकार
		(iv) इण्डियन एयरलाइन्स—(क) मुख्यालय में वाणिज्यिक प्रबन्धक (उपभोक्ता सेवा) (ख) क्षेत्रीय मुख्यालय में वरिष्ठ उप-वाणिज्यिक प्रबन्धक।
		(v) दिल्ली हवाई हड्डा—शिकायत काउंटर।
12.		(i) विभाग—निदेशक
		(ii) कोयला नियन्त्रक संगठन, कोयला खान कल्याण संगठन, भारत कुकिंग कोयला लिमिटेड वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड और सिंगरानी कोलरीज लिमिटेड द्वारा उचित स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र खोले गए हैं।
13.	खान	: उप सचिव (तथापि कोई शिकायत एकक नहीं खोला गया है)।

1	2	3
14.	श्रम	(i) मंत्रालय—उप सचिव (ii) उत्प्रवास प्रभाग—संयुक्त सचिव/छात्रावास महासंरक्षक, प्रत्येक सप्ताह में तीन दिन लोक शिकायतें सुनते हैं।
15.	खाद्य	: निदेशक
16.	सिविल आपूर्ति	: उप सचिव
17.	रक्षा	: निदेशक

विवरण-II

ऐसे विभागों में जिनके साथ जनता का अपेक्षतया अधिक वास्ता पड़ता है जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए किए प्रबन्धों के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं :—

— शिकायतों के तत्काल निवारण के लिए चार महानगरों में मुख्य रेलवे स्टेशनों पर जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए कक्षों (बूथों) की स्थापना की गई है। इन कक्षों में सामान्यतः आरक्षणों तथा पैसे की वापिसी सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त होती हैं। कक्ष का प्रभारी अधिकारी स्टेशन पर तैनात संबंधित अधिकारियों की सहायता से समस्याओं का हल करने का प्रयास करता है।

— दूर संचार विभाग में "सिंगल विंडो" पद्धति लागू की गई है।

— सफदरजंग अस्पताल, डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित शिकायतों के निपटान के लिए स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनवरी, 1985 में एक लोक शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया था। इन अस्पतालों ने भी लोगों की समस्याओं के "तत्काल" निवारण के लिए लोक शिकायत निवारण अधिकारियों को नामित किया है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल ने भी ऐसे ही प्रबन्ध किए हैं।

— जनता की शिकायतों को शीघ्र दूर करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों में एक केन्द्रीयकृत ग्राहक सेवा केन्द्र योजना लागू की गई है तथा इन बैंकों में से एक बैंक समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। प्रारम्भ में इस योजना को चार महानगरों में प्रारम्भ किया

गया तथा अब इसे अठारह राजधानी/बड़े नगरों में लागू कर दिया गया। बैंक "सहायता" कक्ष के माध्यम से "तत्काल शिकायत निवारण" को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर "सहायता कक्ष" में जा सकता है जहां तैनात अधिकारी शिकायत को हल करने में सहायता करता है।

— संयुक्त सचिव/उत्प्रवास महा संरक्षक तथा उप उत्प्रवास महा-संरक्षक, उत्प्रवास संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए प्रत्येक सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार दो घंटे के लिए जनता की शिकायतों की सुनवाई करते हैं। जिन मामलों में तत्काल निदान नहीं प्रदान किया जा सकता है उनमें याचिकादाता को अगले दिन शाम को आने के लिए प्रवेश पत्र दे दिया जाता है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चण्डीगढ़, मद्रास, कोचीन तथा त्रिवेन्द्रम स्थित सभी सात उत्प्रवासी संरक्षक कार्यालयों में सार्वजनिक सुनवाई पद्धति लागू की जा रही है।

— डाक विभाग ने सभी प्रधान डाकघरों में "सुझाव तथा शिकायत पुस्तकों" की व्यवस्था की है जो कि पूछताछ काउन्टरों पर उपलब्ध रहती हैं। पोस्टमास्टरों को इन शिकायत पुस्तकों को प्रतिदिन देखना होता है ताकि सभी शिकायतों पर बिना किसी देरी के कार्रवाई प्रारम्भ हो सके।

— दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लोक शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक प्रभावी तथा लोकोन्मुखी बनाने के लिए एक सार्वजनिक सुनवाई पद्धति तैयार की है। उपाध्यक्ष, सदस्य (इंजीनियरिंग), सदस्य (वित्त), आयुक्त (आवास), आयुक्त (भूमि) तथा निदेशक (गंदी बस्ती तथा झुग्गी झोंपड़ी) द्वारा की जाने वाली ऐसी सुनवाइयों के लिए दिन तथा समय निर्धारित किए गए हैं।

— दिल्ली नगर निगम ने आयुक्त कार्यालय तथा निगम के सभी 10 क्षेत्रीय कार्यालयों में शिकायत कक्षों की स्थापना की है। आयुक्त, दिल्ली नगर निगम स्वयं प्रत्येक सप्ताह में दो दिन जनता की शिकायतें सुनते हैं।

"तीन बीघा सर्वे बाई बंगला टीम थवार्टेड" शीर्षक समाचार

503. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 3 फरवरी, 1986 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "तीन बीघा सर्वे बाई बंगला टीम थवार्टेड" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि 1974 के इन्दिरा-मुजीब समझौते के अन्तर्गत बंगला देश के कतिपय विदेशी अंतः क्षेत्र को उसकी मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए तीन बीघा पट्टी का भारत तथा बंगला देश द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण करने के लिए भारतीयों के लिए अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी;

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) तीन बीघा समीप लेकिन इसे छोड़कर भारत-बंगला देश सीमा को अंकित करने का काम 8 जनवरी, 1986 को शुरू किया गया था। उस दिन, संयुक्त सर्वेक्षण दल ने दहाग्राम अंगोरपोटा में भारत और बंगला देश के बीच सीमा के एक हिस्से को अंकित किया था। अगली सुबह जब संयुक्त सर्वेक्षण दल कार्य स्थल पर पहुंचा तो उन्होंने पाया कि पिछले दिन नाप लेने के बाद जमीन पर जो निशान लगाये गये थे उन्हें रात को उखाड़ दिया गया और बंगला देश के अंगोरपोटा बस्ती में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठे हो गये थे जो सीमांकन के खिलाफ नारे लगा रहे थे। ड्यूटी पर तैनात हमारे सुरक्षा कार्मिक बंगला देश सर्वेक्षण दल को उन्हीं की बस्ती के अन्दर संरक्षण प्रदान नहीं कर सके और इसलिए उनके अनुरोध पर यह कार्य स्थगित कर देना पड़ा। अपनी ओर से हम ऐसे किसी भी समय इस क्षेत्र में सीमांकन का कार्य पुनः बहाल करने के लिए तैयार है जो कि बंगलादेश पक्ष को सुविधाजनक हो और यह बात उन्हें बता दी गई है।

यह आरोप बिल्कुल निराधार है कि पर्याप्त सावधानी न बरत कर भारत ने तीन बीघा में सर्वेक्षण कार्य में बाधा पहुंचाई है। सर्वेक्षण दलों की सुरक्षा का सुनिश्चय करने के लिए कूच बिहार के राजस्व तथा कानून और व्यवस्था के संबद्ध अधिकारी सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक भारतीय सीमा की तरफ मौजूदा थे लेकिन बंगलादेश की बस्तियों के भीतर वे प्रदर्शन को नहीं रोक सके।

[हिन्दी]

द्विभाषीय समिति की सिफारिशें

504. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वियन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्विभाषीय समिति ने कार्यक्रमों के मूल्यांकन तथा कार्यान्वियन के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वीकार तथा अस्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) स्वीकार की गई सिफारिशों का कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने न तो कोई "द्विभाषीय समिति" गठित की है और न ही उसे इस प्रकार की

समिति की विद्यमानता की जानकारी है।

[अनुवाद]

बंगलादेश सीमा के साथ कंटीले तारों की बाड़ लगाने के कार्य की प्रगति

505. श्री अमरसिंह राठवा
श्री चिंतामणि जेना } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बंगलादेश की सीमा के साथ कंटीले तारों की बाड़ लगाने के कार्य में अभी तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) अब तक किस प्रकार का कार्य किया गया है तथा कितनी धनराशि खर्च की गई है?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) अभी तक तारों की बाड़ लगाने का कार्य शुरू नहीं किया गया है। सरकार ने सर्वेक्षण कार्य पर अब तक 7.55 लाख रु० की राशि खर्च की है।

पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए राज्यों में पृथक एजेंसियां

506. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केन्द्र शासित प्रदेशों सहित राज्य सरकारों को यह सलाह दी है कि पेन्शनभोगियों की समस्याओं के निवारण और कल्याण के लिए पूर्णकालिक पृथक एजेंसियां स्थापित करने की संभावना पर विचार करें; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) जी हां। दिसम्बर, 1985 में राज्य सरकारों को, उनके पेन्शनभोगियों की समस्याओं तथा कल्याण पर गौर करने के लिए, अलग से एकक/पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग की स्थापना किए जाने पर विचार करने की सलाह दी गई थी।

राज्यों से उत्तर प्राप्त हो रहे हैं तथा ये काफी उत्साहवर्द्धक हैं।

"विभिन्न योजनाओं के लिए पेड़ों को गिराने हेतु हिमाचल प्रदेश की योजनाओं को स्वीकृति"

507. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को 31 जनवरी, 1986 तक चालू वित्तीय वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार से सड़कों के निर्माण, पीने के पानी की सप्लाई और सिंचाई योजनाओं के लिए पेड़ों को गिराने संबंधी अनेक योजनाएं स्वीकृति के लिए प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उनमें से प्रत्येक के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) स्वीकृति दिए जाने के लिए अभी भी लम्बित योजनाएं कौन सी हैं और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ऐसे प्रस्तावों के विस्तृत ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त 1983, 1984, 1985 के दौरान एवं 31 जनवरी, 1986 तक सड़क निर्माण, जल आपूर्ति तथा सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्तावों की अद्यतन स्थिति को दर्शाने वाली सूची,

क्रम संख्या	जिला	क्षेत्र	उद्देश्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5
		1983		
.	ऊना	13.80 हैक्टे०	जल आपूर्ति स्कीम	हिमाचल प्रदेश सरकार को 4-4-1983 को प्रस्ताव के संबंध में कुछ आवश्यक सूचना देने के लिए अनुरोध किया गया था तथा 6-3-84 को फिर से याद दिलाया गया। अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
2.	बिलासपुर	2.16 हैक्टे०	पुल सड़क का निर्माण	स्वीकृत किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को इस निर्णय की सूचना 20-6-83 को दे दी गई थी।

1	2	3	4	5
3.	बिलासपुर	3.6 हैक्टे०	सड़क निर्माण	स्वीकृत किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को इस निर्णय की सूचना 31-8-84 को दे दी गई थी।
4.	कुलु	5.63 हैक्टे०	बाई-पास में सुधार	हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने के लिए 27-6-83 को अनुरोध किया गया था। कोई उत्तर नहीं मिला है।
5.	सोलन	0.226 हैक्टे०	राष्ट्रीय राजमार्ग	स्वीकृत किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार को इस निर्णय की सूचना 16-7-84 को दे दी गई थी।
6.	मण्डी	1.75 हैक्टे०	मुख्य नहर	हिमाचल प्रदेश सरकार को इस परियोजना के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने के लिए 17-8-83 को अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार को 6-3-84, 22-6-84, 29-8-84, 17-11-84 को तथा 30-8-85 को तार भेजा था। याद दिलाया गया। अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।
7.	कांगड़ा	3 हैक्टे०	सड़क का संरक्षण	हिमाचल प्रदेश सरकार को 10-9-85 को कुछ आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

1	2	3	4	5
			1984	
1.	बिलासपुर	7.08 हैक्टे०	सड़क संरक्षण (कोल बांध)	हिमाचल प्रदेश सरकार को इस मामले के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने के लिए 7-5-85 को अनुरोध किया गया था। 17-7-85 को तार वाला अनुस्मारक भेजा गया। 3-9-85 एवं 11-10-85 को अनुस्मारक भेजे गए। अभी तक कोई भी उत्तर नहीं मिला है।
2.	हमीरपुर	3.0 हैक्टे०	सड़क निर्माण	हिमाचल प्रदेश सरकार को 7-4-84 को इस प्रस्ताव के संबंध में कुछ आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया था तथा 7-2-85 को फिर से याद दिलायी गई। अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।
3.	चम्बा	982.71 हैक्टे०	चमेरा हाइडल परियोजना	स्वीकृत कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार को इस निर्णय की सूचना 6-2-86 को भेज दी गई थी।
4.	ऊना	0.184 हैक्टे०	जल आपूर्ति स्कीम	स्वीकृत कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार को इस निर्णय की सूचना 17-7-84 को दे दी गई थी।
5.	ऊना	2.42 हैक्टे०	सड़क निर्माण	हिमाचल प्रदेश सरकार को इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ

1	2	3	4	5
				आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने के लिए 27-8-84 को अनुरोध किया गया था। 14-8-85 को अनुस्मारक भेजा गया। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
6.	लाहुल	23.18 हैक्टे०	थिराट हाइडल प्रोजेक्ट	हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को 23-10-84 को कुछ आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए कहा गया था बावजूद लगातार अनुस्मारक के उत्तर का अभी भी इन्तजार है।
7.	शिमला	1.10 हैक्टे०	सड़क पंक्ति-बंधन	स्वीकृत। हिमाचल प्रदेश सरकार को निर्णय के सम्बन्ध में 13-2-85 को सूचित किया गया।
8.	शिमला	राज्य सरकार द्वारा बताया नहीं गया।	सड़क निर्माण	राज्य सरकार से संबंधित प्रस्ताव के संबंध में आवश्यक सूचना भेजने के लिए दि० 7-8-85 को अनुरोध किया गया था।
9.	शिमला	राज्य सरकार द्वारा बताया नहीं गया।	सड़क निर्माण	राज्य सरकार से सम्बन्धित प्रस्ताव के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना भेजने के लिए दि० 17-12-84 को अनुरोध किया गया था, दि० 18-6-85 तथा 18-7-85 को अनुस्मारक भेजे गए थे। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
10.	हमीरपुर	3.02 हैक्टे०	चबूतरा-अमरोह मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश सरकार से दिनांक-13-9-85 को कुछ

1	2	3	4	5
				आवश्यक सूचना भेजने का अनुरोध किया गया था। अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
11.	मण्डी	105.46 हैक्टे०	सड़क निर्माण	हिमाचल प्रदेश सरकार से दिनांक 18-6-85 को कुछ आवश्यक सूचना भेजने का अनुरोध किया गया था। अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
			1985	
1.	हमीरपुर	1.5 हैक्टे०	सड़क निर्माण	अस्वीकृत। राज्य सरकार को दिनांक 23-3-85 को निर्णय सूचित किया गया था।
2.	मण्डी	4 बीघा	सड़क निर्माण	स्वीकृत। हिमाचल प्रदेश सरकार को दिनांक 5-8-85 को निर्णय के संबंध में सूचित किया गया था।
3.	शिमला	0.10 हैक्टे०	सड़क निर्माण	राज्य सरकार को प्रस्ताव दिनांक 5-8-85 को कुछ आवश्यक सूचना भेजने के अनुरोध के साथ वापस किया गया था। प्रस्ताव अभी तक वापस नहीं आया है।
4.	शिमला	3.36 हैक्टे०	सड़क निर्माण	राज्य सरकार का प्रस्ताव दिनांक 5-8-85 को मुख्य वन संरक्षक के हस्ताक्षर तथा मामले में कुछ अन्य विवरण हेतु वापस किया गया था वह अभी तक

1	2	3	4	5
				वापस नहीं मिला।
5.	कांगड़ा	25.91 हैक्टे०	सड़क निर्माण	राज्य सरकार का प्रस्ताव दिनांक 15-10-85 को कुछ विवरण भेजने के अनुरोध के साथ वापस किया गया था। दिनांक 23-1-86 को अनुस्मारक भेजा गया। अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
6.	कुलु	राज्य सरकार के द्वारा नहीं बताया गया।	जलमार्ग	प्रस्ताव दिनांक 13-8-85 को रेखाचित्री नक्शा तथा प्रस्ताव से संबंधित अन्य आवश्यक विवरण भेजने के प्रस्ताव के साथ वापस किया गया था। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
7.	किन्नौर	4.97,18 हैक्टे०	सड़क निर्माण	प्रस्ताव राज्य सरकार को उससे संबंधित कुछ आवश्यक विवरण भेजने के अनुरोध के साथ दिनांक 3-9-85 को वापस भेजा गया था। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
8.	कुलु	12.63 हैक्टे०	पहुंचमार्ग निर्माण	राज्य सरकार से दिनांक 11-9-85 को प्रस्ताव को उससे संबंधित सूचना भेजने का अनुरोध किया गया था। अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
9.	राज्य सरकार के द्वारा नहीं बताया गया	राज्य सरकार के द्वारा नहीं बताया गया	मटियाना बारागांव मार्ग निर्माण	दिनांक 30-9-85 को प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में तथा रेखाचित्री नक्शे के साथ राज्य सरकार को वापस किया गया।

1	3	3	4	5
				अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
10.	किन्नौर	53.94 हैक्टे०	नत्था-झाकरी एच० इ०पी० निर्माण	प्रस्ताव पर सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 7-2-86 की बैठक में विचार किया गया तथा उस पर और आगे विचार किया जा रहा है।
			1986	
1।	शिमला	सरकार द्वारा नहीं बताया गया	छालिया-घूण्ड मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश सरकार को दिनांक 13-2-1986 को प्रस्ताव से संबंधित कुछ आवश्यक सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है। उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

पड़ोसी राज्यों से दिल्ली पुलिस की भर्ती

508. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान पड़ोसी राज्यों में दिल्ली पुलिस और दिल्ली सशस्त्र पुलिस की भर्ती की गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों के नाम क्या हैं और इन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य से कितने जवान भर्ती किए गए;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु हिमाचल प्रदेश को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है और यह भर्ती करने हेतु कुछ केन्द्र चुने गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो हिमाचल प्रदेश को इस भर्ती क्षेत्र में सम्मिलित न करने के क्या कारण हैं ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी, हां श्रीमान्।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) 1986 के दौरान हिमाचल प्रदेश से कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में भर्ती दलों को भेजने की तारीखों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

1-1-81 से 31-12-85 तक राज्यवार जवानों की भर्ती का ब्यौरा

क्र० सं०	वर्ष	राज्य	नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवारों की संख्या
1	2	3	4
1.	1981	राजस्थान	8
2.	1982	-तदैव-	371
3.	-तदैव-	मध्य प्रदेश	125
4.	-तदैव-	उत्तर प्रदेश	621
5.	-तदैव-	केरल	264
6.	-तदैव-	महाराष्ट्र	134
7.	1983	राजस्थान	17
8.	-तदैव-	उत्तर प्रदेश	2
9.	-तदैव-	हरियाणा	17
10.	-तदैव-	बिहार	14
11.	-तदैव-	महाराष्ट्र	15
12.	1984	हिमाचल प्रदेश	16
13.	1985	बिहार	61
14.	-तदैव-	मध्य प्रदेश	9

1	2	3	4
15.	1985	राजस्थान	56
16.	-तदैव-	कर्नाटक	89
17.	-तदैव-	आन्ध्र प्रदेश	21
18.	-तदैव-	केरल	643

सेन्ट्रल मेकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दुर्गापुर की सहयोगी परियोजनाएं

509. श्री पीयूष तिरकी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल मेकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, दुर्गापुर की वर्ष 1982 और 1980 की भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, रांची (सेल) के साथ सहयोगी परियोजना संख्या 468,52,04 तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील, जमशेदपुर के साथ सहयोगी परियोजना संख्या 421 एम० डी० 42 पूरी हो गई थी अथवा समाप्त कर दी गई; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें समाप्त करने के क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) दोनों परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकीं थीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय मशीन इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर की अनुसंधान परियोजनाएं

510. श्री पीयूष तिरकी : *क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की केन्द्रीय मशीन इंजीनियरिंग संस्थान, दुर्गापुर जैसी कुछ राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं राष्ट्रीय हित में अनुसंधान करने के लक्ष्य पूरा करती हैं;

(ख) क्या वे गत तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार के प्रौद्योगिकी नीति संबंधी वक्तव्य के अनुसार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान परियोजनाएं चला रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान शुरू की गई सभी परियोजनाओं की तकनीकी और आर्थिक सक्षमता सहित ब्यौरा और कितनी मुल्तवी रखी गई/स्थगित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक के मुल्तवी रखने या स्थगित करने के क्या कारण थे; और

(घ) क्या वे परियोजनाएं सरकारी धन से व्यावसायिक उन्नयन के लिए शुरू की गई थीं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में अनुसंधान पयोजनाओं को चयन करने का सामान्य तरीका उनका उस हद तक मूल्यांकन करना है जिससे सरकार के प्रौद्योगिकी नीति संबंधी वक्तव्य के उद्देश्यों को पूरा करने में उनसे आशा की जाती है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सी० एम० ई० आर० आई० द्वारा प्रारम्भ की गई मुल्तवी रखी गई। स्थगित की गई परियोजनाओं की सूचियां संलग्न हैं। समस्त अनुसंधान परियोजनाएं विभिन्न तथ्यों यथा तकनीकी और आर्थिक सक्षमता आदि को ध्यान में रखकर शुरू की जाती हैं। मुल्तवी की गई/स्थगित की गई परियोजनाओं पर भी यही विचार लागू होता है।

(घ) जी, नहीं।

विवरण

वर्ष 1983-84 में सी० एम० ई० आर० आई०, दुर्गापुर में शुरू की गई परियोजनाओं की सूची

1. शीत संग्रहागार की कार्यनिष्पादनता को प्रभावित करने वाले तत्वों की खोज
2. वृहत् आयतनी जीवद्रव्य (प्लैजमा) पद्धति का विकास।
3. पाइप लाइनों से होकर मोमीय कच्चे तेल के प्रवाह को बढ़ा देने वाली सम्भावनाओं का अध्ययन।
4. विद्युत संयंत्र उपस्कर की दशा मानिटरिंग।
5. ट्रैक्टर द्वारा संचालित फसल कर्तक (रीपर) का डिजाइन तथा विकास।
6. सूक्ष्म द्रवचालित टरबाइन संयंत्र की डिजाइन तथा विकास।
7. कोयले का तरलित संस्तर गैसीकरण।

8. भारतीय नौसेना के लिए किए गए 1089 गज के सर्वेक्षण यान के रडर स्टाक पर रडर बल/बल आघूर्ण मापन।

9. घ्रान प्रतिरोपक की डिजाइन व विकास।

10. तीव्रचालित तकुआ (स्पिंडल) की डिजाइन तथा विकास।

11. शीत दबाव से बनी हुई बेल्डन मशीन का विकास व प्रक्रिया।

12. ग्रामीण शिल्पकारों के लिए मछली पकड़ने के हुकों की निर्माण प्रक्रियाओं का मानकीकरण।

वर्ष 1983-84 में सी० एम० ई० आर० आई०, दुर्गापुर में स्थगित की गई परियोजनाओं की सूची

1. खुले जाल संरचना पर कम्पन अध्ययन।

2. एक सूक्ष्म संसाधित प्रयोगशाला (माइक्रो-प्रोसेसर लेबोरेटरी) की स्थापना।

3. दस (10) इन्जन प्रयोगशालाओं की स्थापना।

4. कृषि सम्बन्धी व्यर्थ पदार्थों का उपयोग।

5. फिन तथा प्लेट ट्यूब टाइप के सूक्ष्म उष्मा विनिमयक का मोनोग्राफ।

वर्ष 1984-85 में सी० एम० ई० आर० आई०, दुर्गापुर में शुरू की गई परियोजनाओं की सूची

1. कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए (1) मशीन संरचना के लिए एपॉक्सी कान्क्रीट (2) मशीन फाउन्डेशन के लिए एपॉक्सी मोर्टर।

2. गहरे कुएं के हैण्ड पम्प मार्क 2 के साथ प्रयोग करने के लिए सिलन्डर वाल्व असेम्बली के विकास में सुधार।

3. इंजीनियरिंग संयंत्रों के अधिकतम उपयोग व विश्वसनीयता पर अध्ययन।

4. पग मिल के हवा निष्कासन की डिजाइन तथा विकास।

5. फेब्रिक धुलाई मशीन का विकास।

6. नारियल जटा ब्रिकेटिंग के लिए मशीन का डिजाइन तथा विकास।

7. नारियल सैल के लिए दाब सहित चक्की का डिजाइन तथा विकास।

8. बैटरी परीक्षण के लिए कम्पन परीक्षण रिग का विकास।

9. शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए पहिए वाली कुर्सी का विकास।

10. धूल निष्कर्षक संयंत्र का डिजाइन तथा विकास।

11. शहर कूड़ा आरभिक संयंत्र के मैकेनिकल संचालन तथा प्रोसेसिंग का डिजाईन तथा विकास।

12. सैटर प्रोसेसिंग मशीनरी का डिजाइन तथा विकास।

13. मशीन औजारों की मौडूलर संरचना।

वर्ष 1985-86 में सी० एम० ई० आर० आई०, दुर्गापुर में शुरू की गई परियोजनाओं की सूची

1. ग्रामीण कारीगरों द्वारा मछली पकड़ने के कांटों का निर्माण करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी।

2. कृषि संबंधी मशीनरी का विकास और डिजाइन।

3. औद्योगिक मशीनरी का विकास।

4. ऊष्मा विनिमयक (हीट एक्सचेंजर) और निम्नतापी उपकरणों का विकास और डिजाइन।

5. खतरनाक परिस्थितियों में रोबोटिक्स प्रयोग के लिए सोफ्टवेयर/हार्डवेयर का विकास।

टी० वी० सेटों की लागत में वृद्धि

511. श्री सोमनाथ रथ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर लेवी के कारण टेलीवीजन सैटों की लागत में वृद्धि होगी; और

(ख) यदि हां, तो बढ़े हुए करों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रौनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) आज की तारीख के अनुसार, दूरदर्शन सेटों पर लगने वाले करों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिससे दूरदर्शन सेटों के मूल्यों में वृद्धि हो जाए।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

अफ्रीकी देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध

512. **श्री ई० अय्यपू रड्डी** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय मूल के लगभग कितने लोग अफ्रीका महाद्वीप में (देशवार) बस गए हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन देशों में बसे भारतीयों के साथ सांस्कृतिक संबंध सुदृढ़ बनाने के लिए वहां सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डल भेजने का है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) उप-सहारा अफ्रीकी महाद्वीप में बसे भारतीय मूल के लोगों की देश-वार संख्या नीचे लिखे अनुसार है—

देश	भारतीय मूल के लोगों की संख्या
1	2
1. अंगोला	10
2. बेनिन	250
3. बुरूंडी	250
4. बोत्सवाना	1200
5. केप वरडे	—
6. केमरून	150
7. छाद	25
8. मध्य अफ्रीकी गणराज्य	6
9. कांगो	15
10. कोमोरेस	40
11. इथियोपिया	2900
12. इक्वाटोरियल गिनी	10
13. गेम्बिया	93

1	2
14. घना	1189
15. गिनी बिसाऊ	1
16. गेबोन	10
17. गिनी	2
18. आइवरी कोस्ट	144
19. कीनिया	70,000
20. लाइबेरिया	3,066
21. लेसोथो	600
22. मेडागास्कर	21,500
23. माली	11
24. मारीशस	6,85,296
25. मोजाम्बिक	5,000
26. मलावी	5,000
27. नाइजीरिया	14,000
28. नाइजर	23
29. रुआंडा	300
30. सेशेल्स	5,130
31. सियारा लिओन	500
32. सेनेगल	31
33. स्वाजी लैंड	100
34. दक्षिण अफ्रीका	8,50,000
35. तंजानिया	40,000
36. टागो	85
37. बरकीनो फासो	56

1	2
38. युगांडा	1,200
39. जंजीबार	3,050
40. जिम्बाबवे	1,55,000
41. जाईर	2,600
42. जाम्बिया	25,000

(ख) भारत से सांस्कृतिक शिष्टमण्डल निरन्तर अफ्रीका के विभिन्न देशों की यात्रा पर जाते रहते हैं और इस आशय के प्रस्तावों पर सरकार नियमित रूप से विचार करती रहती है।

हांगकांग में भारतीय व्यापार प्रतिनिधि

513. श्री ई० अय्यपू रेड्डी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हांगकांग में भारतीय मूल के लगभग कितने लोग बसे हुए हैं; और

(ख) क्या हांगकांग और आस-पास के अन्य देशों के साथ भारतीयों के व्यापार और वाणिज्य संबंधी कार्य को देखने के लिए हांगकांग में भारत सरकार का कोई प्रतिनिधि है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) हांगकांग में भारतीय मूल के लगभग 20,000 लोग हैं।

(ख) हांगकांग में स्थित भारत का कमीशन वहां भारत सरकार सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। यह कार्यालय भारत के कमिश्नर की अध्यक्षता में कार्य करता है जो कि अन्य बातों के साथ-साथ हांगकांग से हमारे वाणिज्यिक हितों की भी देखभाल करता है।

उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों के बदले हस्तशिल्प केन्द्रों के उत्पादों का संरक्षण

514. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समाज कल्याण कार्य में लगे स्वयंसेवी संगठनों की अनुदान राशि में वृद्धि करने का है;

(ख) क्या किसी भी राज्य समाज कल्याण बोर्ड ने यह शिकायत की है कि उनके द्वारा आयोजित किए जाने वाले हस्तशिल्प केन्द्र, सिलाई केन्द्र आदि जैसे रोजगार देने वाले कल्याण कार्यों को उच्च प्रौद्योगिकी वाले उत्पादों से खतरा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार रोजगार देने वाली प्रौद्योगिकी को जरूरत-मन्द महिलाओं तथा अन्य कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की सहायता करती है, के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) इसे उपलब्ध संसाधनों के भीतर ही किया जाता है।

(ख) ऐसी कोई शिकायत नोटिस में नहीं आई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विकलांगों के कल्याण के लिए संस्थाएं

515. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गूंगे तथा बहरे और मंदबुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी सहायता प्राप्त अथवा सरकार द्वारा संचालित पृथक-पृथक कल्याण संगठन हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उनमें पर्याप्त स्थान हैं; और

(ग) यदि नहीं तो सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए कल्याण संस्था की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) बधिरों तथा मूकों और मन्द बुद्धि व्यक्तियों के लिए काफी संस्थाएं हैं जिनका प्रबन्ध स्वयंसेवी संगठन और राज्य सरकारें करती हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों के अतिरिक्त भारत सरकार विकलांग व्यक्तियों के लिए और अधिक संस्थाएं स्थापित करने हेतु स्वयंसेवी संगठनों को सक्रिय रूप से सहायता कर रही है। सरकार भवन निर्माण करने, कर्मचारियों का खर्च पूरा करने, स्कूलों और होस्टलों आदि के रख-रखाव के लिए सहायक अनुदान प्रदान करती है।

इंडियन रेअर अर्थ लिमिटेड में कार्य कर रहे कर्मचारियों की विकिरण प्रभावों से सुरक्षा

516. श्री बनवारी लाल पुरोहित
श्रीमती गीता मुखर्जी } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विकिरणों के अपावरण के कारण इंडियन रेअर अर्थ लिमिटेड के परमाणु ऊर्जा विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारी कैन्सर, हृदय रोग और समय से पूर्व बृद्ध होने आदि रोगों से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में व्यावसायिक स्वस्थ्य तथा पर्यावरणात्मक अध्ययन सम्बन्धी मंच द्वारा किया गया अध्ययन कहां तक सही है; और

(ग) इंडियन रेअर अर्थ लिमिटेड में कार्य कर रहे कर्मचारियों को ऐसी भयानक बीमारियों से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या रक्षोपाय किए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रौनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): (क) से (ग) सरकार ने इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, आल्वे में व्यवसाय से स्वास्थ्य के लिए उत्पन्न हो सकने वाले खतरों के बारे में केरल शास्त्र साहित्य परिषद त्रिचूर की अध्ययन रिपोर्ट देखी है। तथापि सरकार द्वारा की गई जांच से यह बात सामने आई है कि इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के कर्मचारियों को उनके कार्य सम्बन्धी पर्यावरण के परिणामस्वरूप कैंसर, हृदय रोग आदि जैसे रोग नहीं हुए हैं। ऐसा लगता है कि परिषद द्वारा किया गया अध्ययन अयथार्थ और अधूरी सूचना पर आधारित है। इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के कर्मचारियों की स्वास्थ्य परिक्षा वर्ष में एक बार की जाती है। कम्पनी यह सुनिश्चित रखती है कि कर्मचारियों पर पड़ने वाले विकिरण के प्रभाव की सीमा परमाणु ऊर्जा विभाग की सुरक्षा समीक्षा समिति द्वारा विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक न होने पाए। यह समिति विकिरण की सीमाओं का निर्धारण अन्तर्राष्ट्रीय विकिरण बचाव समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार करती है।

"सीमेंट संयंत्रों से धूल उड़ना और शोर पैदा होना"

517. **श्री बनवारी लाल पुरोहित**
श्री जगन्नाथ पटनायक } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सीमेंट संयंत्रों की प्रदूषण-समस्याओं का विस्तृत अध्ययन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार सीमेंट संयंत्रों से धूल उड़ने और शोर पैदा होने को कम करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) देश में सीमेंट संयंत्रों की प्रदूषण समस्या के आधार पर (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत उत्सर्जन मानकों का निर्धारण किया गया है। विभिन्न इकाइयों से होने वाले प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए तथा मानकों के अनुपालन हेतु समय-तालिका बनाने के लिए एक कृतिक बल

का गठन किया गया है। शोरगुल में कमी करने के लिए फैक्ट्री अधिनियम एवं नागरिक कानून की व्यवस्थाओं के तहत उपाय किए जा रहे हैं।

"सामाजिक वानिकी कार्यक्रम"

518. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत क्षेत्र को बढ़ाने के बारे में एक वृहद योजना तैयार की है और उसे सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त योजना अवधि में उड़ीसा और अन्य राज्यों के कितने अतिरिक्त क्षेत्रों को सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाएगा; और

(ग) उक्त योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1985-86 के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वनरोपण के लक्ष्यों को बताने वाला विवरण संलग्न है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उदिष्ट राशि के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं तथा सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

विवरण

वर्ष 1985-86 के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य

क्र० सं०	राज्य का नाम/ संघ राज्य क्षेत्र	वनरोपण लगाई जानी पौध (संख्या लाखों में)	सामाजिक वानिकी (क्षेत्रफल हेक्टेयर में)	फार्म वन (संख्या लाखों में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2600	30000	1200
2.	आसाम	400	12000	120

1	2	3	4	5
3.	बिहार	1500	26000	400
4.	गुजरात	2550	35000	2000
5.	हरियाणा	950	18350	450
6.	हिमाचल प्रदेश	550	17000	100
7.	जम्मू एवं काश्मीर	350	13350	133
8.	कर्नाटक	2500	28000	1400
9.	केरल	600	3000	500
10.	मध्य प्रदेश	3500	60000	800
11.	महाराष्ट्र	2000	60000	1000
12.	मनीपुर	120	2300	15
13.	मेघालय	130	3000	20
14.	नागालैंड	180	6000	40
15.	उड़ीसा	2142	17000	200
16.	पंजाब	527	20125	300
17.	राजस्थान	820	40000	450
18.	सिक्किम	82	2000	55
19.	तमिलनाडू	1100	40000	270
20.	त्रिपुरा	150	3300	7
21.	उत्तर प्रदेश	3250	53325	2400
22.	पश्चिम बंगाल	1100	19600	750
संघ राज्य क्षेत्र				
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	95	380	3
24.	अरुणाचल प्रदेश	100	2500	5

1	2	3	4	5
25.	चण्डीगढ़	2.90	60	2
26.	दादर और नागर हवेली	30	300	5
27.	दिल्ली	25	500	4
28.	गोवा, दमन व दीव	32	310	10
29.	मिजोरम	700	66400	8
30.	पांडिचेरी	10	200	3
31.	लक्षद्वीप	0.04	—	—
		28095.94	520000	12600

पाकिस्तान से भारतीय असैनिक बन्दियों और लापता रक्षा कार्मिकों का प्रत्यावर्तन

519. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 से पाकिस्तान में भारत के कितने असैनिक बन्दी और रक्षा कर्मी लापता हैं;

(ख) क्या पाकिस्तान सरकार के साथ उनके प्रत्यावर्तन के संबंध में कोई विचार-विमर्श किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) लगभग 850 भारतीय 1971 से लापता हैं जिनमें 43 रक्षा कार्मिक भी शामिल हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) 20-2-86 को 63 नागरिक बंदी भारत प्रत्यावर्तित किए गए हैं। अन्य जिन नागरिक बंदियों ने अपनी सजा की मियाद पूरी कर ली है, 31 मार्च, 1986 तक प्रत्यावर्तित किए जाएंगे जैसी कि जनवरी, 1986 में विदेश सचिव के पाकिस्तान के दौरे के समय सहमति हुई।

लापता रक्षा कार्मिकों के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार इस बात पर सहमत हो गई है कि 1971 से लापता भारतीय रक्षा कार्मिकों के ढूंढने के लिए मानवीय दृष्टिकोण से संयुक्त प्रयास किए जाएंगे।

भ्रष्टाचार के बारे में सन्थानम समिति की सिफारिशें

520. **श्री बी० वी० देसाई**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संथानम समिति की रिपोर्ट की यह पता लगाने के लिए फिर से जांच की जा रही है कि इससे सरकार को दोष-सिद्धि के मामले में तेजी लाने में किस प्रकार सहायता मिल सकती है; और

(ख) यदि हां, तो संथानम समिति की कितनी सिफारिशों को पूर्णतः लागू किया गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) सन्थानम समिति की अधिकांश सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकृत तथा लागू कर दिया गया है। अत: समिति की रिपोर्ट की पुन: जांच किए जाने का कोई आधार नहीं है।

[हिन्दी]

बिहार के लिए नई औद्योगिक योजनाएं

521. **प्रो० चन्द्र भानु देवी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए वर्तमान औद्योगिक एककों के विस्तार सहित प्रस्तुत नई औद्योगिक योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं अथवा उनका क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) सातवीं योजना अवधि में नई औद्योगिक स्कीमों और मौजूदा इकाइयों, दोनों ही के विस्तार के निमित्त योजना आयोग को प्रस्तुत सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में, बिहार राज्य सरकार ने बड़े और मंझोले उद्योगों के लिए 149 करोड़ रुपये और ग्राम तथा लघु उद्योग के लिए 86.50 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया है। योजना आयोग में इन प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया और संसाधनों की उपलब्धता तथा विभिन्न क्षेत्रकों के लिए पारस्परिक प्राथमिकता पर विचार करते हुए, सातवीं योजना अवधि में बड़े और मंझोले उद्योगों के लिए 90 करोड़ रुपये और ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए 70 करोड़ रुपये के परिव्यय की सहमति दी गई।

बड़े और मंझोले उद्योगों तथा ग्राम और लघु उद्योगों दोनों ही के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित राज्यवार परिव्यय तथा सहमत परिव्ययों का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

बिहार सरकार औद्योगिक स्कीमों के लिए सातवीं योजना के परिव्यय

(लाख रुपये)

क्र० सं०	औद्योगिक स्कीम/परि-योजना के नाम	7वीं योजना (1985 90) के परिव्यय राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित	7वीं योजना (1985 90) के परिव्यय योजना आयोग द्वारा सहमत
1	2	3	4
क.	बड़े और मझोले उद्योग		
(i)	विद्यमान स्कीमें		
1.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम	1825.00	1150.00
2.	बिहार राज्य ऋण और निवेश निगम	1600.00	850.00
3.	बिहार राज्य वस्त्र उद्योग निगम	1075.00	750.00
4.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	1200.00	1000.00
5.	बिहार राज्य रसायन निगम	1030.00	870.00
6.	बिहार राज्य चीनी निगम	2700.00	1200.00
7.	बिहार राज्य इलैक्ट्रानिक्स विकास निगम	430.00	400.00
8.	बिजली राजसहायता	355.00	250.00
9.	जनरेटिंग सेट राजसहायता	150.00	150.00
10.	बिक्री कर से छूट के स्थान पर ब्याज-मुक्त ऋण	500.00	360.00
11.	साध्यता रिपोर्ट राजसहायता	120.00	100.00

1	2	3	4
12.	पूंजी सहायता	200.00	1000.00
13.	औद्योगिक क्षेत्र/एस्टेट	800.00	250.00
14.	विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	45.00	25.00
15.	अनुसंधान और विकास	150.00	100.00
16.	किस्म अंकन (क्वालिटी मार्किंग)	50.00	25.00
17.	घरेलू विद्युत उपकरणों का परीक्षण	10.00	5.00
18.	भारतीय मानक संस्थान का चिन्ह	15.00	10.00
19.	न्यास बैंक	25.00	25.00
20.	रुग्ण मिलों की पुनर्स्थापना	500.00	50.00
(ii)	नई स्कीमें		
1.	चमड़ा तथा हड्डी-आधारित उद्योगों के लिए पायलट संयंत्र	60.00	60.00
2.	इलैक्ट्रानिक्स सिटी	200.00	150.00
3.	फिल्म विकास निगम	105.00	50.00
4.	रसायन शहर	70.00	70.00
5.	ई० टी० डी० सी० केन्द्र	125.00	60.00
6.	डी० टी० डी० का सुदृढ़ीकरण	15.00	15.00
7.	इलैक्ट्रानिक्स उद्योगों के लिए जनशक्ति आयोजन	45.00	25.00

1	2	3	4
8.	माल-भाड़ा परिवहन राज सहायता	200.00	—
	जोड़ :	14900.00	9000.00
ख. ग्राम और लघु उद्योग			
1.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम	300.00	255.00
2.	बिहार राज्य चमड़ा उद्योग विकास निगम	515.00	400.00
3.	बिहार राज्य निर्यात निगम	150.00	105.00
4.	बिजली राज सहायता	400.00	300.00
5.	आदिवासी जनजातीय संघटक योजना केन्द्र	40.00	20.00
6.	जिला उद्योग केन्द्र (बीज मुद्रा)	1200.00	400.00
7.	बिक्री कर से छूट के स्थान पर ब्याज मुक्त ऋण	400.00	400.00
8.	परीक्षण प्रयोगशाला	55.00	4[illegible].00
9.	जनरेटिंग सेटों के लिए राज सहायता	200.00	200.00
10.	प्रकाशन/सेमिनार/प्रदर्शनी	30.00	15.00
11.	आयोजना तथा प्रबोधन एकक	30.00	15.00
12.	सहकारी विभाग (औद्योगिक सहकारिता)	50.00	40.00
13.	सम्भाव्यता रिपोर्ट राज सहायता	50.00	30.00

1	2	3	4
14.	पूंजी राज सहायता	1000.00	980.00
15.	माल-भाड़ा परिवहन सहायता	100.00	—
16.	ग्राम उद्योग प्रौद्योगिकी	95.00	30.00
17.	ई० डी० पी० केन्द्र	50.00	25.00
18.	औद्योगिक क्षेत्र/एस्टेट	500.00	400.00
19.	बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड को अनुदान	530.00	530.00
20.	बिहार राज्य हथकरघा तथा हस्तशिल्प निगम	225.00	225.00
21.	हथकरघा (सामान्य)	400.00	400.00
22.	हथकरघा (सहकारी)	800.00	800.00
23.	हस्तशिल्प	330.00	200.00
24.	रेशम कीट पालन	1200.00	1185.00
	जोड़ :	8650.00	7000.00

अनुसंधान के लिए विषयों का चयन

522. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वैज्ञानिक एक विशिष्ट क्षेत्र पर अपना ध्यान केन्द्रित करने के बजाये विशाल पैमाने पर विभिन्न विषयों पर अनुसंधान करते हैं, जिसके परिणाम बहुत नगण्य निकलते हैं और सारी शक्ति तथा संसाधन घटते जाते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों ने पी० एच० डी० की उपाधि प्राप्त की है, परन्तु उन्होंने उतनी प्रगति नहीं की है, जितनी अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार का विचार कोई उपचारात्मक कदम उठाने का है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत जैसे विशाल देश में विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए यह आवश्यक है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्षमताओं का भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विकास किया जाये। एक बड़े वैज्ञानिक समुदाय के लिए अनुसंधान के अनेक क्षेत्र चुनौतीपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं, जिन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विभिन्न घटनाओं को समाहृत और आत्मसात करने के लिए अपेक्षित नवीन दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के चुनिन्दा क्षेत्रों में "थ्रस्ट" क्षेत्रों का पता लगाने के लिए सचेतन प्रयास किये हैं और इनका सम्वर्द्धन ध्यानपूर्वक चुने गए समयबद्ध अनुसंधान कार्यक्रमों के जरिये किया गया है। इनमें से बहुत से क्षेत्रों में, भारतीय वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण योगदान किये हैं। अनुसंधान और विकास के लिए किये जाने वाले प्रयास प्रायः अन्वेषणात्मक किस्म के होते हैं और ध्यानपूर्वक चुने गए कार्यक्रमों के फलस्वरूप विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अक्सर महत्वपूर्ण योगदान हो सकते हैं, हालांकि अनुसंधान कार्यक्रम प्रारम्भ करते समय यह बात हमेशा सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

(ख) युवा अनुसंधान वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अनुसंधान प्रयासों के फलस्वरूप कुछ नवीन योगदान किए जाने के पश्चात् ही पी० एच० डी० की उपाधियां दी जाती हैं। भारत में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाएं पी० एच० डी० की उपाधि के लिए विद्यार्थियों को पंजीकरण करती हैं और वर्ष 1980-81 के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में डाक्टर की 3,793 उपाधियां प्रदान की गईं। देश में विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित भारी वैज्ञानिक जनशक्ति की तुलना में उपाधियों की यह संख्या कोई अधिक नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत में उपलब्ध अवसंरचना विकसित देशों में उपलब्ध अवसंरचना की बराबरी नहीं कर सकती है, विकसित देशों में विशेषज्ञता के स्तर जैसा स्तर सुनिश्चित करना हमेशा सम्भव नहीं हो सकता। फिर भी, पी० एच० डी० की उपाधि प्राप्त भारतीय वैज्ञानिकों ने कृषि, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष इत्यादि जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय कार्यक्रमों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है।

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास जारी रखेगी। अनुसंधान क्षेत्रों के चुनाव में आवश्यकता के अनुसार चयन करने के लिए सचेतन प्रयान किए जाएंगे। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्य सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट मिशन शुरू किए जाएंगे, जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बड़े कार्यक्रम होंगे, ताकि समयबद्ध परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

[अनुवाद]

लम्बित परियोजनाएं

523. श्री मूल चन्द डागा : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

50 करोड़ रुपये से अधिक लागत की कितनी परियोजनाएं पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित पड़ी हैं और संबंधित मंत्रालयों के क्या-क्या नाम हैं ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : 50 करोड़ रुपये से अधिक मूल अनुमोदित लागत वाली कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं की मंत्रालयवार संख्या, जिनका इस मंत्रालय द्वारा प्रबोधन किया जा रहा है और जिनके सम्बन्ध में 5 वर्ष से अधिक विलम्ब हुआ है, संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

50 करोड़ रुपये और उससे ऊपर की मूल अनुमोदित लागत वाली परियोजनाओं की सूची, जिनके सम्बन्ध में 5 वर्ष से अधिक विलम्ब हुआ है

	मंत्रालय का नाम	परियोजनाओं की संख्या
1.	उर्वरक विभाग	1
2.	विद्युत विभाग	1
3.	उद्योग मंत्रालय (सरकारी उद्यम विभाग)	2
4.	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1
5.	इस्पात और खान मंत्रालय	3
6.	परमाणु ऊर्जा	1
7.	परिवहन मंत्रालय	1

होटलों और बहुमंजिले भवनों में अग्निरोधी पूर्वोपाय

524. प्रो० के० के० तिवारी
श्री सनत कुमार मंडल
श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन

: क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सिद्धार्थ कान्टीनेंटल होटल में हाल ही में आग लगने की घटना को देखते हुए इस बात की जांच करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं कि दिल्ली में ऐसे होटलों, बड़े व्यापारिक भवनों और बहुमंजिली इमारतों में नियमानुसार अग्निरोधी पर्याप्त पूर्वोपाय किए जा रहे हैं; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कोई मुकदमें चलाए गए हैं ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा गठित की गई अग्नि शमन सलाहकार समिति को सभी बहुमंजिले भवनों, बड़े व्यावसायिक परिसरों और होटलों में किए गए अग्नि निवारक पूर्वोपायों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने की दृष्टि से उनका निरीक्षण करने के अनुदेश दिए गए हैं।

(ख) अद्यतन रिपोर्टें प्राप्त होने पर कानून के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

पामे आयोग की सिफारिशें

525. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने परमाणु मुक्त क्षेत्र और परमाणु प्रसार रोक संधि के सम्बन्ध में पामे आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) नाभिकीय मुक्त क्षेत्रों और परमाणु अस्त्रों के फैलाव को रोकने से सम्बन्धित संधि पर हमारी स्थिति सुविदित है और इस सदन में कई बार बताई जा चुकी है। पामे आयोग की सिफारिशों के बावजूद सरकार अपनी बुनियादी स्थिति में परिवर्तन करने का कोई कारण नहीं समझती।

[हिन्दी]

ब्रिटेन में उग्रवादियों की भारत विरोधी गतिविधियां

526. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत
श्री बी० तुलसी राम } : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अपने राजनयिक के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को कुख्यात उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करने और उन्हें भारत सरकार को सौंपने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो इस पर ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या उनकी हाल की लन्दन यात्रा के दौरान इस विषय पर कोई बात-चीत हुई थी;

(ग) क्या ब्रिटिश सरकार को ब्रिटेन में रहने वाले इन उग्रवादियों से भारत को होने वाले नुकसान से अवगत करा दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका भारत-ब्रिटेन संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) जी हां। हम लगातार ऐसा करते रहे हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) यूनाइटेड किंगडम के प्राधिकारियों के रवैये से हमारे द्विपक्षीय संबंधों के विकास में सहयोग नहीं मिला है।

असम समझौते की क्रियान्विति

527. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम समझौते की क्रियान्विति में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

(ख) समझौते के वे कौन से हिस्से हैं जिनकी क्रियान्विति के संबंध में अपेक्षित सन्तोषजनक प्रगति नहीं हुई है; और

(ग) उक्त समझौते की पूर्ण और निर्णायक क्रियान्विति कब तक की जाएगी ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

असम समझौते के कार्यान्वयन की प्रगति

खण्ड सं०	विषय	प्रगति
1	2	3
5.2	1967 के चुनावों में प्रयोग की गयी मतदाता सूचियों में जिनके नाम थे, उनके सहित 1-1-1986 से पहले असम में आये सभी व्यक्तियों को नियमित कर दिया जाएगा।	नागरिकता (संशोधन अधिनियम 1985, 7-12-85 से लागू हुआ। 1-1-66 से 24-3-71 के मध्य आए व्यक्तियों के विषय में इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के लिए नागरिकता (संशोधन) नियम 1986

1	2	3
		और विदेशी नागरिक आदेश (न्यायाधिकरण) का संशोधन 15-1-86 को अधिसूचित किया गया है।
5.3	विदेशी अधिनियम 1946 और विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश 1964 के उपबन्धों के अनुसार 1-1-1966 (इस तिथि सहित) और 24 मार्च 1971 के मध्य असम में आए विदेशियों का पता लगाया जाएगा।	राज्य सरकार से पता लगाने का कार्य तत्काल शुरू करने के लिए कहा गया है।
5.4	पता लगाए गए विदेशियों के नाम वर्तमान मतदाता सूचियों से हटा दिए जायेंगे। विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939 और विदेशियों का पंजीकरण नियम 1939 के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार के व्यक्तियों को अपने आपको संबंधित जिले के पंजीकरण अधिकारियों के पास पंजीकृत कराना होगा।	
5.5	इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार, सरकारी तंत्र को उचित रूप से मजबूत करेगी।	प्रत्येक जिले में एक-एक विशेष पंजीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के लिए कुछ आवश्यक कर्मचारियों सहित पुलिस अधीक्षक के स्तर के 18 पदों के सृजन और 18 जीपें खरीदने की स्वीकृति दी गयी है।
5.6	पता लगाने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर इस प्रकार के सभी व्यक्तियों के नाम जिनके नाम मतदाता सूचियों से हटा दिए गए हैं, बहाल कर दिए जाएंगे।	नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 1985 को लागू कर दिया गया है, जैसा कि ऊपर कहा गया है।
5.7	उन सभी व्यक्तियों को, जिन्हें पहले निष्कासित कर दिया गया था लेकिन पुनः अवैध रूप से प्रविष्ट हो गए हैं, निष्कासित कर दिया जाएगा।	यह एक सतत प्रक्रिया है और राज्य सरकार से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

1	2	3
5.8	जो व्यक्ति 25 मार्च, 1971 को या इसके बाद असम में आये थे, उनका पता लगाया जाना जारी रहेगा और कानून के अनुसार उनका नाम हटा दिया जायेगा और निष्कासित कर दिया जाएगा। इस प्रकार के विदेशियों को निष्कासित करने के लिए तुरन्त और व्यवहारिक उपाय किए जाएंगे।	यह भी एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकार से इसमें जल्दी करने के लिए कहा गया है।
5.9	अवैध आप्रवासी (न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण) अधिनियम, 1983 को कार्यान्वित करने के बारे में अखिल असम छात्र संघ/अखिल असम गण संग्राम परिषद द्वारा व्यक्त की गई कुछ कठिनाईयों पर सरकार उचित विचार करेगी।	राज्य सरकार के विचार प्राप्त किए गए हैं।
6.	असम के लोगों की संस्कृति, सामाजिक भाषाई, पहचान और परम्परा के संरक्षण, इसे बनाए रखने और विकास के लिए संवैधानिक विधायी और प्रशासनिक संरक्षण, जो भी उपयुक्त हो, उपलब्ध कराए जाएंगे।	केन्द्र सरकार के पास कोई सुझाव लम्बित नहीं हैं।
7.	सरकार इस अवसर पर, असम के त्वरित सर्वांगीण आर्थिक विकास के लिए अपने वायदे को दुहराती है ताकि लोगों के रहन सहन के स्तर को उठाया जाए, राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना के माध्यम से शिक्षा, और विज्ञान और तकनीकी पर विशेष बल दिया जाएगा।	योजना आयोग असम के त्वरित चौमुखी आर्थिक विकास पर उचित ध्यान दे रहा है। असम की सातवीं योजना का परिव्यय 2100 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि छठी योजना का परिणाम 1115 करोड़ रु० था। योजना को लगभग पूर्णतः 2065 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता दी जायेगी।
8.1	सरकार भविष्य में नागरिकता प्रमाण पत्रों को जारी करने की व्यवस्था केवल केन्द्र सरकार के प्राधिकारियों द्वारा कराएगी।	प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

1	2	3
8.2	भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्रों के अनियमित रूप से जारी करने के बारे में अखिल असम छात्र संघ/अखिल असम गण संग्राम परिषद द्वारा की जाने वाली विशिष्ट शिकायतों की जांच की जाएगी।	अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
9.1	वास्तविक अवरोधों जैसे दीवार, कंटीले तार लगाकर उपयुक्त स्थानों पर अन्य रुकावटें खड़ी करके भविष्य में घुसपैठ के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को सुरक्षित बनाया जाएगा। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ भूमि और नदी तटीय मार्गों पर सुरक्षा बल द्वारा गश्त को गहन किया जाएगा। सुरक्षा प्रबन्धों को और मजबूत करने, भविष्य में घुसपैठ को प्रभावकारी ढंग से रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में सीमा चौकियां स्थापित की जाएंगी।	सीमा पर सतर्कता को गहन करने के लिए कंटीले तारों की बाढ़ लगाने पार्श्विक सड़क का निर्माण और संबंद्ध उपायों को तीव्र करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
9.2	उपर्युक्त व्यवस्थाओं के अतिरिक्त सुरक्षा के विचारों की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ एक सड़क बनाई जाएगी।	सीमा सुरक्षा बल की सीमा बाह्य चौकियों और निरीक्षण बुर्जों को सुदृढ़ करने तथा उन्हें रात दिन गहन सतर्कता और गश्त के लिए
14 (घ)	नजरबन्दी के मामलों में यदि कोई हों, के साथ-साथ जघन्य अपराधों के दोषी व्यक्तियों के अलावा आन्दोलन के संबंध में अपराधिक मामलों के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मामलों की पुनरीक्षा।	राज्य सरकार के अनुसार आन्दोलन के सम्बन्ध में रा० सु० अ० के अन्तर्गत बन्दी बनाए गये सभी बन्दियों को छोड़ दिया गया है तथा लम्बित फौजदारी मुकदमों का पुनरीक्षण लगभग पूरा हो गया है।
14 (ङ)	निषेध आदेशों, लागू अधिसूचनाओं, यदि कोई हों, को वापस लेने पर विचार करना।	राज्य सरकार ने असम विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचना महत्वपूर्ण संस्थानों तथा असम नागालैंड सीमा क्षेत्र को छोड़कर वापस ले ली जाती है। जहां

1	2	3
		सम्भव है, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन निषेधाज्ञा आदेश वापस ले लिए गए हैं।
पैरा 3		
(क)	चुनाव आयोग को सही मतदाता सूचियां बनाने को सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।	चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों के मसौदे पर दावों तथा आपत्तियों को दायर करने के लिए 27 सितम्बर, 1985 तक 30 दिन का समय बढ़ाया था।
(ख)	दावों तथा आपत्तियों के निपटान के लिए समय को 30 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है बशर्ते कि यह चुनाव नियमों के अन्तर्गत हो।	मतदाता सूचियों को तैयार करने के कार्य के निरीक्षण के लिए असम में 10 केन्द्रीय पर्यवेक्षक तैनात किए गए। मतदाता सूचियां अन्तिम रूप से 7 नवम्बर, 1985 को प्रकाशित की गई तथा असम में 16-12-1985 को चुनाव हुए।
(ग)	चुनाव आयोग को केन्द्रीय पर्यवेक्षकों को भेजने का अनुरोध किया जाएगा। बलों द्वारा सुविधा-जनक रूप से गश्त लगाई जा सके। सड़क और सीमा के बीच की भूमि मानव आबादी से मुक्त रखी जाएगी, और जहां आवश्यक होगा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ नदी तटीय गश्त गहन की जाएगी। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने और पार करने के प्रयासों को रोकने के लिए सभी कारगर उपाय किए जायेंगे।	आवश्यक घुसपैठ विरोधी उपकरणों और वाहनों से सुसज्जित करने के लिए एक योजना भी बनाई गई है।
10.	यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आदिवासी क्षेत्रों और खंडों में सहकारी भूमि के अति-क्रमण को रोकने से सम्बन्धित कानूनों को सख्ती से लागू किय जाए और ऐसे कानूनों के अधीन निर्धारण के अनुसार अनधिकृत अति-क्रमण कर्ताओं को बेदखल किया जाएगा।	राज्य सरकार के अनुसार वर्तमान कानून पर्याप्त हैं और इन्हें सख्ती से लागू किया जायेगा।

1	2	3
11.	यह सुनिश्चित किया जाएगा कि असम में विदेशियों द्वारा अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण को प्रतिबन्धित करने वाले संबंधित कानून को सख्ती से लागू किया जाये।	राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कार्रवाई शुरू कर रही है।
12.	यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जन्म तथा मृत्यु के रजिस्टरों को विधिवत रखा जाएगा।	राज्य सरकार के अनुसार वर्तमान प्रबन्धों को सुचारू बनाने की दृष्टि से आयुक्तों (स्वास्थ्य) को कहा गया है। राज्य सरकार को, यदि आवश्यक हो आर० जी० आई० से सहायता देने की सलाह दी गई है।
13.	अखिल असम छात्र/अखिल असम गण संग्राम परिषद आन्दोलन समाप्त करे, पूर्ण सहयोग का आश्वासन दे और स्वयं को देश के विकास की ओर समर्पित करें।	आन्दोलन समाप्त कर दिया गया है।
14.	केन्द्रीय और राज्य सरकार ने सहमति व्यक्त की कि :—	
(क)	आन्दोलन के संदर्भ में कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों की सहानुभूतिपूर्वक समीक्षा करना और वापस लेना तथा सुनिश्चित करना की किसी को पीड़ित न किया जाए।	राज्य सरकार तथा केन्द्रीय मन्त्रालयों, विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुशासनात्मक मामलों के पुनरीक्षण का कार्य लगभग पूरा है।
14 (ख)	आन्दोलन के दौरान मारे गए व्यक्तियों के निकटतम सम्बन्धी को अनुग्रहपूर्वक अदायगी के लिए योजना बनाना।	राज्य सरकार के अनुसार आन्दोलन के दौरान मारे गये/खोये व्यक्तियों के लगभग सभी मामलों में उनके नजदीकी रिश्तेदार को 5000 रु० प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनुग्रहपूर्वक अदायगी की गई है और उप-आयुक्त को शेष किसी मामले का भुगतान करने के लिये प्राधिकृत किया गया है।
14 (ग)	असम में आन्दोलन के संदर्भ में लोक सेवाओं	(I) राज्य सरकार द्वारा 15-8-85

1	2	3
	में रोजगार के लिए उच्च आयु सीमा में छूट देने के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करना क्योंकि असाधारण स्थिति के कारण शैक्षिणिक तथा प्रतियोगी परीक्षाएं इत्यादि संचालित नहीं की जा सकीं।	से तीन वर्षों की अवधि के लिए 6 वर्ष की सामान्य छूट देने की घोषणा की गई है। (II) दिनांक 30 सितम्बर, 1985 को केन्द्रीय सरकार की सेवाओं के सम्बन्ध में इसी प्रकार के आदेश जारी किए गए हैं।
3(2)(क)	असम में तेल शोधक कारखाना स्थापित करना।	पैट्रोलियम मन्त्रालय मामले से अवगत है।
(ख)	केन्द्र सरकार निम्न को खोलने के लिए राज्य सरकार को पूर्ण सहायता देगी :—	
(I)	अशोक पेपर मिल	केन्द्रीय तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थानों के बीच अशोक पेपर मिल को पुनः खोलने के बारे में परामर्श चल रहा है।
(II)	पटसन मिल	बताया गया है कि मिल को राज्य सरकार ने आंशिक रूप से फिर खोल दिया है तथा केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार और वित्तीय संस्थानों के बीच आगे उठाए जाने वाले कदमों के बारे में परामर्श चल रहा है।
(ग)	असम में एक भारतीय तकनीकी संस्थान खोला जाएगा।	शिक्षा मन्त्रालय राज्य सरकार से परामर्श करके मामले पर कार्रवाई कर रहा है।

आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को विशेष भत्ता

528. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने आदिवासी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को विशेष भत्ते देने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य को कुल कितनी राशि उपलब्ध की;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश को वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार पूरी धनराशि उपलब्ध नहीं की गई है; और

(ग) आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए विशेष भत्ते का भुगतान करने हेतु सातवीं पंच-वर्षीय योजना में कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है और उसमें से मध्य प्रदेश के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) आदिवासी प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए सातवें वित्त आयोग का निर्णय वर्ष 1979-80 से 1983-84 के दौरान कार्यान्वित किया जाता रहा। आयोग द्वारा सिफारिश की गई राशि और प्रतिपूरक भत्ते की अदायगी करने तथा आदिवासी क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों के लिए रिहायशी क्वार्टरों के निर्माण के लिए 1979-84 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को दिया गया सहायता अनुदान संलग्न विवरण में प्रस्तुत है।

(ख) सातवें वित्त आयोग ने प्रतिपूरक भत्ते के लिए 1.056 लाख रुपये की सिफारिश की थी और मध्य प्रदेश को पूरी धनराशि उपलब्ध करा दी गई थी। किंतु राज्य सरकार ने 695 लाख रुपये कर्मचारी क्वार्टरों के निर्माण पर व्यय करने का प्रस्ताव किया, जिसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति दे दी गई थी।

(ग) आठवें वित्त आयोग के निर्णय के आधार पर वित्त मन्त्रालय ने आदिवासी क्षेत्रों में तैनात स्थानांतरणीय राज्य कर्मचारियों को प्रतिपूरक भत्ते की अदायगी करने के लिए 1985-89 के चार वर्ष की अवधि के लिए 13 राज्यों को 1,927.20 लाख रुपये का आवंटन किया है और इसमें से मध्य प्रदेश का हिस्सा 568.80 लाख रुपये है।

विवरण

आदिवासी प्रशासन का स्तर बढ़ाना, सहायता अनुदान, जिसकी 7वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई तथा 1979-84 के लिए दी गई राशियां

(लाख रु० में)

राज्य	आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रतिपूरक भत्ते की अदायगी।		आदिवासी क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों के लिये रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण	
	सिफारिश की गई राशि।	दी गई राशि।	सिफारिश की गई राशि।	दी गई राशि।
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	165.00	165.00	56.00	56.00
2. असम	146.00	109.50	152.00	155.75

1	2	3	4	5
3. बिहार	621.00	589·00	112.00	90.00
4. हिमाचल प्रदेश	20.00	20.00	24.00	24.00
5. केरल	20.00	20.00	40.00	40.00
6. मध्य प्रदेश	1056.00	361.00	336.00	1031.00*
7. मणिपुर	74.00	—	40.00	114.00*
8. उड़ीसा	603.00	503.00	148.00	284.00*
9. राजस्थान	150.00	—	40.00	190.00*
10. तमिलनाडु	22.00	22 00	72.00	72.00
11. त्रिपुरा	95.00	95.00	24.00	24.00
12. उत्तर प्रदेश	1.00	1.00	16.00	16.00
13. पश्चिम बंगाल	98.00	58.00	96.00	136.00*
जोड़	3071.00	1944.34	1192.00	2232.75

*निधियों को एक योजना से दूसरी योजना में ले जाने की स्वीकृति दी गई थी।

संसद सदस्यों तथा मन्त्रियों द्वारा अपनी सम्पत्ति का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना

529. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजनैतिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उद्देश्य से कुछ देशों में संसद सदस्यों तथा मन्त्रियों द्वारा अपनी सम्पत्ति का वार्षिक विवरण अनिवार्य रूप से भरे जाने की परिपाटी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का भारत में भी वैसी ही परिपाटी लागू करने के लिए इस संबंध में एक विधेयक लाने का विचार है ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) ऐसी परिपाटियां कुछ देशों में लागू हो सकती हैं। लेकिन इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

सिलिकन उत्पादन के लिए स्वदेशी प्रक्रिया

530. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश प्रौद्योगिकी के स्थान पर स्वदेशी प्रक्रिया के प्रयोग से सिलिकन का नियमित उत्पादन करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय सिलिकन कारखाना स्थापित करने हेतु विदेशी कम्पनी के साथ किया गया समझौता रद्द कर दिया जाएगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में देशी और विदेशी प्रौद्योगिकियों के लागत की दृष्टि से तुलनात्मक लाभ क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) पोलिसिलिकन का बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उत्पादन करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) स्वदेशी तथा विदेशी प्रौद्योगिकियों की लागत की दृष्टि से तुलनात्मक लाभ का विश्लेषण मई, 1986 से पहले उपलब्ध हो जाने की संभावना है।

'इलेक्ट्रोनिक प्राइवेट आटोमैटिक ब्रांच एक्सचेंज' के निर्माण के लिए लाइसेंस

531. श्री के० राममूर्ति : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'सेन्टर फार डेवलपमेंट आफ टेलिमेटिक्स' द्वारा देशीय रूप से विकसित 'सी डाट' प्रौद्योगिकी की सहायता से 'इलेक्ट्रोनिक्स प्राइवेट आटोमैटिक ब्रांच एक्सचेंज के निर्माण के इच्छुक भारतीय कंपनियों को आवश्यक मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त विदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली कंपनियों को लाइसेंस जारी किये जा रहे हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीयकृत प्रौद्योगिकी अधिग्रहण नीति का देश में विकसित प्रौद्योगिकी का महत्व कम करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी के अन्तरण के सम्बन्ध में करार की शर्तें तैयार कर ली गई हैं और जिन पार्टियों ने विनिर्माण के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है उन्हें ये जारी भी कर दिए गए हैं।

(ख) ई० पी० ए० बी० एक्स० का विनिर्माण करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित तीन विदेशी प्रौद्योगिकियों का चयन किया है :

(i) ज्यूमांट स्क्नीडर, फ्रांस

(ii) जी० टी० ई०, बेल्जियम

(iii) ओ० के० आई०, जापान।

18 पार्टियों को आशय पत्र जारी किए गए हैं। अब तक 10 विदेशी सहयोग अनुमोदित किए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र

532. **श्री के० राममूर्ति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 100 करोड़ रुपये की लागत वाला राष्ट्रीय सूचना केन्द्र नेटवर्क कार्यक्रम कब तक चालू हो जाएगा;

(ख) इस नेटवर्क से जोड़े जाने वाले 100 जिलों के नाम क्या हैं;

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां 27 कम्प्यूटर और 4 बड़े क्षेत्रीय कम्प्यूटर लगाए जा रहे हैं; और

(घ) देश में सभी राज्यों को सूचना दर्शाने वाले कार्यक्रम के अन्तर्गत कब तक शामिल किया जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र एक कम्प्यूटर नेटवर्क का विकास कर रहा है जिसमें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को सूचना सम्बन्धी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला एक शिरोबिन्दु के रूप में काम करेगा। इस नेटवर्क का एक भाग वर्ष 1986 के अन्त तक काम करना शुरू कर देगा। समूचा नेटवर्क वर्ष 1987 के अन्त तक काम करना शुरू कर देगा।

(ख) जिन 100 जिलों को इसके साथ जोड़ा जाएगा उन्हें टर्मिनल कम्प्यूटर वितरित करने के लिए, उनकी सूची को, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) जिन स्थानों पर 27 कंप्यूटर प्रतिष्ठापित किए जा रहे हैं उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। चार बड़े क्षेत्रीय कंप्यूटर दिल्ली, पुणे, भुवनेश्वर तथा हैदराबाद में प्रतिष्ठापित किए जा रहे हैं। दिल्ली में पहली प्रणाली पहले ही प्रतिष्ठापित की जा चुकी है।

(घ) वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार, यह प्रस्ताव है कि देश के सभी राज्यों को दिसम्बर, 1987 तक इस नेटवर्क के अन्तर्गत लाया जाएगा।

विवरण

राज्य स्तरीय केन्द्रों की प्रस्तावित सूची

1.	श्रीनगर	जम्मू तथा कश्मीर
2.	शिमला	हिमाचल प्रदेश
3.	चण्डीगढ़	संघ राज्य क्षेत्र
4.	रोहतक	हरियाणा
5.	जयपुर	राजस्थान
6.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
7.	पटना	बिहार
8.	गंगोटक	सिक्किम
9.	शिलांग	मेघालय
10.	दिसपुर/गुवाहटी	असम
11.	इटानगर	अरूणाचल प्रदेश
12.	कोहिमा	नागालैंड
13.	इम्फाल	मणिपुर
14.	आईजाल	मिजोरम

15.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
16.	अगरतला	त्रिपुरा
17.	भोपाल	मध्य प्रदेश
18.	बम्बई	महाराष्ट्र
19.	अहमदाबाद	गुजरात
20.	बंगलौर	कर्नाटक
21.	पणजी	गोवा
22.	मद्रास	तमिलनाडु
23.	त्रिवेन्द्रम	केरल
24.	पाण्डिचेरी	पाण्डिचेरी
25.	पोर्ट ब्लेयर	अण्डमान
26.	कवरत्ती	लक्षद्वीप
27.	वाइजैग	आंध्र प्रदेश

[हिन्दी]

अखिल भारतीय सेवाओं को कुशल बनाने की योजना

53?. श्री हरीश रावत : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार अखिल भारतीय सेवाओं को, विशेषकर भारतीय प्रशासनिक सेवा को अधिक कुशल और सेवोन्मुख बनाने के लिए कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का इस सेवा में समयबद्ध पदोन्नति की नीति समाप्त करने के प्रश्न पर विचार करने का है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) (ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा सहित अखिल भारतीय सेवाओं की कार्यकुशलता में सुधार लाने के विभिन्न प्रस्तावों की सरकार जांच कर रही हैं। इन प्रयासों में से एक प्रयास जिस पर कि कार्रवाई की

जा रही है वह है सेवा के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा प्राप्त फील्ड अनुभव के समुचित तथा प्रभावशाली उपयोग सहित इन अधिकारियों के कैरियर विकास के सम्बन्ध में वर्ष 1976 तथा 1984 में राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अधिकारियों को पहले दस वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में और उसके बाद यथासम्भव तीन या पांच विशिष्ट क्षेत्रों में तैनात किए जाने पर विचार किया गया है जिससे कि कार्यात्मक विशेषज्ञता प्राप्त हो सके। प्रश्न के सभी पहलुओं की पुनरीक्षा की जा रही है।

(ग) सेवा में समयबद्ध पदोन्नति की कोई नीति नहीं है इसलिए इसे समाप्त किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति उपलब्ध पदों की संख्या तथा पात्र अधिकारियों की उपयुक्तता पर निर्भर होती है और उनकी इस उपयुक्तता का निर्णय अधिकारियों की योग्यता तथा वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए जांच तंत्र (स्कीनिंग मेकेनिज्म) द्वारा किया जाता है।

उत्तर प्रदेश के लिए एकीकृत आदिवासी योजनाएं

534. श्री हरीश रावत : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग को गृह मंत्रालय के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ एकीकृत आदिवासी योजनाएं विचारार्थ हेतु प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के नाम क्या हैं और इनका परिव्यय कितना है तथा योजना आयोग को ये योजनाएं किस तारीख को प्राप्त हुई और उन्हें कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) योजना आयोग को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से 4 रिपोर्टें सीधे प्राप्त हुई हैं जिन्हें राज्य सरकार ने एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं कहा है। खंड जिससे संबंधित हैं उनकी योजना आयोग में प्राप्ति की तारीख और प्रत्येक के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परिव्यय नीचे बताए गए हैं :—

खंड	जिला	योजना आयोग में प्राप्ति की तारीख	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परिव्यय (लाख रु०)
1	2	3	4
1. खटीमा/सितारगंज एकीकृत जनजातीय विकास योजना	(1) खटीमा नैनीताल (2) सितारगंज	8-8-1983	423.81

1		2	3	4
2.	जोशीमठ ए० ज० वि० प०	जोशीमठ चमोली	8-9-1983	106.78
3.	धारचुला, मुंश्यारी ए० ज० वि० प०	(1) धारचुला पिथौरागढ़ (2) मंश्यारी	6-12-1983	258.45
4.	बाजपुर, गदरपुर, रामनगर और काशीपुर ए०ज०वि०प० (आदिम जेनजातियां	(1) बाजपुर नैनीताल (2) गदरपुर (3) रामनगर (4) काशीपुर	8-8-1983	656.19

इन एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना रिपोर्टों के अलावा, राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय के माध्यम से 1 : खंडों को अर्थात् उपर्युक्त बताए गए 9 खंडों तथा देहरादून में चकराता और कल्सी की जनजातीय उपयोजना में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। चूंकि, ये क्षेत्र, राज्य सरकार के पहाड़ी क्षेत्रविकास योजना के भाग हैं, इसलिए, इन्हें विशेष केन्द्रीय सहायता मिल रही है और इन्हें राज्य सरकार की जनजातीय उपयोजना में शामिल नहीं किया जा सकता है। जनजातीय उपयोजना में इनको शामिल करने का मतलब यह होगा कि जनजातीय उप-योजना को और अधिक विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तरित की जाए, तथा सिद्धान्त रूप से, एक ही क्षेत्र को दो प्रकार की विशेष केन्द्रीय सहायता देना अननुज्ञेय है। इन क्षेत्रों को जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत लाने के लिए जितनी राशि की राज्य सरकार हकदार होती पहाड़ी क्षेत्र विकास योजना में उससे कहीं अधिक इन आठ जिलों को विशेष केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

भारत-नेपाल सीमा को अधिक मजबूत बनाने की योजना

535. श्री हरीश रावत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारों से भारत-नेपाल सीमा पर क्षेत्रों का विकास करने और सीमा को और मजबूत करने के लिए एक योजना तैयार करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की रूपरेखा क्या है और उस पर कितना धन व्यय होने की संभावना है ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) सीमावर्ती क्षेत्रों में आन्तरिक सुरक्षा प्रबन्धों की पुनरीक्षा के एक भाग के रूप में अधिकारी स्तर पर हुए विचार-विमर्श के दौरान उत्तर प्रदेश तथा बिहार की राज्य सरकारों से सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्यमान सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ आंकड़े/सूचना संकलित करने का अनुरोध किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

जेलों में बच्चों के बारे में केन्द्रीय निदेश

536. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने लगभग दो वर्ष पूर्व बाल अधिनियम के प्रतिकूल जेलों में रह रहे लगभग 2000 से अधिक बच्चों के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों को लिखा था; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा यह जानने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि सम्बन्धित राज्य सरकारों के निदेशों का पालन किया है अथवा नहीं और उसके क्या परिणाम उपलब्ध हुये हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां। शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों के राज्य मंत्री ने 22 अक्तूबर, 1982 को यह मामला सभी राज्यों में बाल अधिनियमों के अन्तर्गत यथाप्रस्तावित अवसंरचना प्रदान करने की दृष्टि से राज्यों के मुख्य मंत्रियों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ उठाया था। बाद में 22 दिसम्बर, 1983 और 29 मार्च 1985 को गृह सचिव ने निदेश दिया था कि जेलों में बच्चों के आमद रोकने के लिए बाल अधिनियम के अन्तर्गत सेवाओं का विकास किया जाये और अन्त में सभी बच्चों को जो अब जेल में हैं वहां से हटा दिया जाए। 9 मई 1985 को प्रधान मन्त्री ने सभी मुख्य मंत्रियों को यह निदेश दिये कि किसी भी हालत में बच्चों को पुलिस या जेलों में न्यायालय हिरासत में रखा जाए और जो बच्चे पहले ही जेलों में हैं उनको वहां से हटा दिया जाए।

(ख) उपरोक्त संदर्भ में विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त रिपोर्ट से यह पता चलता है कि जहां आवश्यक हो राज्य सरकारें बाल अधिनियम के अन्तर्गत मौजूदा ढांचे का विस्तार करके और उच्च न्यायालयों तथा अधिकारियों को अनुदेश जारी करके यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही कर रही हैं कि बच्चों को जेलों में न भेजा जाए। विभिन्न जेलों से बच्चों को बालगृहों में भेजे जाने के लिए अभी अनुदेश जारी किए जा रहे हैं। कुछ राज्य सरकारें इन कार्यों में स्वयंसेवी संगठनों को भी शामिल कर रही है। एक राज्य सरकार सभी जेलों/उपजेलों को, जिन्हें अब अस्थाई रिस्पशन होम्स घोषित किया गया है, डिनोटिफाई करने के लिए कदम उठा रही हैं और जेलों से सभी किशोर बच्चों को निकालकर उन्हें रिस्पशन होम्स में भेजने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बना रही हैं। कल्याण मंत्रालय, इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित रूप से कार्यवाही कर रहा है।

अंध विद्यालयों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपाय

537. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में अंध विद्यालयों, में, विशेषकर दिल्ली में पुस्तकों की उपलब्धता शिक्षा सुविधाओं, जीवन दशा आदि के सम्बन्ध में वर्तमान प्रबन्ध में कमियों का यदि कोई है तो पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अन्ध विद्यालयों के कार्यकरण में सुधार करने हेतु पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए हैं/किए जाने का विचार है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) सामान्यत: अन्ध विद्यालय स्वयंसेवी एजेंसियों द्वारा चलाए जाते हैं और कुछ विद्यालय राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा चलाए जाते हैं। सरकार ने देश के विभिन्न भागों में अन्ध विद्यालयों के कार्यों की समीक्षा करनी शुरू नहीं की है।

(ख) और (ग) फिर भी, केन्द्रीय सरकार विकलांग छात्रों, विशेषकर नेत्रहीन छात्रों की शिक्षा प्राप्त करने हेतु सुविधाएं प्रदान की जाती हैं :—

(1) सभी विकलांग छात्रों को स्कूलों में नौवीं कक्षा से आगे तथा डिग्री और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। मेडिकल एवं इंजिनियरी शिक्षा और इनप्लांट प्रशिक्षण के लिए भी छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

(3) विकलांग छात्रों, जिनमें नेत्रहीन छात्र भी शामिल हैं, को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(3) राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून नेत्रहीनों के लिए विशेष उपकरण जैसे ब्रेल स्लेट, ऐबेकुस तथा अन्य शैक्षिक सामग्री तैयार करना है जो स्वयंसेवी संगठनों या राज्य सरकारों के माध्यम से नेत्रहीन छात्रों को निःशुल्क दिए जाते हैं।

(4) केन्द्रीय सरकार नेत्रहीन छात्रों के लिए ब्रेल पुस्तकें तैयार करने हेतु सम्पूर्ण देश में ब्रेल मुद्रणालय स्थापित करने के लिए धनराशि प्रदान करती है।

(5) राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून नेत्रहीनों के प्राइमरी स्कूल और सेकेन्डरी स्कूलों के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

(6) शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारों के माध्यम से नेत्रहीनों के लिए समेकित शिक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वयन करता है। इस योजना के अन्तर्गत चुने हुए स्कूलों में, नेत्रहीन छात्रों को

उनकी शिक्षा में सहायता देने के लिए संसाधन कक्षों, विशेष अध्यापकों की सहायता दी जाती है।

(7) सहायक यंत्र और उपकरण योजना के अंतर्गत यह मंत्रालय कुछ श्रेणी के नेत्रहीन छात्रों को निःशुल्क या रियायती दरों पर शैक्षिक किट, ब्रेल मापक उपकरण, ब्रेल राईटर्स तथा टेप रिकार्ड प्रदान करता है जो नेत्रहीन छात्रों के परिवार की आय पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास

538. श्री राज कुमार राय : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी उत्तर प्रदेश की गरीबी, पिछड़ेपन और विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उसकी समस्याओं और विकास की ओर ध्यान देने के लिए एक पृथक एकक की स्थापना करके उसके विकास की प्रक्रिया तेज करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो एक पृथक एकक की स्थापना करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राज्य के भीतर किसी क्षेत्र का विकास करने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से सम्बन्धित राज्य सरकार का है।

हिमाचल प्रदेश में स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान

539. श्री के० डी० सुल्तानपुरी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में उन स्वयंसेवी संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें मंत्रालय ने वर्ष 1985-86 में उनके कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अनुदान दिये हैं; और

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान ऐसे स्वयंसेवी संगठनों को कितनी धनराशि दिये जाने का प्रस्ताव है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) इस मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए स्वयंसेवी संगठनों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सहायता अनुदान दिया जाता है। अतः 1986-87 के दौरान स्वयंसेवी संगठनों को दी जाने वाली सहायता की राशि का पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

विवरण

कल्याण मन्त्रालय की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 1985-86 के दौरान हिमाचल प्रदेश में जिन संगठनों को सहायता अनुदान दिया गया उनके नाम

	योजना का नाम	संगठन का नाम
1.	महिलाओं पर अत्याचार को रोकने तथा मद्यनिषेध के लिए शिक्षा कार्य करने हेतु स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	सोसाइटी फार सोशल अपलिफ्ट थ्रू रूरल एक्शन, जगजीत नगर, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
2.	विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्यक्रम	हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद्, लघु सचिवालय, शिमला।

[अनुवाद]

भारत की परमाणु नीति

540. श्री महेन्द्र सिंह : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 जनवरी, 1986 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि वाशिंगटन पोस्ट के अपने प्रथम पृष्ठ पर छपे एक समाचार में यह कहा गया है कि पाकिस्तान के वहां स्थित एक गुप्त केन्द्र के वैज्ञानिकों ने चीन के कुछ भौतिक वैज्ञानिकों को एक परमाणु हथियार का नमूना दिखाया था और चीन के वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की कि वह हथियार परमाणु विस्फोट करने में सक्षम है; और

(ख) यदि हां, तो अपनी परमाणु नीति की पुनरीक्षा करने की दृष्टि से सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) देश की सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली सभी घटनाओं पर सरकार निरन्तर निगाह रख रही है।

शराबखोरी और नशे के लिए औषधों के दुरुपयोग को रोकने के लिए समेकित कानून

541. **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के एक कार्य दल ने शराबखोरी और नशे के लिए औषधों के दुरुपयोग को रोकने और नियंत्रित करने के लिए एक समेकित कानून बनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो कार्य दल द्वारा क्या तर्क दिये गये हैं और नये समेकित कानून के द्वारा वर्तमान कानून में किन कमियों को दूर करने का विचार है; और

(ग) इस पर सरकार और विधि आयोग की क्या प्रतिक्रिया है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) कार्यकारी दल ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम और नियन्त्रण के लिए एक समेकित कानून की सिफारिश की थी।

(ख) और (ग) संसद द्वारा हाल ही में एक व्यापक विधान बनाया गया है। इस नए अधिनियम का नाम "दि नारोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटांसिस एक्ट, 1985" है जो पहले ही 14-11-1985 से देश में लागू किया जा चुका है।

सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा

542. **श्री महेन्द्र सिंह**
श्री सन्तोष मोहन देव } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल सेवा परीक्षाओं की अधिकतम आयु सीमा को जिसे 1983 में कम करके 26 वर्ष किया गया था, पुनः बढ़ाकर 28 वर्ष करने के लिए लगातार मांग की जाती रही है;

(ख) क्या पिछड़े क्षेत्रों में सिविल सेवा परीक्षा हेतु कोचिंग सेन्टरों की भी मांग की जाती रही है; और

(ग) यदि हां, तो इन मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को, विद्यार्थी समुदाय से अलग-अलग तथा सामूहिक रूप से सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए ऊपरी आयु सीमा को 28 वर्ष बनाए रखने के लिए, अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि की परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए वर्ष 1971 तक ऊपरी आयु-सीमा 24 वर्ष थी। वर्ष 1972 में इसे बढ़ाकर 26 वर्ष तथा वर्ष 1979 में 28 वर्ष कर दिया गया था। सरकार का उद्देश्य यह है कि कड़ी प्रतियोगात्मक शर्तों के अधीन युवा पुरुष और महिला स्नातकों की भर्ती की जाए और उन्हें सिविल सेवाओं की व्यवहारपरक और कार्य कौशल सम्बन्धी अपेक्षाओं के अनुरूप प्रशिक्षित किया जा सके तथा ढाला जा सके। वर्ष 1979 में ऊपरी आयु सीमा को 28 वर्ष किए जाने से यह उद्देश्य विफल हो गया है। 28 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा से परीक्षा के प्रतियोगात्मक तत्व पर यहां तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था कि 21 वर्ष की आयु के अपेक्षतया युवा उम्मीदवार को लगभग 28 वर्ष की अपेक्षतया अधिक आयु वाले उम्मीदवार के साथ प्रतियोगिता में रखा जाता था जिससे कि कम आयु वाला उम्मीदवार नुकसान में रहता था और अधिक आयु वाले उम्मीदवार को अनुचित लाभ मिल जाता था। पात्रता के व्यापक आयु स्तर से अधिक आयु वाले उम्मीदवार परीक्षा की तकनीकों में उच्च कोटि की कुशलता हासिल कर लेते थे और इसके फलस्वरूप उम्मीदवार के आलोचनात्मक विश्लेषण के मूल-भूत बौद्धिक गुणों और ग्राह्य शक्ति तथा ज्ञान के व्यापक और गहन विकास की बजाय उम्मीदवारों को चाहे अनचाहे संबंधित विषयवस्तु का यंत्रवत् अध्ययन करने का मौका मिल जाता था। यह भी देखा गया था कि अधिक आयु वाले उम्मीदवारों को किसी संगठित सिविल सेवा की अपेक्षाओं के अनुसार ढालना कठिन हो जाता है। अपेक्षतया बड़ी उम्र में सेवा में प्रवेश करने वाले अधिक आयु के उम्मीदवारों से सरकार को पूरे सेवाकाल (जिसे 33 वर्ष के रूप में लिया जाता है) तक सेवा लेने का लाभ भी प्राप्त नहीं होता था। इन तथ्यों पर ध्यान देते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग, भारत में सिविल कर्मचारियों के प्रशिक्षण से संबंधित राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन और निदेशक, सरदार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद की सिफारिशों पर तथा जहां तक कि अखिल भारतीय सेवाओं का संबंध है, राज्य सरकारों के परामर्श से भारत सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों तथा समय-समय पर अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे ही अन्य वर्गों के उम्मीदवारों को सामान्य छूट देते हुए सिविल सेवा परीक्षा, 1985 से 28 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा को 26 वर्ष तक घटा देने का निर्णय लिया था।

3. ऊपरी आयु सीमा को कम करने का उपरोक्त निर्णय लेने से पहले इस बात की भी जांच की गई थी कि क्या इससे ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। यह महसूस किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो अपनी आय साधनों की कमी के कारण अपने बच्चों को अनिश्चितकाल के लिए शिक्षा नहीं दे पाते, उनके लिए सरकार में सर्वोत्तम समझे जाने वाली नौकरी के लिए अधिक देर तक प्रतीक्षा कर पाना संभव नहीं होता। अतः उच्चतर ऊपरी आयु सीमा

से ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों की तुलना में शहरी उम्मीदवारों को ही सहायता मिलने की सम्भावना थी। आमतौर पर सिविल सेवा परीक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों सहित, उम्मीदवार उस समय तक न्यूनतम शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर पाते हैं जबकि वे लगभग 21 वर्ष की आयु के हो जाते हैं जिससे कि उन्हें 26 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा के अन्तर्गत भी परीक्षा में बैठने के लिए लगभग 4-5 वर्ष का समय मिल जाता है।

4. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ऊपरी आयु सीमा को यथासम्भव शीघ्र घटाये जाने से संबंधित सलाह पर ऊपरी आयु सीमा को 26 वर्ष तक घटाए जाने के निर्णय को सिविल सेवा परीक्षा, 1985 से कार्यान्वित किया जाना था। फिर भी अनेक ऐसे उम्मीदवारों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर जो कि आयु सीमा घटाए जाने के बारे में 1983 में की गई घोषणा के बाद घटी हुई ऊपरी आयु सीमा के भीतर परीक्षा में बैठने के लिए एक से अधिक अवसर प्राप्त नहीं कर सके थे, इस निर्णय के कार्यान्वयन को वर्ष 1986 से ली जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। कुछ ऐसे उम्मीदवारों ने जिन्हें परीक्षा में बैठने के तीन अवसर उपलब्ध नहीं हो पाए थे यह अभ्यावेदन दिया था कि सरकार इस निर्णय को वर्ष 1987 से ली जाने वाले सिविल सेवा परीक्षा से ही कार्यान्वित करे। अतः जिन उम्मीदवारों पर, परीक्षा में बैठने के लिए उन्हें उपलब्ध अवसरों की संख्या को लेकर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा, सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए उन्हें तीसरा और अन्तिम अवसर प्रदान करने के प्रयोजन से सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा, 1986 के लिए 28 वर्ष की ही ऊपरी आयु सीमा बनाए रखने का निर्णय लिया था। फिर भी, सरकार ने 26 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा से संबंधित अपने संकल्प को वर्ष 1987 से ली जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा से कार्यान्वित किए जाने की पुनः पुष्टि की है।

5. जहां तक पिछड़े क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए कोचिंग सेन्टरों की स्थापना करने से सम्बन्धित अनुरोध का संबंध है, सरकार ने इसे सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है।

"मेन फ्रेम कम्प्यूटर"

543. श्री महेन्द्र सिंह
श्री वी० एस० विजयराघवन
श्री के० कुन्जम्बु
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव
} क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीकी कम्पनी, कम्प्यूटर डैटा कार्पोरेशन के सहयोग से "मेन फ्रेम कम्प्यूटर" बनाने के लिए करोड़ों डालर की परियोजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयुक्त राज्य अमरीका भी भारत को "सुपर कम्प्यूटर" की सप्लाई करने पर सहमत हो गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो वास्तविक प्रस्ताव क्या है और यह मामला अभी किस स्तर पर है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। सहयोग सम्बन्धी करार के अन्तर्गत साईबर 810 तथा 830 नामक दो सिरीज के कम्प्यूटरों के विनिर्माण के लिए आवश्यक तकनीकी जानकारी कंट्रोल डैटा कारपोरेशन उपलब्ध कराएगा। परियोजना की शुरूआत इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद नामक सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम करेगा। यह परियोजना वित्तीय वर्ष 1986-87 के आरम्भ में शुरू हो जानेकी सम्भावना है।

(ग) और (घ) सुपर कम्प्यूटरों की खरीद का प्रश्न अमरीकी कम्पनियों के साथ चर्चा के विभिन्न स्तरों पर है। यदि भारतीय पार्टियां अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुकूल कम्प्यूटर के किसी विशिष्ट मॉडल का चयन करती हैं और इस सम्बन्ध में भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर लेती हैं तो सम्बन्धित अमरीकी कम्पनी को अमरीकी सरकार से निर्यात की अनुमति के लिए विधिवत अनुरोध करना पड़ेगा।

बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन

544. **श्री पी० एस० सईद** : क्या **कार्यक्रम कार्यान्वयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आरम्भ किए गए कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) विभिन्न परियोजनाओं की विशेषकर मुख्यतः समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान से सम्बन्धित परियोजनाओं की, प्रगति पर निगरानी रखने के लिए कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) ग्रामीण विकास, कल्याण, श्रम और स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहित बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार मंत्रालयों से प्रगति संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या तरीका अपनाया गया है; और

(घ) मंत्रालय की स्थापना और उसे कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार बनाए जाने के लगभग गत लगभग चार महीने के दौरान एकत्रित किए गए आंकड़ों और इस दिशा में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) 20-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। परन्तु, कार्यक्रम के कार्यान्वयन का प्रबोधन, मंत्रालय द्वारा मासिक और त्रैमासिक आधार पर नियमित रूप से किया जा रहा है। इस मंत्रालय को, मासिक प्रगति रिपोर्ट संबंधी सूचना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों

से सीधे प्राप्त होती है। सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों को, तिमाही प्रगति रिपोर्ट के लिए सूचना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त होती है। मंत्रालय/विभाग प्राप्त रिपोर्टों का विश्लेषण करते हैं और एक समेकित रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसका पुनरीक्षण विषय से सम्बन्धित योजना आयोग के सलाहकार द्वारा किया जाता है और उसके बाद इसे जारी किया जाता है। ग्रामीण विकास, कल्याण, श्रम और स्वास्थ्य मंत्रालयों की स्कीमों सहित, 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान से सम्बन्धित स्कीमों का भी, अन्य स्कीमों के साथ-साथ प्रबोधन किया जा रहा है। ग्रामीण विकास और परिवार कल्याण मंत्रालयों ने देश में क्षेत्रीय मूल्यांकन इकाइयों की स्थापना के जरिये कार्यक्रम के प्रबोधन और मूल्यांकन के लिए विशेष प्रबन्ध किए हैं। कार्यक्रम के आवश्यक पहलुओं का योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन के संगठन और अन्य स्वतंत्र अनुसंधान संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। इसके अलावा 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रमों की प्रगति देखने के लिए सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा योजना आयोग के अधिकारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करते हैं।

(घ) अप्रैल-अक्तूबर, 1985 और अप्रैल, 85 और 86, अवधि की मासिक प्रगति रिपोर्ट में शामिल कार्यक्रमों की मदों के कार्यान्वयन की प्रगति संलग्न विवरण में बताई गई है।

विवरण

सूत्र संख्या	मद	इकाई	अवधि के लिए लक्ष्यों के मुकाबले संचयी-उपलब्धि और प्रतिशत उपलब्धि	
			अप्रैल, 85 से अक्तूबर, 85 तक	अप्रैल, 85 से जनवरी, 1986 तक
1	2	3	4	5
3क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम* (पुराना और नया)	लाख परिवार	10.0 (60)	18.2 (60)
3ख	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम* (श्रम दिवस)	—वही—	1005.3 (100)	1689.9 (103)

1	2	3	4	5
3ग	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	—वही —	927.7 (103)	1559.9 (105)
4	बेशी भूमि	हजार एकड़	47.4 (84)	72.0 (76)
6	बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	संख्या	7795 (69)	13351 (64)
7क	अनुसूचित जाति के परिवार	लाख संख्या	8.1 (76)	14.9 (83)
7ख	अनुसूचित जनजाति के परिवार	—वही—	3.4 (75)	5.8 (85)
8	पीने का पानी	गांवों की संख्या	20285 (161)	29999 (142)
9क	आवास स्थल	लाख संख्या	3.7 (118)	6·3 (113)
9ख	निर्माण सहायता	– वही––	1.9 (87)	2.6 (79)
10क	गंदी बस्तियों की जनसंख्या	लाख संख्या	8.4 (104)	14.8 (122)
10ख	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मकान	—वही—	0.5 (85)	0.9 (80)
11क	बिजली लगाए गए गांव	संख्या	4880 (75)	10648 (76)
11ख	बिजली चालित पंपसैट	लाख संख्या	1.5 (102)	2.7 (98)

1	2	3	4	5
12क	पेड़ लगाना	लाख संख्या	24221 (97)	27874 (106)
12ख	बायोगैस संयंत्र (राज्य)	हजार	46.4 (119)	95.0 (112)
13	नसबंदी	लाख संख्या	17.7 (71)	32.1 (76)
14क	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	50 (22)	913 (118)
13ख	उप केन्द्र	संख्या	1529 (83)	2203 (52)

"निर्धन" और "निर्धनता रेखा" की परिभाषा

545. प्रो० मधु दण्डवते
श्री राम प्यारे पनिका
प्रो० के० के० तिवारी
} : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा 1962 में गठित अध्ययन दल की परिभाषा के अनुसार वह व्यक्ति निर्धन है, जो 1960-61 के मूल्य-स्तर पर माह-प्रति-माह 20 रुपये खर्च करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या तबसे "निर्धन" और "निर्धनता रेखा" की परिभाषा में कोई परिवर्तन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो निर्धनता रेखा के संबंध में नवीनतम मानदंड क्या है; और

(घ) इस मानदंड के आधार पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, हां। योजना आयोग द्वारा 1962 में स्थापित कार्यकारी दल का दृष्टिकोण था कि न्यूनतम पोषाहार भोजन तथा भोजन के अलावा अन्य पौष्टिक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए, 1960-61 की कीमतों पर, पांच व्यक्तियों के परिवार के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम उपभोक्ता व्यय 100/-रु० प्रति माह अर्थात 20/- रु० प्रति व्यक्ति प्रति माह से कम नहीं होना चाहिए ।

(ख) और (ग) गरीबी की रेखा तथा इससे नीचे रहने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत अनुमान पहली बार छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में लगाए गए। ये योजना आयोग द्वारा 1977 में स्थापित न्यूनतम आवश्यकता तथा प्रभावी उपभोग मांग से संबंधित कृतिक बल की सिफारिशों पर आधारित थे, जिसमें उस व्यक्ति को गरीब बताया गया था जिसका प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी के सदृश हो। 1973-74 की कीमतों पर ऐसे ग्रहण (गरीबी की रेखा) के उपभोक्ता व्यय के प्रति व्यक्ति प्रति माह मुद्रा मूल्य ग्रामीण क्षेत्रों में 49.05 रु० तथा शहरी क्षेत्रों में 56.65 रु० लगाए गए हैं। इन अनुमानों के मुख्य आंकड़ा स्रोत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के पंचवर्षीय उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण हैं। नवीनतम अभ्यासों में भी उन्हीं कैलोरी मापदंडों का प्रयोग किया गया है। सातवीं योजना के लिए 1984-85 की कीमतों पर अद्यतन उपभोक्ता व्यय (गरीबी की रेखा) प्रति व्यक्ति प्रति माह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 107/- रु० तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 122/- रु० निश्चित किया गया है।

(घ) 1984-85 में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 36.9 (नवीनतम उपलब्ध) है।

शासकीय गुप्त बात अधिनियम की पुनरीक्षा

546. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शासकीय गुप्त बात अधिनियम लंबे समय पूर्व वर्ष 1923 में संविधान में शामिल किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त अधिनियम के कुछ उपबन्धों की बदली हुई परिस्थितियों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) क्या सरकार का उपर्युक्त अधिनियम की पुनरीक्षा करने का विचार है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठते।

अनुसूचित जातियों की सूची में धोबी समुदाय को शामिल करना

548. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में धोबी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश के धोबी संघ ने धोबी समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में

शामिल करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में धोबी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है।

राज्य

1. असम (धुपी, धोबी)

2. बिहार

3. हिमाचल प्रदेश (छिम्बे, धोबी)

4. केरल (वानन)

5. मध्य प्रदेश में भोपाल, रायसिन तथा सेहोर जिले

6. मणिपुर (धुपी, धोबी)

7. मेघालय (धुपी, धोबी)

8. उड़ीसा (धोबा, धोबी)

9. राजस्थान

10. तमिलनाडु में कन्या कुमारी राज्य तथा तिरुने-लवली का शिन्कोटाह् तालुक (वानन)

11. त्रिपुरा (धोबा)

12. उत्तर प्रदेश

13. पश्चिम बंगाल (धोबा, धोबी)

संघ शासित क्षेत्र

1. दिल्ली

2. अरुणाचल प्रदेश (धुपी अथवा धोबी)

3. मिजोरम (धुपी, अथवा धोबी)

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की सूची को प्रस्तावित विस्तृत पुनरीक्षा करने के संदर्भ में अन्य समान प्रस्तावों के साथ उक्त प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। आगे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की विद्यमान सूचियों में कोई संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341 (2) और 342 (2) को ध्यान में रखते हुए संसद में अधिनियम पारित करके ही किया जा सकता है।

इन्सैट-1 सी के माध्यम से राज्यों को दूरदर्शन सम्प्रेषण की सुविधाएं

549. श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्सैट-1 सी कब छोड़ा जाएगा;

(ख) इन्सैट-1 सी छोड़े जाने पर किन-किन राज्यों को क्षेत्रीय दूरदर्शन सम्प्रेषण सुविधाएं प्रदान की जाएंगी; और

(ग) क्या 1986 के दौरान कर्नाटक को दूरदर्शन क्षेत्रीय सम्प्रेषण सुविधा प्राप्त होगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) वर्तमान कार्यक्रमानुसार इन्सैट-1 सी को अमरीकी-नासा की एस० टी० एस० उड़ान सं० 61-1 द्वारा छोड़े जाने की निर्धारित तिथि सितम्बर 27, 1986 है।

(ख) वर्तमान योजनानुसार, इन्सैट-1 सी के प्रमोचन और सफलतापूर्वक प्रचालन के बाद, इन्सैट-1 बी० के एक सी० बैंड प्रेषानुकर का तथा इन्सैट-1 सी० के दो सी० बैंड प्रेषानुकरों का उपयोग करते हुए, क्षेत्रीय दूरदर्शन कार्यक्रम महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और पूर्वोत्तर क्षेत्र में टी० वी० ट्रांसमीटर क्रमिक रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें से, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय कार्यक्रमों के इन्सैट-1 बी का उपयोग करते हुए चालू वर्ष में शुरू किए जाने की सम्भावना है।

(ग) जी, नहीं।

पूर्वोत्तर परिषद को धनराशि का आवंटन

550. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यावरण और वनों के विकास के लिए पूर्वोत्तर परिषद को सातवीं पंचवर्षीय योजना विशेष वित्तीय आवंटन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या आवंटन समयबद्ध विस्तृत प्रस्तावों के आधार पर मंजूर किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस संबंध में उचित कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) पर्यावरण : पूर्वोत्तर राज्यों में प्रमुख समयबद्ध, विस्तृत/व्यापक प्रस्तावों में ये शामिल हैं :—

पारिस्थितिकीय विकास कार्यक्रम, पर्यावरणीय शिक्षा/स्थिति रिपोर्टें तैयार करना तथा वनस्पति और जीव-जन्तु की सूची बनाना, पर्यावरणीय अनुसंधान और विकास परियोजनाएं आदि।

स्थान विशिष्ट अनुसंधान और विकास आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए अलग-अलग परियोजनाएं निर्धारित की गई हैं। प्रदर्शन, क्षेत्रीय प्रयोग और विस्तार परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

वन और वन्य जीवन : सातवीं योजना में नई स्कीमों को शुरू करने और अनेक स्कीमों को न्यूनतम स्तर तक "स्पिल आवर" से बचाने के लिए उन्नत नीति अपनाई गई है। सामाजिक वानिकी, उत्पादन वन उद्योग और कृषि (फार्म) वन उद्योग सहित मुख्य वनरोपण प्रयत्न शुरू करने के लिए लघु स्कीमों का पुनः समूहीकरण किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में इन सभी स्कीमों को कार्यान्वयन/शुरू किया गया है। वानिकी, अनुसंधान और शिक्षा प्रशिक्षण, वन-संरक्षण और विकास, सुरक्षा व वन्य जीवन सुरक्षा, शरणस्थलियों और पार्कों का विकास तथा लाभोन्मुख वन उद्योग स्कीमें। इन कार्यक्रमों से जनसंख्या के पुनर्वास और इस क्षेत्र में झूम-खेती से सम्बन्धित मामलों का हल ढूंढने में भी सहायता मिलेगी। वित्तीय आबंटनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

पर्यावरण और वनों के विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, पूर्वोत्तर परिषद, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के वित्तीय आवंटनों का विवरण

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पर्यावरण और वनों के विकास के लिए 1985-90 के दौरान किए गए वित्तीय आवंटन
	(क) राज्य	
1.	असम	7150.00
2.	मणिपुर	1497.00
3.	मेघालय	2920.00
4.	नागालैंड	1805.00
5.	त्रिपुरा	1555.00
	(ख) संघ राज्य क्षेत्र	
6.	अरूणाचल प्रदेश	3008.00
7.	मिजोरम	1505.00
	(ग) पूर्वोत्तर परिषद	892.94
	कुल पूर्वोत्तर क्षेत्र	20332.94

इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रस्तावों के आधार पर वर्षानुवर्ष विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

20-सूत्री कार्यक्रम के सम्बन्ध में राज्यों द्वारा सूचित की गई उपलब्धियों का वास्तविक सत्यापन

551. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 20-सूत्री कार्यक्रम के सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सूचित

की गई उपलब्धियों की वास्तविक सत्यापन करने के लिए कोई प्रणाली अपनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार पूरे देश से पिछड़े तथा दूर दराज जिलों से प्राप्त उन शिकायतों से अवगत है कि अधिकांश उपलब्धियों के आंकड़े नौकरशाही द्वारा तैयार किए गए हैं जिनका वास्तविक लाभ से कोई सामंजस्य नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित की गई उपलब्धि के वास्तविक सत्यापन के लिए कोई विशिष्ट तरीके नहीं अपनाए गए हैं। तथापि, संबंधित मंत्रालयों/विभागों और योजना आयोग के अधिकारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करते हैं और 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रगति देखते हैं। इसके अलावा, कल्याण मन्त्रालय ने परिवारोन्मुख आर्थिक कार्यक्रमों के समवर्ती स्थानिक मूल्यांकन करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। ग्रामीण विकास और परिवार कल्याण विभाग ने देश में क्षेत्रीय मूल्यांकन इकाइयों की स्थापना के जरिए, कार्यक्रम के प्रबोधन तथा मूल्यांकन के लिए प्रबन्ध किए हैं। कार्यक्रमों के कुछ पहलुओं का कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन और स्वतन्त्र अनुसंधान संस्थाओं द्वारा भी मूल्यांकन किया जाता है।

(ग) और (घ) सम्पूर्ण देश के पिछड़े और दूर दराज जिलों के आंकड़ों के सही होने के बारे में कोई विशेष शिकायत नहीं मिली है, तथापि, योजना आयोग ने सूचित आंकड़ों के सही होने की जांच करने के लिए अगस्त, 1983 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लिखा था। उनसे प्राप्त उत्तर से यह पता चला है कि सूचित आंकड़े सही थे।

"वनों में रहने वाले आदिवासी लोगों को भूमि आबंटित करना"

55?. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कतिपय क्षेत्रों, जैसे गुजरात के बड़ौदा जिले में आदिवासी लोग बहुसंख्या में हैं और ये क्षेत्र वनों के अन्तर्गत आते हैं;

(ख) क्या जनजातीय क्षेत्रों में पेड़ लगाने पर प्रतिवर्ष एक बड़ी राशि व्यय की जाती है किन्तु उसके कोई लाभदायक परिणाम प्राप्त नहीं हुए; और

(ग) क्या सरकार का विचार वनों में रहने वाले आदिवासियों को पेड़ लगाने के लिए वन भूमि आबंटित करने तथा पौधों के संरक्षण के लिए कुछ पारिश्रमिक देने और बाद में उन्हें पेड़ों से होने वाली आय का 50 प्रतिशत अंश देने का है ताकि उस क्षेत्र से गरीब लोगों का पुनर्वास किया जा सके ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) वानिकी क्षेत्र में वृक्षारोपण के क्रियाकलापों के लिए रखी गई कुल आवंटित धन का एक हिस्सा प्रत्येक वर्ष आदिवासी क्षेत्र में व्यय किया जाता है। केन्द्र सरकार ने इस प्रकार के वृक्षारोपण के असफल होने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है।

(ग) गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश जैसी राज्य सरकारों ने आदिवासी वन क्षेत्रों तथा वनों के सीमावर्ती क्षेत्रों हेतु लाभ उन्मुख स्कीमों को अपनाया है। ऐसी स्कीमों में वृक्ष की वृद्धि की अवधि के दौरान लाभ उपभोगियों को जीवन-निर्वाह भत्ता देने का तथा परिपक्व होने पर फसल सामग्री से कुल प्राप्त का एक प्रतिशत व भोगाधिकार बांटने का एक घटक अन्तःनिहित है।

मैथ्यू आयोग पर व्यय

553. श्री आनन्द सिंह : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब समझौते के कार्यान्वयन के बारे में नियुक्त किए गए मैथ्यू आयोग पर कितना व्यय हुआ है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : मैथ्यू आयोग पर किए गए निश्चित व्यय को बताना सम्भव नहीं है क्योंकि कुछ बिल अभी भी बकाया हैं। फिर भी 6.00 लाख रुपये से अधिक व्यय होने की सम्भावना नहीं है जो इसे आबंटित किया गया था।

सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ बनाने के लिए कदम

554. श्री आनन्द सिंह : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ बनाने के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इसके अनुसरण में क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) मंत्रियों के लिए पहले ही आचार संहिता है। सरकार, स्वच्छ और सक्षम प्रशासन और लोगों की सेवा का स्तर सुधारने के लिए वचनबद्ध है। लोकपाल विधेयक जिसे अगस्त, 1985 में लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, इस दिशा में उठाया गया एक कदम है। लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए, विभिन्न उपाय किए गए हैं जैसे भ्रष्टाचार प्रोन्नत क्षेत्रों का पता लगाना, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाना, विभागीय सतर्कता तंत्र को मजबूत बनाना, सतर्कता के मामलों का जल्दी निपटान करना, भ्रष्ट और असक्षम तत्वों को निकालने की दृष्टि से 50/55 की आयु प्राप्त करने वालों या 30 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने पर सरकारी कर्मचारियों के मामलों की नियमित रूप से पुनरीक्ष करना।

अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

555. **श्री अजय विश्वास :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 और 1985 के दौरान (राज्य-वार) अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के कितने मामले प्रकाश में आये।

(ख) अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार होने के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(ग) जनजातियों पर अत्याचार करने के लिए कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए 1983-84 तथा 1985 के दौरान अनुसूचित जातियों पर किए गए अत्याचारों के मामलों की राज्यवार संख्या का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) अनुसूचित जातियों पर अत्याचार मुख्यतः सामाजिक आर्थिक कारणों जैसे भूमि-विवादों, ऋण के लेन-देन, बंधुआ मजदूरी पद्धति, वानिकी में शोषण तथा कम मजदूरियों आदि के परिणाम स्वरूप होते हैं।

(ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा सूचित 1983-84 तथा 1985 के दौरान अनुसूचित जातियों पर किए गए अत्याचारों के मामलों की संख्या का विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1983	1984	1985+	+1985 के आंकड़े मास तक
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	31	54	19	दिसम्बर
2.	असम	शून्य	13	शून्य	मार्च
3.	बिहार	116	203	180	अक्तूबर
4.	गुजरात	94	114	125	दिसम्बर
5.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर

1	2	3	4	5	6
6.	कर्नाटक	4	1	शून्य	अक्टूबर
7.	केरल	18	104	59	सितम्बर
8.	मध्य प्रदेश	3119	3134	2955	दिसम्बर
9.	महाराष्ट्र	240	159	169	दिसम्बर
10.	मनिपुर	शून्य	शून्य	2	दिसम्बर
11.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	अक्टूबर
12.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	नवम्बर
13.	उड़ीसा	53	55	46	दिसम्बर
14.	राजस्थान	439	400	379	दिसम्बर
15.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
16.	तमिलनाडु	शून्य	4	1	अक्टूबर
17.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
18.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	3	दिसम्बर
19.	पश्चिम बंगाल	20	15	15	नवम्बर
20.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	शून्य	3	1	नवम्बर
21.	अरूणाचल प्रदेश	36	30	11	नवम्बर
22.	दादर नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
23.	गोआ, दमन दीप	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
24.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
25.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
	जोड़	4170	4299	3965	

भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के सम्बन्ध में उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशें

556. प्रो० मधु दण्डवते : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मन्त्री ने 19 अगस्त, 1985 को सदन में यह घोषणा की थी कि सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश संख्या 15.56 को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए यह व्यवस्था कि "वे समयबद्ध आधार पर और संक्षिप्त प्रक्रिया के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति पर अपने रहने के लिए अपने मकान वापस ले सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो सिफारिश संख्या 15.56 का कौन सा भाग स्वीकार किया गया है;

(ग) कौन-कौन से राज्य सिफारिश संख्या 15.56 को आंशिक रूप से लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए राजी हुए हैं; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों की सिफारिशों को उपयुक्त विधेयक द्वारा शीघ्र लागू करने की सलाह दी है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है जिसमें यह व्यवस्था है कि "भूतपूर्व सैनिक समयबद्ध आधार पर और संक्षिप्त प्रक्रिया के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति पर अपने रहने के लिए अपने मकान वापस ले सकते हैं।" आवश्यकता पड़ने पर, इसे लागू करने के लिए राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं।

(ग) इस सम्बन्ध में राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(घ) जी, हां।

विवरण

(क) वे राज्य जिनमें भूतपूर्व सैनिकों के रिहायशी आवास को खाली करवाए जाने की व्यवस्था है :—

(i) गुजरात

(ii) हरियाणा

(iii) जम्मू-कश्मीर

(iv) कर्नाटक

(v) केरल*

(vi) मध्य प्रदेश**

(vii) महाराष्ट्र

(viii) पंजाब*

(ix) त्रिपुरा

(x) उत्तर प्रदेश

(xi) पश्चिम बंगाल

*इन राज्यों में भूतपूर्व सैनिकों के रिहायशी आवास को खाली करवाने से सम्बन्धित मामलों का संक्षिप्त रूप से निपटान करने की व्यवस्था है ।

**मध्य प्रदेश में केन्द्र सरकार की सशस्त्र सेनाओं के भूतपूर्व सैनिकों अथवा सशस्त्र सेनाओं के मृतक सैनिक के परिवार के सदस्यों को उनके आवासों को उन्हें वापस देने की विशेष व्यवस्था है ।

(ख) वे राज्य जिनमें रिहाइशी आवास खाली करवाने की कुछ विशेष व्यवस्थाएं हैं :—

(i) हिमाचल प्रदेश }
(ii) तमिलनाडु } यह व्यवस्था केवल सेवारत कार्मिकों के लिए है ।

(iii) उड़ीसा— इस सम्बन्ध में अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं है लेकिन प्रशासनिक अनुदेश जारी किए गए हैं ।

(ग) वे राज्य जिनमें भूतपूर्व सैनिकों के रिहायशी आवास को खाली करवाने की कोई व्यवस्था नहीं है :—

(i) आंध्र प्रदेश

(ii) असम

(iii) बिहार

(iv) राजस्थान— इस सम्बन्ध में कानून बनाने का विचार है और हाल ही में उसने अध्यादेश का मसौदा भारत सरकार को भेज दिया गया है ।

(घ) वे राज्य जिनमें भूतपूर्व सैनिकों के रिहायशी आवास को खाली करवाने की कोई समस्या नहीं है : —

(i) मणिपुर

(ii) मेघालय

(iii) नागालैंड

(iv) सिक्किम

भारी जल संयंत्रों की स्थापना

557. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कुछ भारी जल संयंत्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त योजना अवधि के दौरान कितने भारी जल संयंत्र स्थापित करने का विचार है;

(ग) ऐसे भारी संयंत्रों को स्थापित करने के लिए किन-किन स्थानों को चुना गया है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) जी, हां। गुजरात में हजीरा में 110 मीटरिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक ऐसा भारी पानी संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है जो अमोनिया और हाइड्रोजन के विनियम की मोनोथर्मल प्रक्रिया पर आधारित होगा तथा मैसर्स कृषक भारती कोआपरेटिव के उर्वरक संयंत्र से जुड़ा होगा।

इलैक्ट्रानिकी के विकास के लिए उठाए गए कदम

558. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने इलैक्ट्रानिकी विकास के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इलैक्ट्रानिकी उद्योग के विकास के लिये एक इलेक्ट्रानिक विकास बैंक स्थापित करने का है; और

(ग) इलैक्ट्रोनिकी उद्योग विकास के लिए अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): (क) इलैक्ट्रोनिकी के विकास के लिए सरकार ने जो उपाय किए हैं, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं। किंतु इलैक्ट्रानिक संघटक-पुर्जा उद्योग के लिए प्राप्त ऋण के आवेदन-पत्रों पर शीघ्र कार्रवाई करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय औद्योगिक विकास बोर्ड (आई० डी० बी० आई०) ने इलैक्ट्रानिकी विभाग के परामर्श से एक कार्यदल का गठन किया है।

(ग) अधिकांश नीतियों तथा क्रियान्वयन विषयक विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांतों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। सरकार विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता, कार्यक्षमता तथा सेवाओं में सुधार लाने की दृष्टि से इलैक्ट्रानिकी के समुचित प्रयोग को बढ़ावा दे रही है।

इलैक्ट्रानिकी-कार्यक्रम की सफलता के लिए मानव सम्पदा के विकास के कार्य को काफी महत्वपूर्ण एवं निर्णायक माना गया है और इस दिशा में एक व्यापक योजना बनाई गई है।

अनेकानेक छोटी तथा मझोली इकाईयों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से परीक्षण तथा विकास के विद्यमान आधार का ग्रेड बढ़ाया जा रहा है ताकि प्रौद्योगिकी की उभरती हुई आवश्यकताओं के साथ उनका तालमेल स्थापित हो सके।

सेवाओं के इलेक्ट्रोनिकीकरण के ही एक अंग के रूप में, कम्प्यूटरीकृत राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था दायरा बढ़ाकर उसका विस्तार जिला स्तर तक किया जा रहा है।

विवरण

देश में इलैक्ट्रानिकी विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार ने नई संवर्धनात्मक नीति तैयार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। नई नीति में मूलभूत रूप से निम्नलिखित दिशाओं में अधिक जोर दिया गया है

(1) लाइसेंसिंग नीति को आमतौर पर उदार बनाना जिसमें विनियमन के बजाए संवर्धन पर अधिक जोर दिया गया है।

(2) जिन क्षेत्रों में नियन्त्रण अपरिहार्य हैं, वहां सामान्यतः वास्तविक नियन्त्रण के बजाए आर्थिक नियंत्रण को तरजीह दी जाएगी।

(3) कुल मिलाकर, उत्पादन क्षमता की कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी और उन मामलों को छोड़कर जहां किन्हीं बहुत ही विशेष कारणों से किसी उत्पाद के लिए विशिष्ट आरक्षण किए गए हों, बड़े पैमाने के उद्योग, लघु क्षेत्र निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र आदि जैसे कोई क्षेत्रीय किस्म के प्रतिबंध नहीं रहेंगे।

(4) समकालीन प्रौद्योगिकी से किफायती स्तर पर अधिक मात्रा में उत्पादन करना मार्गदर्शी सिद्धांत होगा।

निम्नलिखित विशिष्ट उपायों का मुख्य रूप से उल्लेख करना जरूरी होगा;

(i) कुछ चुनिन्दा उत्पादों के लिए एक ही लाइसेंस के अन्तर्गत कई उत्पादों के विनिर्माण का लाइसेंस जारी किया जाएगा।

(ii) इलैक्ट्रानिक संघटक-पुर्जा उद्योग को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है। साथ ही उपभोक्ता वस्तुओं के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी लेकिन शर्त यह है कि ये इकाइयां वित्तीय संस्थानों से साधन स्रोत नहीं ले पाएंगे।

(iii) इलैक्ट्रानिकी के सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के आयात तथा विदेशी सहयोग की अनुमति दी जाएगी। 40 प्रतिशत से कम की विदेशी साम्या-पूंजी वाली इकाइयों को सभी क्षेत्रों में अनुमति दी जाएगी।

(iv) कम लागत पर अधिक मात्रा में उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए निम्नलिखित उत्पादों के लिये प्रौद्योगिकी को केन्द्रीकृत रूप से प्राप्त किया जाएगा।

(क) टेलीफोन उपकरण।

(ख) इलैक्ट्रानिकी पी० ए० बी० एक्स० प्रणालियां।

(ग) ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज।

(v) लघु क्षेत्रों के उद्योग के विकास को प्रोत्साहित किया जायेगा। अनेक उत्पादों के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के कार्य का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है और अब ऐसे अनुमोदन राज्य स्तरीय उद्योग निदेशकों के स्तर पर प्राप्त किये जा सकते हैं। इस क्षेत्र में किये जाने वाले पूंजीनिवेश को संशोधित करके उसे 35.0 लाख रु० कर दिया गया है और सहायक इकाइयों के लिये पूंजीनिवेश 45.0 लाख रु० कर दिया गया है।

(vi) कम लागत पर अधिक मात्रा में उत्पादन करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिये कुछ ऐसे संघटक-पुर्जों को जो अब तक लघु क्षेत्र के उद्योग के लिये आरक्षित हैं उन्हें आरक्षण के दायरे से हटाने का प्रस्ताव है।

(vii) किसी भी अनुमति देने योग्य स्थापना-स्थल में इलैक्ट्रानिक इकाइयां स्थापित करने की अनुमति दी जायेगी।

(viii) दूरसंचार के क्षेत्र में टेलीफोन, ई० पी० ए० बी० एक्स०, दूरमुद्रक, प्रतिदर्श उपस्कर, आंकड़ा संचार टर्मिनल आदि के विनिर्माण की अनुमति निजी क्षेत्र में दी गई है। निजी क्षेत्र द्वारा अन्य वस्तुओं का भी उत्पादन किया जा सकता

है जिसमें केन्द्रीय/राज्य सरकारों का इक्विटी (साम्यापूंजी) के रूप में कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सा होगा।

(ix) उपभोक्ता इलैक्ट्रानिकी को छोड़कर, इलैक्ट्रानिकी के लगभग सभी क्षेत्रों में एकाधिकार प्रतिबन्धनकारी व्यापार पद्धति के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों को एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति अधिनियम की धारा 21 तथा 22 के अन्तर्गत अनुमति लेने से छूट दी गई है। यह सुविधा उसके अतिरिक्त है जिसके अन्तर्गत एकाधिकार प्रतिबन्धनकारी व्यापार पद्धति के अन्तर्गत पूंजी निवेश की सीमा को 20 करोड़ रु० से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

(x) एक नई कम्प्यूटर नीति की घोषणा की गई है, जिसमें अद्यतन प्रौद्योगिकी के आधार पर तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के समतुल्य मूल्यों पर कम्प्यूटरों के विनिर्माण और आर्थिक व्यवहार्यता के अनुरूप क्रमशः स्वदेशीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।

(xi) कच्ची सामग्रियों, संघटक-पुर्जों तथा पूंजीगत उपस्करों पर लगने वाला आयात शुल्क कम कर दिया गया है। कम्प्यूटरों, जिसमें साफ्टवेयर भी शामिल है, और 36 इंची श्याम तथा श्वेत दूर दर्शन रिसीवरों के मामले में उत्पादन शुल्क पर पूरी छूट दी गई है।

(xii) उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से आयात नीति को तर्कसंगत बनाया गया है।

नागार्जुन सागर में परमाणु बिजलीघर

559. श्री श्रीराम मूर्ति भट्टम : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांच दक्षिणी बिजली क्षेत्रों की रिपोर्ट पर विचार किया है;

(ख) उक्त रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई और क्या आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर में परमाणु बिजलीघर के प्रश्न पर कोई निर्णय लिया गया था;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ऐसे कितने बिजलीघर स्थापित करने का विचार है; और

(घ) इसके लिए किन स्थानों के बारे में विचार किया जा रहा है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थल चयन समिति द्वारा देश के दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी विद्युत क्षेत्रों के

बारे में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन हैं । स्थल चयन समिति ने दक्षिणी विद्युत क्षेत्र के जिन स्थलों के बारे में विचार किया है उनमें आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर भी शामिल है ।

(ग) और (घ) सातवीं योजनावधि में दो ऐसे नए परमाणु बिजलीघर लगाने का काम आरंभ करने के लिये अनुमोदन किया जा चुका है जिनमें से प्रत्येक में दो यूनिट होंगे और प्रत्येक यूनिट की क्षमता 235 मेगावाट होगी । इनमें से एक बिजलीघर कर्नाटक में कैगा नामक स्थान पर लगाया जाएगा और दूसरा राजस्थान में रावतभाटा स्थित वर्तमान बिजलीघर के विस्तार के रूप में होगा । अभी यह विचाराधीन है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितने अतिरिक्त बिजलीघर कहां-कहां लगाए जाएं ।

"परिवेशी किस्म के प्रदूषण का स्तर"

5 0. श्री डी० बी० पाटिल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में परिवेशी किस्म के वायु प्रदूषण का स्तर क्या है;

(ख) क्या भारत में परिवेशी किस्म के वायु प्रदूषण का वर्तमान स्तर सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के परिवेश किस्म के वायु प्रदूषण के स्तर की तुलना में कम है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा परिवेशी किस्म के वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) केन्द्रीय प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषकों की सीमा निर्धारित करते हुए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक निम्न प्रकार से हैं :—

क्षेत्र	स्थगित पार्टिकुलेट मैटर	सल्फर डाइ-आक्साइड	कारबन मोनो-आक्साइड	नाइट्रोजन आक्साइड
औद्योगिक तथा मिश्रित उपयोग	500	120	5,000	120
आवासीय तथा ग्रामीण	200	80	2,000	80
संवेदनशील (हिलस्टेशन पर्यटक आरामगृह, अभयारण्य, हेल्थ रिसोर्ट तथा अन्य क्षेत्र)	100	30	1,000	30

(ख) भारत में वायु मानक संयुक्त राज्य अमेरिका तथा उससे अधिक सोवियत रूस के साथ तुलनीय है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली और राजस्थान में सैनिक स्कूल

561. श्री बनवारी लाल बैरवा : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और राजस्थान में कितने स्कूल चलाये जा रहे हैं और इन स्कूलों में कितने छात्र भरती हैं;

(ख) क्या सरकार देश भर में सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़ायेगी; और

(ग) क्या असैनिक व्यक्तियों के बच्चों के लिये इन स्कूलों में प्रवेश पाने का कोई प्रावधान है और यदि हां, तो प्रतिवर्ष असैनिक व्यक्तियों के कितने बच्चों को इसमें प्रवेश दिया जाता है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) दिल्ली में कोई भी सैनिक स्कूल नहीं है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में एक सैनिक स्कूल चल रहा है। 31 जनवरी, 1986 को इस स्कूल में 562 छात्र थे।

(ख) सैनिक स्कूल राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश के विशेष अनुरोध पर स्थापित किया जाता है क्योंकि स्कूल का समस्त पूंजीगत व्यय और आवर्ती व्यय का अधिकांश भाग उन्हें ही वहन करना होता है। इस समय देश में 18 सैनिक स्कूल हैं। और सैनिक स्कूल खोलने के बारे में तभी विचार किया जा सकता है जब सैनिक स्कूलों की योजना के अनुसार राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से इस बारे में विशेष अनुरोध प्राप्त होते हैं।

(ग) सैनिक स्कूलों में भूतपूर्व सेनिकों सहित सैना कार्मिकों के बच्चों के लिए केवल 25 प्रतिशत स्थान ही आरक्षित किए गये हैं। बाकी स्थान असैनिक कार्मिकों के बच्चों के लिये उपलब्ध हैं। प्रतिवर्ष प्रवेश पाने वाले असैनिक कार्मिकों के बच्चों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि प्रत्येक स्कूल में कितने स्थान खाली हैं।

[अनुवाद]

"केरल में वन भूमि में अधिवासियों को हकनामा"

562. श्री के० मोहन लाल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में वन भूमि में कुछ श्रेणियों के अधिवासियों को हकनामा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार ने त्रिचूर जिले के ओल्लुक्कारा गांव में 8.632 हैक्टेयर वनभूमि का दिक्कपरिवर्तन करने के लिए तथा इस भूमि को उन लोगों को देने के लिए जिन्होंने इस पर अतिक्रमण किया है, केन्द्र सरकार की स्वीकृति मांगी है ।

(ग) चूंकि राज्य सरकार में केन्द्र सरकार द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए हैं अतः केन्द्र सरकार अभी तक कोई भी निर्णय नहीं ले पाई है ।

भारतीय वायु सेना में मिग-27 विमान को शामिल करना

563. **श्री संतोष मोहन देव**
श्री आर० एम० भोये : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु सेना में हाल ही में कोई मिग-27 विमान शामिल किया गया है;

(ख) क्या उसको देश में तैयार किया गया था अथवा विदेश से खरीदा गया था; और

(ग) उक्त विमान की मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) मिग-27 विमान एक सीट वाला आधुनिक बमवर्षक लड़ाकू विमान है । यह उन्नत तक्नालाजी वाला विमान है जो अति आधुनिक हथियारों को ले जा सकता है । इस विमान का उत्पादन रूसी सरकार से प्राप्त लाइसेंस के अन्तर्गत हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है ।

मणिपुर भाषा का आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना

564. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में आल इंडिया यूथ फैडरेशन के मणिपुर एकक से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें यह मांग की गई है कि मणिपुर भाषा (मीटोला) को राष्ट्रीय भाषा घोषित करके संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए तथा सशस्त्र सेना विशेष शक्तियां अधिनियम

(असम तथा मणिपुर) 1985 को वापस लिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। सरकार का मत है कि आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को सम्मिलित करने से अन्य प्रतिप्रभाव और प्रतिक्रियाएं होगी। तथापि सभी भाषाओं की संस्कृति और साहित्य सम्पदा को विकसित करना सरकार का कार्य है चाहे वे आठवीं अनुसूची में सम्मिलित हों या नहीं।

भूमिगत उग्रवादियों द्वारा हिंसा जारी रखने और आम नागरिक के जीवन और कानूनी रूप से स्थापित सरकार को खतरे के कारण सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (असम और मणिपुर) 1958 को वापस लेना वांछनीय नहीं है।

केरल के लिए वार्षिक योजना परिव्यय

565. श्री टी० बशीर : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के लिए वर्ष 1986-87 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि का योजना परिव्यय है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, हां।

(ख) केरल का वर्ष 1986-87 के लिए अनुमोदित योजना परिव्यय 390 करोड़ रु० है जिसका वितरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वार्षिक योजना 1986-87 केरल

(लाख रु०)

	विकास का शीर्ष	सहमत परिव्यय
	1	2
1.	कृषि और सम्बद्ध सेवाएं	5200
2.	ग्रामीण विकास	2045
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	100

	1	2
4.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	6550
5.	ऊर्जा	7709
6.	उद्योग और खनिज	
	ग्राम और लघु उद्योग	953
	उद्योग (ग्राम और लघु उद्योग के अलावा)	2337
	खनन	60
	जोड़ (6)	3350
7.	परिवहन	
	बन्दरगाह और प्रकाश स्तम्भ	220
	सड़क और पुल	3600
	सड़क परिवहन	550
	अन्तर्राज्यीय जल परिवहन	160
	जोड़ (7)	4530
8.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	550
9.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	370
10.	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1292
11.	स्वास्थ्य	1200
12.	जल पूर्ति, आवास और शहरी विकास	
	जल पूर्ति और स्वच्छता	2100
	आवास (पुलिस आवास सहित)	800
	शहरी विकास (राज्य राजधानी परियोजनाओं सहित)	340
13.	सूचना तथा प्रचार	80

	1	2
14.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	450
15.	श्रम और श्रमिक कल्याण	97
16.	समाज कल्याण और पोषाहार	
	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	104
	पोषाहार	1333
17.	सामान्य सेवाएं	
	लेखन सामग्री और मुद्रण	100
	सार्वजनिक कार्य	700
	जोड़ (17)	800
	कुल जोड़	39000

[हिन्दी]

घटिया किस्म के रंग-रोगन की सप्लाई

566. श्री निर्मल खत्री : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभागों को घटिया किस्म के रंग-रोगन सप्लाई किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या जांच रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश की सम्बन्धित फर्मों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है ?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 1985 के दौरान उपभोक्ता यूनिटों से रंग-रोगन में खराबी से सम्बन्धित केवल दो रिपोर्टें प्राप्त हुई।

(ख) और (ग) चूंकि जांच के दौरान उपभोक्ता यूनिटें इस बारे में नहीं बता सकी कि इनकी सप्लाई कहां से प्राप्त हुई है इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी ।

[अनुवाद]

वर्ष 1986-87 के लिए बिहार की वार्षिक योजना

567. श्री राम प्यारे पनिका : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986-87 की बिहार की वार्षिक योजना पर योजना आयोग द्वारा चर्चा की गई है तथा उसको स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष के लिए उसका परिव्यय कितना है; और

(ग) इस वर्ष राज्य में विकास के किस क्षेत्र पर बल दिया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) जी हां। बिहार की वार्षिक योजना 1986-87 के लिए 1150 करोड़ रु० के परिव्यय को पहले ही अन्तिम रूप दिया जा चुका है।

(ग) वर्ष 1986-87 के दौरान कृषि, सिंचाई, विद्युत, गरीबी दूर करने के कार्यक्रम, उद्योग, स्वास्थ्य तथा समस्या वाले क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया जा रहा है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में आवंटन

568. श्री हुसैन दलवाई : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में किस शीर्ष को आवंटन में प्राथमिकता दी गई है;

(ख) सातवी पंचवर्षीय योजना में शीर्ष-वार आवंटन कितना है; और

(ग) जहां तक वित्तीय आवंटनों का संबंध है मानव संसाधन विकास को कम महत्व दिए जाने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) विकास के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना के परिव्यय और सरकारी क्षेत्रक के कुल परिव्यय में उनका भाग संलग्न विवरण-1 में दिया गया है ।

(ग) सातवीं योजना में मानव संसाधन विकास पर बहुत बल दिया गया है और इसमें मुख्य संघटक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, जल पूर्ति और स्वच्छता के लिए सामाजिक आधार-

संरचना का विस्तार है। इसके अलावा मानव संसाधन विकास में ऐसे उपाय भी शामिल हैं कि विकास प्रक्रिया में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और विकलांगों जैसे कमजोर समूहों की सहभागिता हो।

इस व्यापक अर्थ में मानव संसाधन विकास के लिए परिव्यय छठी योजना—1980-85 में 14035.26 करोड़ रु० (कुल योजना परिव्यय का 14.4 प्रतिशत) से बढ़कर सातवीं योजना में 1985-90 में 29350.46 करोड़ रु० (कुल योजना परिव्यय का 16.3 प्रतिशत) हो गया है जिससे 109.1 प्रतिशत* की वृद्धि का पता चलता है। ब्यौरों का विवरण-2 संलग्न है।

*सामाजिक सेवाओं में आवंटन का भाग भी दूसरे स्थान पर सबसे अधिक है; यह केवल ऊर्जा क्षेत्रक के बाद हैं।

विवरण-1

सरकारी क्षेत्रक के परिव्यय—सातवीं योजना

(करोड़ रु०)

क्रम संख्या	विकास का शीर्ष	परिव्यय	कुल परिव्यय का प्रतिशत
1.	ऊर्जा	54821.26	30.45
2.	सामाजिक सेवाएं	29350.46	16.31
3.	परिवहन	22971.02	12.76
4.	उद्योग और खनिज	22460.83	12.48
5.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	16978.65	9.43
6.	कृषि	10573.62	5.87
7.	ग्रामीण विकास	9074.22	5.04
8.	संचार, सूचना और प्रसारण	6472.46	3.60
9.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	3144.69	1.75
10.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	2466.00	1.37
11.	अन्य	1686.79	0.94
	कुल जोड़	180,000.00	100.00

विवरण 2

छठी और सातवीं योजनाओं के दौरान सामाजिक सेवाओं के लिए योजना प्रावधान

(करोड़ रु०)

सामाजिक सेवाएं	छठी योजना के परिव्यय	सातवीं योजना के परिव्यय	वृद्धि का प्रतिशत
शिक्षा	2523.74	6382.65	152.9
स्वास्थ्य	1753.05	3392.89	93.5
परिवार कल्याण	1078.00	3256.26	202.1
आवास और शहरी विकास	2488.40	4259.50	71.2
जल पूर्ति और स्वच्छता	3922.02	6522.47	66.3
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	960.30	1520.43	58.3
अनुसूचित जाति संघटक योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	600.00	930.00	55.0
सामाजिक कल्याण	271.97	1012.36	272.2
पोषाहार	238.14	1740.18	630.7
श्रम और श्रमिक कल्याण	199.64	333.72	67.2
जोड़	14035.26	29350.46	109.1
कुल योजना परिव्यय	97500.00	180,000.00	84.6

[हिन्दी]

भारत के बिना आबादी वाले द्वीपों का विकास

569. डा० ए० के० पटेल : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्रत्येक महासागर/सागर/खाड़ी में आबादी विहीन द्वीपों की संख्या कितनी है; और

(ख) इनमें से ऐसे कितने द्वीप हैं जहां पर विकास सम्भव है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) 1981 की जनगणना के अनुसार आबादी विहीन द्वीपों की संख्या नीचे दी गई है :—

क्र० सं०	भारत के महासागर/सागर खाड़ी के नाम	आबादी विहीन द्वीपों की संख्या
1.	अरब सागर में द्वीप	98
2.	बंगाल की खाड़ी में द्वीप	52

(ख) अधिकतर बिना आबादी वाले द्वीप या तो क्षेत्रफल में बहुत छोटे हैं या अलग-थलग/चट्टानों के समूह हैं और ज्वार भाटा के दौरान प्राय: जलमग्न हो जाते हैं। इस प्रकार के द्वीपों में विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तथापि कुछ द्वीपों में नारियल की पैदावार/वनरोपण शुरू किया गया है तथापि कुछ बिना आबादी वाले द्वीपों का प्रयोग इमारती लकड़ी प्राप्त करने और पर्यटन के विकास के लिए किया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार ने मन्नार खाड़ी में 21 छोटे द्वीपों को मिलाकर एक समुद्री राष्ट्रीय पार्क स्थापित करने का निर्णय किया है। लक्षद्वीप में एक बिना आबादी वाले द्वीप सुहेली में एक मछली उद्योग कार्यशाला का निर्माण किया जा रहा है। पश्चिमी बंगाल सरकार दो द्वीपों को नामत: लोथियान और हेल्लीदे का विकास वन्य जन्तु विहार के रूप में विकसित कर रही है और दो अन्य द्वीपों नामत: डलहौजी और भंगरौनी का बाघ आरक्षण क्षेत्र के रूप में संचालन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

ब्रिटेन में उग्रवादियों की गतिविधियों पर रोक

580. श्री बी० वी० देसाई
श्री टी० बशीर
श्री मानिक रेड्डी
श्री सरफराज अहमद
श्री एम० रघुमा रेड्डी

: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने ब्रिटिश अधिकारियों को उग्रवादियों की कथित गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु कड़े उपाय करने और धमकी भरे पत्र भेजने वाले दोषी व्यक्तियों तथा श्री तरसेम सिंह तुर की हत्या के लिए जिम्मेदार पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) उग्रवादियों की गतिविधियां बराबर चल रही हैं और उनमें कोई कमी नहीं आई है।

छठी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा के लिए कुल धनराशि

571. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में उड़ीसा के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा के लिए आवंटित योजना राशि का पूरा उपयोग किया; और

(ग) यदि नहीं, तो कितनी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) उड़ीसा की छठी पंचवर्षीय योजना के लिए 1500 करोड़ रु० का अनुमोदन किया गया है जिसके मुकाबले व्यय 1565.21 करोड़ रु० रहा जो कि अनुमोदित परिव्यय से 65.21 करोड़ रु० अधिक है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में परियोजनाओं के लिए दी गई राशि

572. श्री सोमनाथ रथ : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के अन्तर्गत उड़ीसा में विभिन्न परियोजनाओं के लिए कितनी राशि दिए जाने का विचार है; और

(ख) उड़ीसा राज्य में सातवीं योजनावधि के पहले वर्ष के दौरान कौन सी परियोजनाएं प्रारम्भ करने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) अनेक क्षेत्रकों में, पंचवर्षीय योजना परिव्ययों का सामान्यतः क्षेत्रकवार अनुमोदन किया जाता है। कुछ क्षेत्रकों में, जैसे विद्युत और सिंचाई में, परिव्ययों का पंचवर्षीय योजना, तथा वार्षिक योजना के लिए भी परियोजना-वार अनुमोदन किया जाता है। संलग्न विवरण में उड़ीसा के सिंचाई और विद्युत क्षेत्रकों में, सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1985-90) में तथा वार्षिक योजना 1985-86 (सातवीं योजना का पहला वर्ष) के लिए अनुमोदित परिव्यय बताए गए हैं।

विवरण

वार्षिक योजना 1985-86 और सातवीं योजना (1985-90) के अन्तर्गत महत्वपूर्ण सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिए परिव्ययों का विवरण—उड़ीसा

(लाख रु०)

परियोजनाएं	सातवीं योजना अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना 1985-86 अनुमोदित परिव्यय
1	2	3
सिंचाई परियोजनाएं		
1. अपर इन्द्रावती बांध	7000	100
2. अपर इन्द्रावती सिंचाई	1050	250
3. महानदी बिरूपा बैरेज	6073	2000
4. सुबर्नरेखा परियोजना	11000	1000

1	2	3
5. रेंगाली बांध	194	150
6. रेंगाली सिंचाई	5000	400
7. अपर कोलाब—बांध	1354	600
8. अपर कोलाब—सिंचाई	1950	100
9. मध्यम सिंचाई परियोजना —फेज II(संख्या 18)	15032	3700
विद्युत परियोजनाएं		
1. तल्चर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	100	100
2. रेंगाली	756	700
3. ऊपरी कोलाब	4400	1900
4. ऊपरी इन्द्रावती	30000	3000
5. हीराकुंड पन-बिजली परियोजना स्टेज—III	1581	1200

[हिन्दी]

रक्षा सामग्री के उत्पादन में आत्म-निर्भरता

573. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा सामग्री के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) 1965 में स्थापित रक्षा पूर्ति विभाग जिसे अब रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में मिला दिया गया है का मुख्य उद्देश्य रक्षा सामान के उत्पादन के लिए देशी स्रोतों का विकास करना है। इसके लिए तकनीकी निदेशकों की अध्यक्षता में तकनीकी समितियां गठित की गई हैं जिन्हें देश में तैयार किए जाने वाले सामान की मदों

का पता लगाने, उनके लिए स्रोतों का पता लगाने, उत्पादन के दौरान निरीक्षण करने तथा तकनीकी मार्गदर्शन आदि देने की जिम्मेवारी दी गई है। इसके अलावा उद्योग के साथ निरन्तर कार्रवाई करने के लिए 1985 में एक शिखर समिति और विभिन्न कार्य ग्रुपों वाले द्विस्तरीय तंत्र का गठन किया गया है।

(ख) रक्षा सामान और उपस्करों का देश में उत्पादन एक सतत प्रक्रिया है। इस सम्बन्ध में सैना की दीर्घकालीन जरूरतों को ध्यान में रखकर सामरिक और सुरक्षा सम्बन्धी तथ्यों पर विचार करने के बाद निर्णय लिए जाते हैं।

[अनुवाद]

प्रशासन में सुधार करने के लिए कदम

574. श्री आनन्द सिंह : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न स्तरों पर प्रशासन में सुधार हेतु कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) मन्त्रालयों/विभागों ने देरी को कम करने, जिम्मेदारी लागू करने, निर्णय लेने की प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत करने, नियमों और क्रियाविधियों को सरल बनाने तथा कर्मचारियों को विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से प्रशासनिक संगठनों, क्रियाविधियों और परिपाटियों का पुनरीक्षण हाथ में लिया है। इस दिशा में उपाय किए गये हैं। चूंकि प्रशासनिक सुधार एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है इसलिए पुनरीक्षण चलता रहेगा।

ब्रिटेन द्वारा भारत में औषध एजेंटों की नियुक्ति

575. श्री वी० तुलसी राम
श्री सी० पी० ठाकुर } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नशीले पदार्थों के व्यापार के लिये भारत में ब्रिटेन के अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में दिनांक 4 फरवरी, 1986 के टाइम्स आफ इण्डिया में "इंडो-यू० के० रो ओन कस्टम डीपन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार को देखा है;

(ख) यदि हां, तो ब्रिटेन द्वारा भारत में औषध एजेंटों की नियुक्ति के बारे में ब्रिटिश सरकार के व्यवहार के सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रति प्रक्रिया है;

(ग) क्या भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए इस प्रकार के दोषपूर्ण मामले को उच्च स्तर पर उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ब्रिटिश सरकार के इस तरह के व्यवहार से आपसी सम्बन्धों पर किस हद तक बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) युनाइटेड किंगडम की सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार विचार कर रही है।

(ग) युनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा किसी प्रकार का आरोप लगाये जाने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत-पाक सीमा पर गोलाबारी की घटनाएं

576. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी**
श्री अख्तर हसन
डा० गौरी शंकर राजहंस
श्री वी० तुलसीराम } : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो महीने के दौरान भारत-पाक सीमा पर गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कितनी बार गोलीबारी हुई;

(ग) गोलीबारी में कितने जवान मारे गए;

(घ) क्या सरकार ने इसके विरुद्ध कोई जवाबी कार्रवाई की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) :(क) से (ग) पिछले दो महीनों के दौरान जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा के आर-पार पाकिस्तानी और भारतीय सैनिकों के बीच गोलीबारी की कुछ घटनाएं हुई हैं जिसके फलस्वरूप दोनों ओर के कुछ सैनिक हताहत हुए। इस संबंध में ब्यौरे देना ठीक नहीं होगा।

(घ) और (ङ) ऐसी घटनाओं से सम्बन्धित मामले स्थानीय कमांडरों के स्तर पर ध्वज बैठकों में निपटाये जाते हैं।

टेलीविजन पर फिलिप्स के 'ट्रेडमार्क' पर प्रतिबन्ध

577. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिलिप्स ट्रेडमार्क पर निकट भविष्य में प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या फ़िलिप्स टेलीविजन सैट कानूनी रूप से चिन्हित नहीं है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा विभाग, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) दूरदर्शन रिसीवर सैटों के सम्बन्ध में घोषित सरकार की औद्योगिक एवं लाइसेंसिंग नीति के अनुसार, दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण तथा उनकी बिक्री के लिए विदेशी ब्रांड नामों की अनुमति नहीं दी जाती है। इलैक्ट्रानिकी विभाग को मेसर्स पीको इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे कि यह कम्पनी अपने दूरदर्शन सेटों को फिलिप्स के नाम से बाजार में बेच रही है। यह प्रश्न मेसर्स पीको इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के समक्ष उठाया गया था, जिन्होंने हाल ही में इलेक्ट्रोनिकी विभाग को सूचित किया है कि उन्होंने दूरदर्शन रिसीवरों के लिए फिलिप्स ब्रांड नाम को प्रयोग करना बंद करने का निर्णय किया है, जो तत्काल प्रभावी होगा।

पाकिस्तानी सैनिक टुकड़ियों द्वारा पुंछ क्षेत्र में गोलाबारी

578. **श्री बी० बी० देसाई**
श्री राजकुमार राय } : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 जनवरी, 1986 को पाकिस्तानी सैनिक टुकड़ियों द्वारा पुंछ क्षेत्र में गोलाबारी की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या दिसम्बर, 1985 के मध्य से जनवरी, 1986 तक पाकिस्तानी सैनिक टुकड़ियों द्वारा पुंछ क्षेत्र में भारतीय चौकियों पर कई बार गोलीबारी की गई;

(ग) कुल कितनी बार गोलीबारी की गई और उनके क्या कारण थे तथा दोनों ओर कितने लोग हताहत हुए; और

(घ) पाकिस्तानी सैनिक टुकड़ियों द्वारा भारतीय चौकियों पर गोलीबारी रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ग) दिसम्बर, 1985 और जनवरी 1986 के दौरान जम्मू और कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा हमारी चौकियों पर अकारण गोलाबारी करने की कुछ घटनाएं हुई हैं। इनमें हमारा कोई भी सैनिक हताहत नहीं हुआ। पाकिस्तानी सैनिकों के हताहत होने के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

(घ) जब भी आवश्यकता पड़ती है ऐसी घटनाएं न होने देने के लिए क्षेत्रीय कमांडरों के स्तर पर जो ध्वज बैठकें आयोजित की जाती हैं और साथ ही उच्च स्तर पर भी सम्पर्क स्थापित किया जाता है।

सियाचिन ग्लेशियर में झड़पों के सम्बन्ध में पाकिस्तान के साथ बातचीत का निष्कर्ष

579. श्री सी० माधव रेड्डी
श्री बी० वी० देसाई
श्री अख्तर हसन
श्री पी० नामग्याल
डा० कृपा सिन्धु भोई
श्री के० प्रधानी
डा० बी० एल० शैलेश
: क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में सीमा पर झड़पें समाप्त करने के लिए भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

(ख) इस मामले को शिमला समझौते की शर्तों के अनुसार निपटाए जाने के लिए बातचीत का अगला दौर कब होगा;

(ग) पिछले तीन महीनों के दौरान सीमा पर झड़पों के परिणामस्वरूप कितने लोग हताहत हुए; और

(घ) इन क्षेत्रों में लम्बे समय से चले आ रहे विवाद के क्या कारण हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) भारत और पाकिस्तान के रक्षा सचिवों के बीच साल ही में जो बातचीत हुई थी वह केवल सियाचिन ग्लेशियर से सम्बन्धित स्थिति के बारे में थी। इस बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी स्थिति स्पष्ट की और किसी ऐसी तारीख को पुन: मिलने के लिए सहमत हो गए जो दोनों पक्षों को सुविधाजनक हो।

(ग) पिछले तीन महीनों में जम्मू और कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र और नियन्त्रण रेखा के आर-पार भारत और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच हुई गोलीबारी से दोनों पक्षों के सैनिक हताहत हुए हैं।

(घ) पाकिस्तान ने भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के भाग पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है और अब बिना किसी आधार के सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र, जो भारत का एक अभिन्न अंग है, पर भी अपनी दावा कर रहा है।

[हिन्दी]

रंग-रोगन की किस्म की जांच किए बिना इसकी खरीद

580. **श्री निर्मल खत्री** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मन्त्रालय से सम्बन्धित विभागों में, जहां पर रंग-रोगन की किस्म की जांच किए बिना इसकी खरीद की जाती है, रंग-रोगन की खरीद के लिए "पोस्ट लैब टैस्ट" प्रणाली आरंभ की गई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रणाली के अन्तर्गत (उत्तर प्रदेश में स्थित) किन-किन फर्मों से माल खरीदा गया;

(ग) क्या इस प्रणाली के आरम्भ किए जाने से पहले और पश्चात् इन फर्मों द्वारा सप्लाई किए गए माल की परीक्षण रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) रक्षा के लिए रंग-रोगन की जांच करने के लिए "पोस्ट लैब टैस्ट" प्रणाली प्रचलित है। फिर भी, सामान भेजने के बाद, सप्लाई किए गए सामान की प्रयोगशाला में जांच की जाती है। इससे सप्लाईकर्ता सामान की जांच के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना पोषिती को सामान भेज सकता है लेकिन इसके लिए सप्लाई-कर्ता को यह गारंटी देनी पड़ती है कि अगर भेजा गया सामान निर्धारित स्तर के अनुकूल न पाया गया तो उसके एवज में मुफ्त सप्लाई की जाएगी।

(ख) रंग-रोगन की खरीद के लिए "पोस्ट लैब टैस्ट" प्रणाली के अन्तर्गत 1985 में उत्तर प्रदेश की एकमात्र फर्म मैसर्स नागरथ पेंट्स को ही ठीक पाया गया।

(ग) और (घ) 1985 में मैसर्स नागरथ पेंट्स को "पोस्ट लैब टैस्ट" की सुविधा दे देने के बाद इस फर्म ने "पोस्ट लैब टेस्ट" के आधार पर विभिन्न किस्म का 7 लाख लिटर से भी अधिक रंग-रोगन सप्लाई किया और प्रयोगशाला जांच से उसे ठीक पाया गया। हाल ही में (31-1-86 को) एक विशेष रंग-रोगन की 12,280 लिटर की दो खेपों में कुछ कमियां पाई गईं। इन कमियों की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

मिजो समस्या

581. श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्री यशवन्त राम गडाख पाटिल
श्री के० प्रधानी
: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजो समस्या के समाधान के लिए मिजो नेशनल फ्रंट के साथ अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) मिजो नेशनल फ्रंट के साथ अभी वार्ता जारी है।

बहुमंजिली इमारतों में अग्नि से बचाव नियमों का पालन

582. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही
श्री संतोष मोहन देव
प्रो० के० वी० थामस
: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में दिल्ली में सिद्धार्थ कांटीनेन्टल होटल में लगी आग को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार बहुमंजिली इमारतों में सुरक्षा नियमों का पालन न करने के लिए दिए जाने वाले दंड में वृद्धि करने के लिए कानून बनाने का विचार है;

(ख) क्या यह भी सच है कि गैर-सरकारी ठेकेदारों और सरकारी इंजीनियरों के बीच कथित मिलीभगत के कारण सरकारी भवनों में भी अग्निरोधी सुरक्षा व्यवस्था की कमी पाई गई है;

(ग) यदि हां, तो सरकारी और निजी बहुमंजिले भवनों में सुरक्षा उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा चुके हैं अथवा किए जाएंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसा न किए जाने का क्या औचित्य है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) कुछ सरकारी भवनों में अग्नि निवारक उपायों की कमी हो सकती है, लेकिन अभी तक सरकारी इंजीनियरों और गैर-सरकारी ठेकेदारों के बीच कथित मिलीभगत का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा गठित विशेषज्ञों की अग्नि शमन सलाहकार समिति को वर्तमान

अग्नि सुरक्षा प्रबन्धों का मूल्यांकन करने के लिए दिल्ली में सभी बहुमंजिली इमारतों का निरीक्षण करने और एक समयबद्ध तरीके से उनके बढ़ाने की सिफारिश करने के लिए पहले ही निदेश दे दिए गए हैं। ऐसा कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है। जिससे सरकार अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू कर सकेगी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में महिलाओं को जलाने/आत्महत्या के मामले

583. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जून, 1985 से 10 फरवरी, 1986 तक दिल्ली तथा देश के विभिन्न भागों में महिलाओं को जलाने और महिलाओं द्वारा आत्महत्या करने के कितने मामले पुलिस में दर्ज हुए हैं और सरकार की जानकारी में आए हैं; और

(ख) इस प्रकार की घटनाओं की संख्या को कम से कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) "लोक व्यवस्था' और 'पुलिस" का विषय संविधान की आठवीं अनुसूची की राज्य सूची में है। अतः अपराधों से सम्बन्धित कानूनों का लागू करना राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। तथापि जून, 1985 से जनवरी, 1986 तक की अवधि के दौरान दिल्ली में दहेज के कारण महिलाओं के जलने से हुई मौतों या उनके द्वारा की गई आत्महत्याओं के 16 मामले सूचित किए गए हैं।

(ख) दहेज के कारण मृत्यु और विवाहित महिलाओं के साथ निर्दयता के मामलों से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 1983 (1983 का 43वां) और आपराधिक कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1983 (1983 का 46वां) द्वारा भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को संशोधित किया गया है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अन्तर्गत इन अपराधों को दहेज निषेध (संशोधन) अधिनियम 1984 (1984 का 63वां) द्वारा संज्ञेय गैर-जमानतीय और गैर-समाधेय अपराध बना दिया गया है। दहेज की मांग करने और दहेज लेने या देने के लिए दण्ड बढ़ा दिया गया है।

2. दहेज के कारण मृत्यु के मामलों से निपटने के लिए सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को अगले पृष्ठ पर लिखित निर्देश जारी किए गए हैं :—

(i) विवाह के प्रथम 10 वर्षों के दौरान युवा विवाहित महिलाओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु या आत्महत्या की कोशिश करने के सभी मामलों को पुलिस द्वारा गम्भीर रूप से लिया जाना चाहिए।

(ii) इस प्रकार के मामलों की जांच-पड़ताल पुलिस उप-अधीक्षक से कम स्तर के अधिकारी द्वारा नहीं की जानी चाहिए।

(iii) जहां शव परीक्षा की जाती है, इस प्रकार की शव परीक्षण दो डाक्टरों के दल द्वारा की जानी चाहिए।

(iv) पुलिस के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना, शव परीक्षा के बिना, शव के निपटान की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(v) पुलिस को तब तक अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देना चाहिए जब तक शव को अभिभावकों या संरक्षकों या दुल्हन की तरफ के नजदीकी रिश्तेदारों द्वारा नहीं देखा जाता है।

———

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आज सारे देश में 'भारत बन्द' आयोजित किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है।

श्री बसुदेव आचार्य : श्रीमन्, मैं चाहता हूं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ समय पहले इसी विषय पर हमने चर्चा की थी। हम पुनः इस पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सभा के माननीय और विद्वान सदस्य हैं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम पहले ही इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : श्रीमन्, सारा देश···

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या मजाक है ? क्या आपको कोई सन्तोष प्राप्त होता है ?

—(व्यवधान)*—

———

12.01 म० प०

रेल बजट, 1986-87

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : परिवहन मन्त्री।

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : खड़े हुए।

(व्यवधान)*

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : मैं भारतीय रेल के 1985-86 के संशोधित अनुमान ···(व्यवधान)···और वर्ष 1986-87 के बजट अनुमान पेश करने के लिए उपस्थित हुआ हूं।

संक्षेप में, मैं पिछले वर्ष निष्पादित कार्य का जिक्र कर रहा हूं···(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : बजट लीक हो गया। ये मेरे पास रेलवे बजट के

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सम्बन्ध में पेपर की कापी है, यह रेल बजट लीक हो गया है। मान्यवर यह मेरे पास कापी है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे यहां मत दीजिए। यह उचित तरीका नहीं है। श्री महफूज अली खां जी, आप महसूस कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं ? आप अपने स्थान पर जाइए। यह मुझे मत दीजिए।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

12.03 म० प०

इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : श्रीमन्, हमें माननीय मन्त्री का कथन सुनाई नहीं दिया। कृपया उन्हें कहें कि दुबारा पढ़ें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, बंसी लाल जी।

[हिन्दी]

दुबारा पढ़िए।

[अनुवाद]

श्री ई० अय्यपु रेड्डी (कुरनूल) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें पहले ही दुबारा पढ़ने के लिए कह दिया है, अब ठीक है। मैंने उन्हें दुबारा पढ़ने के लिए कह दिया है। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैंने मन्त्री को दुबारा पढ़ने के लिए कहा है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं दिया गया।

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) . अध्यक्ष महोदय, श्रीमन् मैं भारतीय रेलों के 1985-86 के लिए संशोधित अनुमान और 1986-87 के बजट अनुमान पेश करने के लिए उपस्थित हूं।

गत वर्ष 1984-85 का कार्य-निष्पादन

2. सबसे पहले मैं गत वर्ष के कार्य-निष्पादन का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा। वर्ष 1984-85 के संशोधित अनुमान प्रस्तुत करते समय मैंने कहा था कि रेलों के काबू से बाहर ऐसे अनेक कारण हैं जिन्होंने रेलवे के कार्य-निष्पादन पर प्रभाव डाला है। इन कारणों में यातायात की प्राप्ति में आई गिरावट और कुछ क्षेत्रों में व्याप्त नागरिक अशान्ति शामिल है। इन सब कारणों के बावजूद, रेलें लगभग 236 मिलियन टन राजस्व उपार्जक यातायात की ढुलाई कर सकने में सफल हुई, जबकि 1983-84 में 230 मिलियन टन ही की ढुलाई हो पाई थी। वर्ष की समाप्ति 270.10 करोड़ रुपये के शुद्ध राजस्व के साथ हुई, जबकि अनुमान 209 करोड़ रुपये के शुद्ध राजस्व का था।

चालू वर्ष 1985-86 का कार्य-निष्पादन

3. नयी सरकार के कार्यभार सम्हालने के शीघ्र बाद ही यह वित्त वर्ष शुरू हो गया था। हमारे प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी के नेतृत्व ने देश के कोने-कोने में नया उत्साह और जोश भर दिया था। रेल कर्मचारी भी इससे प्रेरित हुए और वे अधिक कर्तव्यनिष्ठा और संकल्प की भावना से अपने काम में जुट गए। परिणाम सबके सामने हैं। रेलों द्वारा ढोये गए यातायात की मात्रा में वृद्धि हुई है, हालांकि हमारे माल डिब्बों की संख्या प्रायः पहले जितनी ही रही है। प्रति माल-डिब्बा प्रति दिन शुद्ध टन किलोमीटर ने, जो कार्यकुशलता का प्रमुख संकेतक है, पिछले सभी रिकार्ड तोड़ दिये हैं। देश में रेलवे के सभी उत्पादन कारखानों ने या तो अपना लक्ष्य पूरा किया है या उससे भी आगे निकल गये हैं। रेलपथ के नवीकरण का काम भी सर्वाधिक हुआ है। कम्प्यूटरीकृत आरक्षण, रेलवे खान-पान और धन-वापसी नियमों के सरलीकरण के क्षेत्रों में अनेक अभिनव यात्री सुविधाएं लागू की गई हैं। हमें बढ़िया वित्तीय परिणामों, लाभांश की पूरी अदायगी और मूल्यह्रास आरक्षित निधि में अधिक अंशदान के बारे में भी विश्वास है और आशा है कि साधन-सामग्री की कीमतों में बजट के बाद हुई सभी वृद्धियों को अतिरिक्त आमदनी में से घटाने के बाद भी, प्रत्याशा से अधिक शुद्ध अधिशेष प्राप्त होगा। अन्य उपायों के साथ-साथ, वित्तीय अनुशासन में कड़ाई लाकर ही इसकी प्राप्ति हो सकी है।

3.1 सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि चालू वर्ष 19 5-86 के दौरान रेलों ने माल यातायात की ढुलाई के लिए जो लक्ष्य रखा था, 1984-85 में रखे गए लक्ष्य की तुलना में लगभग 14 मिलियन टन अधिक था, जबकि चालू वर्ष के पहले 9 महीनों में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 16 मिलियन टन अधिक माल यातायात का लदान हुआ। यह लदान चालू वर्ष की इसी अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य से 4 मिलियन टन अधिक है। मुझे विश्वास है कि वर्ष की समाप्ति तक रेलें प्रारम्भिक राजस्व उपार्जक टनभार के लिए निर्धारित 250 मिलियन टन और कुल प्रारम्भिक टनभार के लिए निर्धारित 277 मिलियन टन (जिसमें रेलवे का कोयले और अन्य सामग्री का अपना यातायात शामिल है) से कहीं आगे निकल जाएंगी। वर्ष 1985-86 के प्रथम नौ महीनों में गत वर्ष 1984-85 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में, शुद्ध टन किलोमीटर के हिसाब से परिवहन में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। शुद्ध टन किलोमीटर प्रति माल डिब्बा प्रति दिन (बड़ी लाइन) के

[श्री बंसी लाल]

कुशलता संकेतक में 10.5 प्रतिशत सुधार हुआ, अर्थात् यह अप्रैल—दिसम्बर, 1984 के 1,104 से बढ़कर अप्रैल—दिसम्बर, 1985 में 1,220 तक पहुंच गया। इस तरह यह अब तक का एक नया कीर्तिमान है।

3.2 आशा है कि 1985-86 के दौरान रेलों की यातायात से सकल प्राप्तियां बजट में लगाये गये अनुमान से तकरीबन 188 करोड़ रुपये अधिक होगी। संचालन व्यय में बजट राशि की तुलना में 178 करोड़ रुपये की वृद्धि हो जाने की सम्भावना है। ऐसा मुख्यत: बजट के बाद उत्पन्न होने वाले कुछ कारकों की वजह से हुआ, जैसे अन्तरिम राहत की दूसरी किस्त की अदायगी, डीजल और कोयले की कीमतों में वृद्धि, बिजली की दरों में संशोधन और वेतन की उच्चतम सीमाओ को बढ़ाने के सरकार के फैसले के परिणामस्वरूप उत्पादकता-सम्बद्ध बोनस की अतिरिक्त राशि की अदायगी और अतिरिक्त कर्मचारियों का बोनस के अन्तर्गत आ जाना, आदि।

3.3 सामान्य राजस्व को 520 करोड़ रुपये की समूची लाभांश दायिता के निर्वाह के बाद, चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में 85 करोड़ रुपये के शुद्ध अधिशेष की व्यवस्था है, जो बजट राशि के 74 करोड़ रुपये से कुछ अधिक है। खर्च पर नियंत्रण के अन्य उपायों के अलावा, जनशक्ति के नियोजन में कड़ी किफायत बरती गई। वर्ष 1985-86 के दौरान, बेहतर प्रबन्ध व्यवस्था करके प्रति कर्मचारी यातायात उत्पादन, यानी माल टन किलोमीटर और यात्री किलोमीटर, 1984-85 के 2.55 लाख यातायात यूनिट की तुलना में बढ़कर 2.66 लाख यातायात यूनिट हो जाने की सम्भावना है।

3.4 चालू वर्ष के दौरान रेलों का वार्षिक योजना परिव्यय 2,050 करोड़ रुपये है जिसमें 1,061 करोड़ रुपये (52 प्रतिशत) रेलों के अपने आन्तरिक संसाधनों के अंशदान और 989 करोड़ रुपये (48 प्रतिशत) बजटीय समर्थन के रूप में शामिल हैं हमें आशा है कि हम अपना अंशदान इसी उच्च स्तर पर बनाए रख सकेंगे। बजट अनुमान में की गई व्यवस्था के अनुसार, मूल्यह्रास आरक्षित निधि में भी 920 करोड़ रुपये के अंशदान की सम्भावना है, जबकि 1984-85 में यह 850 करोड़ रुपये था।

यात्री सेवाएं

4. रेलों को कुल मिलाकर सीमित मात्रा में आबंटित संसाधनों और परिणामस्वरूप वाहनों तथा रेल इंजनों की सीमित उपलब्धता को देखते हुए और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि रेलों को रेलपथ के नवीकरण जैसे पुनः स्थापन के संरक्षा-परक निर्माण-कार्यों और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के हित में माल यातायात के लिए अतिरिक्त क्षमता के सृजन के वास्ते अपेक्षित निर्माण-कार्यों को प्राथमिकता देनी होगी, यात्री यातायात के संचलन के लिए काफी मात्रा में अतिरिक्त क्षमता का सृजन कर पाना रेलों के वास्ते कुछ और समय के लिए कठिन होगा। बहरहाल, कपूरथला में हमने एक नया रेल सवारी डिब्बा कारखाना स्थापित करने के लिए 180 करोड़ रुपये की परियोजना को पहले ही मंजूरी दे दी है। इसके फलस्वरूप, कुछ समय बाद सवारी डिब्बों की उपलब्धता में सुधार हो जायेगा जबकि इस समय इनकी बहुत कमी है।

4.1 तथापि, लिंकों का युक्तिकरण करके, पड़ाव अवधियों में कमी लाकर और बेहतर समय-सारणी बनाकर, यात्री सेवाओं में सुधार लाने के अनेक प्रयास किये गये हैं। उदाहरण के रूप में, तमिलनाडु एक्सप्रेस के समयक्रम को युक्तियुक्त बनाया गया है जिससे अब नई दिल्ली और मद्रास के बीच यात्रा में दो रात और एक दिन लगते हैं और इस प्रकार यात्रा में लगने वाले एक पूरे कार्य-दिवस की बचत हो गई है। चालू वर्ष के दौरान 350 गाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ा दी गई है।

4.2 बुकिंग और आरक्षण प्रबन्धों को सुविधाजनक बनाने के लिए कई उपाय किये गये हैं जिससे कि कमी की स्थिति के चलते, यात्रियों की दिक्कतों को यथासम्भव कम किया जा सके। कम्प्यूटर के माध्यम से गाड़ियों में स्थान आरक्षित करने का काम बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। प्रारम्भ में नई दिल्ली से चलने वाली 30 गाड़ियों में तथा दो राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों के वातानुकूल शयनयान और कुर्सीयान में स्थान के आरक्षण का काम कम्प्यूटर से शुरू किया गया है और आशा है कि इस वर्ष मार्च तक हम नई दिल्ली से चलने वाली प्रायः सभी गाड़ियों में आरक्षण की व्यवस्था कम्प्यूटर से करने लगेंगे। सातवीं योजनावधि के दौरान अन्य महानगरों में भी यात्रियों के आरक्षण की व्यवस्था चरणबद्ध आधार पर कम्प्यूटर से करने की योजनाएं बनाई गई हैं। इसके लिए कलकत्ता और बम्बई में 1986-87 में और मद्रास में एक साल बाद प्रबन्ध शुरू कर दिए जाएंगे।

4.3 बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के लिए, विशेष व्यापक जांच, गुप्त रूप से जांच और संकेन्द्रित अचानक जांच का आयोजन करके टिकट-जांच गतिविधियों में तेजी लाई गई है। चलू वर्ष के पहले सात महीनों में रेलों ने हर माह बिना टिकट यात्रा करते अथवा अनुपयुक्त टिकट लेकर यात्रा करते हुए औसतन चार लाख यात्रियों को पकड़ा है, जो पिछले वर्ष से 14.2 प्रतिशत अधिक है। राष्ट्रीय स्तर की इस समस्या से कारगर ढंग से निपटने के लिए यात्री जनता का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से, बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के लिए यात्रियों के बीच शैक्षिक प्रचार किया जा रहा है।

4.4 अप्रयुक्त या आंशिक रूप से प्रयुक्त टिकटों की धन वापसी के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली कष्टप्रद कार्यविधि के बारे में मुझे बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे थे। हमने नियमों को सरल बना दिया है जिससे कि अप्रयुक्त टिकटों के लिए स्टेशन पर ही धन-वापसी की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। अब वापसी यात्रा टिकटों पर धन की वापसी दोनों ओर के स्टेशनों से ली जा सकती है और आंशिक रूप से प्रयुक्त आरक्षित टिकटों के लिए स्टेशन कर्मचारियों द्वारा धन वापस किया जा सकता है।

4.5 इस वर्ष से अल्यूमीनियम-पत्रकों में, जो इस्तेमाल के बाद फेंके जा सकते हैं, गरम और स्वच्छ भोजन की सप्लाई शुरू की गई है और यह व्यवस्था यात्रियों में बहुत लोकप्रिय हुई है। इस सेवा पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है।

4.6 गाड़ियों की समय-पाबन्दी पर मैं विशेष ध्यान दे रहा हूं। 200 से अधिक मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की समय-पाबन्दी पर रेलवे बोर्ड में एक विशेष कक्ष द्वारा रात-दिन नजर रखी जा रही है।

[श्री बंसी लाल]

खतरे की जंजीर को अनधिकृत रूप से खींचने और होज पाइप को अलग कर देने के सिलसिले में जुर्माने की राशि हाल ही में बढ़ाई गई है। इस दिशा में किये जा रहे हमारे सतत् प्रयासं और राज्य सरकारों के सहयोग से, इस प्रकार की घटनाओं की संख्या में कुछ गिरावट आई है।

5. संरक्षा भारतीय रेलों पर यात्रियों और माल के सुरक्षित परिवहन को भारी प्राथमिकता दी जा रही है। सदन को यह सूचित करते हुए मुझे हर्ष है कि अप्रैल और दिसम्बर, 1984 के बीच हुई 592 गाड़ी दुर्घटनाओं की तुलना में चालू वर्ष की तदनुरूपी अवधि में 576 दुर्घटनाएं हुईं, यद्यपि गाड़ी किलोमीटर 362 मिलियन से बढ़कर 381 मिलियन हो गये।

5.1 कर्मचारियों में उच्च स्तर की संरक्षा जागृत करने के लिए मानव-तत्व की गुणवत्ता में सुधार करने का सहारा निरन्तर प्रयास रहता है। इस प्रयोजन के लिए किये जा रहे विभिन्न उपायों में प्रशिक्षण, परामर्श, प्रचार-प्रसार और सामूहिक वार्तालाप, संरक्षा कैम्प आदि शामिल हैं। साथ ही हम यह कोशिश भी कर रहे हैं कि मानव-तत्व की भूमिका में कमी हो। इसके लिए अधिक यंत्रीकरण किया जा रहा है और रेल परिपथन, धुरा काउन्टर, अधिक परिष्कृत अंतर्पाशन, विशेषकर समपारों पर, पटरियों का पराध्वनिक परीक्षण, सहायक चेतावनी प्रणाणी जिसमें खतरे का सिगनल पार करने पर गाड़ी रुक जाती है, आदि संरक्षापरक उपाय किए जा रहे हैं। हम इन उपायों को एक कार्यक्रमबद्ध आधार पर अपना रहे हैं और इनके लिए संसाधनों के आबंटन को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

6. सातवीं पंचवर्षीय योजना में रेलों के लिए लगभग 12.334 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस योजना में यह व्यवस्था है कि 50 प्रतिशत से अधिक संसाधन रेलों द्वारा आन्तरिक तौर पर जुटाए जाएंगे, जबकि छठी योजना में यह औसत लगभग 42 प्रतिशत था। इस योजनावधि में लगभग 96,000 माल डिब्बे, 6,970 सवारी डिब्बे, 950 बिजली गाड़ी यूनिटें तथा 1,235 डीजल/बिजली रेल इंजन प्राप्त करने, लगभग 20,000 किलोमीटर रेल पथ के नवीकरण तथा 3,400 मार्ग किलोमीटर के विद्युतीकरण का कार्यक्रम है।

निवेश योजना

6.1 चालू वर्ष के लिए 1650 करोड़ रुपये का मूल वार्षिक योजना परिव्यय नितान्त अपर्याप्त था और रेलों के लिए आबंटन में वृद्धि करने की आवश्यकता महसूस की गई। सदन को स्मरण होगा कि दिसम्बर, 1985 में उन्होंने एक पूरक अनुदान की स्वीकृति दी थी जिसके फलस्वरूप 1985-86 में रेलों का कुल योजना परिव्यय 2,050 करोड़ रुपये हो गया था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं देश के सभी अंचलों के माननीय संसद सदस्यों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय रेलों के लिए अधिक संसाधनों की स्वीकृति प्रदान करके तहे दिल से सहयोग दिया।

6.2 वर्ष 1986-87 में रेलों के लिए 2,650 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय आबंटित किया गया है। इसमें से 1,370 करोड़ रुपये की राशि रेलों द्वारा अपने आन्तरिक साधनों द्वारा जुटाई

जायेगी। इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि 250 करोड़ रुपये की राशि जनता से ऋण लेकर जुटाई जाये।

6.3 आगामी वर्ष नये माल डिब्बे की प्राप्ति के कार्यक्रम में 20,000 चौपहिया यूनिटें प्राप्त करने का प्रस्ताव है, जबकि पिछले वर्ष 1985-86 में 12,500 चौपहिया यूनिटें प्राप्त की गई थीं। इससे हम बढ़ते हुए यातायात को सम्भालने के लिए रेलों की ढुलाई क्षमता बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। गतायु परिसम्पत्तियों के नवीकरण और बदलाव पर बल दिया जाता रहेगा जिसके लिए मेरा विचार आगामीं वर्ष में 1,250 करोड़ रुपये आबंटित करने का है जबकि चालू वर्ष में लगभग 970 करोड़ रुपये आबंटित किये गये थे।

7. चालू वर्ष में पूरी की गई नई लाइनें हैं :—

नई लाइनें	1. तिरुनेलवेलि-मिलविट्टान	53 कि० मी०
	2. कोरापुट-मचिलीगुडा	20 कि० मी०

इनके अतिरिक्त, निम्नलिखित लाइनें शीघ्र पूरी हो जाने की प्रत्याशा है :—

1. धर्मनगर-पेंचरताल	22 कि० मी०
2. नागोथाना-रोहा	15 कि० मी०

7.1 वर्ष 1986-87 के दौरान 62 किलोमीटर नई लाइनें पूरी हो जाने की सम्भावना है जिनमें मोतुमारी-जग्यापेट्टा लाइन भी शामिल है।

8. **रेल विद्युतीकरण** चालू वर्ष के दौरान लगभग 430 किलोमीटर मार्ग में विद्युतीकरण का काम पूरा हो जाने की आशा है। वर्ष 1986-87 में लगभग 730 मार्ग किलोमीटर ऊर्जित हो जाने की सम्भावना है।

9. 1 अप्रैल, 1985 को नई लाइनों के निर्माण के लिए 32 सर्वेक्षण किये जा रहे थे। एक महत्वपूर्ण सर्वेक्षण, जिसे 1985-86 के दौरान मंजूरी दी गई थी, मडगांव और रोहा के बीच वेस्ट कोस्ट लाइन के खण्डों के सर्वेक्षण को अद्यतन बनाने और अन्तिम स्थान निर्धारण से सम्बन्धित था। मेंगलोर से उदुपी तक का सर्वेक्षण पूरा हो गया है। दक्षिणी छोर पर उदुपी के आगे मडगांव की ओर तथा उत्तरी छोर पर रोहा से आगे मडगांव की ओर सर्वेक्षण चल रहा है। वर्ष 1986-87 में, नई दिल्ली और आगरा के बीच तथा नई दिल्ली और कानपुर के बीच अधिक रफ्तार वाले गलियारों का विकास करने के लिए और महत्वपूर्ण सर्वेक्षण शामिल करने का प्रस्ताव है।

सर्वेक्षण

10. **उत्पादन यूनिटें** सदन को यह सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि सतत् प्रयासों के परिणामस्वरूप चालू वर्ष के दौरान भारतीय रेलों की सभी उत्पादन यूनिटों में उत्पादन निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप या उससे भी अधिक हुआ है।

10.1 सवारी डिब्बा कारखाने में, चालू वर्ष के दौरान 825 सवारी डिब्बों के उत्पादन

[श्री बंसी लाल]

की सम्भावना है। वर्ष 1986-87 में इसका उत्पादन बढ़ाकर 850 सवारी डिब्बा कर देने का प्रस्ताव है।

10.2 चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में, चालू वर्ष के दौरान रेलों के लिए 79 रेल इंजनों का उत्पादन होने की प्रत्याशा है जिनमें 52 बिजली रेल इंजन शामिल हैं। वर्ष 1986-87 के कार्यक्रम में 70 बिजली रेल इंजनों सहित 106 रेल इंजनों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

10.3 डीजल रेल इंजन कारखाने में, चालू वर्ष के दौरान रेलों के लिए 120 रेल इंजनों का उत्पादन होने की प्रत्याशा है। आगामी वर्ष में 135 रेल इंजनों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

10.4 पहिया और धुरा कारखाना, जिसने सितम्बर, 1984 में काम करना शुरू किया था, प्रशंसनीय प्रगति कर रहा है। वर्ष 1985-86 में यहां 10,000 पहिया सेटों का उत्पादन होने की प्रत्याशा है और आशा है कि वर्ष 1986-87 में इसका उत्पादन स्तर लगभग 20,000 पहिया सेटों तक पहुंच जायेगा।

10.5 जैसा कि सदन को ज्ञात है, डीजल पुर्जा कारखाना, पटियाला के चरण-I को 1980-81 के रेलवे बजट में शामिल किया गया था। इस परियोजना के चरण-II को 46 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से चालू वर्ष के दौरान बिना बारी के काम के रूप में मंजूरी दी गई है।

10.6 कपूरथला में नये रेल सवारी डिब्बा कारखाने की आधारशिला 17 अगस्त, 1985 को माननीय प्रधान मन्त्री ने रखी थी। इस कारखाने की क्षमता 1,000 सवारी डिब्बे प्रति वर्ष बनाने की होगी। इस परियोजना को पूरा करने के लिए दो वर्ष का चुनौती भरा लक्ष्य रखा गया है और आशा है कि हम इसे पूरा कर लेंगे। इस कारखाने के लिए भूमि अधिग्रहण के दो वर्ष के भीतर अर्थात् मार्च, 1988 तक प्रारम्भिक रूप से उत्पादन शुरू कर देने का लक्ष्य है।

11. **कलकत्ता मेट्रो रेल परियोजना** जैसा कि सदन को ज्ञात है, वर्ष 1984-85 के दौरान मेट्रो रेलवे कलकत्ता के दो भाग, अर्थात् इस्प्लेनेड से भवानीपुर तक का खण्ड (3.5 कि० मी०) तथा दमदम और बेलगछिया के बीच का खण्ड (2.2 कि० मी०), यातायात के लिए खोले गये थे। वर्ष 1986 के शुरू में इस सेवा को दक्षिण की ओर टालीगंज तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिससे इस्प्लेनेड और टालीगंज के बीज 7.7 कि० मी० अविच्छिन्न दूरी यातायात के लिए खुल जाएगी।

12. **अन्तर्राष्ट्रीय कंटेनर यातायात** चालू वर्ष के दौरान भारतीय रेलों पर कंटेनर यातायात में आकस्मिक वृद्धि हुई है। प्रथम नौ महीनों के दौरान लगभग 15,600 टी ई यू की संभलाई की गई है जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में केवल 7,000 टी ई यू की संभलाई की गई थी।

भारतीय रेलें अब 6 अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो परिचालित करती हैं, जिनमें अमीनगांव का डिपो शामिल है, जिसे 14 नवम्बर, 1985 को चालू किया गया था।

12.1 कंटेनर यातायात के तीव्र विकास को, विशेष रूप से बेंगलूरू और नई दिल्ली में, ध्यान में रखते हुए, व्हाइटफील्ड और तुगलकाबाद में पूर्ण विकसित अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है। अन्य केन्द्रों पर भी ऐसे डिपो स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

प्रौद्योगिकी सुधार

13. हम उपस्करों और परिचालन परिपाटियों को आधुनिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इस सन्दर्भ में अनेक दिशाओं में हमने कार्य शुरू कर दिया है। इनमें शामिल हैं:—(क) माल बोगियों का नया अभिकल्प; (ख) निलंबन, ब्रेकिंग, जंग रोध और यात्रियों के सुख-आराम की नवीनतम विशेषताओं सहित उच्च गति और हल्के वजन वाले सवारी डिब्बे; (ग) बिजली गाड़ियों में थिरिस्टर चोप्पर नियंत्रण उपस्कर; (घ) उच्च अश्वशक्ति वाले डीजल और बिजली रेल इंजन; (ङ) अंकीय रेडियो उपस्कर और फाइबर ओप्टिक केबुल; (च) कंक्रीट स्लीपर, लचीले स्थिरकों और सतत/लम्बी झलाईदार पटरियों वाले अधिक भारी रेल खंड और (छ) माइक्रो-प्रोसेसर पर आधारित रेलपथ मानीटरिंग।

संगणकीकरण

14. सदन को ज्ञात है कि महानगरों में शुरू की जा रही संगणकीकृत यात्री आरक्षण प्रणालियों के अतिरिक्त, माल परिचालनों के संगणकीकरण के लिए 520 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है। अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव से पता चला है कि इन प्रणालियों के लागू होने से माल डिब्बा उत्पादकता में महत्वपूर्ण सुधार होता है। इस प्रणाली को दिसम्बर, 1993 की लक्ष्य तिथि से पहले ही कार्यान्वित करने के लिए उपाय किये जा रहे हैं।

15. **कर्मचारियों के मामले** रेलों पर औद्योगिक सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण और सद्भावपूर्ण बने रहें। स्थायी वार्ता तंत्र और संयुक्त परामर्श तंत्र प्रणालियों के अन्तर्गत श्रमिक संगठनों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गई। प्रबन्ध में और निर्णय लेने में श्रमिकों की भागीदारी के लिए अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर समवेत उद्यम समूहों की नियमित बैठकें भी आयोजित की गई।

15.1 कर्मचारियों की पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त करने की दृष्टि से संवर्गों की पुनरीक्षा का कार्य जारी रहा चालू वर्ष के दौरान इन पुनरीक्षाओं के परिणामस्वरूप विभिन्न कोटियों के लगभग 1.8 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचा है। 1985-86 में कर्मचारियों को 33 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता-सम्बद्ध बोनस दिया गया।

15.2 रेल कर्मचारियों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए रेलों के पास 107 अस्पतालों और 623 स्वास्थ्य यूनिटों की व्यवस्था है। रेलें अपने अस्पतालों में बेहतर

[श्री बंसी लाल]

निदान और उपचार के लिए उत्तरोत्तर नवीनतम और अत्याधुनिक उपस्करों का उपयोग प्रारम्भ कर रही हैं। भारतीय रेलों पर 62 परिवार कल्याण केन्द्रों और 38 उप-केन्द्रों के माध्यम से परिवार कल्याण कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में और अधिक सुधार करने के लिए सतत एवं अथक प्रयास किये जा रहे हैं।

15.3 रेलों ने 1984-85 में 5,000 कर्मचारी क्वार्टरों का निर्माण किया है। परिणाम-स्वरूप भारतीय रेलों पर कर्मचारी क्वार्टरों की कुल संख्या बढ़कर 6 लाख से अधिक हो गई है। 1985-86 में अन्य 5,000 कर्मचारी क्वार्टरों के बनकर तैयार हो जाने की आशा है।

15.4 मेरे सभी रेल कर्मियों के भरपूर सहयोग और समर्पण की भावना के बिना चालू वर्ष के दौरान रेलें यह प्रशंसनीय कार्य नहीं कर पातीं, जिसके लिए मैं उनका अत्यधिक आभारी हूं। इस कार्य-निष्पादन की मान्यता और सराहना के प्रतीक स्वरूप में "कर्मचारी क्वार्टर" योजना शीर्ष के आबंटन को 1985-86 के 13 करोड़ रुपये की तुलना में 1986-87 में 25 करोड़ रुपये और योजना शीर्ष "कर्मचारी सुविधाएं" के अन्तर्गत 1985-86 में 9 करोड़ रुपये की तुलना में 1986-87 में 17 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं। यह लगभग 100 प्रतिशत की वृद्धि है जबकि रेलों का 1986-87 का समग्र परिव्यय 1985-86 की तुलना में केवल 29 प्रतिशत अधिक है।

16. **खेल-कूद** खेल-कूद के क्षेत्र में देश और विदेश में रेलों की श्रेष्ठता बनी रही। 1985 में चेकोस्लोवाकिया में वर्ल्ड रेलवेज एथलेटिक मीट में एक भारतीय रेलवे एथलीट को मीट का सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया था। पश्चिमी समोआ के कामनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय दल द्वारा विजित 9 पदकों में से 7 पदक रेलवे वेट लिफ्टरों ने जीते थे।

17. **वनरोपण** भारतीय रेलें वृक्षारोपण के माध्यम से देश के पारिस्थितिकीय और पर्यावरण सम्बन्धी संतुलन में सुधार करने के राष्ट्रीय प्रयासों में अपना योगदान दे रही हैं। इस योजना के अनुसरण में रेलों ने 1982 में 52 लाख, 1983 में 107 लाख, 1984 में 132 लाख और 1985 में 145 लाख वृक्ष लगाये थे। 1986-87 में हमारा लगभग 160 लाख वृक्ष लगाने का प्रस्ताव है।

18. **भारतीय रेल अधिनियम का पुन: अधिनियमन** माननीय सदस्यों ने समय-समय पर इस बात का उल्लेख किया है कि भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की व्यापक समीक्षा की जाए और उसमें संशोधन किया जाये। मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि यह समीक्षा लगभग पूरी हो ही गई है और भारतीय रेल अधिनियम के पुनः अधिनियमन के लिए शीघ्र ही सदन में एक बिल प्रस्तुत किया जाएगा।

19. रेल विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में सरकारी क्षेत्र के दोनों उपक्रम—रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकानामिक सर्विसेज लिमिटेड (राइट्स) और इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (इरकान)—कारोबार और मुनाफे की दृष्टि से लगातार अच्छी तरक्की कर रहे हैं। राइट्स ने 1984-85 में 5.6 करोड़ रुपये का कर-पूर्व मुनाफा कमाया और 7.06 करोड़ रुपये की शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जित की।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

इरकान ने 1984-85 में 198.4 करोड़ रुपये का कारोबार किया और लगातार आठवें वर्ष 20.55 करोड़ रुपये का कर-पूर्व मुनाफा कमाया। इस कम्पनी ने देश के लिए 24.9 करोड़ रुपये की अच्छी-खासी विदेशी मुद्रा भी अर्जित की है। 1984-85 में, इस कम्पनी ने इराक में 398 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण समावा रेल निर्माण परियोजना का कार्य पूरा किया।

बजट अनुमान 1986-87

20. अब मैं 1986-87 के बजट अनुमान प्रस्तुत करूंगा। रेलें 294 मिलियन टन माल यातायात की ढुलाई करने के लिए काफी सक्षम हैं, जिसमें 267 मिलियन टन राजस्व उपार्जक यातायात शामिल है। लगभग 680 कि० मी० औसत गमन दूरी से हम इस बात की आशा करते हैं कि 1986-87 में 200 बिलियन टन किलोमीटर माल यातायात का दूसरा कीर्तिमान स्थापित कर लेंगे। बजट वर्ष में उप-नगरीय और अनुपयोगीय यात्री यातायात में 4 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक वृद्धि होने का भी अनुमान लगाया गया है।

20.1 अनुमान है कि बजट वर्ष में किराये और माल-भाड़े के वर्तमान स्तर पर यातायात से सकल प्राप्ति 6743 करोड़ रुपये होगी। ये प्राप्तियां चालू वर्ष की प्रत्याशित प्राप्तियों से 404 करोड़ रुपये अधिक है।

20.2 वर्ष 1986-87 में साधारण संचालन व्यय 4700 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 87 करोड़ रुपये अधिक है, ताकि अन्य कारकों के साथ-साथ, अधिक यातायात की ढुलाई करने के लिए बढ़े हुए कार्यकलापों के सम्बन्ध में खर्च की व्यवस्था की जा सके। हम ठोस उपाय करके संचालन व्यय में कम से कम वृद्धि करना चाहते हैं जिसके लिए रेलों को और अधिक किफायत करनी होगी तथा जनशक्ति और अन्य संसाधनों की कुशल प्रबन्ध-व्यवस्था करके उत्पादकता बढ़ानी होगी।

20.3 मूल्यह्रास आरक्षित निधि में अंशदान 1985-86 के 920 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1986-87 में 1250 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार नवीकरण और बदलाव कार्यों के लिए उपलब्ध कराये गये धन से रेलपथ नवीकरण, सिगनल और दूरसंचार उपस्करों, गतायु चल स्टाक के बकाया कार्यों को तेजी से किया जा सकेगा और गाड़ियों के निरापद संचलन और उन्हें तेज गति से चलाने में मदद मिलेगी।

20.4 रेल अभिसमय समिति, 1985 ने विचार-विमर्श शुरू कर दिया है। संसद के समक्ष प्रस्तुत की गई समिति की अनन्तिम सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। इस बीच, लाभांश के लिए उसी दर पर व्यवस्था की गई है जिसे वित्त वर्ष 1985-86 के लिए अपनाया गया था। संसद द्वारा समिति की अन्तिम सिफारिशें अनुमोदित हो जाने पर लाभांश और अन्य मामलों के सम्बन्ध में यथापेक्षित परिवर्तन किये जाएंगे।

20.5 साधारण संचालन व्यय में वृद्धि, मूल्यह्रास आरक्षित निधि तथा पेंशन निधि में अधिक अंशदान के कारण कुल संचालन व्यय 6,230 करोड़ रुपये बैठता है और शुद्ध राजस्व 583 करोड़

[श्री बंसी लाल]

रुपये रह जाता है। शुद्ध राजस्व की यह मात्रा 590 करोड़ रुपये की लाभांशदायिता को पूरा करने और विकास निधि को प्रभार्य निर्माण कार्यों के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए अपर्याप्त है।

20.6 अब मैं किराये और माल-भाड़े में संशोधन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा।

उद्देश्य

21. हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि अधिक कार्य-कुशलता और क्षमता के बेहतर उपयोग के परिणाम को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वास्तव में अर्थपूर्ण बनाया जाये। ऐसा तभी हो सकता है जब इस कार्य-निष्पादन के लाभ समुचित मात्रा में देश और देश की अर्थ-व्यवस्था तक पहुंचें। प्रधान मन्त्री के रचनात्मक मार्ग-निर्देशन में, रेलों ने मूल्यों को स्थिर रखने के राष्ट्र-व्यापी प्रयासों में अपनी भूमिका अदा करने का दृढ़ निश्चय कर रखा है। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि हमारे आर्थिक दृष्टिकोण से समाज के उन कमजोर वर्गों पर जो परिवहन के सस्ते साधन की व्यवस्था के लिए हम पर निर्भर करते हैं, बोझ कम करने का प्रयास करें। ये दोनों लक्ष्य मेरे मस्तिष्क में अग्रगण्य हैं – एक ओर कीमतों को स्थिर रखते हुए उत्पादन बढ़ाकर राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में सहयोग देना और दूसरी ओर मुनासिब यात्री किरायों के माध्यम से आम आदमी के बोझ को कम करना।

माल-भाड़ा दरें दूसरा दर्जा साधारण मासिक सीजन टिकटें

22. सदन को यह जान कर हर्ष होगा कि इन्हीं दो उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मेरा किसी भी तरह के माल और पार्सल यातायात की ढुलाई की दरें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सदन को यह जान कर भी प्रसन्नता होगी कि निम्न आय वर्गों और दैनिक यात्रियों को ध्यान में रखते हुए, दूसरा दर्जा साधारण या मासिक सीजन टिकटों के किरायों को बढ़ाने का भी कोई विचार नहीं है। मान्यवर, इससे भारतीय रेलों पर सफर करने वाले लगभग 90 प्रतिशत यात्रियों पर किराये में वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

23. **अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता** बहरहाल, कमी को पूरा करने और विकास निधि को प्रभार्य निर्माण कार्यों के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए, केवल मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों के दूसरे दर्जे और ऊंचे दर्जों के यात्री किरायों में मामूली सी वृद्धि करने का मेरा प्रस्ताव है। ये किराये 1-4-1986 से लागू होंगे।

दूसरा दर्जा मेल और एक्सप्रेस

23.1 मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों के दूसरे दर्जे के किरायों में 250 कि० मी० दूरी तक की यात्रा के लिए 7.5 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी किन्तु 250 कि० मी० से अधिक दूरी की यात्राओं के किराये केवल 5 प्रतिशत बढ़ाये जायेंगे, लेकिन यह वृद्धि प्रति टिकट कम से कम एक रुपया होगी। मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में 250 कि० मी० तक की यात्रा के लिए किरायों में अधिक वृद्धि और उससे अधिक दूरी की यात्रा के किरायों में कम वृद्धि करने का उद्देश्य यह है कि संघटित परिवहन नीति के तौर पर, कम दूरी के यात्री सामान्यत: सड़क मार्ग या साधारण गाड़ियों का उपयोग करें ताकि लम्बी

दूरी के यात्रियों के लिए तेज रफ्तार वाली मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में अधिक स्थान उपलब्ध हो सके। हमें आशा है कि भीड़-भाड़ के कारण उनको होने वाली असुविधा इससे कुछ हद तक कम हो जायेगी।

23.2 **दूसरा दर्जा शयनयान अधिप्रभार** जहां तक दूसरे दर्जे की शायिकाओं के अधिप्रभार का सम्बन्ध है, आजकल यह 10/- रुपये प्रति यात्रा लिया जाता है, भले ही दूरी कितनी भी हो या कितनी ही रातें लगें। यद्यपि 500 कि० मी० तक की दूरी के लिए 10/- रुपये की वही दर रहेगी, किन्तु 500 कि० मी० से अधिक दूरी के लिए इसे बढ़ा कर 15/- रुपये प्रति टिकट करने का प्रस्ताव है।

ऊंचे दर्जे

23.3 चूंकि मेरा बल इस बात पर है कि कम आय वर्ग के लोगों का भार हल्का हो, और चूंकि ऊंचे दर्जे के यात्री कुछ अधिक किराया देने में समर्थ हैं, इसलिए वातानुकूल कुर्सीयान, पहले दर्जे और वातानुकूल दो टियर शयनयान तथा वातानुकूल पहले दर्जे के किरायों में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। वृद्धि की यही दर, बेहतर सुविधाओं और अधिक यात्रा सुख-साधनों के साथ तेज रफ्तार की अन्तर्नगरीय सेवा प्रदान करने वाली राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों के सभी दर्जों के विशेष किरायों पर भी लागू होगी।

23.4 उपर्युक्त के अलावा, मैं वातानुकूल 2-टियर शयनयान पर मौजूदा अधिप्रभार में नीचे लिखी वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं।

वातानुकूल 2-टियर अधिप्रभार	1 से 500 कि० मी० तक की दूरी के लिए	5 रु०
	501 से 1000 कि० मी० तक की दूरी के लिए	10 रु०
	1001 से 1500 कि० मी० तक की दूरी के लिए	15 रु०, और
	1501 कि० मी० और इससे अधिक की दूरी के लिए	20 रु०

24. **अतिरिक्त राजस्व** आशा है कि इन सभी प्रस्तावों से वर्ष 1986-87 के दौरान कुल मिलाकर 76 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। मान्यवर, यह भारतीय रेलों की कुल आय का केवल 1.2 प्रतिशत है।

युवा वर्ग को रियायत

25. सदन को स्मरण होगा कि मैंने अपने पिछले बजट भाषण में अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष, 1985 के दौरान युवा वर्ग को दूसरे दर्जे में यात्रा में रियायत की घोषणा की थी। हालांकि अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष वैसे समाप्त हो गया है फिर भी मैंने यह निश्चय किया है कि आगामी वित्त वर्ष के दौरान भी 13 से 33 वर्ष तक के आयु वर्ग वाले युवाओं को न्यूनतम दस के समूह में 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा करते समय, आयु के संतोषजनक प्रमाण पर, दूसरे दर्जे के यात्री किरायों में 25 प्रतिशत की रियायत प्रदान की जाए। इससे हमारे युवा वर्ग को अपने विशाल देश के विभिन्न भागों को देखने और अपने हृदय में राष्ट्रीय एकता की भावना सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी।

[श्री बंसी लाल]

26. मान्यवर, आगामी वर्ष में हमें अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हम एक ऐसे कार्य में जुटे हुए हैं जिसमें विकास और आधुनिकीकरण के कार्य को तेज करना होगा। लेकिन संसाधनों की कमी के कारण अत्यधिक कार्य कुशलता लाकर ही यह कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। हम आपके समर्थन, सद्भावना और प्रोत्साहन की आकांक्षा करते हैं। इस बल-बूते पर निःसन्देह हम कड़ी चुनौतियों का सामना करने व और ऊंची बुलन्दियों तक पहुंचने में सफल होंगे। रेल कर्मचारियों की प्रतिभा और योग्यता पर मुझे पूरा भरोसा है तथा मुझे विश्वास है कि वे राष्ट्र की आशाओं के अनुरूप खरे उतरेंगे।

भावी चुनौतियां

27. श्रीमन्, इन शब्दों के साथ अब मैं सदन की स्वीकृति के लिए 1986-87 का रेल बजट प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोविचेट्टिपालयम) : श्रीमन्, मंत्री महोदय कारूर-डिन्डीगुल लाइन के लिए अधिक धनराशि आबंटित नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मात्र 3 करोड़ रुपए ही आबंटित किये हैं। यह बहुत ही कम राशि है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

12.41 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15 क के उपबन्धों के कार्यकरण के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : मैं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15क की उपधारा (4) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा 15क के उपबंधों के कार्यकरण के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—1996/86]

चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी, इण्डिया, का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा और ये पत्र सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी, इण्डिया के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी, इण्डिया के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपरोक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1997/86]

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और ये पत्र सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपरोक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1998/86]

नागरिकता (संशोधन) नियम, 1986 आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : मैं नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत नागरिकता (संशोधन) नियम, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 15 जनवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 25 (अ) में प्रकाशित हुए थे, सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—1999/86]

लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला

विवरण

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक)	विवरण संख्या 24—आठवां सत्र, 1982 [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०—2000/86]	सातवीं लोक सभा
(दो)	विवरण संख्या 18—नौवां सत्र, 1982 [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०—2001/86]	
(तीन)	विवरण संख्या 18—ग्यारहवां सत्र, 1983 [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—2002/86]	
(चार)	विवरण संख्या 14—बारहवां सत्र, 1983 [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2003/86]	
(पांच)	विवरण संख्या 13—चौदहवां सत्र, 1984 [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2004/86]	
(छह)	विवरण संख्या 9—पन्द्रहवां सत्र, 1984 [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2005/86]	
(सात)	विवरण संख्या 6—पहला सत्र, 1985 [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2006/86]	आठवीं लोक सभा
(आठ)	विवरण संख्या 6—दूसरा सत्र, 1985 [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2007/85]	
(नौ)	विवरण संख्या 3—तीसरा सत्र, 1985 [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2008/86]	
(दस)	विवरण संख्या 2—चौथा सत्र, 1985 [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये, संख्या एल० टी० 2009/86]	

समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1985 तथा सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और आयकर अधिनियम, 1961 इत्यादि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 26 की उपधारा (3) के अन्तर्गत समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 31 दिसम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० का० नि० 953 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—2010/86]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 83 (अ), जो 31 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो काफी को, जब उसका भारत से बाहर निर्यात किया जाए, मूल सीमा शुल्क के उतने भाग से छूट देने के बारे में है, जो 600 रु० प्रति क्विंटल से अधिक है।

(दो) सा० का० नि० 98 (अ), जो 7 फरवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो कताई अपशिष्ट (कठोर अपशिष्ट) को, जब उसका भारत में आयात किया जाये, मूल सीमा शुल्क के उतने भाग से छूट देने के बारे में है, जो मूल्यानुसार 100 प्रतिशत से अधिक हैं।

(तीन) सा० का० नि० 99 (अ), जो 7 फरवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 1 मार्च, 1983 की अधिसूचना संख्या 44/83—सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

(चार) सा० का० नि० 192 (अ), जो 12 फरवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित, हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 9 फरवरी, 1981 की अधिसूचना संख्या 13-सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

[श्री जनार्दन पुजारी]

(पांच) यात्री सामान दूसरा संशोधन नियम, 1986, जो 13 फरवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 198 (अ) में प्रकाशित हुये थे ।

(छः) सा० का० नि० 199 (अ), जो 13 फरवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 17 मार्च, 1985 को अधिसूचना संख्या 70/85-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(सात) सा०का०नि० 304 (अ), जो 18 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित दरों के बारे में है ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०—2011/86]

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का०आ० 463, जो 8 फरवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत "द इण्डो-अरब सोसायटी" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए छूट देने के बारे में है ।

(दो) का०आ० 464, जो 8 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा (10 (23 ग) के अन्तर्गत "हरिजन आश्रम ट्रस्ट, अहमदाबाद" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए छूट देने के बारे में है ।

(तीन) का०आ० 465, जो 8 फरवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अंतर्गत "फादर मूलर्स चेरिटेबल इंस्टिट्यूशन्स, मंगलौर" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए छूट देने के बारे में है ।

(चार) का० आ० 466, जो 8 फरवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत "सेवा संघ समिति, हावड़ा" को कर-निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1985-86 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पांच) का० आ० 467, जो 8 फरवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत "कांग्रिगेशन आफ क्रिश्चियन ब्रदर्स इन इण्डिया" को कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए छूट के बारे में है।

(छः) का० आ० 468, जो 8 फरवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत "जवान कल्याण न्यास, महाराष्ट्र" को कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सात) का० आ० 471, जो 8 फरवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत "राष्ट्रोत्थान परिषद्, बंगलौर" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(आठ) का० आ० 472, जो 8 फरवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत "यूसूफ मेहरली सेन्टर, बम्बई" को कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(नौ) का० आ० 473, जो 8 फरवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत "थल सेना सामूहिक बीमा योजना निधि" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दस) का० आ०, 474, जो 8 फरवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित

[श्री जनार्दन पुजारी]

हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत "भारतीय आदिम जाति सेवक संघ" को कर निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1986-87 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) का० आ० 480, जो 8 फरवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत "इण्डिया इण्टरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली" को कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०—2012/86]

(4) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 954 (अ), जो 31 दिसम्बर, 1985, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 2 जुलाई, 1983 की अधिसूचना संख्या 185/83-के०उ०शु० की वैधता 31 जनवरी, 1986 तक बढ़ाई गई है।

(दो) सा० का०नि० 9 (अ), जो 3 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो सिलीकोन को, मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से अधिक मूल उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(तीन) सा० का० नि० 82 (अ), जो 31 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 2 जुलाई, 1983 की अधिसूचना संख्या 185/83-के०उ०शु०की वैधता 31 दिसम्बर, 1986 तक बढ़ाई गई है।

(चार) सा० का० नि० 101 (अ), जो 7 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 17 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या 43/85-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि 3.50-10 आकार की तीन पहिये वाली मोटर यानों के टायरों और अरीय टायरों की कतिपय किस्मों के लिए उत्पाद-शुल्क की प्रभावी दरें तय की जा सकें।

(पांच) सा० का० नि० 102 (अ) और 103 (अ), जो 7 फरवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा टायर, ट्यूब और फ्लैप पर अदा किए गए उत्पाद-शुल्क की क्षतिपूर्ति करने वाली योजना द्वारा शुल्क देय मीटर वाहनों में इस्तेमाल किए जाने वाले टायरों, ट्यूबों और फ्लैपों के लिए उत्पाद-शुल्क की छूट की विद्यमान प्रणाली को बदला गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—2013/86]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा संघ लोक सेवा आयोग के 1-4-1984 से 31-3-1985 तक की अवधि से सम्बन्धित 35 वां प्रतिवेदन और संघ लोक सेवा आयोग के उपर्युक्त प्रतिवेदन की सलाह को न स्वीकार किये जाने के कारण दर्शाने वाला ज्ञापन

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 1985, जो 14 दिसम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि०1140 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दसवां संशोधन नियम, 1985 जो 14 दिसम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का० नि० 1141 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 1986, जो 18 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 37 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1986, जो 18 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का० नि० में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) संशोधन नियम, 1986, जो

[श्री पी० चिदम्बरम]

1 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 82 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1986, जो 8 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 97 में प्रकाशित गए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 1986, जो 8 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 98 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 1986, जो 15 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का०नि० 123 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति संशोधन विनियम, 1986, जो 17 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 25 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय पुलिस सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1986, जो 17 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 26 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय वन सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1986, जो 17 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 27 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—2014/86]

(2) संविधान के अनुच्छेद 323 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) संघ लोक सेवा आयोग के 1 अप्रैल, 1984 से 31 मार्च, 1985 तक की अवधि से सम्बन्धित 35वां प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन में उल्लिखित मामलों में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह को न स्वीकार किए जाने के कारणों को दर्शाने वाला ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—2015/86]

साहा इंस्टीच्यूट आफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कलकत्ता; सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली तथा अटोमिक अनर्जी एजूकेशन सोसाइटी, बंबई के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) साहा इंस्टीच्यूट आफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहा इंस्टीच्यूट आफ न्यूकिलवर फिजिक्स, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—2016/86]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड नई दिल्ली का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—2017/86]

(3) (एक) अटोमिक अनर्जी एजूकेशन सोसाइटी, बम्बई के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अटोमिक एनर्जी एजूकेशन सोसाइटी, बम्बई के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—2018/86]

मजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन्हें सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं : —

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) मजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) मजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—2019/86]

———

12.43. म० प०

राज्य सभा से सन्देश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 25 फरवरी, 1986 को हुई अपनी बैठक में पारित मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 1986 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

———

12.43½ म० प०

मोटर-यान (संशोधन विधेयक)

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, मोटर-यान (संशोधन) विधेयक, 1986 सभा-पटल पर रखता हूं।

12.44 म०प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम० तम्बि दुराई (धर्मपुरी) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.44½ म० प०

प्राक्कलन समिति

25 वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं रेल मंत्रालय रेल खरीद के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति (सातवीं लोक सभा) के 79वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी उक्त समिति का 25 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.45 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

श्री लंका में तमिलों की जातीय समस्याओं को न सुलझाए जाने से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनवईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, मैं विदेश मन्त्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :—

"श्रीलंका में तमिलों की जातीय समस्याओं को न सुलझाये जाने और श्रीलंका की नौसेना द्वारा भारत की मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर कथित हमलों से उत्पन्न स्थिति और इसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

विदेश मन्त्री (श्री बी० आर० भगत) : सरकार श्रीलंका में चल रहे संकट के बारे में अत्यधिक चिंतित है क्योंकि वह हमारा एक निकट पड़ोसी है जिसके साथ भारत के हमेशा से घनिष्ट और सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। श्रीलंका का संकट एक राजनैतिक संकट है जिसे केवल राजनैतिक तरीके से ही सुलझाया जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि श्रीलंका की सरकार श्रीलंका की एकता के ढांचे के भीतर-भीतर और कानूनी तरीकों से तथा प्रशासनिक निर्णयों के माध्यम से ऐसी उचित शक्तियां प्रदान करे कि जिससे अल्पसंख्यकों को एक अर्से से चला आ रहा शिकवा दूर हो जाए।

भारत सरकार का यह दृढ़ मत है कि इस समस्या का कोई सैनिक समाधान नहीं हो सकता। बातचीत में सहायता करने के लिये हमने यह कहा है कि विवाद से संबद्ध दोनों पक्षों के बीच बातचीत में सहायता करने के उद्देश्य से हम श्रीलंका की सरकार के लिए अपने सद्भाव से काम लेने को तैयार हैं। बहुत सी कठिनाईयों और अड़चनों के बावजूद यह बातचीत चल रही है।

बराबर चल रहे इस संकट का सबसे गम्भीर और चिंताजनक परिणाम हिंसा का वह चक्र है जिसमें श्रीलंका के निर्दोष असैनिक लोगों की जान और माल की भारी क्षति हुई है। इसने बहुत गंभीर रूप धारण कर लिया है और इसके परिणामस्वरूप श्रीलंका के तमिलों और उनकी सरकार के बीच मतभेद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस संकट का भारत पर भी भारी दुष्प्रभाव पड़ा है क्योंकि श्रीलंका के 125000 शरणार्थियों ने हमारे देश में शरण ले रखी है। भारत सरकार को यह आशा है कि श्रीलंका का संकट रचनात्मक राजनैतिक बातचीत के जरिये सुलझाया जायेगा और ऐसी स्थितियां उत्पन्न की जाएंगी कि ये शरणार्थी सम्मान और सुरक्षा के साथ श्रीलंका वापस लौट सकें। भारत सरकार इस बात को अत्यधिक प्राथमिकता देती है।

ऐसी खबरें मिली हैं कि श्रीलंका की नौसेना ने मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं पर

हमले किये हैं और सरकार इन घटनाओं को चिंता की निगाह से देखती है। फिर भी, समाचार पत्रों में इन मामलों के बारे में जो खबरें छपी हैं उनके बारे में तथ्यों का पता लगाया जा रहा है। माननीय सदस्य इस बात से आश्वस्त रहें कि तटरक्षक सेना तथा नौसेना के प्राधिकारियों को इस बात के लिए स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि वे भारतीय समुद्र में कार्यरत भारतीय मछेरों की सुरक्षा का निश्चय करें और भारतीय समुद्र में घुसपैठ को रोकें। भारतीय समुद्र के भीतर मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर किए जाने वाले किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तटरक्षक गश्ती जहाजों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वे अत्यधिक सावधानी बरतें और रात की गश्त को बढ़ा दें। मंडप्पम में स्थित एक तटरक्षक केन्द्र पाल्क खाड़ी में कार्यरत तटरक्षक जहाजों को संभार तंत्र समर्थन देता है और रामेश्वरम में तमिलनाडु सरकार के प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क रखता है। श्रीलंका के प्राधिकारियों का कहना है कि भारतीय मछेरे रोजाना श्रीलंका के समुद्र में घुस आते हैं। मछली पकड़ने वाली नौकाओं के बारे में वास्तविक स्थिति का पता लगाना अत्यधिक कठिन है। हमने श्रीलंका के प्राधिकारियों से कह दिया है कि यदि हमारे मछेरे अनजाने में समुद्री सीमा के पार चले भी जाते हैं तो उनके साथ मानवीय तरीके से कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री पी० कुलनदईवेलू : माननीय मन्त्री जी ने एक वक्तव्य दिया है। वस्तुतः यह जातीय समस्या दीर्घकाल से चली आ रही है जिसका समाधान तुरन्त किया जाना होगा। मैं समझता हूं कि हमारे प्रधानमन्त्री ने भी प्रति दिन हो रही हत्याओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। हाल ही में श्रीलंका में सेना ने नागरिकों पर हमले किए थे। वास्तव में दिन प्रतिदिन स्थिति बदतर बनती जा रही है। और सैकड़ों नागरिकों की हत्या की जा रही है मैं भारत सरकार से सबसे पहले अनुरोध करता हूं कि यह इसे राष्ट्रीय मामले के रूप में ले। माननीय प्रधानमन्त्री ने पिछले दिन भी कहा था कि यह समस्या केवल तमिलनाडु से सम्बन्धित नहीं है बल्कि वास्तविक रूप से यह पूरे देश से सम्बन्धित है। जब वह ऐसा कहते हैं तो हमें इसे राष्ट्रीय मामले के रूप में और राष्ट्रीय समस्या के रूप में लेना होता है। केवल तभी इसका समाधान किया जा सकता है।

मैं प्रधानमन्त्री का आभारी हूं जिन्होंने एक वर्ष के भीतर इतने सारे मामलों को सुलझाया है। मैं समझता हूं कि हमारे माननीय राजीव गांधी की तरह युवा और कर्मठ प्रधानमन्त्री इसको भी कर सकते हैं परन्तु आजकल श्रीलंका जो कुछ कर रही है वह वास्तव में यह है कि जयवर्धने दोहरी चाल चल रहे हैं। वह दोहरी बात कह रहे हैं। वह अब यही कर रहे हैं। एक दिन वह कहते हैं कि इसका केवल सैनिक हल है। लेकिन दूसरे समय वह कहते हैं कि समस्या को समाप्त करने का राजनैतिक हल उपयुक्त होगा।

इस समस्या को लापरवाही से नहीं लिया जाना चाहिए। हमारे प्रधानमन्त्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह समस्या केवल तमिलनाडु की नहीं है। अतः मैं माननीय प्रधानमन्त्री से इस मामले को तुरन्त लेने और इसका हल निकालने के लिए अनुरोध करता हूं। राष्ट्रपति जयवर्धने ने भी सार्वजनिक तौर पर कहा है और घोषणा की है कि यदि श्री राजीव गांधी श्रीलंका पर हमला करते हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो उस दिन द्वीप में एक भी तमिल को जिन्दा नहीं छोड़ा जायेगा।

[श्री पी० कुलनईवेलू]

12.50 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इसका अर्थ क्या है असेम्बली में भी अपनी खुले और सीधी घोषणा में श्री जयवर्धने ने बताया है कि यदि माननीय राजीव गांधी श्रीलंका पर आक्रमण करते हैं तो उस समय जब वह गिरफ्तार होते है वहां एक भी तमिल को नहीं छोड़ा जाएगा।

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री पी० कुलनईवेलू : श्री जयवर्धने द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में मैं यहां भारत सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

डा० ए०कलानिधि : मैं नहीं समझता कि आपने विरोध किया है।

श्री पी० कुलनईवेलू : वे सारे कौन लोग हैं जिनकी हत्या की जा रही है ? सैकड़ों निर्दोष तमिलों की हत्या की जा रही है। तमिल महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है। तमिल बच्चों को मारा जा रहा है और अंगभंग किया गया है। उनकी प्रतिदिन हत्या की जाती है श्रीलंका सरकार ने धीरे-धीरे मारने की पद्धति अपना रखी है। वे अब यही कर रहे हैं। श्रीलंका की सेना उन पर अत्याचार करने का एक प्रबल हथियार बन गई है। एलम के लिए संघर्ष अब शुरू हो गया है। अब यह जोर पकड़ रहा है। अलग से एक तमिल एलम होगा। इस समस्या का समाधान केवल तभी हो सकता है जब वहां एक अलग एलम हो। (व्यवधान) विश्व की कोई ताकत चाहे वह कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो इसको रोक नहीं सकती।

लड़ाकू और आतंकवादी के बीच बहुत अधिक अन्तर है परन्तु श्री जयवर्धने क्या कहते हैं कि वह आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है ? वास्तव में वह आतंकवादी विरोधी गतिविधियों के बहाने वह निर्दोष लोगों और मजदूरों तथा कृषकों की हत्या कर रहे हैं। श्रीलंका के उद्योग मन्त्री श्री सिरिल मैथ्यू ने भी कहा है आतंकवादी पागल कुत्ते हैं और उन्हें गोली से उड़ा देना चाहिए। इसका क्या मतलब है ? यदि आतंकवाद है तो निश्चितरूप से इसे रोका जाना चाहिए। दबाया जाना चाहिए। इसके लिए दूसरी बात और कोई नहीं हो सकती।

आतंकवाद से आपका क्या अर्थ है ? यहां लड़ाकू हैं। युद्ध प्रियता वहां है। केवल लड़ाकू ही पृथक एलम के लिये लड़ रहे हैं ; यह उनकी अब शिकायत है। हम अच्छे लोगों के सामने प्रचार कर हम **···सामने प्रचार नहीं कर सकते श्री जयवर्धने। हम·· **·· सामने प्रचार नहीं कर सकते···**···श्री जयवर्धने बन गए हैं ··**···प्रतिदिन हजारों लोगों को मारा जा रहा है और श्री जयवर्धने सिंहलियों तथा भारत सरकार के साथ भी दुरंगी चाल चल रहे हैं। यह वास्तविक रूप से

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतांत से निकाल दिया गया।

श्रीलंका में सिंहलियों के इशारे पर नाच रहे हैं। सेना के जवानों ने हाल के थानगावेलाडीपुरम के आक्रमण में 100 से अधिक नागरिकों को मारा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने जो शब्द राष्ट्रपति जयवर्द्धने के लिये कहे हैं और जो अपमानजनक है वे कार्यवाही में शामिल नहीं किये जाएंगे।

डा० ए० कलानिधि : वास्तविक रूप से जो हुआ है उसका वह वर्णन कर रहे हैं। इसमें क्या गलत है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है।

श्री पी० कुलनदईवेलू : हाल में एक सप्ताह पहले थानगावेलाडीपुरम में सेना ने सौ से अधिक नागरिकों की हत्या की। कट्टीकालोआ और अकारीपट्टू नागरिक समितियों ने घटना स्थल पर जांच की और उन्होंने सुरक्षा सेना द्वारा मारे गये खेतिहर मजदूरों, चरवाहों और खाना बदोशों की जली हुई लाशें पाईं। यह स्थिति है। हाल के आक्रमण में भी श्रीलंका की सेना ने 125 से अधिक निर्दोष तमिलों की हत्या की। मैं समझता हूं कि शांतिपूर्वक ढंग से समझौता करने तक एक भी तमिल नहीं रहेगा। इसलिए हम माननीय प्रधानमन्त्री से यथाशीघ्र समझौता करने के लिए अनुरोध करते हैं। हाल ही में भी हमारे प्रधानमन्त्री ने, जब उन्होंने मालद्वीप का दौरा किया था, यह भी कहा था और श्रीलंका की सेना द्वारा हाल ही में किए गए आक्रमण पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की थी। श्री जयवर्धने ने यह कह करके अपना रवैया और स्पष्ट कर दिया है कि उनका शासन इस मामले पर कार्य पत्र की शर्तों से बाहर जाने को तैयार नहीं है जिससे यह सिद्ध हो गया है कि इससे कोई सार्थक बातचीत नहीं हो सकती। अतः उन्होंने यह निश्चय कर लिया है कि पृथक एलम न दिया जाये। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है।

तमिलों की जातीय समस्याओं के बारे में भारत और श्रीलंका के बीच बातचीत केन्द्रीय मन्त्री के नेतृत्व में होनी चाहिए। मैं माननीय विदेश मन्त्री से इस मामले को उठाने के लिये अनुरोध करता हूं। निस्सन्देह श्री रामेश भण्डारी, विदेश सचिव इस मामले पर विचार कर रहे हैं। यद्यपि वह निदेशानुसार अपना कार्य कर रहे हैं, फिर भी उनकी राजनैतिक नेता के रूप में वे विशेष दिलचस्पी न हो जैसा कि हमारे माननीय मन्त्री इस मामले को यथाशीघ्र निपटाने में हैं। मैं माननीय विदेश मन्त्री श्री बी० आर० भगत से इस मामले को उठाने तथा यथाशीघ्र समस्या को हल करने की कोशिश के लिए अनुरोध करता हूं।

कोलम्बो में हमारे उच्चायुक्त श्री दीक्षित को आज यहां बुलाया गया है। मैं समझता हूं कि श्रीलंका की इन रिपोर्टों कि श्रीलंका के तमिलों की हत्या की जा रही है और उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं तथा सशस्त्र सेवाओं की इस कार्यवाही, जिसमें हाल ही में 100 तमिलों को मारा गया। के परिणामस्वरूप उन्हें बुलाया गया है कार्रवाई को जाति संहार के रूप में बताया गया है।

कैथोलिक चर्च द्वारा किए गए स्वतंत्र अध्ययन से इस बात की पुष्टि हो गई है कि अनेक संख्या

[श्री पी० कुलनवईवेलू]

में तमिलों को या तो मार डाला गया है या उनकी हिंसा की गई है और उनके साथ बलात्कार किया गया है।

इस प्रकार की घटनाओं के प्रकाश में श्री जयवर्धने कहते हैं कि वह तमिल समस्या का सैनिक हल ढूंढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसका क्या अर्थ है ? यह हिंसा की एक या दो घटनाओं का प्रश्न नहीं हैं। हिंसा प्रतिदिन हो रही है अत: श्रीलंका में तमिलों को रोज मारे जाने की बात है।

श्रीलंका की समस्या ने तमिलनाडु में अपना प्रभाव छोड़ा है और नगर पालिका के चुनावों में लोगों की तीव्र भावनाएं देखने को मिली हैं क्योंकि भारत सरकार ने समस्या का समाधान नहीं किया है लोगों ने तमिलनाडु में स्थानीय पंचायत चुनावों में तीव्र भावनाएं व्यक्त की हैं :—

डा० ए० कलानिधि : नगर पालिका चुनावों ने स्पष्ट निर्णय दिया है।

श्री पी० कुलनवईवेलू : सीनेटर एडवर्ड केनेडी ने कहा है कि श्रीलंका में जातीय समस्या को सुलझाने के लिए केवल तमिल एलम ही हल है एक व्यक्ति, जो अमरीका में सीनेटर है, ने आगे आकर कहा है कि केवल तमिल एलम ही हल है जिससे कि तमिल समस्या को सुलझाया जा सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि विदेश मन्त्री ने इस सदन के सामने जो वक्तव्य दिया है उससे हम सन्तुष्ट नहीं है। हमने इस तरह की बहुत सी रिपोर्टें देखी हैं। मैं विदेश मन्त्री जी से ठोस प्रस्ताव लाने का अनुरोध करता हूं मामले को निपटाने के उद्देश्य से तमिल संयुक्त मुक्ति मोर्चे ने पहले ही कुछ प्रस्ताव रखे हैं किंतु श्री जयवर्धने को उनके द्वारा रखे गये प्रस्ताव स्वीकार नहीं हैं। तमिल संयुक्त मुक्ति मोर्चे द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावों को स्वीकार किए बिना इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता है। माननीय विदेश मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि इस मामले में तत्काल कार्यवाही करें और इसे निपटाने की कृपा करें। हमें इस मामले को निपटाना होगा। यह मामला न केवल तमिलनाडु के लिये अपितु पूरे विश्व के लिए एक नाजुक मामला है। इस मामले के सम्बन्ध में हरएक ने चिन्ता व्यक्त की है। इसीलिए यह मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे निपटाना ही होगा। मेरा विचार है कि हमारे विदेश मन्त्री पहल करके इस मामले को निपटाने की कृपा करेंगे।

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, मेरा सुझाव है कि आज हम लोग भोजनावकाश का समय त्याग करें जिससे कि हम ध्यानाकर्षण पर चर्चा चालू रख सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभा की समिति हो तो आज हम लोग भोजनावकाश का समय छोड़ सकते हैं।…जी हां। श्री श्रीराम मूर्ति भट्टम।

श्री श्रीराम मूर्ति भट्टम (विशाखापत्तनम) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीलंका में स्थिति उत्तरोत्तर खराब होती जा रही है। हर रोज हिंसा और प्रतिहिंसा हो रही है।

1.00 म० प०

तमिल बहुल प्रदेश जाफना में प्रवेश कर सैनिक टुकड़ियां कत्लेआम कर रही हैं। हर रोज सैकड़ों निर्दोष तमिल गोलियों से भूने जा रहे हैं। जो अत्याचार किए जा रहे हैं और जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, तथा निर्दयतापूर्ण नरसंहार वर्णातीत है। श्रीलंका शीघ्रता से दक्षिण अफ्रीका बनता जा रहा है। श्री जयवर्धने दूसरा बोथा हैं। आश्चर्य होता है कि इस दशा में वह दक्षिण के अफ्रीका के नेता श्री बोथा को भी मात देना चाहते हैं, आये दिन रक्त पात हो रहा है और हत्यायें हो रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में, भारत का क्या कार्य, कार्यवाही करने का विचार है? सरकार का विचार क्या पहल करने का है अथवा सरकार एक मूक दर्शक बना रहना चाहती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जातीय समस्या के सम्बन्ध में शांतिपूर्ण वार्ता के आधार पर समझौता कराने में श्रीलंका सरकार को सहायता देने के लिए भारत वचनबद्ध है। इतने समय तक लगातार कई महीनों तक सरकार ने जो कठिन परिश्रम किया है, निष्ठा, मनोयोग और धैर्य तथा निरन्तर प्रयास से जो कार्य किया है वह सब व्यर्थ हो गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत ही उन्हें आपसी बातचीत के लिए राजी कर सकता है। इसके बावजूद भी इस समय वहां क्या हो रहा है तथा श्रीलंका सरकार का क्या रवैया है? यहां तक कि किसी भी विचारशील नेता के प्रस्ताव श्रीलंका सरकार को स्वीकार नहीं हैं। वे लोग उत्तरी तथा पूर्वी प्रांतों को मिलाकर एक कर देना चाहते हैं। इस विचार को रद्द कर दिया गया था और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होने प्रांतों को कुछ स्वायत्तता दिये जाने की सिफारिश की थी और पुनः श्रीलंका के संविधान के एकात्मक स्वरूप के अनुरूप उन्होंने यह बात कही थी और जिससे वे सहमत नहीं थे। वार्तालाप और समझौते के समय जिन बातों पर सहमति हो गई थी, वे उनका भी पालन नहीं कर रहे हैं। वे लोग निर्दयतापूर्वक नरसंहार और बिना विचारे निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं। वहां यही सब हो रहा है। प्रांतों और प्रांतीय परिषदों को अधिक शक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में जो समझौता हुआ था, उससे वे मुकर रहे हैं। श्री जी पार्थासारथी के साथ चर्चा करते समय वे लोग जिस बात पर सहमत थे अब वे उससे मुकर रहे हैं। श्रीलंका की सरकार तथा तमिल दोनों ही एक दूसरे के प्रस्तावों से असहमत हैं। ऐसी स्थिति में पुनः चर्चा करने तथा बात-चीत करने का कोई लाभ नहीं है।

महोदय, लड़ाई की चीख-पुकार अब सुनाई पड़ रही है। सैनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। वास्तविकता यह है कि अल्प संख्यक तमिल जाति के लोगों का बेरोक-टोक नरसंहार चल रहा है। युद्ध का जो पागलपन छाया हुआ है उसे सभी सम्बद्ध लोग भड़का रहे हैं, श्री भंडारनायके भी उसी रोग से पीड़ित हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? ऐसी परिस्थितियों में भारत का क्या कार्यवाही करने का विचार है? श्रीलंका की इन कार्यवाहियों से गत कई महीनों में भारत ने जो कुछ किया है उन सब पर पानी फिर गया है। क्या हम लोग हमेशा मूक दर्शक बने रहेंगे? श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है क्या उसके प्रति हम मूक दर्शक बने रहेंगे? इसमें संदेह नहीं कि यह उनकी आंतरिक समस्या है। परन्तु इसके साथ ही इस बात को नहीं भुलाया जा सकता कि वे भारतीय मूल के लोग हैं तथा हम उसके पड़ोसी देश हैं। इससे हमारा देश प्रभावित है। लाखों लोग लाखों शरणार्थी भारत आ चुके हैं और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में हमें दखल तो देना ही होगा। हमें कत्लेआम

[श्री श्रीराम मूर्ति भट्टम]

बन्द कराने का प्रयत्न करना ही पड़ेगा। तमिल बहुल प्रदेश जाफना में श्रीलंका का सुरक्षा बल निर्दयतापूर्वक हत्या कर रहा है। श्रीलंका की सेना ने मारक हैलीकाप्टरों, तथा लड़ाकू विमानों से वहां पर हमला करके सैकड़ों व्यक्तियों की हत्या कर दी है तथा बचे हुए अन्य लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस मामले को मानवाधिकार आयोग जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में ले जाया जाये तथा वहां इस मामले पर चर्चा तथा निर्णय लिया जाए। नियंत्रण किए तथा बाधा डाले बिना नियमित रूप से किया जा रहा जन संहार नहीं रोका जा सकता है।

भारत को इसमें कठोरता बरतनी होगी तथा श्रीलंका सरकार को चेतावनी देनी होगी। श्रीलंका सरकार को निर्दोष तमिलों का आये दिन किया जाने वाला नरसंहार, हर प्रकार की निर्दयता बर्बरता और मनमाने अत्याचारों को रोकना ही होगा।

युद्ध विराम समझौते का क्या हुआ ? उपयोगी तथा लाभप्रद वार्ता आरम्भ करने के लिए उन्हें युद्ध-विराम समझौता कारगर ढंग से लागू करना होगा। बात-चीत के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। युद्ध विराम समझौते की निगरानी करने के लिए एक निष्पक्ष एजेंसी होनी चाहिए।

स्थाई शांति स्थापित करने के लिए इस नवीन खोज में 'शार्क' को क्यों नहीं सम्मिलित कर लेते। मेरे विचार से यह प्रयत्न लाभदायक सिद्ध होगा। 'शार्क' को भी इसमें अपनी भूमिका अदा करने के लिए सम्मिलित किया जाए। राष्ट्रपति जयवर्धने के युद्ध के अलाप के बारे में मुख्य रूप से विचार करना होगा। 26 जनवरी को उन्होंने श्री लंका की जनता के समक्ष यह दृढ़ प्रतिज्ञा की थी कि वह श्रीलंका की भूमि से सभी प्रकार के आतंकवाद को मिटाकर और तहस-नहस करके ही दम लेंगे। उन्होंने श्रीलंका की जनता को एक जुट होने, आगे बढ़ कर हिंसक गतिविधियों को नष्ट करने के लिए जनता का आवाह्न किया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से सिंघालियों को तमिलों के विरुद्ध भड़काया है। वस्तुतः वह इस जातीय समस्या का सैनिक हल ढूंढ़ रहे हैं और तमिलों का अस्तित्व मिटाने हेतु दृढ़ संकल्प किए लगते हैं उनका कहना है कि सेना के पास इस समय अच्छे हथियार हैं तथा उसे प्रशिक्षण भी अच्छा दिया गया है। यह बात स्पष्ट हो गई है कि जातीय समस्या को वह सैनिक बल पर सुलझाना चाहते हैं। उन्हें आशा है कि वह सभी गोरिल्लों को एक वर्ष में मिटा देंगे। वह सैनिक समस्या का सैनिक हल चाहते हैं। उनका कहना है कि ऐसा करने के बाद वह राजनैतिक समस्या पर ध्यान देंगे तथा उसका राजनैतिक हल निकालेंगे। इसका क्या मतलब है ? सैनिक कार्यवाही के बाद रह ही क्या जाएगा, तमिल पूरी तरह से तहस-नहस हो जाएंगे और वहां से निकाल बाहर कर दिए जाएंगे। उसके बाद राजनैतिक समाधान का प्रश्न ही कहां रह जाएगा।

सैनिक कार्यवाही के माध्यम से वह सभी तमिलों को निकाल बाहर करना चाहते हैं। अब राजनैतिक हल क्या शेष रह गया है ? यह बात समझ में नहीं आती है। वह दोहरी भूमिका निभाना चाहते हैं—एक ओर तो वह निर्दयतापूर्वक निर्दोष तमिलों का कत्लेआम कर रहे हैं और इसके बाद वह शांति प्रतीक दिखाकर वार्ता और समझौते की बात कर रहे हैं। उसके इरादे स्पष्ट हैं। उनका रवैया स्पष्ट है। श्रीलंका सैनिक शक्ति बढ़ा रहा है।

रक्षा व्यय बढ़ रहा है। 1985 में आरम्भ में उसका अनुमानित व्यय 11.70 करोड़ आंका गया था किंतु अब वह बढ़कर 50 करोड़ रुपये हो गया है अनुमान है कि अगले बजट में इस राशि में 68% की वृद्धि हो जाएगी।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने श्रीलंका का दौरा किया था। और भी कुछ अन्य करण थे जिन्हें नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता है। हमें उन कारणों पर ध्यान देना होगा। दिसम्बर में, पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने श्रीलंका के होमगार्डों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने की पेशकश की थी। राष्ट्रपति जयवर्धने ने व्यावहारिक समर्थन प्रदान करने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति के प्रति आभार प्रकट किया था न केवल पाकिस्तान ही अपितु अन्य अनेक देश श्रीलंका को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमरीका और इजराइल भी श्रीलंका की सहायता कर रहे हैं।

अमरीका का सातवां बेड़ा आये दिन इस क्षेत्र में आता जाता रहता है इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब स्थिति यह है कि जब कभी भारत सरकार वार्ता करने की बात उठाती है, श्री जयवर्धने उस वार्ता का लाभ समय का सदुपयोग करने तथा श्रीलंका के तमिल भाषियों को पूर्णत: नष्ट करने के लिए अपनी सैनिक सत्ता सुदृढ़ करने के लिए उठा रहे हैं। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वह समय का लाभ उठा रहे हैं।

उन्होंने हाल ही में निर्दोष तमिलों का कत्लेआम किये जाने के मामले की जांच के लिए एक सैनिक समिति नियुक्त की थी। इस समिति में वही व्यक्ति हैं जो जन संहार के दोषी हैं, जिन्होंने निर्दयतापूर्वक तमिलों की हत्या और जनसंहार किया है और वही लोग अब अपने कृत्यों पर निर्णय देने के लिए बैठे हैं। श्री जयवर्धने यही संदेश भारत सरकार को भेजना चाहते हैं। भारतीय उच्चायुक्त इसी विशेष संदेश को देने के लिए भारत दौड़े आये थे। यह हमें स्वीकार नहीं है और इसे एक मिनट भी सहन नहीं किया जा सकता है। आपको यह एकदम स्पष्ट करना होगा कि भारत इस बात को सहन नहीं करेगा। आपको या तो इस जन संहार और सैनिक कार्यवाही को बन्द कराने के लिए दबाव डालना होगा अथवा इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय मंच के समक्ष रखना होगा।

यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित कदम तत्काल उठाये जायें कि किसी भी तमिल-भाषी की हत्या न की जाये। श्रीलंका की फांसीवादी सरकार बेरहमी और निर्दयतापूर्वक उनकी हत्या कर रही है।

इसके अलावा श्रीलंका की नौसेना हिन्द महासागर में अपनी ही सीमा क्षेत्र में जाने वाले निर्दोष मछुआरों पर आक्रमण करती है। इस बात की जानकारी अनेक बार मिली है। उन्हें निरन्तर उत्पीड़ित किया जा रहा है। किन्तु इस सम्बन्ध में हमारी सरकार क्या कर रही है? औपचारिक विरोध प्रकट करने भर से काम नहीं चलेगा अपितु हमें यह सुनिश्चित करने के लिये ठोस कदम उठाने पड़ेंगे कि श्रीलंका की सरकार के निरंकुश रवैये से भारतीय मूल के लोगों की जान और माल की रक्षा हो सके। श्रीलंका में रहने वाले तमिल भाषी इस नरसंहार को और अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसकी समाप्ति होनी ही चाहिए।

[श्री श्रीराम मूर्ति भट्टम]

श्रीलंका से भारतीय सीमा के अन्तर्गत हजारों तस्कर कार्यरत हैं। उनसे सख्ती के साथ निपटने की आवश्यकता है। हशीश तथा अन्य प्रकार के नशीले पदार्थों की तस्करी भारत में की जा रही है और इससे हमारे देश की सुरक्षा को भारी खतरा पैदा हो गया है। इस समस्या से निपटने की आवश्यकता है तथा इसे रोकने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाये जायें।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने श्रीलंका की वर्तमान स्थिति के विषय में भारत की चिंता को बडी स्पष्टता के साथ व्यक्त किया है और साथ साथ भारत सरकार का जो दृष्टिकोण है कि श्रीलंका की अखंडता और एकता कायम रहे और उसके कायम रहते हुए जो वर्तमान समस्या है उसका कोई राजनीतिक हल निकले, लेकिन आज जो कुछ श्रीलंका में हो रहा है, मैं समझता हूं कि कोई भी सभ्य समाज उसको अप्रूव नहीं कर सकता और उस घटनाक्रम के प्रति हम महज चिंता ही व्यक्त करके चुप नहीं बैठ सकते। बहुत बड़ी संख्या में, आपने 1 लाख 25 हजार का जिक्र अपने स्टेटमेंट में किया है, मैं समझता हूं कि इससे भी बहुत बड़ी संख्या रेफ्यूजीज की है जो श्रीलंका से तमिलनाडु में आई है। वहां की अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका जोर पड़ रहा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर उसी प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है जिस प्रकार से बंगलादेश से भारी मात्रा मे शरणार्थियों के आने से पड़ा था। जिन लोगों ने श्रीलंका की समृद्धि और निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है उनको आज न केवल दूसरे दर्जे का नागरिक माना जा रहा है, बल्कि सेना के द्वारा नियोजित तरीके से उनकी हत्या की जा रही है। श्रीलंका का अखबार, "जाफना इंडिपेंडेंट वीकली" निकलता है, उसमें सर्वेक्षण के आधार पर बताया है कि पिछले एक साल के अन्दर 3000 से ज्यादा तमिलों को सेना द्वारा मारा गया है। टिंकोमाली जो देश का उत्तरी इलाका है वहां तमिल मूल के नौजवान लोगों को दक्षिण की जेलों में बन्द किया जा रहा है और उन्हें नाना प्रकार की गम्भीर यातनाएं दी जा रही हैं।

यह ठीक है कि भारत सरकार ने इस समस्या को पूरी गम्भीरता से लिया है और प्रधानमन्त्री जी ने भारत की चिंता को एक से अधिक बार व्यक्त भी किया है और हमने राजनीतिक स्तर पर इस समस्या को सुलझाने के लिए जितने प्रयत्न कर सकते थे वे किए हैं और मैं यहां पर सदन के सामने कहना चाहूंगा कि हमारे ही प्रयत्नों से दोनों पक्ष साथ बैठे, नहीं तो शायद हो सकता है श्रीलंका में और भी अधिक खून बहता, लेकिन पूरे घटनाक्रम पर जब हम विचार करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे साथियों ने भी कहा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति समय लेना चाहते हैं। वो एक तरफ तो अपने देश की संसद के सामने इस बात को कहते हैं कि हम मिलिट्री एक्शन करेंगे और हम सेना के द्वारा तमिलों को दबाएंगे और बाहर आकर के समस्या के राजनीतिक हल की बात करते हैं। ये दोनों विरोधाभास प्रकट करने वाली बातें समझ में आने वाली नहीं हैं। मैं तो माननीय विदेश मन्त्री जी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि यदि हम तमिलों के वध के प्रति चिंता व्यक्त करते हैं तो श्रीलंका की गवर्नमेंट बहुत तेजी से रिएक्ट करती है। तो जब उन्होंने सैनिक हल की बात कही तब हमारी सरकार

की तरफ से इसका प्रबल विरोध होना चाहिए था, वह विरोध हमने व्यक्त नहीं किया है। पिछले दिनों तुल्फ नेता श्री अमृतलिंगम ने कुछ प्रस्ताव रखे थे। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि उन्होंने जो ट्रयू फैडरल कंसेप्ट की बात कही है, उसको जयवर्द्धने की सरकार स्वीकार करती है या नहीं। यदि वे इसको स्वीकार करते हैं तो उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने प्रपोजल दिया है कि भारत से मध्यस्थता चाहते हैं और अखबारों में भी निकला है कि भारत से मध्यस्थता की अपेक्षा करते हैं तो उस दिशा में भारत को पहल करनी चाहिए। अगर वे बुनियादी बात को मानने से इन्कार करते हैं तो मैं समझता हूं कि श्रीलंका की सरकार को समय मिलेगा और वह पाकिस्तान और दूसरे स्रोतों से हथियार इकट्ठा करेगी और तमिलों के ऊपर और ज्यादा मजबूती से प्रहार करेगी। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो बुनियादी पहलू है इसके विषय में श्रीलंका की सरकार का क्या रुख है। दूसरे, उन्होंने पैनल बनाने की बात कही है। जो तमिल मारे गए हैं, उनके कारणों की जांच के लिए पैनल बनाया जायेगा। इस पैनल का स्वरूप क्या होगा। श्रीलंका के अधिकारियों का पैनल होगा तो उस पर कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होगा। यदि इसमें कैथोलिक चर्च के या दूसरे लोगों को शामिल करने के लिए तैयार हैं जिनकी निष्पक्षता पर तमिलों को भी विश्वास हो सके तो मैं समझता हूं कि वह पैनल फ्रूटफुल हो सकता है। हमें इस बात का प्रयत्न करने की चेष्टा करनी चाहिए। अखबारों में छपा है कि राजदूत साहब को यहां पर परामर्श करने के लिए बुलाया गया है कि श्रीलंका के विषय में अपनी नीति पर अद्योपरान्त विचार करें। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार की स्थिति श्रीलंका में है, उस संदर्भ में जब तक हम अद्योपरान्त अपनी श्रीलंका की नीति पर विचार नहीं करेंगे तो इसका लाभ जयवर्धने की सरकार को मिलेगा तथा तमिलों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जाएंगे और भारत में ज्यादा से ज्यादा रिफ्यूजी आते जाएंगे। इससे हमारी अर्थ-व्यवस्था पर भार पड़ता चला जाएगा। हमें स्पष्ट शब्दों में श्रीलंका की सरकार को बताना चाहिए कि इसका कोई राजनीतिक हल निकालें। अगर वे राजनीतिक हल निश्चित समय के अन्दर नहीं निकालते हैं तो भारत सरकार को कोई न कोई ठोस कार्यवाही श्रीलंका सरकार के साथ करनी चाहिए। वह राजनयिक स्तर पर हो, मैं इसकी बात नहीं कहता। मैं उससे भी आगे अनुरोध करूंगा कि श्रीलंका हमारे बहुत नजदीक है और इस समय वहां पर विदेशी अड्डे भी हैं। उनको अमेरिका तथा कई देशों से मदद मिल रही है। जो खतरा पहले डिएगो-गार्शिया से था, वह खतरा केवल 30-35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसी हालत में हम अधिक समय तक चुप नहीं बैठ सकते। मैं अपने मित्रों को बताना चाहूंगा कि यह केवल तमिल या तमिलनाडु की ही समस्या नहीं है। पूरा देश इस समस्या के प्रति चिंतित है। हम आपकी चिंता को समझ सकते हैं क्योंकि यहां पर जो संसद के लोग हैं उनके भी कई भाई और रिश्तेदार होंगे जिनके साथ श्रीलंका में अत्याचार हो रहे हैं। हम सारे भारत के लोग चिंतित हैं और भारत सरकार से इस मामले में गम्भीर कार्यवाही करने की मांग करते हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी (नवद्वीप) : महोदय, श्रीलंका के सुरक्षा बलों द्वारा अल्पसंख्यक तमिल जाति के निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की निरन्तर निर्दयतापूर्वक सामूहिक विभत्स

[श्रीमती विभा घोष गोस्वामी]

हत्या किये जाने से सारा देश चिंतित और क्षुब्ध है तथा हमारा हृदय फटा जाता है। अपने दल तथा अपनी ओर से मैं इस विभत्स हत्या तथा नरसंहार की घोर भर्त्सना करती हूं। श्रीलंका में किये जा रहे तमिलों के कत्लेआम की भारत सरकार सार्वजनिक रूप से निन्दा, भर्त्सना क्यों नहीं करती ? किस कारणवश श्री भगत इसकी सार्वजनिक भर्त्सना नहीं कर पा रहे हैं ? इस अमूल्य कूटनीति में क्या है ? जबकि ऐमनैस्टी इन्टरनेशनल भी कुछ मामलों को ले रही है परन्तु ऐसी स्थिति में भी हमारी सरकार चुप क्यों है, इसका क्या कारण है ? महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या यह सरकार श्रीलंका में किये जा रहे निर्दोष पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और नागरिकों के कत्लेआम के विरुद्ध सार्वजनिक रूप में स्पष्ट शब्दों में भर्त्सना करेगी अथवा नहीं ? प्रभावशाली युद्धविराम बनाये रखने के लिये यह सरकार क्या कर रही है ? थिम्पू समझौता हो जाने के बाद भी उसे कार्यान्वित करने के लिये कुछ भी नहीं किया गया और हमारी सरकार ने ही उसे कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ? श्री जयवर्द्धने की ओर से युद्धविराम की कार्यवाही नहीं की गई है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह सेना के बल पर इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं तथा आतंकवाद का सहारा लेकर वह तमिलों को देश से बाहर निकालने पर तुले हुए हैं। महोदय, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि निरन्तर चलने वाले इस संघर्ष से अमरीकी साम्राज्यवाद को सहारा मिल रहा है जिसने ट्रिमकोमाली में एक सैनिक अड्डा स्थापित कर लिया है, जिससे एक ओर तो स्वयं श्रीलंका की प्रभुसत्ता तथा स्वतंत्रता को खतरा पैदा हो गया है और दूसरी ओर इस सम्पूर्ण क्षेत्र की शांति भंग होने का खतरा बना हुआ है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार ने इस मामले को अमरीकी सरकार के साथ उठाया है अथवा उनसे कोई शिकायत की है, क्योंकि उनकी इस कार्यवाही से हमारे क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा प्रभावित हो रही है। इस वक्तव्य में भी सरकार ने श्रीलंका सरकार तथा श्री जयवर्द्धने के सैनिक शासन की कोई भर्त्सना नहीं की है। इसलिए मैं चाहती हूं कि हमारी सरकार की ओर से स्पष्ट भर्त्सना की जानी चाहिये।

महोदय, मेरे विचार से, श्रीलंका के संयुक्त ढांचे के अन्तर्गत सर्वाधिक स्वायत्तता सिद्धांत को स्वीकार करने का तमिल संयुक्त मुक्ति मोर्चा का प्रस्ताव ही समझौते का आधार है। इससे श्रीलंका की पीड़ित अल्पसंख्यक तमिल जाति की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की पूर्ति होगी। यह सभा यह जानना चाहती है कि बातचीत द्वारा किसी समझौते पर पहुंचने के लिए सरकार जयवर्द्धने की सरकार पर दबाव डालने के लिए क्या नये प्रयास कर रही है। इस प्रयोजन के लिए इस सरकार को हर सुलभ साधन अपनाने चाहिये। अभी कुछ ही दिन पहले इस महीने की 19 तारीख को मद्रास के प्रमुख नागरिकों ने प्रधान मन्त्री से अनुरोध किया था जिसमें कहा गया है कि :

> "आज मद्रास के सात प्रमुख नागरिकों ने प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी से अनुरोध किया कि वह श्रीलंका सरकार और तमिल मुक्ति संगठनों के बीच समझौता कराने के लिए शीघ्र ही कोई कारगर कदम उठायें तथा इस जातीय समस्या का सम्मानपूर्ण समाधान ढूंढने के लिए उनका मार्गदर्शन करें।"

"इस नाजुक कगार से अभी भी लौटा जा सकता है तथा निष्ठापूर्वक तथा बुद्धिमत्तता-पूर्वक एक ऐसा समझौता कराया जा सकता है जो संघीय आदर्श के अनुरूप स्वीकार्य हो तथा जिसके अन्तर्गत तमिल श्रीलंका में आत्मसम्मान के साथ सुरक्षित नागरिक के रूप में जीवन-यापन कर सकें। द्वीप का विभाजन करने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है और ऐसा करने से तमिलों तथा सिंघलियों दोनों को ही समान रूप से हानि होगी,"

"अपील फार पीस इन श्रीलंका" (श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए अपील) पर हस्ताक्षर करने वालों में हैं :—श्री सी० सुब्रामणियम, भूतपूर्व केन्द्रीय वित्त मन्त्री, प्रो० के० स्वामीनाथन, प्रो० के० आर० श्रीनिवास अय्यंगार, श्री पी० एस० केलाशम्, उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश, श्री राजमोहन गांधी, श्री एम० वी० अरुणाचलम् और श्री जी० के० सुन्दरम।

अतः अपनी सरकार की ओर से अविलम्ब यह समझौता कराया जाना चाहिये।

श्रीलंका के सैनिक शासन द्वारा किये गये अत्याचारों से बचकर जो शरणार्थी यहां आ गये हैं; उनके बारे में इस पत्र में यह कहा गया है वे राज्यविहीन व्यक्ति हैं। उस समझौते के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं जिससे अल्पसंख्यक जाति के रूप में उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके और ऐसी स्थिति सुलभ हो जाये कि वे अपने घर लौट सकें। इस समय पूरा देश और पूरा विश्व वास्तव में इसके बारे में बहुत चिंतित है। जैसा कि मैंने कहा है, इस कार्य में देरी करने की आवश्यकता नही है और तत्काल समझौता करने के लिए जयवर्द्धने सरकार को विवश करने के लिए सरकार को हर सम्भव उपाय करने चाहिये। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में वास्तव में सरकार क्या कर रही है।

श्री बी० आर० भगत : मैं माननीय सदस्यों की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि यह समस्या पूरे देश के लिए एक गम्भीर समस्या है। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। इसके बारे में संसद को चिंता है। यह समस्या केवल तमिलनाडु के लिए ही एक गम्भीर समस्या नहीं है। वस्तुतः; मुझे तमिलनाडु की भावना का जो वहां की जनता और सरकार में व्याप्त है के बारे में पता है। इसके बारे में वे लोग बहुत गम्भीर हैं। किन्तु आपने तमिलनाडु के अतिरिक्त अन्य स्थानों से आये माननीय सदस्यों द्वारा अभिव्यक्त विचार भी सुने हैं। यह बहुत ही चिंता का विषय है। इसके बारे में दो राय नहीं हैं।

माननीय सदस्यों ने जिस दृश्य का वर्णन किया है; वह अधिकांश सत्य है। मैं इस स्थिति से सहमत हूं। ··(व्यवधान) आप मुझे बोलने का अवसर तो दीजिए। मैं उठाये गये सभी मुद्दों पर बोलने की चेष्टा कर रहा हूं।

दिक्कत यह रही है कि श्रीलंका सरकार तथा उसके अधिकारीगण शांति, राजनैतिक समाधान और शांतिपूर्ण वार्ता की दुहाई देते रहे हैं, किन्तु वास्तविकता यह है कि वे इसका समाधान सैनिक बल पर करते रहे हैं।···(व्यवधान) यही खास दिक्कत है।

[श्री बी० आर० भगत]

प्रारम्भ में, माननीय सदस्यों ने थिम्पू समझौते का हवाला दिया था। युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे। परन्तु इसका पालन कम तथा उल्लंघन ज्यादा किया गया। पहले उन्होंने कहा था कि उल्लंघन दोनों ही पक्षों द्वारा किया गया है परन्तु मैंने वक्तव्य दिया कि उल्लंघन श्रीलंका की सुरक्षा बलों द्वारा किया गया है। और फिर श्रीलंका संसद में मेरी आलोचना की गई कि मैंने एकतरफा वक्तव्य दिया है; या फिर एक कड़ा वक्तव्य दिया है। परन्तु बाद की घटनाओं से साबित हो गया कि न सिर्फ वहां पर उल्लंघन ही हुआ था अपितु सुरक्षा बल सभ्य तौर-तरीकों को भी लांघ गए थे।

हाल ही में क्या हुआ है ? हाल ही में निरपराध व्यक्तियों की हत्या के बारे में कुछ जिक्र किया गया था—कुछ गांवों में फसल काटने वाले श्रमिकों, आदमियों, महिलाओं तथा बच्चों को मार दिया गया।

यह सभ्य तौर तरीकों की सीमा से बाहर है। कई माननीय सदस्यों ने इसे नरसंहार बताया है। एक माननीय सदस्य ने मुझसे इस बारे में मेरे विचार जानने चाहे थे। मुझे यह कहते हुए खेद है कि यह चिन्ता का विषय है और यह नरसंहार जैसा ही है। और क्या कहा जा सकता है ?

फौज के लोग बिना किसी कारण गोलियां बरसा रहे हैं तथा खेतों में काम करने वाले लोगों को बड़ी संख्या में मार रहे हैं तो यह क्या है ? आप इसे क्या कहेंगे ?
यह बताते हुए मुझे बहुत ही पीड़ा और दुख हो रहा है।

तत्पश्चात् निगरानी समिति की स्थापना की गई थी। हमारी सलाह पर उन्होंने निगरानी दल का गठन किया था परन्तु उसको कार्य नहीं करने दिया गया। उसका परिणाम यह हुआ कि तमिल सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया तथा निगरानी व्यवस्था खत्म हो गई।

सैनिक बलों को सुदृढ़ करने, श्रीलंका में आतंकवाद से निपटने के लिए सैनिक तैयारियां करने तथा सभी तरफ से सहायता प्राप्त करने के बारे में उल्लेख किया गया है। मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता परन्तु यह सच है। एक तरफ तो, कारण चाहे कुछ भी हो; हो सकता है घरेलू दबाव हो; हो सकता है श्रीलंका सरकार के अन्दर ही कतिपय ताकतें सैनिक कार्यवाही को पसन्द करती हों; अन्य लोग अभी भी राजनैतिक हल निकालने की बात कर रहे हैं; दूसरी ओर, जब टी॰यू०एल०एफ० का प्रस्ताव आया, इन सभी दिक्कतों और बाधाओं के बावजूद हम राजनैतिक समाधान के लिए शांतिपूर्ण समझौतों में लगे हुये थे। आपका कहना है कि बातचीत उच्च स्तर पर की जाना चाहिए। विदेश सचिव अपना कार्य भली भांति कर रहे हैं।

श्री पी० कूलनवईवेलु (गोविचेट्टिपालयम) : वे सेवानिवृत होने वाले हैं। हम चाहते हैं कि आप इस विषय को व्यक्तिरूप में उनके साथ उठाएं।

श्री बी० आर० भगत : सरकार वही है। वह सरकार की ओर से काम कर रहे हैं वह अकेले

नहीं हैं। वह, विदेश मन्त्री तथा प्रधान मंत्री से सलाह मशविरा करते हैं। वह प्रधान मंत्री से निर्देश लेते हैं। अतः इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है; यह राष्ट्र की चिन्ता का विषय है तथा प्रधानमन्त्री जी निदेश देते हैं; प्रधानमंत्री के निदेश तथा संसद में व्यक्त किए गए विचारों के अधीन वह कार्य करते हैं।

श्री पी० कुलनवईवेलु : वह पूरी तरह से एक अफसर हैं; उनका कोई राजनैतिक स्वार्थ नहीं है जैसा कि आपका है।

श्री बी० आर० भगत : वह सरकार के एजेंट हैं मैं इस विषय में कह रहा हूं वे प्रधान मंत्री जी के निदेशानुसार कार्य करते हैं। इसके अलावा आप और क्या पूछना चाहते हैं? वह अपना कार्य भली भांति कर रहे हैं।(व्यवधान)

इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वह बहुत ही अनुभवी राजनयिक हैं।

श्री बी० आर० भगत : जब टी० यू०एल० एफ० का प्रस्ताव आया था तो यह निर्णय लिया गया था कि श्री रमेश भण्डारी वहां जाएंगे तथा इस विषय पर चर्चा करेंगे। श्रीलंका सरकार के तुल्फ प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया नकारात्मक थी। उनसे मिलने का कोई आधार नहीं था अतः हमने उन्हें वापस बुलाया और कहा कि इस पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। आपको प्रधान मंत्री जी द्वारा माले में दिया गया वक्तव्य याद है। प्रधान मंत्री जी ने स्वयं वक्तव्य दिया है कि श्री लंका सरकार को हमें बताना चाहिए कि इस विषय में वे हमारी मध्यस्थता चाहते हैं अथवा नहीं। आप और किस तरह का कड़ा, स्पष्ट और सकारात्मक रवैया चाहते हैं? अभी भी भारत और श्री लंका के बीच औपचारिक समझौतों की आवश्यकता है और इन पर वार्ताएं जारी हैं। श्री लंका सरकार ने राजनैतिक हल निकालने के लिए फिर से वार्ता जारी करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है।

श्री पी० कुलनवईवेलु : हर बार वे यही कहते हैं।

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : हम चाहते हैं कि आप इस बात को स्वयं व्यक्तिगत रूप में उनके साथ उठाएं।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (हावड़ा) : आप स्वयं ही श्री लंका सरकार से बातचीत कीजिये बजाय उनको कहने के कि वे इसे करें। आपकी बात का ज्यादा महत्व होगा बजाय सचिव के। सदन की यही चिन्ता कहना है।

श्री बी० आर० भगत : मैं इस विषय पर आ रहा हूं आप मुझसे यह मत कहिये कि संसद को छोड़कर दुनिया भर की सैर करते रहो। मैंने कहा है किसी न किसी को वहां जाकर बातचीत करनी होगी। अगर आवश्यकता हुई तो मैं भी जा सकता हूं। इस विषय पर सभी स्तरो पर चर्चा की जा चुकी है। प्रधान मंत्री जी ने स्वयं भी श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ कई स्थानों, ढाका, नसाऊ तथा

[श्री बी० आर० भगत]

दिल्ली में इस विषय पर चर्चाएं की हैं। अतः यह विषय सबसे ऊंचे स्तर पर विचारणीय है। हर बार हम अपनी स्थिति की समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि बातचीत के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था क्या की जा सकती है। परन्तु मैं कहता हूं कि विदेश सचिव अपना कार्य भली-भांति कर रहे हैं और कोई कारण नहीं है कि इस वक्त उन्हें इस कार्य से हटाया जाये।

मैं कहना चाहता था कि जो कुछ हाल ही में हुआ है उससे विश्वसनीयता पूरी तरह समाप्त हो गई है···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : निर्दोष व्यक्तियों का नरसंहार।

श्री बी० आर० भगत : यह एक गम्भीर मामला है और अगर वे इस पर लीपा-पोती करना चाहते हैं तो इस पर ऐसा नहीं किया जा सकता। वे केवल एक समिति को नियुक्त नहीं कर सकते जो कि इसकी जांच नहीं कर सकती, जो कि स्वीकार्य नहीं है तथा स्वतन्त्र नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य श्री रावत जी ने कहा है कि ऐसी सीमित हो जो दोनों को ही यानि कि श्री लंका के तमिल तथा सिंहलियों को स्वीकार्य हो, न कि सिर्फ लीपा-पोती वाली समिति हो, परन्तु हुआ ऐसा है कि बहुत बड़ी संख्या में निरपराध व्यक्ति, जिनका कोई सरोकार नहीं है, जो अपनी आम जिंदगी जी रहे हैं, बेचारे गरीब लोग, बिना किसी वजह के मारे गए हैं। आप इससे ज्यादा और कोई नहीं कर सकते। यह एकदम नरसंहार है। अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर या किसी भी सभ्य समाज में इसे नरसंहार ही माना जाएगा। सबसे पहले श्री लंका सरकार को यह आश्वासन देना होगा कि अब और किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। आतंकवादियों से निपटना एक बात है परन्तु आतंकवाद के नाम पर, बड़ी संख्या में आम नागरिकों को मारना एकदम अलग बात है अगर ऐसा ही चलता रहा, तो हमने विगत में भी कहा था कि जब तक युद्ध-विराम हिंसा नहीं रुकती, तो राजनैतिक वार्ता में यह नकारात्मक पहलू होगा।

परन्तु इस समय यह स्थिति और भी खराब हो गई है। हिंसा का ही वातावरण है और ऐसे वातावरण में आप बातचीत नहीं कर सकते, आप राजनैतिक हल निकालने के लिए कार्य नहीं कर सकते। दूसरा मुद्दा है जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं वह है समय तेजी से निकला जा रहा है। हम चाहते हैं इस विषय पर श्रीलंका सरकार की ओर से कोई कार्यवाही की जाए। अगर वे कहते हैं कि वे राजनैतिक हल चाहते हैं तो उन्हें विचार करने दीजिए परन्तु इसके लिए कुछ समय सीमा होनी चाहिए। हम इसके लिए ज्यादा समय नहीं दे सकते। प्रधान मंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें बताना होगा क्या वे हमारी मध्यस्थता चाहते हैं अथवा नहीं। अगर वे चाहते हैं तो उन्हें इस प्रश्न को बहुत ही कम समय में यानि कि एक हफ्ता, दो हफ्ते, इससे ज्यादा समय में नहीं, इसको सुलझाना होगा···

(व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलु : आप समय निर्धारित कीजिए ··(व्यवधान)

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या आपने उनको सूचना दे दी है कि सरकार यह नहीं चाहती है कि··· (व्यवधान)

श्री बी० आर० भगत : हमने राजदूत को बुलाया है··· (व्यवधान)

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, सभा को आपके संरक्षण की आवश्यकता है विदेश मन्त्री स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि स्थिति इतनी विस्फोटक है कि वे समझते हैं कि इसे एक निर्धारित समय के अन्दर ही इस पर बातचीत करके इसे सुलझाया जाए। अगर सरकार की इच्छा ऐसी है तो क्या भारत सरकार ने उनको इस विशेष पहलू से अवगत कराया है ?

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग) : मैं नहीं समझता कि उन्हें इसकी सूचना देने की आवश्यकता है। जो कुछ मन्त्री जी ने सदन में कहा है वह भी स्वयं में सूचना देना है।

श्री बी० आर० भगत : जैसाकि मैंने कहा जब हम बातचीत से वापस हट गए तो हमने विदेश सचिव को मद्रास से इसलिए वापस बुलाया क्योंकि श्रीलंका सरकार के नकारात्मक रवैये के कारण वार्ता की कोई जरूरत नहीं थी। तभी से हम स्थिति का मूल्यांकन कर रहे थे तथा अब श्रीलंका सरकार ने फिर से इस बात पर बल दिया है कि वे राजनैतिक हल चाहते हैं अतः इसीलिए हमने उच्चायुक्त को बुलवाया है। वह शीघ्र ही यहां आएंगे। शायद वे आज सुबह ही पहुंच गए हों। हम इस पर चर्चा करेंगे तथा हम उन्हें दो बातों की जानकारी देंगे कि इसे एकदम रोका जाना चाहिए। हमने पहले भी ऐसा कहा है कि इस बात की जांच की जानी चाहिए। इस प्रकार की हत्याओं की एक निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। भविष्य में, इसे बंद किया जाना चाहिए। निरपराध व्यक्तियों एवं आम नागरिकों की हत्या तुरन्त बन्द की जानी चाहिए। सबसे पहली शर्त यही है। दूसरी बात है राजनैतिक समाधान, भूमि निपटान, हस्तान्तरण, कानून व्यवस्था आदि के विभिन्न मदों से संबंधित प्रश्नों की जांच की जानी चाहिए तथा शीघ्र ही किसी समझौते पर पहुंचा जाए। ये दो बातें हैं। भारत अपने दृढ़ विचारों को श्रीलंका सरकार तक पहुंचायेगा। धन्यवाद।

श्री श्रीराम मूर्ति भट्टम : इस तरह की चर्चा के बाद मेरे विचार से ताजा स्थिति से लोक सभा को अवगत कराया जाएगा।

1.41 म० प०

लोकपाल विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री ब्रह्मदत्त (टेहरी गढ़वाल) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

[श्री ब्रह्म दत्त]

"कि यह सभा प्रो० मधु दण्डवते द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर संघ के मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच करने के लिए, लोकपाल की नियुक्ति का और उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के लिए श्री जयपाल रेड्डी को नियुक्त करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा प्रो० मधु दण्डवते द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर संघ के मन्त्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच करने के लिए लोक पाल की नियुक्ति का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के लिए श्री जयपाल रेड्डी को नियुक्त करती है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.42 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में हाल ही की ओलावृष्टि के कारण हुई क्षति से प्रभावित लोगों को आवश्यक राहत देने की आवश्यकता

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : केन्द्र सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र के कई जिलों में हुई ओलावृष्टि के कारण रबी की फसल को काफी नुकसान हुआ है। प्रभावित क्षेत्रों में संतरे की सारी फसल को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। केवल नागपुर जिले के 200 गांवों में रबी तथा संतरे की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। यहां यह बताना असंगत नहीं होगा कि इस तरह का विनाश विदर्भ क्षेत्र में पिछले 70 वर्षों से नहीं हुआ है।

इन गांवों का दौरा करने के दौरान कोई भी व्यक्ति यहां के गरीब किसानों के दुखों को नहीं देख सकता। इस समय दी जा रही सहायता एकदम अपर्याप्त है। मैं माननीय प्रधान मन्त्री जी के कार्य की सराहना करूंगा कि उन्होंने प्रधान मन्त्री सहायता कोष से 20 लाख रुपए का चैक भेजकर गरीब पीड़ित व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति दिखाई है। इस क्षेत्र को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत नहीं लाया गया है। जिन लोगों ने ऋण लिया है सिर्फ उन्हें ही इस योजना में लाया गया है। बाकि सब इससे

बाहर हैं। सन्तरा जो कि विदर्भ में आय का मुख्य साधन है उसे किसी भी बीमा योजना के अन्तर्गत नहीं लिया गया है।

मैं केन्द्र सरकार से गम्भीरतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि वहां पर हाल ही में ओला वृष्टि से हुए नुकसान का आंकलन करने के लिए वे एक विशेषज्ञ दल को वहां भेजें तथा युद्ध स्तर पर सभी आवश्यक मदद प्रदान करें।

1.43 म० प०

(श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए)

(दो) टांडा ताप विद्युत परियोजना, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश, के लिए स्वीकृत अनुदान में कथित कटौती और परियोजनाओं को पूरा करने की तत्काल आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर) : मान्यवर, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न उठाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के जनपद फैजाबाद में स्थित अकबरपुर संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत तहसील टांडा में 440 मेगावाट का थर्मल प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है जिसमें एक यूनिट, वर्ष 1982 में चालू हो जाने का लक्ष्य निर्धारित था। परन्तु कतिपय कारणों से निश्चित अवधि में यूनिट चालू नहीं की जा सकी। उक्त परियोजना के शिलान्यास के अवसरों पर यह घोषणा की गई थी कि इसकी एक यूनिट वर्ष 1984 में चालू हो जाएगी। परन्तु उक्त अवधि भी समाप्त हो गई। कुछ सूत्रों द्वारा यह जानकारी मिल रही है कि टांडा थर्मल प्रोजेक्ट हेतु आबंटित धनराशि में कटौती कर के अन्यत्र भेजा जा रहा है जिससे उक्त प्रोजेक्ट का सम्पूर्ण कार्य बन्द हो जाने की पूरी सम्भावना है।

श्रीमन्, आबंटित धनराशि में कटौती किए जाने से स्थानीय जनता में भी व्यापक असंतोष है। जन हित में उक्त प्रोजेक्ट का कार्य पूर्ण किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक है। इसलिए मैं भारत सरकार से जोरदार तरीके से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश में टांडा थर्मल प्रोजेक्ट फैजाबाद को स्वीकृत धनराशि में किसी किस्म की कटौती न की जाये और उक्त प्रोजक्ट का कार्य अतिशीघ्र पूर्ण कराया जाये जिससे विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो सके और इससे हमारा प्रदेश लाभान्वित हो सके। साथ ही प्राथमिकता के आधार पर प्रभावित किसानों एवं स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को योग्यतानुसार परियोजना में रखा जावे जिससे असंतोष दूर हो सके।

(तीन) भारी वर्षा और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिये राजस्थान सरकार को पर्याप्त सहायता देने की आवश्यकता

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान नियम 377 के अधीन राजस्थान के अनेक जिलों में हाल ही में हुई ओलावृष्टि की ओर दिलाना चाहता हूं।

राजस्थान के कोटा, बूंदी तथा फालावाड़ जिले इस वर्ष वर्षा एवं ओलावृष्टि से गम्भीर रूप से प्रभावित हुए हैं। यहां पर हजारों पशु मर गए हैं एवं खेतों में लहलहाती फसलें भी चौपट हो गई हैं जिससे यहां के किसानों के सामने घोर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। यदि सरकार द्वारा फसलों की क्षति का विस्तृत रूप से मूल्यांकन कराया जाये तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह नुकसान करोड़ों रुपये का हुआ है।

मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि वे इस बात की भी जांच कराएं कि राजस्थान में कितनी अफीम की पैदावार को नुकसान पहुंचा और इसके बाद ही एवरेज निकाल कर किसानों को अगले वर्ष के लिए लाइसेंस देने की घोषणा करें। यदि इस नुकसान को नहीं माना गया तो अफीम का रकबा कम होने का कारण अफीम उत्पादकों के लाइसेंस कम पैदावार की आड़ में रद्द कर दिए जाने की सम्भावना है, जिसके कारण किसानों के सामने और भी भयानक आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाने की आशंका है। भविष्य में भी इनके लाइसेंस रद्द न हो सकें, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

अत: मेरा माननीय कृषि एवं वित्त मन्त्री जी से निवेदन है कि वे राजस्थान के अनेक जिलों में हाल ही में हुई भारी वर्षा एवं ओलावृष्टि के कारण किसानों को हुई भारी आर्थिक क्षति को पूरा करने के लिए किसानों एवं राज्य सरकार को पर्याप्त मात्रा में अनुदान आवंटित करने की कृपा करें ताकि प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति कराई जा सके।

[अनुवाद]

(चार) पश्चिम बंगाल में औद्योगिकी रुग्णता की समस्या को सुलझाने के लिये उपाय करने की आवश्यकता

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : पश्चिम बंगाल में औद्योगिक रुग्णता से पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत की अर्थ व्यवस्था में चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई है। हावड़ा, जो किसी समय देश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर था, में लघु उद्योग और कुछ मझोले पैमाने की इकाइयां बन्द होने की स्थिति में पहुंच गई हैं। कच्चा लोहा, एल्कोहल, सूत, पैराफिन मोम जैसे कच्चे माल की कम सप्लाई के कारण अधिकांश लघु ढलाई कारखाने, मोमबत्ती बनाने के कारखाने, होजरी इकाइयां बंद हो गई हैं। इसके अलावा वहां बिजली की भी कमी है। रुग्ण उद्योगों के सम्बन्ध में हाल ही में जो विधेयक पास किया गया है उसके आधार पर वहां आई०आर०बी०आई०, बैंकों और पश्चिम बंगाल सरकार के

उद्योग मन्त्रालय के माध्यम से वहां की इकाइयों को पुन: चालू करने के लिए उद्योग मंत्रालय और वित्त मन्त्रालय द्वारा तुरन्त कदम उठाया जाना बहुत आवश्यक है। उद्योग चलाने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकार की है अब समय आ गया है जबकि भारत सरकार को तीन महीनों में औद्योगिक स्थिति सुधारने के लिए राज्य सरकार के साथ बड़े पैमाने पर आगे आना चाहिए। रुग्ण उद्योग पुनरुज्जीवन बोर्ड तुरन्त बनाया जाना चाहिए और आई० आर० बी० आई० को इन इकाइयों का पोषण करने के लिए प्रबन्ध सम्बन्धी जिम्मेदारी लेने के लिए कहा जाना चाहिए। भारत सरकार को बड़ी बहु-राष्ट्रिक इकाइयों को, जो हर वर्ष मुनाफा कमा रही हैं, यह बात समझाने की पहल करनी चाहिए कि वे अर्थ व्यवस्था में सुधार करने के लिए ऐसी कम से कम एक या अन्य इकाइयों को अपने हाथ में लें और पश्चिम बंगाल के श्रमिकों की तुरन्त सहायता करें।

केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को यह सुझाव भी देना चाहिए कि वह इस सम्बन्ध में सभी आवश्यक उपचारात्मक उपाय करें।

(पांच) बिहार में तीन संस्थानों अर्थात (1) पाली संस्थान, नालन्दा (2) प्राकृत संस्थान, वैशाली (3) पंचांग बनाने वाले निजी पंडितों की संस्था को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री सी० पी० ठाकुर (पटना) : महोदय, बिहार की सांस्कृतिक धरोहर से सम्बन्धित जो तीन संस्थाएं हैं उनके नाम इस प्रकार हैं— पाली संस्थान, नालन्दा प्राकृत संस्थान, वैशाली और निजी पंडितों की संस्था जो मिथिला में पंचांग (ज्योतिष पत्रिका) बनाने का काम करती है। ये तीनों संस्थाएं बिहार की प्राचीन और सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने का प्रयत्न कर रही हैं। उन्हें केन्द्र सरकार से उदारतापूर्वक धन दिये जाने की आवश्यकता है ताकि वे उसे जीवित रख सकें और इसमें सुधार ला सकें।

(छः) उड़ीसा में खुर्दा स्थित ऐतिहासिक किले के संरक्षण के लिए और 'जय राजगुरु' और 'बख्शी जगबन्धु'' की स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी करने के लिए अविलम्ब कदम उठाने की आवश्यकता

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : उड़ीसा विदेशी शासनों के अधीन सबसे अन्त में आया। उड़ीसा के वीर किसानों ने अन्त तक और 1804 में उड़ीसा के पुरी जिले के खुर्दा स्थित किले में विदेशी आक्रमणकारियों के साथ लड़ाई लड़ी यहां आखिरी स्वतन्त्रता संग्राम जयराजगुरु और बख्शी जगबन्धु नामक दो शहीदों के नेतृत्व में लड़ा गया।

लेकिन खुर्दा में स्थित यह ऐतिहासिक किला, जो राष्ट्रीय महत्व का है, वर्ष प्रति वर्ष खंडहर होता जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि यदि इस क्षेत्र को सुरक्षित क्षेत्र घोषित नहीं किया जाता है और इस किले को बचाया नहीं जाता है तो यह बहुत जल्दी विलीन हो सकता है और इस ऐतिहासिक स्मारक का कोई अवशेष नहीं रह सकेगा।

[श्री चिन्तामणि पाणिग्रही]

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस किले को बचाने, इसका संरक्षण करने और इसके आस-पास की खुदाई करने के लिए तुरन्त कदम उठाए और विदेशी शासकों के विरुद्ध उड़ीसा में 1804 ई० में लड़े गये पहले स्वतन्त्रता संग्राम के शहीदों 'जयराजगुरू' और 'बख्शी जगबन्धु' की स्मृति में डाक टिकट जारी करें।

(सात) निजी चिकित्सा व्यवसायियों का पंजीकरण करने सम्बन्धी भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र को वापस लेने और भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : मुझे यह जानकारी मिली है कि प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर्स एसोसिएशन आफ इंडिया, मद्रास उन लोगों का पंजीकरण कर रहा है जिन्होंने एस० एस० एल० सी० पास किया है और जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक है और वे पैसे लेकर एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में काम कर रहे हैं। जबकि भारतीय चिकित्सा परिषद और भारतीय चिकित्सा संघ ने भारत सककार से इस बात का पुरजोर विरोध किया है कि वह नीम-हकीमी को प्रोत्साहन न दें। यह पता चला है कि जो लोग किसी निश्चित तिथि से ठीक पूर्व के कम से कम 10 वर्ष तक आधुनिक चिकित्सा पद्धति से इलाज करते रहे हैं उन्हें ऐसा करते रहने की अनुमति दी जा सकती है तथापि उन्हें शल्य-चिकित्सा, प्रसूति-विज्ञान या विकिरण-चिकित्सा में किसी तरह का काम करने और औषध तथा प्रसाधन समग्री, अधिनियम, 1954 की अनुसूची छ, ज, और ठ में शामिल किसी भी दवाई का नुस्खा लिखने के योग्य नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन मेरे विचार से भारत सरकार ने अभी तक किसी तारीख की घोषणा नहीं की है। मुझे उपरोक्त संघ में प्रवेश पाने के लिए प्राप्त आवेदन पत्र को देखने का मौका मिला था और मैंने देखा कि उसमें एक यह प्रश्न पूछा गया था कि "क्या डाक्टरी ही जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन है अथवा कोई अन्य पेशा या व्यवसाय भी।" भारत सरकार के पत्र संख्या वी०11016/4/77 एम०पी० (पी) दिनांक 4-3-1978 के आधार पर यह सब बेरोक टोक चल रहा है। यहां तक की भारतीय चिकित्सा परिषद ने भी इसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। इन परिस्थितियों में मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस परिपत्र को वापस लें और भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में आवश्यक संशोधन करें तथा 2000 ई० तक सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करे।

(आठ) संविधान के अनुच्छेद 310 और 311 में संशोधन करने की आवश्यकता

श्री अजय बिश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए निर्णय से, जिसमें बेल्लापन मामले के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के पहले के निर्णय को बदला गया है और बिना कोई कारण बताए अथवा अपने बचाव का कोई मौका दिए बिना सरकारी कर्मचारियों के अधिकार का समर्थन किया गया है, देश के सरकारी कर्मचारियों के समूचे समुदाय को धक्का पहुंचा है।

पहले अनुच्छेद 311 (2) (ख) और (ग) का प्रयोग केन्द्रीय और राज्य सरकार के तथा

रेलवे कर्मचारी संगठनों के नेताओं और सक्रिय कार्यकर्ताओं के विरुद्ध एक सुलभ साधन के रूप में अंधाधुंध किया जाता था ताकि कर्मचारियों का आन्दोलन समाप्त किया जा सके। जब तक अनुच्छेद 310 और 311 (क) (ख) और (ग) संविधान में है तब तक कर्मचारियों को निरन्तर भय और असुरक्षा की भावना में काम करना पड़ता है और यह सरकारी कर्मचारियों के सिर पर तलवार की तरह से टंगा रहता है। अनुच्छेद 310 जिसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी राष्ट्रपति और राज्यपालों के प्रसाद पर्यन्त कार्य करते हैं, भारत सरकार अधिनियम, 1935 की प्रतिकृति के सिवाय और कुछ नहीं है जिसे सामान्यतौर पर ब्रिटिश शासक के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है।

राज्य सरकार के कर्मचारी और अध्यापक जिनकी संख्या 50 लाख है, अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी संघ के आवाह्न पर 26 फरवरी 1986 को एक दिन कीसांकेतिकहड़ताल पर जा रहे हैं और उनकी मांग है कि अनुच्छेद 310 और 311 (2) (क) (ख) और (ग) तथा जम्मू और कश्मीर के संविधान में से अनुच्छेद 126 (2) को भी हटाया जाए।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह संविधान में एक संशोधन लाकर इन अलोकतांत्रिक अनुच्छेदों को संविधान से हटा दें और समूचे राष्ट्र की भावना की कद्र करें।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, सरकार को इस महत्वपूर्ण मामले के सम्बन्ध में कुछ जवाब देना चाहिए···(व्यवधान) महोदय, शाहबानो के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को जल्दी में बदला जा रहा है, लेकिन इस निर्णय को, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के हित के विरुद्ध है, क्योंकि नहीं बदला जा रहा है ?

एक माननीय सदस्य : सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

सभापति महोदय : अब श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : सभापति जी यह एक ऐसा प्रश्न है, जिससे इस देश के दो करोड़ कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों का सम्बन्ध है। इसको अमेंड किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। यह नियम 377 के अधीन मामले चल रहे हैं, चर्चा नहीं हो रही है। कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह नियम 377 के अधीन है। अब श्री कृष्ण अय्यर बोलेंगे।

श्री हरीश रावत : कृपया मन्त्री महोदय को इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिए कहिए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह सभी की मांग है।

(नौ) बंगलौर जल प्रदाय और मल-व्ययन बोर्ड को बेतार संचार प्रणाली स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने की आवश्यकता

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : बंगलौर जल पूर्ति और मल-व्ययन बोर्ड ने बेतार सलाहकार, भारत सरकार, नई दिल्ली से अनुरोध किया था कि उनके काम के लिए बी० एच० एफ० संचार व्यवस्था स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाएं। भारत सरकार ने 16-11-85 (संचार मन्त्रालय) को यह सूचना दी कि वह सिद्धांततः ऐसे स्थानों पर बताए गए बेतार उपकरण सहित बेतार, तार घर बनाने और उनकी देख-रेख के लिए लाइसेंस देने के लिए सहमत हैं। 70.3 (एम० एच० जेड०) आवृति की मन्जूरी दी गई है। मुख्य वन संरक्षक को भी इतनी आवृति प्रदान की गई है। इस बीच बंगलौर जल पूर्ति और मल व्ययन बोर्ड ने बी० ई० एल० गाजियाबाद को बेतार उपकरणों की पूर्ति के लिए क्रयादेश दे दिये हैं। अब संचार मन्त्रालय को लाइसेंस देना है तथा बंगलौर जल पूर्ति और मल व्ययन बोर्ड के लिए 70.3 एम० एच० जेड० आवृति की पुष्टि करनी है।

बंगलौर शहर में जल पूर्ति की गम्भीर स्थिति को देखते हुए बेतार संचार व्यवस्था आवश्यक है और इसलिए संचार मन्त्रालय (डबल्यू० पी० सी० विंग) बेतार संचार व्यवस्था स्थापित करने के लिए लाइसेंस दे और 70.3 एम० एच० जेड० की बारम्बारता की तत्काल मंजूरी दें।

———

1.55 म० प०

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव —जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव आरम्भ करेंगे।

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : सभापति महोदय, आपने मुझे डी० एम० के० दल की ओर से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं यद्यपि राष्ट्रपति का अभिभाषण एक परम्परा है इसमें सरकार की नीति की पूरी तरह से झलक नहीं मिलती है। संभवतः उन्होंने कुछ बातें बजट में बताने के लिए गुप्त रखी हैं।

महोदय, राष्ट्रपति द्वारा बताई गई नीति से मुझे लगता है कि सरकार का झुकाव पंडित

जवाहर लाल नेहरू द्वारा बताए गये समाजवादी रास्ते की ओर न होकर पूंजीवादी रास्ते की ओर है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में पृष्ठ 2 पर यह कहा गया है कि यहां धार्मिक रूढ़िवादिता के साथ-साथ धर्मान्धता भी है। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस देश में केवल धार्मिक रूढ़िवादिता और धर्मान्धता ही नहीं,अपितु भाषायी मतान्धता भी विद्यमान है। यद्यपि संविधान की 8वीं अनुसूची में 15 भाषाएं शामिल की गई हैं, किंतु फिर भी यहां हिन्दी को विशेषाधिकार प्राप्त है जिस पर आप सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और आपकी अन्य भाषाओं की स्थिति में सुधार करने में कोई रुचि नहीं है। अब हिन्दी का केवल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में ही प्रसार नहीं हो रहा है अपितु सभी रूपों में इसका प्रसार हो रहा है और यह गैर हिन्दी भाषी लोगों में प्रवेश करती जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय है।

स्वर्गीय प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों पर हम और अधिक विश्वास नहीं करना चाहते हैं। हम केवल यही अनुरोध करते हैं कि अंग्रेजी भाषा के सभी उद्देश्यों के लिए राजभाषा बनाना चाहिए और इसे संविधान में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए।

दूसरी बात शिक्षा नीति के बारे में है। राष्ट्रपति जी ने समान शिक्षा नीति का उल्लेख किया है। आपने पोलिटेक्नीक इन्जीनियरी कालेजों, मेडिकल कालेजों की संख्या बढ़ने दी है और प्रवेश शुल्क लेने की अनुमति दी है। अब आप कैसे समान शिक्षा नीति की आशा कर रहे हैं? मुझे आश्चर्य है कि यह बहुत कठिन होगा। कई लोगों ने शाहबानों मामले के बारे में बात की है। यहां उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिये हैं कि स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों का चयन भारत की चिकित्सा परिषद् करेगी। चिकित्सा परिषद् को स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों के चयन का कोई अधिकार नहीं है। यह केवल सांवैधानिक निकाय है। वे केवल निरीक्षण कर सकते हैं। उन्हें किसी अभ्यार्थी का चयन करने का अधिकार नहीं है। अगर वे ऐसा करते हैं तो राज्यों की शक्तियों में हस्तक्षेप करते हैं। अब राज्यों के लिए और अधिक स्वायत्तता मांगने का समय है। मेरे विचार से चिकित्सा परिषद् को राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

तब राष्ट्रपति जी ने मूल्य वृद्धि और आर्थिक स्थिरता का उल्लेख किया है। हमने पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि की है। इससे हमें तुरन्त खरीद पर 400 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। दूसरे देशों, यहां तक कि ओपेक देशों ने भी पैट्रोलियम कीमतों में 45 डालर प्रति बैरल कीमतों में कमी की है। मैक्सिको ने 20 डालर प्रति बैरल कीमतों में कमी की है। जबकि बम्बई हाई, गोदावरी और कावेरी बेसिन में स्वदेशी उत्पादन की कीमतें भी बढ़ाई गई हैं। इसके बावजूद अब आपने पैट्रोलियम उत्पादनों पर अधिक कर लगाया है। एक मन्त्री जी ने कहा है कि पैट्रोल का प्रयोग अमीर व्यक्ति करते हैं। ऐसा कहना बेवकूफी है। आखिर यह आवश्यक वस्तुओं की बस द्वारा या अन्य यातायात के साधनों द्वारा ढुलाई का एक माध्यम है। इसका प्रभाव आखिर, साधारण व्यक्ति पर पड़ता है। पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने ठीक ही कहा है: "लोग नारों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं वे उपदेशों को नहीं पचा सकते। वो नारों को नहीं खा सकते। उन्हें उचित ढंग से लागू किया जाना चाहिए। इसलिए मैं एक बार फिर मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कीमतों में शीघ्रताशीघ्र कमी की जाए।

[डा० ए० कलानिधि]

उन्होंने गांवों में पीने के पानी के बारे में भी उल्लेख किया है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि शहरों में भी पीने के पानी की समस्या है। श्री कृष्णा अय्यर ने कर्नाटक में पीने के पानी की समस्या के बारे में उल्लेख किया है। स्वर्गीया प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी के हस्तक्षेप से 1983 में मद्रास शहर को बचाया गया था। जबकि आपातकालीन के दौरान उन्होंने वीरानम परियोजना को उठाकर ताक पर रख दिया। केन्द्रीय जल आयोग ने सलाह दी थी कि वीरानम परियोजना एक व्यवहारिक परियोजना है। इन्जीनियर भी इस परियोजना से सहमत थे। इसके बावजूद राजनीतिक स्वार्थ के कारण वीरानम परियोजना को जिसकी योजना मेरे नेता डा० करुणानिधि ने बनाई थी, लागू नहीं किया गया। इसको अगली सरकार ने अपने हाथ में नहीं लिया उसने तेलगु-गंगा परियोजना दे दी। इस योजना को लागू न करने के लिए कई बहाने बनाए गये। मैं इसमें कोई राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता। मैं केवल यही अनुरोध करता हूं कि भारत सरकार को इस तेलगु-गंगा परियोजना को लागू करने के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग करना चाहिए ताकि मद्रास शहर को बचाया जाए और शहर के लोगों को पीने का पानी मिल सके।

उन्होंने वस्त्र नीति के बारे में भी कहा है। जिसको आप लागू करने जा रहे हैं वह बहुत हानिकारक नीति है। हथकरघा बुनकरों के हितों की रक्षा नहीं की गई है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बुनकरों के विशेषरूप से हथकरघा बुनकरों के हितों की रक्षा करे। एक विशेष प्रकार की साड़ियों अथवा धोतियों का उत्पादन केवल हथकरघा उद्योग को आबंटित किया जाना चाहिए।

श्रीलंका की जातीय समस्या के बारे में कई सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई बहस में हमें मौका नहीं दिया गया। मैंने सोचा कि मैं वहां अपने विचार व्यक्त कर सकता था। अगर आप राजनीतिक समाधान चाहते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम एक काल्पनिक दुनिया में रह रहे हैं। सैनिक समाधान के अलावा कोई और रास्ता नहीं है।

2.00 म० प०

जब फिलिस्तीनी लोगों को उनके अपने अधिकार नहीं दिए गए तो आप उसको सहन नहीं कर सके। आप दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद करने वाले शासन को भी सहन नहीं कर सके। आप फिलिपीनी के मारकोस के तानाशाही शासन को भी सहन नहीं कर सके। आपने फिलिस्तिनी मुक्ति संगठन को मान्यता दी है। आपने नामीबिया आन्दोलन को भी मान्यता दी है। आपने श्रीमती एक्विनो के सत्ता में वापस आने का खुले रूप से समर्थन किया है। परन्तु जब श्रीलंका के तमिलों की बात आती है आप उनको आसानी से भूल जाते हैं और ईलम लिबरेशन फोर्स को मान्यता नहीं देते हैं। आप उन्हें लड़ाकू कहते हैं। इसलिए किसी भी राजनीतिक हल से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सैनिक समाधान ही एकमात्र रास्ता है। आज सुबह लोगों ने जनसंहार, खून खराबे, भ्रष्टाचार, बलात्कार और लूटने के बारे में बहुत अधिक बातें की हैं। मुझे पहले कभी भी ध्यानाकर्षक प्रस्ताव पर बोलने का अवसर नहीं मिला था। इसलिए मैं इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करता हूं कि भारत सरकार को मूक दर्शक बनकर नहीं रहना चाहिए और सैनिक समाधान ही एकमात्र समाधान

है। अलग से ईलम बनाने से ही मुक्ति है। समय यह सिद्ध कर देगा कि तमिल ईलम को स्वतन्त्र कराये जा रहे हैं जिसको कोई नहीं रोक सकता चाहे भारत सरकार इसको स्वीकार करने के लिए तैयार है या नहीं।

आज मैंने धारा 377 में ही कहा है कि कुछ नीम हकीम प्रेक्टिस कर रहे हैं, एस०एस०एल०सी योग्यता वाले और 12 वर्षों का अनुभव रखने वाले व्यक्ति भारत सरकार के 4 मार्च, 1978 के जी० ओ० के अनुसार एलोपैथी में प्रेक्टिस कर रहे हैं। जिससे लोगों को बहुत हानि होने वाली है।

अब, दवाइयों पर बहुत अधिक सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क है। परिणामस्वरूप आम लोग आवश्यक दवाइयां जो स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक हैं खरीदने में या उनका सेवन करने में असमर्थ है। जब तक इसको बिल्कुल नहीं हटा लिया जाता तब तक 2000 शताब्दी तक सबके लिए स्वास्थ्य एक भ्रामक नारा मात्र रह जाएगा। इसलिए मैं भारत सरकार से कर हटाने और गरीब आम जनता की मदद करने के लिए अनुरोध करता हूं।

राष्ट्रपति के भाषण में स्वच्छ सरकार का उल्लेख किया गया है। मैं यहां एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूं जिसमें एक राष्ट्रीयकृत बेंक के जनरल मैनेजर का उल्लेख करना चाहूंगा जिसको अधिक धन जमा कराने पर तंग किया गया था और उसने 160,00,000 रु० में जमा किए थे। जनरल मैनेजर ने सी०बी०आई० वालों को बताया कि यह रकम तमिलनाडु के एक मन्त्री की है। जनरल मैनेजर का कोई कसूर न होते हुए भी उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तंग किया गया।

हमारे प्रधान मन्त्री विश्व के 'मिस्टर क्लीन' कहलाते हैं और वित्त मन्त्री भारत के मिस्टर क्लीन कहलाते हैं। जब आप किर्लोस्कर वोल्टास और बाटा के प्रबन्धकों के नाम बता सकते हैं तो तमिलनाडु के भ्रष्ट मन्त्रियों के नाम बताने से आपको कौन रोकता है। इसका कारण यह है कि आपका ए०आई०डी०एम०के० पार्टी से गठबन्धन है। हाल ही के जनमत ने भारत सरकार को भ्रष्ट मन्त्रियों को बाहर निकाल फेंकने की अनुमति दी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो एक ऐसा समय आयेगा जब तमिलनाडु के लोग ही इन भ्रष्ट मन्त्रियों को निकाल फेंकेंगे। कार्मिक सुधार के राज्य मंत्री श्री चिदम्बरम यहां हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि वह प्रधानमन्त्री को तमिलनाडु के उस मन्त्री का नाम बतायें जिसने 1,60,00,000 रु० बेनामी नाम से बैंक में जमा कराये। तमिलनाडु के मन्त्री श्री कालीमुत्यु के विरुद्ध एक मामला विचाराधीन है। आपको उसके विरुद्ध कार्रवाई करने से कौन रोकता है ?

तमिलनाडु विधान सभा में 23 जनवरी, 1986 से एक विधान पेश किया गया था और विधेयक पर 24 तारीख को विचार हुआ था और उसी दिन उसको स्वीकृति प्रदान की गई और राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया गया था। मैं अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रपति इसको मंजूरी न दें। इस विधेयक को लाने की क्या जल्दी है ? यह विधेयक रेस क्लब का अधिग्रहण करने के बारे में है। जब 1974 में डा० करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री के तब उन्होंने मद्रास में रेस और मद्रास रेस क्लब को बन्द किया था। प्रबन्धक उच्च न्यायालय में गये और मद्रास उच्च न्यायालय ने

[डा० ए० कलानिधि]

सरकार के फैसले को उचित ठहराया। प्रबन्धक फिर उच्चतम न्यायालय में गये वहां से स्थगन आदेश लाये। 1975 से यह स्थगन आदेश उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। अब यदि तमिल सरकार वास्तव में इस रेस को समाप्त करने में रुचि रखती है तो 1975 से उच्चतम न्यायालय में जो स्थगन आदेश विचाराधीन है उसे रद्द क्यों नहीं कराती। इसके विपरीत वे रेस क्लब का अधिग्रहण करना चाहते हैं। किस बहाने पर वे अधिग्रहण कर रहे हैं? भ्रष्टाचार के नाम पर, सरकार ने 4 व्यक्ति नामित कर रखे हैं। गृह सचिव और पुलिस आयुक्त क्या कर रहे हैं? वे कहते हैं कि क्लब में एक गुट है जो उनसे इस पर अधिग्रहण करने के लिए कहता है। मैं आपको यह बताता हूं कि तमिलनाडु की शासक पार्टी में एक गुट है। वहां एक जयाललिता गुट है और दूसरा श्री आर० एम० वी० गुट है। क्या आप भारत सरकार से गुटबन्दी के आधार पर सरकार को भंग करने के लिए कह सकते हैं? मैं मद्रास रेस क्लब का सदस्य हूं मैंने एक बार भी रेस या शर्त में भाग नहीं लिया है। मैं अपने मित्रों का, जो अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लेने के लिए विदेश से आते हैं, सामाजिक क्लब में मनोरंजन करता हूं।

अतः मैं निवेदन करता हूं कि राष्ट्रपति इस विधेयक को अपनी स्वीकृति न दें। जब प्रबन्ध ग्रहण करने में जल्दी है, तो तमिलनाडु में नशाबन्दी लागू कराने में इतनी जल्दी क्यों नहीं की जाती? उन्होंने इसे जनवरी, 1987 तक स्थगित क्यों किया? लाइसेंसों के कारण सभी लाइसेंस अन्ना द्रमुक दल के लोगों को अर्थात सत्तारूढ़ दल को दिए जाते हैं। वे लोग आजकल तमिलनाडु में शासन कर रहे हैं। आपने नशाबन्दी लागू करने के लिए इतना उत्साह नहीं दिखाया। इसके विपरीत, आप केवल निजी शत्रुता के आधार पर 'रेस क्लब' का प्रबन्ध ग्रहण करने में रुचि लेते हैं। वे जानते हैं कि घुड़दौड़ खेल, खेलों का राजा है। इससे सहस्रों लोगों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। अतः राष्ट्रपति से मेरा यह अनुरोध है कि वह तमिलनाडु सरकार से प्राप्त मद्रास रेस क्लब का सरकार द्वारा प्रबन्ध ग्रहण करने सम्बन्धी विधेयक को अपनी स्वीकृति न दें।

भाषण पूरा करने से पूर्व मैं यह कहना चाहूंगा कि रेल बजट में मद्रास के लिए जहां से मैं आया हूं—द्रुत यातायात प्रणाली के लिए 3 करोड़ रुपए की मामूली राशि रखी गई है।

सभापति महोदय : आप रेल बजट में इस पर चर्चा कर सकते हैं।

डा० ए० कलानिधि : करूर—डिंडीगल रेलवे लाइन के लिए 3 करोड़ रुपये की एक और मामूली राशि रखी गई है। जब भी तमिलनाडु का प्रश्न उठता है तो वह इसे आसानी से भूल जाते हैं।

जब उद्योगपति श्री तिवारी के पास जाते हैं तो कहते हैं, "आप उत्तर प्रदेश आ जाओ और उद्योग आरम्भ करो।" मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह भारत के उद्योग मन्त्री हैं अथवा उत्तर प्रदेश के। जब हमने ऊटी के एक्स-रे संयंत्र का विस्तार करना चाहा तो यह राय बरेली में चला गया। आयुध कारखाने का विस्तार उत्तर प्रदेश में चलाया गया। जब हमने रक्षा कारखाने का विस्तार करना चाहा तो यह उत्तर प्रदेश में चला गया। सेतुसमुद्रम योजना कई वर्षों से पड़ी हुई है। विल्लि-

वक्कम-अन्नानगर विद्युतीकरण परियोजना भी बजट से निकाल दी गई है। जब मैं कहता हूं कि बहुत सी परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं तो हमारे मन्त्री को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। जनता ने हाल ही के नगर निगम चुनावों में एक मत व्यक्त किया है और भारत में अब क्षेत्रीय दलों को अधिक स्थान मिला है। तेलगु देशम, द्रमुक और अ० भा० द्रमुक अब जोर पकड़ रहे हैं असम, पंजाब, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में क्षेत्रीय दल जोर पकड़ रहे हैं। और भारत सरकार को तमिलनाडु की जनता द्वारा व्यक्त की गई शिकायतें समझनी चाहिए और निराश करने की बजाए उन्हें हमारी सहायता करनी चाहिए।

अन्त में मन्त्री ने श्रीलंका के सम्बन्ध में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की किन्तु यह केवल टालमटोल करने वाला है। अम्पारा जिले के थांगा वेल्लनपुरम में सैंकड़ों लोगों की हत्या की गई है। श्रीलंका सरकार ने एक ऐसी समिति का गठन किया है जिसमें सैनिक अफसर हैं जो इस दुर्घटना की जांच करेंगे। आप किसी बिल्ली से दूध की सुरक्षा कैसे करवा सकते हैं? मैं केवल यह सुझाव दे सकता हूं और जो हम आरम्भ से कह रहे हैं कि श्रीलंका की जातीय समस्या का एकमात्र समाधान सैनिक समाधान ही है।

सभापति महोदय मुझे बोलने का अवसर देने के लिए इन कुछ शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के सामने जो एड्रेस पेश किया, उसकी शुक्रिया तहरीक जो मेरे दोस्त फेलीरो साहब ने पेश की और जनाब जैनुल बशर साहब ने उसकी ताईद की, मैं इस तहरीक का स्वागत करते हुए, ताईद करते हुए चन्द बातें कहना चाहता हूं। जिन बातों का मेरे साथियों ने जिक्र किया है, उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन कुछ बातें शायद दोहराए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि मौजू जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बना हुआ है, खसूसी तौर पर उन बातों का या उन एलीमेन्ट्स के बारे में जो भारत की सदियों पुरानी कम्युनल हारमनी और भाईचारे को बिगाड़ने के लिए और अमनोअमन में खलल डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में मैं कुछ बातें दोहराए बगैर नहीं रह सकता।

माननीय राष्ट्रपति जी ने और बातों के अलावा पिछले साल मौजूदा पार्लियामेंट के पहले सेशन के बजट सेशन के दौरान जो एड्रेस पेश किया था उसमें उन्होंने इस सरकार की जो पालिसी है, जो प्रोग्राम्स हैं उनका खाका पेश किया, उनमें से कुछ दस प्वाइंट ऐसे हैं जिनको उन्होंने दोबारा दोहराया है।

मैं उनकी एक-एक की तफसील में नहीं जाना चाहता हूं। उसके अलावा 1986-87 में जिन-जिन सैक्टर में वह तरजीह देना चाहते हैं जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, इरेडिकेशन आफ इल्लीटीरेसी, वैक्सीनेशन और इम्युनाइजेशन प्रोग्राम, प्रोडक्शन आफ आयल सीड्स या इम्प्रूवमेंट आफ

[श्री पी० नामग्याल]

कम्युनिकेशन का जो मसला है, इस सिलसिले में उन्होंने अपने ख्यालात जाहिर किए हैं। इन पन्द्रह प्रोग्रामों में बहुत सारे प्रोग्राम पहले ही शुरू हो चुके हैं और कुछ अभी शुरू करने बाकी हैं। इन प्रोग्रामों का स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हमारे मुल्क में पीस न हो। गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम मुर्तब किए गए हैं। लोगों की बहबूदी के लिए और मुल्क की एकता के लिए तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते जब तक मुल्क में अमन न हो। इस वक्त जो ला एण्ड आर्डर की समस्या है और जो कम्युनल ट्रेन्ड मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में उभर रहा है, उसको अकेले सरकार खत्म नहीं कर सकती। इस क्राइसिस को दबाने के लिए खाली पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सिज की मदद से हम कामयाब नहीं हो सकते जब तक हम मुल्क के नौजवानों, किसानों, मजदूरों, टीचरों और इन्टेलिजेंसिया की मदद न लें और उनको इन्वाल्व न करें कि कैसे कम्युनलिज्म का खतरा दबाया जाए। हाल ही में सरकार ने नेशनल इन्टीग्रेशन काउन्सिल की नए सिरे से तश्कील दी है। मैं समझता हूं कि सरकार को उसे बहुत जल्दी से जल्दी अपने काम में लाना चाहिये। मीटिंग बुलानी चाहिए और उसके जरिये से नौजवानों, मजदूरों, किसानों, टीचरों और इन्टेलिजेंसिया या जो दूसरे लोग हैं उनको इन्वाल्व करके उनकी मदद से मुल्क में कोई ऐसा प्रोग्राम मुर्तब करना चाहिए जिससे हम मुल्क के हर हिस्से में सारे एक होकर लड़ पड़े तभी हम मुल्क में अमन कायम कर सकते हैं। उसके बाद ही हम अपने डायनामिक प्राईम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी के प्रोग्राम और उनकी सरकार के प्रोग्रामों को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो सकेंगे। पिछले कई सालों से हम नेशनल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में सुनते आ रहे हैं। ये जो (Riots) रायट, कम्युनल ट्रेन्ड या गड़बड़ी मुल्क में हो रही है, उसको डील करने के लिए इस फोर्स को तश्कील देने के बारे में कहा था। उसको जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए और नेशनल (इन्टेग्रेशन) काउन्सिल की एडवाइस के साथ मुल्क में कैसे इसको डिपलाय किया जाए, और किस प्रकार से गड़बड़ियों को समाप्त किया जाए, उसकी तरफ हमें जोर देना चाहिए। पिछले एक दो हफ्तों से मुल्क के कुछ हिस्सों में कंयुनल फसाद हो रहे हैं। उसके कुछ वजूहात हैं जैसे शाहबानों वाला मसला है। मुल्क के हर कोने में उसके बारे में काफी देर तक बहस चलती रही।

दूसरी बात राम जन्म भूमि से ताल्लुक रखती है। उसको आप चाहे मन्दिर कह लीजिए या कुछ और, हमारे मुस्लिम भाई उसे बाबरी मस्जिद कहते हैं उसे कोर्ट के एक आदेश पर खुलवाया गया। इसके अलावा कुछ चीजों पर प्राइस-राइज हुआ, इन सब बातों को मिलाकर हमारे उस तरफ बैठने वाले मुअज्जिज साथियों ने उसको कुछ हवा दी और उसकी वजह से ये हालात हमारे देश में खतरनाक सूरत अख्तियार करते जा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इस तरफ सख्ती से और जल्दी कदम उठाए। यहां खास ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे जितने सैन्सिटिव बोर्डर स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब है, जम्मू और कश्मीर है, इनमें से खास तौर से पंजाब में ला एण्ड आर्डर का मसला जो है कि वहां जून, 1984 से पहले जिस तरह के हालात थे, आज उससे कहीं बदतर होते जा रहे हैं। वहां टैर-रिस्ट एक्टिविटीज लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। यहां तक कहा जाता है कि पंजाब में कोई भी नौजवान सरकारी नौकरी या दूसरे काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है क्योंकि उनको बोर्डर

बाहर से डालर, रुपया, हथियार और एम्यूनीशन आदि सब कुछ आता है, और इसी के बल पर वहां के कयाम लोग, जैसा कि उनमें एक्स्ट्रीमिज्म का मादा होता है, गलत ढंग से उसको काम में ला रहे हैं। जिस तरह से वहां रोजमर्रा कत्ले-आम, लूटमार, मारधाड़ हो रहे हैं, उनसे हमें सख्ती से निपटने की जरूरत है।

इसी तरह जम्मू और काश्मीर में जो मौजूदा हालात हैं वे काफी तकलीफदेह हैं। जम्मू व कश्मीर के बारे में एक बार गांधी जी ने कहा था, यह बात 1947 की है जब मुल्क में हर तरफ कंमूनल फसादात की आग लगी हुई थी, कि अगर मुल्क में हमें कहीं रोशनी की किरण नजर आती है तो वह सिर्फ जम्मू और कश्मीर में है। लेकिन आज का कश्मीर, गांधी जी के स्वप्नों का कश्मीर नहीं रह गया है। आज वहां मरहालात यह हैं कि पिछले कई दिनों से कर्फ्यू चल रहा है और कश्मीर वैली में तो 1980 से ही जब वहां शेख साहब की सरकार थी, कम्यूनल फसादात की शुरुआत देखने में आई थी जब कि एक सिविल टैम्पो और मिलिटरी के एक ट्रक के एक्सीडेंट का बहाना करके वहां फसादात शुरू हो गए थे। उस वक्त वहां कुछ मन्दिरों को नुकसान पहुंचाया गया था और माइनोरिटीज के लोगों की कुछ दुकानों को लूटा गया था। उसके बाद यह सिलसिला रोज-ब-रोज बढ़ता ही गया। वहां कुछ एलीमैंट्स जो कि जमियत-तुल इस्लामी या जमियातुल तुलबा या दूसरे नामों से जाने जाते हैं, वे सब एन्टी-इंडिया एलीमैंट्स हैं और वे इन हालात से फायदा उठाकर, कोई न कोई बहाना करके, फसादात करते रहते हैं। जहां कहीं मिडिल ईस्ट में या इजराइल में कोई वाकया हुआ, उसका रिएक्शन फौरन वहां पर होता है। पिछले दिनों मिडिल ईस्ट में एक मस्जिद पर इजराइल ने बेहुरमति की थी और उसका रिएक्शन दिल्ली में हुआ था होता रहा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री पी० नामग्याल : आप मुझे 5 मिनट और दीजिए क्‍या···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : पांच मिनट नहीं। केवल 1 मिनट। आपके दल के बहुत सदस्यों को बोलना है; लगभग 42 सदस्यों को बोलना है, मैं आपको एक मिनट से भी अधिक समय नहीं दे सकता कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री पी० नामग्याल : इस तरह से बॉर्डर स्टेट्स का मसला बिगड़ता जा रहा है और मैं उसको हाउस के सामने लाना चाहता हूं। पिछले दिनों जब पाकिस्तान में भुट्टो को फांसी दी गई थी तो उसका

[श्री पी० नामग्याल]

रिएक्शन भी कश्मीर वैली में हुआ और जम्मू में जो हिन्दू रिएक्शनरीज हैं...उन्होंने दूसरे ढंग से उसको एक्सप्लायट करना शुरू किया और जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में यह पहला मौका है कि वहां पर पाकिस्तान का नारा सुनने में आया है। यह जो कैंसर की जैसी बीमारी का मसला है, यह सभी को पता है कि यह मसला एक झगड़ा बना हुआ है।

मेहरबानी करके मुझे दो मिनिट और दे दीजिए मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। जब तक कश्मीर का मसला सही ढंग से हल नहीं होगा तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा।...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यदि आप भाषण जारी रखेंगे तो कोई भी बात कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री पी० नामग्याल : पंजाब का मसला हल किया और...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपनी शक्ति व्यर्थ नष्ट न कीजिए। कोई भी बात कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं जाएगी।

[हिन्दी]

श्री पी० नामग्याल : आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री नामग्याल, कोई भी बात कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं हो रही है।

[हिन्दी]

श्री पी० नामग्याल : लाइन आफ एक्चुअल कंट्रोल...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कोरम दल से 42 सदस्य बुलाए जाएंगे। मैं उन्हें इस प्रकार अनुमति नहीं दूंगा।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

شری پی۔ نام گیال (لداخ)

سبھاپتی مہودے، راشٹرپتی جی نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے سامنے جو ایڈریس پیش کیا اس کی شکریہ تحریک جو میرے دوست فیلیرو صاحب نے پیش کی اور جناب زین البشر صاحب نے اس کی تائید کی میں اس تحریک کا سواگت کرتے ہوئے تائید کرتے ہوئے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ جن باتوں کا میرے ساتھیوں نے ذکر کیا ہے ان باتوں کو میں دوہرانا نہیں چاہتا لیکن کچھ باتیں شاید دوہرائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ موضوع جو ہے بہت ہی امپارٹینٹ بنا ہوا ہے۔ خصوصی طور پر ان باتوں کا یا ان ایلیمینٹس کے بارے میں جو بھارت کی صدیوں پرانی کمیونل ہارمنی اور بھائی چارے کو بگاڑنے کے لئے اور امن وامان میں خلل ڈالنے کے لئے کوشش کر رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں دوہرائے بغیر نہیں رہ سکتا۔

مانئیے راشٹرپتی جی نے اور باتوں کے علاوہ پچھلے سال موجودہ پارلیمنٹ کے پہلے سیشن کے بجٹ سیشن کے دوران ایڈریس پیش کیا تھا اس میں انہوں نے اس سرکار کی جو پالیسی ہے جو پروگرام ہیں ان کا خاکہ پیش کیا ان میں سے کچھ دس پوائنٹ ایسے ہیں جن کو انہوں نے دوبارہ دوہرایا ہے۔ میں ان کی ایک ایک کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ ۸۷-۱۹۸۶ء میں جن جن سیکٹروں میں وہ ترجیح دینا چاہتے ہیں جیسے کہ ڈرنکنگ واٹر سپلائی اریڈیکیشن آف الیٹریسی ویکسینیشن اور امیونائزیشن پروگرام پروڈکشن آف آئل سیڈس یا امپرومینٹ آف کمیونیکیشن کا جو مسئلہ ہے اس سلسلے میں انہوں نے اپنے خیالات ظاہر کئے ہیں ان پروگراموں میں بہت سارے پروگرام پہلے ہی شروع ہو چکے ہیں اور کچھ ابھی شروع کرنے باقی ہیں۔ ان پروگراموں کا اسپیڈی امپلیمینٹیشن تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے ملک میں پیس نہ ہو۔ غریبوں کو غریبی کی ریکھا سے اوپر اٹھانے کے لئے بہت سارے پروگرام مرتب کئے گئے ہیں۔ لوگوں کی بہبودی کے لئے اور ملک کی ایکتا کے لئے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ملک میں امن نہ ہو۔ اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی سمسیا ہے اور جو کمیونل ٹرینڈ ملک کے مختلف حصوں سے ابھر رہا ہے اس کو اکیلے سرکار ختم نہیں

کر سکتی۔ اس کرائسس کو دبانے کے لیے خالی پولیس اور سیکورٹی فورسیز کی مدد سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم ملک کے نوجوانوں کسانوں مزدوروں ٹیچروں اور انٹیلیجینشیا کی مدد نہ لیں اور ان کو موٹیویٹ نہ کریں کہ کیسے کمیونلزم کا خطرہ دبایا جائے۔ حال ہی میں سرکار نے نیشنل انٹیگریشن کاؤنسل کی نئے سرے سے تشکیل دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کو اسے بہت جلدی سے جلدی اپنے کام میں لانا چاہیئے۔ میٹنگ بلانی چاہیئے اور اس کے ذریعہ سے نوجوانوں مزدوروں کسانوں اور انٹیلیجینشیا یا جو دوسرے لوگ ہیں ان کو موٹیویٹ کر کے ان کی مدد سے ملک میں کوئی ایسا پروگرام مرتب کرنا چاہیئے۔ جس سے ہم ملک کے ہر حصے میں سلور ایک ہو کر لڑ پڑیں۔ تبھی ہم ملک میں امن قائم کر سکتے ہیں اس کے بعد ہی ہم اپنے ڈائنامک پرائم منسٹر شری راجیو گاندھی جی کے پروگرام اور ان کے سرکار کے پروگراموں کو امپلیمینٹ کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ پہلے کئی سالوں سے ہم نیشنل سیکورٹی فورس کے بارے میں سنتے آرہے ہیں۔ یہ جو رائٹ کمیونل ٹربینڈ یا گڑبڑی ملک میں ہو رہی ہے اس کو ڈیل کرنے کے لئے اس فورس کی تشکیل دینے کے بارے میں کہا تھا۔ اس کو جلدی سے جلدی بنانا چاہیئے اور نیشنل انٹیگریشن کونسل کی ایڈوائس کے ساتھ ملک میں کیسے اس کو ڈیپلائے جائے اور کس پر کار سے گڑبڑیوں کو سمایت کیا جائے۔ اس کی طرف ہمیں زور دینا چاہیئے۔ پچھلے ایک دو ہفتوں سے ملک کے کچھ حصوں میں کمیونل فساد ہو رہے ہیں۔ اس کے کچھ وجوہات ہیں جیسے شاہ بانو والا مسئلہ ہے۔ ملک کے ہر کونے میں اس کے بارے میں کافی دیر تک بحث چلتی رہی۔

دوسری بات رام جنم بھومی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کو آپ چاہے مندر کہہ لیجئے یا کچھ اور ہمارے مسلم بھائی اسے بابری مسجد کہتے ہیں۔ اسے کورٹ کے آدیش پر کھلوا دیا گیا۔ اس کے علاوہ کچھ چیزوں پر پرائس رائز ہوا۔ ان سب باتوں کو ملا کر ہمارے اس طرف بیٹھنے والے معزز ساتھیوں نے اس کو کچھ ہوا دی اور اس کی وجہ سے یہ حالات ہمارے دیش میں خطرناک صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ سرکار کو چاہیئے کہ اس طرف سختی سے اور جلدی سے قدم اٹھائے۔ یہاں خاص دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے سنسیٹیو بارڈر اسٹیٹس ہیں جیسے پنجاب ہے جموں اور کشمیر ہے

ان میں سے خاص طور سے پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ جو ہے کہ وہ جون ۱۹۸۴ء سے پہلے جس طرح کے حالات تھے آج سے اس سے کہیں بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ وہاں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز لگاتار بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں کوئی بھی نوجوان سرکاری نوکری یا دوسرے کام کرنے کے لئے بالکل تیار نہیں ہے کیونکہ ان کو بارڈر پار سے ڈالر روپیہ اور ایمونیشن آدی سب کچھ آتا ہے اور اس کے بل پر وہاں کے جوان لوگ جیسا کہ ان میں ایڈوینچرس کا مادہ ہوتا ہے غلط ڈھنگ سے اس کو کام میں لا رہے ہیں۔ جس طرح سے وہاں روز مرہ قتل عام لوٹ مار، مار دھاڑ ہو رہے ہیں اس سے ہمیں سختی سے نپٹنے کی ضرورت ہے۔

اسی طرح جموں اور کشمیر میں جو موجودہ حالات ہیں وہ کافی تشویش ناک ہیں۔ جموں و کشمیر کے بارے میں ایک بار گاندھی جی نے کہا تھا یہ بات ۱۹۴۷ء کی ہے جب ملک میں ہر طرف کمیونل فسادات کی آگ لگی ہوئی تھی کہ پوری ملک میں ہمیں کہیں روشنی کی کرن نظر آتی ہے تو وہ صرف جموں اور کشمیر میں ہے۔ لیکن آج، آج کا کشمیر گاندھی جی کی سپنوں کا کشمیر نہیں رہ گیا ہے۔ آج وہاں پر حالات یہ ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے کرفیو چل رہا ہے اور کشمیر ویلی میں تو ۱۹۸۰ء سے ہی جب وہاں شیخ صاحب کی سرکار تھی، کمیونل فسادات کی شروعات دیکھنے میں آئی تھی۔ جب کہ ایک سیول ٹیمپو اور ملٹری کے ایک ٹرک کے ایکسیڈنٹ کا بہانہ کر کے وہاں فسادات شروع ہو گئے تھے۔ اس وقت وہاں کچھ مندروں کو نقصان پہنچایا گیا تھا اور مائناریٹیز کے لوگوں کی کچھ دکانوں کو لوٹا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ روز بہ روز بڑھتا ہی گیا۔ وہاں کچھ ایلیمینٹس جو کہ جماعت اسلامی یا جمعیتہ الطلبا یا دوسرے ناموں سے جانے جاتے ہیں وہ سب اینٹی انڈیا ایلیمینٹس ہیں اور ان حالات سے فائدہ اٹھا کر کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے فسادات کرتے رہتے ہیں۔ جہاں کہیں مڈل ایسٹ میں یا اسرائیل میں کوئی واقعہ ہوا اس کا ری ایکشن فوراً یہاں پر ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں مڈل ایسٹ میں ایک مسجد پر اسرائیل نے بے حرمتی کی تھی اور اس کا ری ایکشن ویلی میں ہوا یا ہوتا رہا ہے۔

MR. CHAIRMAN : Please try to conclude.

شری پی۔ نام گیال : آپ مجھے پانچ منٹ دیجئے۔ بس۔۔۔۔

MR. CHAIRMAN : Not five minutes. Only one minute. A number of Members are to speak from your Party; about 42 are to speak. I cannot give you more than one minute. Please try to conclude.

شری پی۔ نام گیال : اس طرح سے بارڈر اسٹیشن کا مسئلہ بگڑتا جا رہا ہے اور میں اس کو ہاؤس کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں جب پاکستان میں بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی تو اس کا ری ایکشن بھی کشمیر ویلی میں ہوا اور جموں میں جو ہندو ری ایکشنریز ہیں۔ انہوں نے دوسرے ڈھنگ سے اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کیا اور جموں کشمیر کی ہسٹری میں یہ پہلا موقع ہے کہ وہاں پر پاکستان کا نعرہ سننے میں آیا ہے۔ یہ جو کینسر کی جیسی بیماری کا مسئلہ ہے یہ سبھی کو پتہ ہے کہ یہ مسئلہ ایک جھگڑا بنا ہوا ہے۔

مہربانی کرکے مجھے دو منٹ اور دے دیجئے میں کنکلوڈ کر رہا ہوں۔ جب تک کشمیر کا مسئلہ صحیح ڈھنگ سے حل نہیں ہوگا تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ (انٹرپشنز)**

MR. CHAIRMAN (SHRI VAKKOM PURUSHOTHAMAN) : Please resume your seat. Nothing more will go on record if you continue your speech.

شری پی۔ نام گیال : آسام کا مسئلہ حل کیا اور۔۔۔۔ (انٹرپشنز)

MR. CHAIRMAN : There is no use in wasting your energy. Nothing will go on record.

شری پی۔ نام گیال : آپ میرے پیچھے کیوں پڑے ہیں۔۔۔۔ (انٹرپشنز)**

MR. CHAIRMAN : Mr. Mamgyal, nothing is recorded.

شری پی۔ نام گیال : لائن آف ایکچوئل کنٹرول۔۔۔۔ (انٹرپشنز)**

MR. CHAIRMAN : Please resume your seat: 42 persons are to be called from the Congress party. I cannot permit him like this.]

** Not recorded.

[अनुवाद]

श्री सी० पी० ठाकुर (पटना) : सभापति महोदय। मैं आपको राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं और श्री फलीरो के विचारों का समर्थन करता हूं।

राष्ट्रपति का भाषण सन्तुलित है और इसमें एक वर्ष की उपलब्धियों का पूरा-पूरा उल्लेख है। इसमें इस बात का भी उल्लेख है कि भविष्य में क्या करना है। अब मैं तो यह कहता हूं कि वर्ष 1985 राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मोर्चे पर श्री राजीव गांधी की सरकार का वर्ष था। एक ही वर्ष में राष्ट्रीय स्तर तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक क्षेत्रों में उपलब्धियां हुई हैं सचमुच यह एक प्रशंसनीय उपलब्धि है।

इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने पंजाब तथा असम के समझौतों पर ठीक ही जोर दिया है। इन दो समझौतों को जनता तथा विश्व से अधिक महत्व प्राप्त होना चाहिए था। ये समझौते उग्रवाद पर लोकतान्त्रिक शक्तियों की विजय है। यह विजय आतंक न करके प्राप्त की है। सचमुच यह एक प्रशंसनीय उपलब्धि है।

पंजाब में, कांग्रेस दल ने वास्तव में दल के हित के लिए नहीं अपितु देश की अखण्डता के लिए लड़ाई लड़ी है। लोकतांत्रिक प्रणाली द्वारा चुनाव हुए और जनता द्वारा सरकार चुन ली गई।

परन्तु हाल ही में एक बार फिर घटनाओं के क्रम ने वास्तव में परेशानी पैदा कर दी है और ऐसा लगता है कि सभी राजनैतिक दलों तथा केन्द्रीय सरकार को पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसके प्रति थोड़ा सा और चौकस रहना होगा। हमें किसी भी हालत में 'आप्रेशन ब्लू स्टार' को नहीं दोहराना है। इलाज से बेहतर परहेज है। अतः हमें सजग रहना होगा। हम नहीं कह सकते हैं कि श्री बरनाला स्थिति के अनुरूप नहीं चल रहे हैं और उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए जैसाकि कुछ राजनैतिक दलों ने समाचार पत्रों में कहा है। हमें उनको समर्थन देना होगा और हमारी केन्द्रीय सरकार को भी वहां पर कड़ी नजर रखनी चाहिए।

राष्ट्रपति का अभिभाषण समझौते के कार्यान्वयन के बारे में बिल्कुल स्पष्ट है और हमारे प्रधानमन्त्री ने संसद में इसे और भी स्पष्ट कर दिया है कि सरकार समझौते के कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह तैयार है मैं एक बात कहना चाहता हूं यह मेरा निजी दृष्टिकोण है और संभवतः यह मेरे दल तथा अन्यों के विचारों से मेल न खाता हो, वह राज्यों के भाषा के आधार पर पुनर्गठन के बारे में दृष्टिकोण बदलने के संबंध में है। अब वह मैथ्यू आयोग हरियाणा को स्थानान्तरण किए जाने वाले क्षेत्रों के बारे में किसी स्पष्ट सुझाव या निर्णय पर नहीं पहुंच सका है। हरियाणा सरकार को केवल हिन्दी भाषी क्षेत्रों की मांग नहीं करनी चाहिए। दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। कुछ पंजाबी भाषी क्षेत्र हरियाणा को क्यों नहीं दिए जा सकते ?

श्री श्रीरामा मूर्ति भट्टम (विशाखापट्टनम) : महोदय, विभिन्न सदस्यों द्वारा सभा में कही गई बातों को कौन नोट कर रहा है ?

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी मौजूद हैं।

श्री सी० पी० ठाकुर : महोदय, इसलिए मेरा सुझाव है कि हरियाणा सरकार को कुछ अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और उस आधार पर पुनर्गठन की प्रक्रिया के बारे में फिर से विचार करने की आवश्यकता है

सभापति महोदय : मेरे विचार में किसी माननीय मन्त्री को इन सभी मुद्दों को नोट करना चाहिए। अन्यथा ये सब बातें कहने का क्या लाभ है ? किसी न किसी को इन सभी मुद्दों को नोट कर करना चाहिए।

श्री सी० पी० ठाकुर : महोदय, असम में चुनावों की लोकतान्त्रिक प्रक्रिया से असम गण परिषद की सरकार सत्ता में आई है।

लेकिन उन्होंने अभी तक कांग्रेस दल के साथ मेल मिलाप नहीं किया है और असम में कुछ कांग्रेसियों की हत्याएं की गई हैं। इसलिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के समझौते करने के कांग्रेस दल के इस रवैया की वहां के लोगों द्वारा तथा साथ-साथ विरोधी पक्ष द्वारा प्रशंसा की जानी चाहिए।

अब, आर्थिक क्षेत्र में, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र दोनों में और अन्य सभी क्षेत्रों में भी उप-लब्धियां हुई हैं लेकिन इन क्षेत्रों में, कल के वाद-विवाद में बिहार का उल्लेख किया गया जिसमें बिहार के मजदूरों के पंजाब में काम के लिए जाने के बारे में जिक्र किया गया था। मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि वास्तव में पंजाब में कृषि क्षेत्र में जो सफलता मिली है उसमें बिहार के मजदूरों का भी बहुत बड़ा हाथ है। परन्तु बिहार के मजदूरों की यह समस्या कब तक बनी रहेगी ? उन्हें बिहार में पर्याप्त अवसर नहीं मिलते हैं ? इसलिए वे पंजाब और अन्य राज्यों में रोजगार प्राप्त करने के लिए जाते हैं। महोदय, अतः बिहार के विकास के लिए केन्द्र को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जबकि देश विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, बिहार पीछे छूटता जा रहा है।

महोदय, हरित क्रांति कुछ राज्यों तक और कुछ फसलों तक ही सीमित रही है। हाल ही में सेन समिति ने रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि हरित क्रांति बिहार और अन्य पूर्वी राज्यों में नहीं पहुंची है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार को कृषि क्षेत्र में उचित कदम उठाने चाहिए ताकि बिहार में पर्याप्त सुधार किये जा सकें।

हाल ही में एक समाचार था सोन नहर की नवीकरण की योजना को छोड़ दिया गया है। महोदय, इस सोन नहर को लगभग 112 वर्ष पहले ब्रिटिश लोगों ने बनाया था और तबसे इसकी मरम्मत नहीं की गई है तथा नहर के क्षतिग्रस्त होने के कारण नहर का बहुत सा पानी व्यर्थ जाता है और इससे उस क्षेत्र के लोगों को कठिनाई होती है। इस नहर से बिहार के कई जिलों में सिंचाई होती है, अतः मैं अनुरोध करता हूं कि यदि बिहार सरकार के पास इस सोन नहर के विकास के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है जिसका विश्व बैंक ने 1200 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया है तो केन्द्रीय सरकार को आगे आना चाहिए और इस योजना के लिए बिहार सरकार की सहायता करनी चाहिए। इस नहर की

वजह से ही बिहार के कुछ क्षेत्र अनाज के भण्डार हैं। अगर इसे बचाया नहीं गया, तो बिहार को भारी नुकसान होगा।

दूसरा बिहार में आधारभूत संरचना के विकास के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि रेलवे ने भी इस प्रांत की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। रेलवे बजट में हम विस्तार से चर्चा करेंगे परन्तु एक महत्वपूर्ण बात का मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह पटना में रेल पुल के बारे में है जो उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ता है। बिहार के विकास के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना चाहिए।

इसके बाद अब मैं बिहार में सिंचाई सुविधाओं के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। बिहार के मजदूरों के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख किया गया। बिहार में सिंचाई सुविधाएं बहुत अपर्याप्त हैं और जब तक अन्य बुनियादी सुविधाओं के उपयोग के लिए एक व्यापक योजना नहीं बनाई जाती तब तक बिहार की समस्याओं का समाधान नहीं होगा।

चिकित्सा क्षेत्र में 1990 तक बच्चों को टीके लगाने के लक्ष्य के बारे में पूरे देश में अच्छी प्रगति हो रही है और मैं मानता हूं कि अब बच्चे छूत की बीमारी से नहीं मरेंगे। लेकिन मेरा सुझाव है कि सरकार को आवश्यक दवाओं की एक छोटी सी सूची तैयार करनी चाहिए और ये दवाएं देश में हर जगह, हर समय उपलब्ध कराई जानी चाहिये। बंगला देश तथा कुछ अन्य देशों ने इस प्रकार की सूची बनाई है और वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम देश में आवश्यक के साथ-साथ कम आवश्यक दोनों किस्म की दवाईयां बना रहे हैं और क्योंकि कम आवश्यक दवाईयों में अधिक लाभ है इसलिए अधिकतर कम्पनियां कम आवश्यक दवाईयां बना रही हैं। सरकार को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुझाए गए तरीके से आवश्यक दवाओं की एक प्राथमिक सूची तैयार करनी चाहिए ताकि सभी अस्पतालों में जरूरतमन्द रोगियों को ये दवाएं उपलब्ध हो सकें।

स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली को भी उचित महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। यदि दवाएं उपलब्ध है और योग्य लोग उपलब्ध हैं तो दवाओं की वितरण प्रणाली में सुधार होगा। बेरोजगार चिकित्सा स्नातकों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए और इन योग्य स्नातकों के रोजगार के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाए जाने चाहिएं।

इस सभा के मेरे एक मित्र ने हिन्दी के कट्टरवाद का प्रश्न उठाया है पर मैं नहीं समझता कि हिन्दी इस सदन में या सरकार के अन्य क्रियाकलापों में हावी हो रही है। दक्षिण के लोगों को इससे डरना नहीं चाहिए।

एक माननीय सदस्य : दूरदर्शन हिन्दी को अधिक महत्व दे रहा है।

श्री सी० पी० ठाकुर : अंग्रेजी में भी कार्यक्रम होते हैं। इसके साथ अन्य भाषाओं में भी कार्यक्रम होते हैं।

[श्री सी० पी० ठाकुर]

यह उचित समय है कि इस बारे में फिर से विचार किया जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है लेकिन हम न तो अंग्रेजी का विकास कर रहे हैं, न ही हिन्दी को उचित महत्व दे रहे हैं इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिन्दी को और अधिक महत्व दिया जाना चाहिए था।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं और मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद): सभापति महोदय, मैंने प्रस्ताव रखने वाले और उसका अनुमोदन करने वाले दोनों के भाषणों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। मैंने कल और आज सत्तादल के कुछ सदस्यों के भी भाषण सुने हैं।

मुझे कहते हुए खेद है कि जो कुछ कहा गया है और कल मेरे दोस्त श्री फैलीरो ने जो धड़ाधड़ आंकड़े दिये इसके बावजूद, राष्ट्रपति के अभिभाषण में नया कुछ नहीं है, इसमें ऐसा कुछ प्रभावशाली नहीं है जिस पर सरकार गर्व कर सके। महोदय, यह असाधारण घटना थी कि इस वर्ष के अभिभाषण का पूरे विपक्ष ने शुरू में ही बहिष्कार किया। यह कुछ दो दशक पहले हुआ था और यह अब हुआ है। क्यों? हमने अनिवार्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करने के सम्बन्ध में अपने स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय सभा में अपने विचार व्यक्त किए थे। वृद्धि असाधारण थी क्योंकि हमने महसूस किया कि कोई नया कर लगाया गया है क्योंकि यह इस देश में या किसी अन्य देश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आकलित मूल्य उत्पादन लागत को ध्याम में रखे बिना बढ़ाए गए हों। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का बहिष्कार करने के पीछे हमारा देश के राष्ट्रपति का किसी प्रकार से अपमान करने का इरादा नहीं था। जब हम उनसे मिले थे तो हमने उन्हें स्पष्ट कर दिया था। हमने मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि और जिस अनुचित ढंग से सरकार ने इस सत्र की पूर्वसंध्या पर शासित मूल्य बढ़ाए हैं उसका विरोध किया। मैं इस मुद्दे के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि जब हमने स्थगन प्रस्ताव की चर्चा की थी, उस समय इस पर विस्तार से विवाद किया गया था। लेकिन आज पूरा भारत बन्द है और लोगों में बहुत अधिक रोष है। हम इस बारे में बहुत अप्रसन्न हैं।

एक माननीय सदस्य : लेकिन दिल्ली में बन्द नहीं है।

श्री सी० माधव रेड्डी : हमने दिल्ली को छोड़ दिया है क्योंकि वहां पहले बन्द हो चुका है। हम इन मूल्यों में वृद्धि के बारे में बहुत अधिक विक्षुब्ध हैं। मुझे बहुत खुशी है कि कांग्रेस के एक सदस्य मेरे दोस्त श्री शरद दिघे जब वह कल बोल रहे थे तो बहुत खरी-खरी कह रहे थे कि मूल्यों में वृद्धि विशेषकर पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि उचित नहीं है और इस पर दोबारा से विचार किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि कई कांग्रेस के सदस्य इस विचार से सहमत हैं। वे पार्टी व्हिप के कारण वे अपने विचारों को व्यक्त करने से डरते हैं।

अब महोदय, यह वर्ष बहुत आशाओं के साथ शुरू हुआ है। जब राजीव जी सत्ता में आए, वह

भारी बहुमत से सत्ता में आए और उन्होंने बहुत सी आशाएं जगाई हैं तथा लोगों ने सोचा कि यह युवा प्रधानमन्त्री देश की समस्याओं को हल कर देगा। शुरू में उन्होंने उत्साह अवश्य दिखाया था और पंजाब और असम समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने कुछ बहुत आशाप्रद कदम अवश्य उठाए। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि ये आशाएं झूठी सिद्ध हुईं और लोगों का भ्रम दूर हो गया है। आज मैं यह कह सकता हूं कि उनके शासन का पिछला एक साल विभिन्न नीति मोर्चों में आश्चर्यजनक परिवर्तनों का वर्ष रहा है। मैं एक-एक करके इन परिवर्तनों को स्पष्ट करूंगा।

महोदय, अभिभाषण में यह कहा गया है कि पंजाब समझौता हो गया है तथा पंजाब की समस्या हल हो गई है। कल हमारे कुछ मित्र बता रहे थे कि बरनाला सरकार असफल हो गई है। आज क्या हो रहा है ? आज हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जो 'आपरेशन ब्लू स्टार' से एक साल पहले थी और समस्याएं सुलझी नहीं हैं। आज सुबह गृह मन्त्री पंजाब समझौते के अन्तर्गत की गई कार्यवाही की रिपोर्ट दे रहे थे। वह बता रहे थे कि पंजाब और हरियाणा के मुख्य मन्त्रियों को बुलाया जाएगा और वे परस्पर बैठकर मामलों को हल करेंगे। अगर ऐसा करना सम्भव नहीं हुआ तो वह एक और आयोग का गठन करेंगे। एक आयोग पहले से है ही जिसका कार्यकाल जानबूझकर छह: माह के लिए बढ़ाया गया था और हम सभी यह जानते हैं कि आयोग के लिए किसी निर्णय की घोषणा करना बहुत कठिन होगा, क्योंकि समझौते की शर्तों से हम सब वाकिफ हैं। समझौते पर हस्ताक्षर करते समय हम सब वास्तव में जानते थे कि इसमें सामीप्य सम्बन्धी खण्ड शामिल करने के कारण इसे कार्यान्वित करना मुश्किल है। यह स्पष्ट ही था कि इस खण्ड के कारण पंजाब के हिन्दी भाषी क्षेत्र हरियाणा को स्थानांतरित करना असम्भव होगा। आप हमारे पांव खींचते गए और अन्त में क्या हुआ ? सीमा पर होने वाली घटनाओं की ओर हम आंख मूंदे बैठे हैं। आज नहीं हम बहुत पहले से जानते थे। आज हमें बताया गया कि सरकार को अभी इसका पता चला है। लेकिन हम बहुत पहले से जानते थे कि आतंकवादियों को पाकिस्तान में प्रशिक्षित किया जा रहा है और वे लोग भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। सीमाओं पर जहां सीमा सुरक्षा बल है, यह देखना हमारी न कि पंजाब की जिम्मेदारी है कि आतंकवादी भारत में प्रवेश न कर पाएं। लेकिन यह काम जारी रहा और अन्त में आज भारत में पाकिस्तान से आए हजारों आतंकवादी हैं जो कानून और व्यवस्था की विकट समस्या पैदा कर रहे हैं। इसके लिए बरनाला क्या कर सकते हैं ? आज बरनाला जी पर आरोप लगाना बहुत आसान है। कल सदन में कुछ सदस्य आरोप लगा रहे थे कि बरनाला असफल हो गए हैं। ठीक है, बरनाला असफल हो गए लेकिन आप क्या कर रहे हैं ? क्या यह हमारा कर्त्तव्य नहीं है ? मैं इस सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले बजट के दौरान ही सरकार ने एक अधिनियम—आतंकवादी विरोधी अधिनियम पारित किया है। यह अधिनियम राज्य सरकार के साथ-साथ हमें भी शक्तियां देता है। हम यह कहकर बच नहीं सकते कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। कानून और व्यवस्था निश्चय ही राज्य का विषय है पर आतंकवादी विरोधी अधिनियम, राज्य सरकार के अलावा केन्द्र सरकार को शक्ति देता है कि वह हस्तक्षेप करे और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे, उन पर मुकदमा चलाए, उन्हें जेलों में डाले या जो भी कार्यवाही उचित हो करे। किंतु हमने कुछ नहीं किया है। महोदय, अन्य मोर्चों पर भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।

हमारे प्रधान मन्त्री बता रहे थे कि वह प्रशासन और सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ करने जा

[श्री सी० माधव रेड्डी]

रहे हैं। उन्होंने क्या किया है ? उन्होंने चुनाव में हारे लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से मन्त्री बना दिया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। विगत में ऐसा बहुत कम हुआ है। खासकर पंडित जी के कार्यकाल के दौरान परम्परा यह थी कि चुनाव में हारे व्यक्ति को पिछले दरवाजे से नहीं लाया जाएगा।

श्री पी० कुलनदईवेलु (गोविचेट्टिपालयम) : सामने का दरवाजा तो खुला है तो क्या यह खिड़कियों से ?

श्री सी० माधव रेड्डी : जी हां, खिड़कियों से। इस तरह क्या आप सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ करेंगे ? इसमें राजनैतिक नैतिकता कहां है ?

अन्य समस्याओं का उल्लेख करते हुए मैं खासतौर पर एक विशेष तकनीक, जिसे मैं विरोधियों को तंग करना कहूंगा, का उल्लेख करूंगा जिसका प्रयोग हमारे प्रधानमन्त्री और कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। हर रोज हर बात के लिए विपक्षी दल पर आरोप लगाया जा रहा है। हर रोज विपक्ष पर और विपक्ष द्वारा शासित राज्य के मुख्य मंत्रियों पर आरोप लगाया जा रहा है।

हाल ही में बम्बई में शताब्दी समारोह मनाया गया। उन्होंने वहां क्या किया ? उस समारोह में विपक्षी दलों पर खासकर क्षेत्रीय दलों पर प्रहार करने पर ही जोर दिया गया। क्षेत्रीय दलों को राष्ट्र विरोधी बताया गया। कहा गया कि वे देशभक्त नहीं हैं। देश में बढ़ता क्षेत्रीयवाद एक खतरा है। विपक्षी दलों को इतिहास का ज्ञान नहीं है वगैरह-वगैरह। अवसर क्या था ? यह उत्तेजना क्यों ? क्या यह विपक्षियों को तंग करना नहीं है ? आप सोचते हैं कि विपक्षी दल और क्षेत्रीय दल देश के प्रति निष्ठावान नहीं हैं। ठीक है। कल भी, मेरे मित्र श्री जैनुल बशर बड़े जोर-शोर से कह रहे थे कि क्षेत्रीय दलों को नहीं आना चाहिए। वह क्षेत्रीय दलों के विरोधी हैं। तो आप क्या हैं ? क्या कांग्रेस ने स्वयं को क्षेत्रीय दल नहीं बना डाला ? आज तथाकथित राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दल बन गए हैं अर्थात वह इस स्तर पर उतर आए हैं। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। यह आज राजनीति में आम बात हो गई है। क्या आप इस स्थिति को स्वीकार न करके क्षेत्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों की सरकारों के साथ एक कार्यकारी सम्बन्ध बनाएंगे ? अन्यथा—एन० टी० आर०, बरनाला और हर किसी से झगड़ा करेंगे तो आप इस देश पर शासन कैसे करेंगे ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : हमारी जड़ें हर राज्य में हैं।

[हिन्दी]

श्री सी० माधव रेड्डी : आप बड़े भाई हैं और वे छोटे भाई हैं। आपकी ड्यूटी होती है, उनकी नहीं। अगर कोई नादान है, तो आप बता सकते हैं।

[अनुवाद]

यही नहीं, आप विपक्षियों को परेशान कर रहे हैं। आज क्षेत्रीय दलों का आधार बन गया है। इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? मौजूदा हालत के लिए कांग्रेस उत्तरदायी है क्योंकि कांग्रेस हार गई है और क्षेत्रीय दलों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। आपको जनता के निर्णय का सम्मान करना होगा। सबसे बढ़िया तरीका यही है कि सरकार इस बात को स्वीकार करे। जितनी जल्दी करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा।

आपको क्षेत्रीय दलों के साथ एक परस्पर कार्यकारी सम्बन्ध बनाने होंगे। उन्हें टकराव की राह पर मत लाइए। क्योंकि यदि वे टकराव की राह पर आ गए तो आप कहेंगे कि वह इस रास्ते पर हैं। पर आप महसूस नहीं करते कि जो आप कर रहे हैं यह उसकी प्रतिक्रिया मात्र है।

विपक्षियों को तंग करने का एक और तरीका, मैं कहूंगा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हाल ही में हुआ जासूसी कांड है।

2.47 म०प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

तथाकथित रामस्वरूप कांड को ही लीजिए। निर्णयाधीन होने के कारण मैं इस मामले के गुणावगुणों की चर्चा नहीं करना चाहता। इस मामले-विशेष की चर्चा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन रामस्वरूप और लार्किन्स जैसे लोगों को पहले पकड़ा गया था और उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। हम उनका समर्थन नहीं करना चाहते। उनकी निन्दा की जानी चाहिए तथा उन्हें सख्त सजा दी जानी चाहिए। इस मामले में विपक्ष पूरी तरह से सरकार के साथ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि यहां क्या हो रहा है ? कांग्रेस सरकार इन सभी रामस्वरूपों को इतने सालों से आश्रय देती रही है। और आज आप कह रहे हैं कि यह आदमी यह सब कर रहा था। लेकिन यह सब आपकी आंखों के सामने और आपकी नाक के नीचे होता रहा और कांग्रेस सरकार उन्हें पकड़ने तथा सजा देने में असफल रही।

सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि रामस्वरूप पर मुकदमा चलाने के दौरान आरोप-पत्र में राजनैतिक दलों के अनेक महत्वपूर्ण नेताओं का नाम लिया गया। उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है। उनके खिलाफ कोई अभियोग-साक्ष्य नहीं है पर मुकदमे में उनका नाम लिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि आप रामस्वरूप के काम करने का ढंग दर्शाना चाहते थे। इसका सहारा लेकर आपने विपक्षी दलों के नेताओं का नाम लिया और उनकी बदनामी की। सारी कहानी की चर्चा करते समय आप चाहते तो नामों का उल्लेख नहीं कर सकते थे लेकिन आपने उनका उल्लेख किया, क्योंकि आप कीचड़ उछालना चाहते थे। विपक्ष को तंग करने का यह तरीका गलत है।

मैं मांग करता हूं कि इस सारे कांड की खुली जांच की जाए। जबकि आपराधिक मामला चल

[श्री सी० माधव रेड्डी]

रहा है तब मैं चाहता हूं कि सरकार न्यायिक जांच की व्यवस्था करे। प्रधानमंत्री को दिए गए अपने ज्ञापन में हमने यह बात एकदम स्पष्ट कर दी है। हमारे मुख्य मन्त्री ने प्रधान मन्त्री को कड़े शब्दों में लिख दिया है कि उनके दल में से किसी का नाम लिया गया हो और कोई ऐसे मामले में शामिल हो तो खुली जांच की जाए। आरम्भ में शिष्टाचार की मांग है कि ऐसा करने से पूर्व अर्थात् संसद में विपक्षी दलों के सदस्य का नाम लेने से पूर्व प्रधानमन्त्री को नेताओं को सूचित करना चाहिए था। उन्हें हमें विश्वास में लेना चाहिए था और बताना चाहिए था कि सरकार के समक्ष क्या मामला है तथा आरोपपत्र में उनका नाम लेने के लिए सरकार के पास क्या साक्ष्य—अभियोग साक्ष्य हैं। ऐसा नहीं किया गया। आज भी मैं कहना चाहता हूं कि जिन-जिन सांसदों के नाम लिए गए हैं उनके बारे में सम्बन्धित दल के नेताओं को सूचित किया जाना चाहिए। उनके नेताओं को सूचित किया जाना चाहिए और उन्हें उनका नाम लेने के कारण बताए जाने चाहिए। मैं नहीं समझता कि इसके लिए किसी गोपनीय कार्यवाही की जरूरत है। मैं नहीं समझता कि इस किस्म के मामले में गोपनीय कार्यवाही करने की जरूरत है। लेकिन सरकार अगर सोचती है कि गोपनीय कार्यवाही चलनी चाहिए तो इसके साथ-साथ न्यायिक जांच भी की जानी चाहिए। जिन लोगों के नाम लिये गये हैं उनकी बदनामी हुई है। उन्हें स्पष्टीकरण तथा अपने को निर्दोष सिद्ध करने का मौका दिया जाना चाहिए।

मुझे विश्वास है कि दूसरे सदन के एक जिस सदस्य का, जोकि हमारे दल के नेता हैं, नाम लिया गया है वह निर्दोष हैं। उन्होंने व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे दिया है। अन्य बहुत से सदस्यो ने, जिनका नाम लिया गया है, स्पष्टीकरण दे दिये हैं। गम्भीर मामला होने के कारण यह पर्याप्त नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर उनकी गलती हो, अगर उनका इसमें हाथ हो तो उन्हें दण्ड दिया जाए। अन्यथा उनको निर्दोष घोषित किया जाए। विपक्षी दलों को तंग करने का यह तरीका बन्द किया जाना चाहिए। मुझे इस पर सख्त आपत्ति है। आपराधिक मामला चल रहा है। इसके बावजूद मेरी मांग है कि इसकी न्यायिक जांच की जाए। इसमें कोई गलत बात नहीं है। इस विशेष पहलू को अलग से लिया जाना चाहिए और न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। मैं इस सरकार से पूरी गम्भीरता से यह मांग करता हूं और मुझे यही कहना है।

[हिन्दी]

श्री श्रीपति मिश्र (मछली शहर) : आदरणीय सभापति जी, यह जो आपका सात मिनट का समय है, इसमें चार बातों पर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के सम्बन्ध में ध्यान दिलाना चाहूंगा।

पूरे भाषण में सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको बताया गया है और जो लक्ष्य हैं उनकी तरफ भी इशारा किया गया है कि क्या होना चाहिय, या क्या किया जाना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि इस एक वर्ष के दौरान में हमारे प्रधान मन्त्री जी ने संसार के महत्वपूर्ण देशों का और अपने देश के आस-पास के देशों का दौरा किया, उनके साथ सम्बन्धों को दृढ़ किया। उनकी रीति-नीति को समझा और अपनी रीति-नीति को स्पष्ट किया। इतने थोड़े से समय में इतना कुछ करना मैं एक

प्रशंसनीय बात मानता हूं और इसके लिए उनकी प्रशंसा करता हूं, उनकी क्षमता की दाद देता हूं।

लेकिन इसके संबंध में जो दो-तीन बातें कही हैं उनकी तरफ मैं अवश्य ध्यान दिलाना चाहूंगा। इंग्लैण्ड में, पाकिस्तान में और श्रीलंका में, तीन जगहों पर हमारी समस्याएं हैं। वहां हमारे लोग गए और वहां बातें भी हुई। अगर मैं कुछ दबे शब्दों में वहां की सफलता के बारे में कहूं तो वह संतोषजनक नहीं है।

आज हमारी जो समस्या है वह उन लोगों की है जो देश को खंडित करने में लगे हुए हैं। उनकी शुरूआत जहां होती है, खालिस्तान की सरकार बनाने वाले लोग जहां रहते हैं, वह इंगिलस्तान है। वहां वे पनाह पाते हैं और वहीं से वे आवाज लगाते हैं। जो लोग प्रधान मन्त्री जी के कत्ल तक की बात करते हैं, उनको वहां सुरक्षा और रहने का स्थान मिलता है। उस देश के रहने वाले लोग यह कहते हैं कि यह समस्या भारत की है, उनकी समस्या नहीं है। उस देश से हमारे अच्छे सम्बन्ध हैं लेकिन हमारे देश की इस समस्या को जो हमें तबाह कर सकती है वहां बढ़ावा मिलता है, उसको दूर करने में मदद नहीं मिलती। हमारे विदेशों के दौरों से जिस चीज की पूर्ति होनी चाहिए थी, वह इंगिलस्ताने में नहीं हुई। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो हमारी वास्तविक बातें हैं, समस्याएं हैं, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। सिर्फ अच्छी-अच्छी बातें ही नहीं बल्कि कुछ कार्य में परिणत किया जाए। इस बात को लेकर उनसे इस सम्बन्ध में बात होनी चाहिए और वह कानूनी बातें होनी चाहिएं जिनसे सम्बन्ध अच्छे हो सकें। पाकिस्तान से सम्बन्ध बढ़ाने के सम्बन्ध में अभी कई लोगों ने कहा भी, जिस रोज हम अच्छे मूड में होते हैं, अच्छी मानसिकता में होते हैं तो इस सम्बन्ध को बेहतर करने की बात करने लगते हैं। सम्बन्ध को बेहतर करने की बात करने से कोई खास बात नहीं निकलेगी जब तक कि वास्तविक रूप से हमारे झगड़े शांत न हों। झगड़े शांत होने के बजाए हमारे यहां झगड़ा बढ़ाने का काम, होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी कहा है और यह स्पष्ट बात है कि पाकिस्तान हमारे देश को खंडित करने के लिए सारे प्रयास कर रहा है। इस सम्बन्ध में हम क्या उपाय कर रहे हैं और इस सम्बन्ध में हम सख्त से सख्त कदम क्या बढ़ा रहे हैं, यह बात स्पष्ट रूप से हमारे सामने आनी चाहिए, इसका कोई नतीजा निकलना चाहिए, इसका कोई हल निकलना चाहिए। इस सबके रहने के बावजूद भी हम एक दिखावटी बात अगर करें और हम सम्बन्ध अच्छे बनाने की बात करें तो यह कोई महत्व नहीं रखता। यही बात सीधे-सीधे लंका के बारे में भी लागू होती है। वहां भी जितनी बातें हमने की हैं, उनका विशेष अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इन तीनों देशों के साथ जो सम्बन्ध हमारे हैं, उन सम्बन्धों को अच्छा करने की कोशिश की जाए, इस शर्त पर कि हमारे यहां जो खराबियां वे पैदा कर रहे हैं, उनसे वे दूर हटें और उनको दूर करने में हमें सहायता दें।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, टेररिज्म की बात बहुत कही गई। आतंकवाद के तीन रूप मैं इस देश में देख रहा हूं। आतंकवाद एक तो वह है जो पूरे देश को खंडित करने के रूप में है, जो देश को ही खंडित करके दूसरा देश बनाने की बात कर रहा है, खालिस्तान और दूसरी तरह के नारे लगाकर पैदा किया जा रहा है। इसके साथ-साथ और भी, आतंकवाद यहां हैं। दूसरा आतंकवाद क्या वहां नहीं है जहां 1985 में सभी यहां बैठे हुए लोग चुनाव लड़ने के लिए गए थे, चुनाव लड़े हैं, पर 1990 में फिर चुनाव लड़ेंगे और उन आतंकवादियों का मुकाबला करेंगे जो बूथ कैप्चर करेंगे और पिस्टल

[श्री श्रीपति मिश्र]

लेकर खड़े होंगे, इनमें से कितनों की हिम्मत पड़ेगी। ये लोग प्रजातन्त्र की बुनियाद को ही धक्का दे रहे हैं, चुनाव-पद्धति और चुनाव किस तरह से हो, इसको बदलने और ठीक करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। यह आतंकवाद का दूसरा रूप है जो हमारे देश के हृदय, प्रजातन्त्र की बुनियाद को उलट रहा है। इस बार चुनाव में यह रूप था और आगे 1990 के चुनाव में क्या रूप धारण करेगा, यह कहा नहीं जा सकता।

तीसरा रूप आतंकवाद का वह रूप है कि जितना धन इकट्ठा करके देते हैं, बड़ी परियोजनाओं के लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो गांवों में जाने के लिए जितनी परियोजनाएं हैं, जो रुपया आपका जाता है, सड़कों के ठेके, नहरों के ठेके, बाढ़ आने पर बांध बांधने के ठेके, ये जितने ठेकों के लिए काम होता है उनके ऊपर इंजीनियर दस्तखत करता है उसको ही ठेका दिया जाता है, और उसके अलावा दूसरा उस ठेके को नहीं ले सकता और अगर ठेका कोई दूसरा ले ले तो उसकी जान नहीं बच सकती। ये आतंकवाद के रूप हैं और वे रूप हैं जिनको ठीक करने के लिए शीघ्र मौजू और जबरदस्त कदम उठाने हैं।

तीसरी बात मैं उस तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमको अपनी योजना के लिए पैसा इकट्ठा करना है, बिना पैसे के काम नहीं हो सकता और आज पैसा इकट्ठा करने के सम्बन्ध में कुछ बातें हमारे सामने आई हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ गईं, मैंने जानने की कोशिश की थी हर तरफ से कि चलो हो गया, दाम बढ़ गए, तकलीफ हो गई, इसके लिए रोना रो लिया गया, इससे फायदा क्या होगा। यह बताया गया कि 500 करोड़ रुपया इससे पाएंगे। पैट्रोलियम की खपत 60 फीसदी से ज्यादा सरकारी विभागों में होती है चाहे पब्लिक सेक्टर में हो, चाहे सरकार करे या सरकार के मन्त्री करें और 40 फीसदी दूसरी जगह होती है। अब 60 फीसदी में तो कमी नहीं होगी। अगर 500 करोड़ रुपये प्राप्त हुए तो लगभग 300 करोड़ रुपये का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका पैसा जो मिलेगा वह तो एक विभाग को दूसरे विभाग से मिलेगा, उसका कोई लाभ नहीं है। सिर्फ 200 करोड़ के लिए इतनी बड़ी हाय-हत्या की जा रही है, सारे देश में प्राइस के नाम पर सारे लोगों को खड़ा कर दिया एक साथ और इसके साथ-साथ अपनी पार्टी को कमजोर किया। इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, इस तरफ भी गौर करना चाहिए कि यह कहां तक मुनासिब है।

फर्टिलाइजर पर सबसिडी देने की बात कही गई थी, सबसिडी बहुत दी जाती है, ठीक बात है, न दीजिए सबसिडी। ये मालूम कीजिए कि फर्टिलाइजर की कास्ट पैदा करने की इस देश में क्या होती है और दूसरे देश में क्या होती है।

3.00 म० प०

उस हिसाब से यहां पर कास्ट कम करने की बात होनी चाहिए। एग्रीकल्चरल इकोनोमी को देखने की जरूरत है। कोई आदमी कोई काम इसलिए करता है कि उसको आर्थिक लाभ क्या होता

है। जो आदमी खेती कर रहा है तो उसको आर्थिक क्या लाभ होगा, इस दृष्टि से वह खेती करता है। उत्पादन और मार्किटिंग के साथ उसका मुनाफा यदि औद्योगिक मुनाफे के साथ जोड़ा नहीं जाएगा तब तक खेतिहर खेती में काम नहीं करना चाहेगा। इसलिए उस आर्थिक नीति को देखने की जरूरत है। साम्प्रदायिकता के सम्बन्ध में भी कहना चाहूंगा। न्यायपालिका के नाम पर एक-दो फैसले हुए। एक सुप्रीम कोर्ट का और दूसरा फैजाबाद की किसी अदालत का। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नाम पर कल यहां एक बिल भी इन्ट्रोड्यूस हुआ। मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि अदालतों के फैसले की मान्यता को कम नहीं करना चाहिए। 1975 में अदालत का एक फैसला हुआ था जिसने इस देश की हुकूमत को बदल दिया था और वह इन्दिरा जी के खिलाफ फैसला था। उसके बाद हिन्दुस्तान में कितना बड़ा बावेला मचा, कई घटनाएं घटती चली गईं और किस तरह से गवर्नमेंट बदल गई और किस तरह से गवर्नमेंट बनी। एक अदालत के फैसले के तहत इस प्रकार की बातें हुईं। हम आज उस अदालत के फैसले को बदलने की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज का आदमी गरीब है, तबाह है, भूखा है। उसकी तबाही, गरीबी और भूखेपन को हल करने के जो उपाय हैं, वे ज्यादा सामने आने चाहिए बजाए इसके कि उसको उन उलझनों में डालकर तबाह करने की कोशिश की जाए जो कि वास्तविकता नहीं है और जरूरत पड़ने पर हम बराबर छोड़ दिया करते हैं और बराबर ध्यान नहीं देते। इसमें राजनीति है और राजनीति को बीच में डालकर उन बातों को सामने ला रहे हैं। यह जो बिल पेश किया गया है इसके सम्बन्ध में विचार करने की आवश्यकता है। अन्तिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। जातीयता, साम्प्रदायिकता या क्षेत्रीयता का जो भी मसला हो, उस मसले को हल करने के लिए एक ही दृष्टिकोण है और वह राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण की कसौटी पर जो बात सही उतरती हो, उसी बात को मानना पड़ेगा चाहे वह हिन्दू, मुसलमान, ईसाई या सिख हों। अगर उस कसौटी पर वह बात सही नहीं उतरती है तो उस बात को सरकार, जनता, पब्लिक या नेशनल थिंकिंग करने वाले आदमी को कतई मानने की जरूरत नहीं है। इसको मैं बड़े अदब से कहना चाहूंगा कि इस बात की अगुवाई उसको करनी चाहिए जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सत्ता में है और आज जिसके राह चलने पर, जिसके पथ-प्रदर्शन पर दूसरे दल भी चल सकते हैं और दूसरे दल भी चलने का प्रयास करें।···(व्यवधान)

सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) . और जो आज नहीं कर रहे हैं।

श्री श्रीपति मिश्र : आपकी बात के बारे में भी कहना चाहूंगा अगर आप मार्कसिस्ट पार्टी के हैं।···(व्यवधान)

सैयद शाहबुद्दीन : मैं जनता पार्टी का हूं।

श्री श्रीपति मिश्र : अगर आप जनता पार्टी के हैं तो कुछ कहने लायक ही नहीं हैं। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि आपकी पार्टी का रुख एकार्ड से पहले और एकार्ड के बाद हम देख चुके हैं, इसलिए जो पार्टी साम्प्रदायिकता के पहलू को एक रैशनल व्यू से देखती है, मैं जरूर उसको धन्यवाद देना चाहूंगा।

इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, यदि आज हम राष्ट्रीयता की भावना को प्रधानता

[श्री श्रीपति मिश्र]

नहीं देते हैं, राष्ट्रीयता को प्रमुखता नहीं देते हैं, नेशनलिज्म को प्रमुखता नहीं देते हैं, अगर कोई दूसरा कन्सीडरेशन करते हैं तो यहां जितने कठमुल्ले हैं, माफ कीजिएगा, चाहे वे हिन्दुओं के हों, चाहे मुसलमानों के हों, चाहे ईसाइयों के हों, वे हमारे प्रोग्रेसिव लोगों को, प्रोग्रेसिव जातियों को, नौजवानों को, प्रोग्रेसिव महिलाओं को और उनके बच्चों को भी, धराशायी करते रहेंगे। यदि हम उन लोगों को मान्यता देते हैं, जो आज कठमुल्ले बने हुए हैं तो हमारा नुकसान होता रहेगा।

इन शब्दों के साथ इस अभिभाषण में जिन पौलिसीज का जिक्र आया है, इसमें कोई शक नहीं कि हमें उनमें सफलताएं मिली हैं, यदि भ्रष्टाचार को और थोड़े दृढ़ता से दबाया जाए तो हमें और ज्यादा सफलताएं मिल सकती हैं, इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है, आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री महावीर प्रसाद यादव (माधीपुरा) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं इस सम्मानित सदन में पहली बार बोल रहा हूं। मैं राष्ट्रपति जी को धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक तथा समर्थक के विचारों से सहमत हूं। भारत को 21वीं सदी की ओर ले जाने के विषय में अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने बिल्कुल ठीक ही कहा है। समाजवाद, सामाजिक सुरक्षा और अन्य सरकारी उपायों के कारण भारत को एक प्रगतिशील अवस्था में समझा जाता है। जहां तक समाजवाद का प्रश्न है, मुझे सन्देह है कि भारत बहुत अधिक राज्यवाद में रह रहा है। कहा जाता है कि साम्राज्यवाद शोषक है, पूंजीवाद शोषक है और यदि हम राज्यवाद का बहुत अधिक सहारा लें, सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं हो पायेगा, यदि जनसाधारण को विश्वास में नहीं लिया जाता। जहां तक मैं समझता हूं आजकल की सरकारें भारत की ही नहीं, दुनिया भर की, समाजवाद के साधन का सहारा ले रही हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि समाजवाद सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पायेगा। मैं समझता हूं कि मानव स्वभाव के व्यावहारिक पहलू को ध्यान में रखते हुए ही समाजवाद को लाया जाना चाहिए, मानव स्वभाव साधारणतया संग्रहणशील होता है। न्यूनाधिक रूप से प्रत्येक आदमी जितना अधिक हो सके उतना अपने अधिकार में लेने की सोचता है। मेरी ऐसी धारणा है—मैं गलत भी हो सकता हूं—कि वर्तमान सरकार एक ऐसी कम्पनी की तरह हो गई है जिसमें अंशधारी बहुत से बड़े-बड़े आदमी हैं, यहां तक कि संसद सदस्य भी अंशधारी हैं। भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी भी अंशधारी हैं। निगमों के अध्यक्ष अंशधारी हैं। एक छोटा-सा चपरासी या अर्दली भी एक छोटा अंशधारी है। सरकार या राज्य के लाभांश का सबसे बड़ा भाग उच्च वर्ग के लोगों को मिल रहा है। इसलिए, समाजवाद को निम्न वर्ग के लोगों के हितों को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए लाया जाना चाहिए। साथ ही, मैं यह कहना चाहूंगा कि न्यूनाधिक रूप से सरकार देश और विदेश दोनों क्षेत्रों में तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। मेरी यह धारणा है कि बातचीत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें डर के कारण बातचीत नहीं करनी चाहिए, मेरी ऐसी धारणा है—यदि मैं गलत हूं तो सुधार किया जा सकता है—कि इस देश में सरकार भी बहुत से मुखर लोगों के

हितों को ही ध्यान में रख रही है। प्रधान मन्त्री पंजाब को थीन बांध और इन्टीग्रल कोच फैक्टरी देने के बहुत इच्छुक थे, लेकिन बिहार के लोगों का, जिन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, जिन्होंने पूर्ण शान्ति और चुप्पी के साथ इसके पक्ष में मतदान किया, उनका हित ध्यान में नहीं रखा गया है। मैं आपको आंकड़े दूंगा, बिहार में 8 करोड़ लोग हैं। अन्य राज्यों की तुलना में यहां केवल 9 विश्वविद्यालय ही हैं जबकि उत्तर प्रदेश में जहां की जनसंख्या 11 करोड़ है, 22 विश्वविद्यालय हैं। मैं बिहार के पक्ष में वकालत करूंगा तथा यह कहूंगा कि सरकार को बिहार के हित को भी ध्यान में रखना चाहिए जहां की हर चीज पिछड़ गई है। नागालैंड को छोड़कर बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार भारत के नक्शे से ही बाहर है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि बिहार के हितों पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार किया जाए।

एक बात है सामाजिक न्याय की। हमारी स्वर्गीय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी देश में वेतन के ढांचे को संगत बनाने के लिए एक विधेयक इस सदन में लायी थीं और जब वह विधेयक पारित हो गया तो उच्चतम न्यायालय ने उसे निरस्त कर दिया। अतः मेरी समझ में नहीं आता कि यह सम्मानित निकाय बड़ा है या उच्चतम न्यायालय बड़ा है। केवल यही बात नहीं है, जब इन्दिरा गांधी ने वेतन ढांचे को संगत बनाने का प्रयत्न किया और उच्चतम न्यायालय रास्ते में आ गया तो अभी तक यह बात स्पष्ट नहीं की गई है कि कौन बड़ा है यह सदन या उच्चतम न्यायालय। महोदय, आप यह स्वीकार करेंगे कि सामाजिक अन्याय है। जीवन बीमा निगम में एक दसवीं पास को ही को रुपया 3200/- के आस-पास वेतन मिलता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : पद निवृत्ति के समय इतना मिलता है।

श्री महावीर प्रसाद यादव : कुछ भी हो, एक दसवीं पास को जीवन बीमा निगम में रुपये 3200/- मिल रहे हैं। बैंकों में इससे भी कम योग्यता वाले व्यक्तियों को बहुत से योग्य व्यक्तियों से भी अधिक मिलता है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करूंगा कि सरकार को देश भर के सभी वर्गों के वेतन ढांचे पर विचार करना चाहिए। महोदय, आपको धन्यवाद।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : सभापति महोदय, मुझे खेद है कि श्रीपति मिश्र को मैं नहीं देख रहा हूं। उनके विचारोत्तेजक भाषण के लिए उन्हें बधाई देना चाहता था।

महोदय, जहां तक राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रश्न है, यह लगभग एक कर्मकांड जैसा हो गया है, और हमारे राष्ट्रपति जी को इस वर्ष भी एक ऐसी सरकार द्वारा तैयार अभिभाषण पढ़ना पड़ा जो लोगों पर और भी मुसीबतें डालने के लिए तेजी से काम कर रही है तथा वाद-विवाद का सहारा ले रही है। एक समाचार पत्र के सम्पादकीय ने इसको "अत्यन्त साधारण और भोला" कहा है,—मैं इसे निरर्थक कहता हूं—मूर्खता, आत्म प्रशंसा से भरी अपनी तथाकथित उपलब्धियों का उल्लेख और भविष्य के सतरंगी सपने।

एक माननीय सदस्य : यह पश्चिम बंगाल जैसा है, (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : बहुत अच्छा। वे कहते हैं कि यह पश्चिम बंगाल का सा हाल है। इसीलिए वे कहते हैं कि यह "भविष्य की शानदार योजनाएं हैं, वे जो कुछ सीख देने की कोशिश कर रहे हैं उस पर उन्होंने कभी भी अमल नहीं किया —इस वर्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण की यही मुख्य विशेषतायें हैं।

केवल जोशपूर्ण भावनाओं से ही काम नहीं चल सकता है, यह अच्छी नीतियों तथा उपलब्धियों का स्थापन्न नहीं हो सकता और छबि का निर्माण और राष्ट्र निर्माण एक ही बात नहीं हो सकती हां, यदि आप एक व्यक्ति को ही राष्ट्र मानते हैं तो बात दूसरी है। महोदय सुनने में जोरदार लगने वाले और आडम्बर पूर्ण शब्दों से तथा दकियानूसी सिद्धांतों से और सूक्षम तथा बृहत प्रक्रियाओं से और ऐसी ही अन्य बातों से, तथा केवल आधुनिकीकरण से ही इस देश के उन लाखों करोड़ों लोगों को दो वक्त का भरपेट भोजन नहीं मिल सकता जो अभी भी गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। प्राथमिकताएं केवल कागज में ही हैं, और कार्यान्वियन के क्षेत्र में कोई उपलब्धि नहीं है इसका परिणाम यह हुआ है कि जो कुछ भी लाभ हैं वे कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित रह गए हैं। 21 वीं सदी में प्रवेश की बात देश के आधे भूखे आधे नंगे तथा निरक्षर या अर्धनिरक्षर लोगों के लिए, जिनकी कोई आवाज नहीं है, एक क्रूर मजाक है। अतः हमसे कहा जाता है कि हमारे प्रधान मन्त्री जल्दी में हैं। किसलिए और किसके लिये ? क्या प्राप्त करने के लिये ? उनके निर्वाचक कौन हैं ? जब रुपये का मूल्य घटकर 16 पैसे रह गया हो, 5 करोड़ शिक्षित बेरोजगार हों, एक लाख बीमार और बन्द उद्योग इस देश में हों, आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में भी कमर तोड़ महंगाई हो और रहने की दशाएं आदिमकालीन हों—पीने के पानी की तथा न्यूनतम चिकित्सा सुविधाओं की भी पूर्ति न हो—निरक्षरता ने करोड़ों लोगों को जहां अन्धा बना रखा हो क्योंकि हमारे देश के बहुसंख्यक लोग निरक्षर हैं, जहां जातिगत और धार्मिक उन्माद हावी हो, ऐसी स्थिति में लक्ष्य तथा प्राथमिकताएं क्या हैं तथा क्या होनी चाहिए ? बिलकुल इसी बात को निश्चित करने में तथा बताने में यह अभिभाषण असफल रहा है। इसलिए, जैसा कि मैंने कहा यह महज एक कर्मकाण्ड की तरह बन गया है और अप्रभावी है। हम यह महसूस करते हैं और लगभग प्रत्येक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि हमारे सामने बड़ी कठिन समस्याएं हैं। वे समस्याएं हैं गरीबी की, जाति और साम्प्रदायिक संघर्ष की, हमारी एकता और अखंडता के खतरे में पड़ने की कट्टरपंथियों द्वारा सिर उठाने की, लोगों के बीच अधिकाधिक अलगाव पैदा होने की, आर्थिक जड़ता की तथा लोगों में बढ़ी हुई गरीबी की। इन समस्याओं से किस तरह निपटा जाये ? क्या इन समस्याओं से— केवल कुछ नीतियों तथा कार्यक्रमों की घोषणा द्वारा बिना उनके उचित कार्यान्वयन के, बिना गरीबी-उन्मूलन हेतु एक सुनिश्चित नीति के—निबटा जा सकता है ? इसीलिए हमें चतुराई की हरकतों तथा बनावटी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और समस्याएं और भी उग्र होती जा रही हैं। मेरे यहां के मित्र युवा प्रधानमन्त्री में केवल गतिशीलता देख रहे हैं लेकिन परिणाम कोई नहीं निकल रहा है, कार्य कोई नहीं हो रहा है।

कुछ दिन पूर्व प्रधान मन्त्री ने कहा कि यह उनके लिए बधाई की बात है, मै समझता हूं कि श्री दण्डवते द्वारा हस्तक्षेप किए जाने या उनके भाषण के दौरान उन्होंने यह महसूस किया कि यह उनके लिए बधाई की बात है कि वह अपनी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं।

कांग्रेस सरकार का, या केन्द्र तथा राज्यों में कांग्रेस दल द्वारा बनाई गई सरकारों का अन्तराल सहित या बिना अन्तराल के कांग्रेस दल की पिछली उपलब्धियां क्या हैं। कांग्रेस शताब्दी समारोह में दिये गये अपने भाषण में प्रधानमन्त्री ने हर किसी को फटकारा—चाहे वह विधायक हों, उद्योगपति हों, मजदूर-संघवादी हों, शिक्षाशास्त्री हों या सरकारी कर्मचारी हों। किसी को नहीं छोड़ा गया। लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस दल की उन्होंने तीखी आलोचना की। मुझे नहीं मालूम कि क्या आप वहां थे, या आप टिकट होते हुए भी वहां प्रवेश कर सके या नहीं। उनके अनुसार, सत्ता के दलालों, सामंतों कुलीनों तथा भ्रष्ट और पाखण्डियों-कपटियों ने दल पर कब्जा कर लिया और भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो गई हैं। प्रधान मन्त्री और कांग्रेस के अध्यक्ष के अनुसार यही कांग्रेस पार्टी की तथा इन कांग्रेसी सरकारों की उपलब्धि है।

जब उन्होंने कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों की आलोचना की तो कोई भी इस बात को नहीं भूल सकता कि हमारी स्वतंत्रता के 38 वर्षों में से, 35 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा और इसमें से 33 वर्ष तक एक परिवार का शासन रहा है। मुझे कोई आपत्ति नहीं, यदि वे दल तथा देश में स्वच्छ प्रशासन लाने के लिए एक मसीहा की भूमिका निभाना चाहते हैं। हमने उनसे ऐसा सुना है, अखबारों की रिपोर्ट ऐसा कहती हैं और इसका खण्डन नहीं किया गया है—कि पंजाब और असम में कांग्रेस की हार से देश को लाभ हुआ है। इस प्रकार आज कांग्रेस यदि हारती है तो देश को लाभ होता है। इस देश की प्रगति के हित में, और गरीबों के हित में बिल्कुल इसी बात की जरूरत है कि कांग्रेस को हराया जाये चुनावों में ही नहीं बल्कि राष्ट्र पिता की इच्छा के अनुरूप इसको भंग कर दिया जाना चाहिये।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : आपके वित्त मन्त्री ने मंत्री परिषद से तथा आपके दल से भी मुख्य मंत्री के भ्रष्टाचार के विरोध में क्यों त्यागपत्र दे दिया है ?

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : "पश्चिम बंगाल" शब्द को असंसदीय घोषित कर दीजिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं केवल यही एक बात कहना चाहता हूं कि आप में थोड़ी समझ होनी चाहिए, जो भी मैं कहता हूं आप उसे गलत समझती हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : यदि आप हमारे दल की बुरी तरह आलोचना करेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे मैं आपकी यह बात नहीं सहन करूंगी मैं आपको उत्तर दे सकती हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : इनके द्वारा दिए हुए निर्देशों का उन्हें पालन करना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि वह वास्तव में क्या कह रही हैं।

सभापति महोदय : आप अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : दुर्भाग्य से, न मुझे और न बहुत से माननीय सदस्यों को सुना जा रहा है।

कुमारी ममता बनर्जी : आप लन्दन से आए और इसलिए आप मेरी भाषा नहीं समझ पाए क्योंकि मैं भारत में हूं। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता।

श्री अमल दत्त (डायमण्ड हार्बर) : कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें बताया नहीं जा सकता।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं कभी इन्कार नहीं करता। यदि माननीय सदस्य कछ विशेष संतुष्टि चाहते हैं तो मैं यह मानने को तैयार हूं कि यह एक तथ्य है कि मैं दिसम्बर 1984 के चुनावों में हार गया था।

सभापति महोदय : आप व्यवधान पर ध्यान मत दीजिए। आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कुछ दिन पूर्व हमने मूल्य वृद्धि के महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की थी। परन्तु मैं उसकी पुनः चर्चा करने से रह नहीं सकता। इससे जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। आज भारत बंद किया जा रहा है। (**व्यवधान**) आज जनता अप्रत्यक्ष रूप से लगाये गये करों के जो पूर्णतः अनुचित हैं, विरुद्ध अपना भारी असंतोष तथा विरोध प्रकट कर रही है। सरकार मूल्य बढ़ाने से पूर्व सभा में आने का साहस नहीं रखती।

आज विभिन्न राज्यों के लाखों सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं क्योंकि संविधान के अधीन उन्हें प्राप्त न्यूनतम अधिकार अर्थात् नौकरी की सुरक्षा को उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा समाप्त किया जा रहा है।

कल हमने देखा है कि सरकार रात को देर तक शाहबानो के मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिये गये प्रगतिशील निर्णय को निष्प्रभावित करने का प्रयास करती रही। परन्तु हजारों सरकारी कर्मचारी सरकार से समुचित विधि द्वारा संविधान के अनुच्छेद 310 और 311 के अर्थों में परिवर्तन की मांग कर रहे हैं परन्तु सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार दोहरे मानदण्डों का पालन कर रही है तथा मूलभूत बातों पर कट्टर धर्मपंथियों के आगे आत्मसमर्पण कर रही है तथा सरकारी कर्मचारियों के लोकतंत्रीय तथा संविधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कुछ नहीं कर रही···

(**व्यवधान**)

देश में गंभीर स्थितियां पैदा हो रही हैं। विघटनकारी, जातिवादी, और साम्प्रदायिक शक्तियां सिर ऊंचा उठा रही हैं। राम जन्म भूमि के नाम पर क्या हो रहा है ? मैं इसके गुण-दोषों को नहीं लूंगा। क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। एक स्थान पर घटित एक घटना का अन्य स्थानों पर प्रभाव क्यों पड़ रहा है। साम्प्रदायिक भावनाओं को उभारा जा रहा है जिनको कि देश में कोई

भी समर्थन नहीं देगा। मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय सभा में हैं। वह एक विशेष राज्य में स्थिति का अध्ययन करने के लिए स्वयं गए थे—यदि सरकार इन दकियानूसी शक्तियां की तुष्टि करती रही तो किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। दुर्भाग्य से वे देश में यही कर रहे हैं।

हमारे देश की अखण्डता खतरे में है। देश में गुप्तचरी की कार्यवाहियों की क्या स्थिति है? श्री राम स्वरूप के मामले में आरोप-पत्र में बताया गया है:

> "तथ्यों तथा घटनाओं से इस बात की पुष्टि हुई है कि अमरीकी गुप्तचर्या एजेन्सियां और उनके कर्मचारियों ने भारत के बारे में आम षड़यन्त्र की कार्यवाही की है तथा अवैध साधनों और ढंग से देश की रक्षा, सम्बन्धी दस्तावेजों की वर्गीकृत जानकारी प्राप्त की है। जर्मन गण-राज्य तथा ताईवान ने अमरीकी गुप्तचर एजेंसियों तथा उन सहकर्मियों के साथ सक्रिय सहयोग दिया है।"

मैं आरोप-पत्र से उद्धृत कर रहा हूं। ये कार्यवाहियां कब से हो रही हैं? सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है?

सी० आई० ए० के घुसपैठिये सर्वत्र विद्यमान हैं। हम सुनते आ रहे हैं कि देश को अस्थिर बनाने के लिए विदेशी शक्तियां सचेष्ट हैं। उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं। भारत में अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा तोड़फोड़ की कार्यवाहियां की जा रही है। मैं इन पर टिप्पणी नहीं करता परंतु मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बेगुनाह व्यक्तियों को मुक्त किया जाएगा परन्तु जो कुछ मैं कहना चाहता हूं उसका सम्बन्ध देश की एकता और देश के हितों में है। क्या हमारा देश साम्राज्यवादी देशों की विघटनकारी एजेंसियों का अड्डा बन गया है। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं गृह मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं यद्यपि उनका सम्बन्ध आंतरिक सुरक्षा से नहीं है। यह मैं नहीं जानता परन्तु इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि गुप्तचरी के मामलों में उन्होंने क्या कार्यवाही की है अथवा करने जा रहे हैं।

पंजाब के मामले में मैंने एक अनुपूरक प्रश्न रखा था जिससे शासक दल के लिए असुविधा पैदा हो गई। मैंने पंजाब समझौते का समर्थन किया था क्योंकि हमारी नीति पंजाब समझौते का समर्थन करने की है तथा हमने तीन वर्ष पूर्व इसकी सिफारिश की थी हम उसे सफल बनाना चाहते थे।

(व्यवधान)

इसे पूरे देश में समर्थन मिला है तथा हमने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की थी परन्तु दुर्भाग्य से अब उस समझौते से पीछे हटा जा रहा है तथा उसे पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किया जा रहा। मैंने कहा था कि आतंकवादी शक्तियां इससे लाभ उठा रही हैं। मैंने यह नहीं कहा था कि इसी से, आतंकवाद पैदा हुआ है। आतंकवादी शक्तियां निर्वाचित सरकार के लिए कठिनाइयां पैदा कर रही हैं, और दुर्भाग्य से वह सरकार दृढ़ राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यवाही नहीं कर पाती। पंजाब इस बात का एक अच्छा उदाहरण पेश करता है कि किस प्रकार एक अच्छे समझौते को टाल-मटोल तथा अनिश्चिय

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

और दृढ़ राजनीतिक इच्छा की कमी के कारण से, निष्प्रभावी किया जा सकता है। इस बारे में हमने देखा कि किस प्रकार एक विशेष राज्य के मुख्य मंत्री ने खुले रूप में समझौते का विरोध किया। आज जब मैंने राज्य का नाम लिया तो हो हल्ला किया गया। क्या सरकार इस बात से इन्कार कर सकती है कि एक राज्य के मुख्य मंत्री जो कि उनकी पार्टी के हैं खुलेआम समझौते के विरुद्ध बोल रहे हैं तथा केन्द्र उस पर ध्यान नहीं दे रहा।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। अपनी बात उनके मुख से न कहलवाएं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अप्रत्यक्ष रूप से।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री मुंशी आपत्ति के लिए आपत्ति कर रहे हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : बिल्कुल नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है, मुझे उम्मीद है कि मेरे सुझावों का सभा के सभी वर्ग स्वागत करेंगे। चण्डीगढ़ को तुरन्त पंजाब को स्थानांतरित किया जाना चाहिए तथा उसके साथ ही पंजाब के हिन्दी भाषी क्षेत्रों को हरियाणा को सौंपे जाने चाहिए। ऐसा किया जा सकता है। यह जानते हुये कि फाजिल्का और अबोहर के हिन्दी भाषी क्षेत्रों का पता नहीं लगाया जा सकता, फिर मैथ्यू आयोग ने उस कार्य को हाथ में क्यों लिया। हिन्दी भाषी क्षेत्रों का पता न लगाये जाने के कारण चण्डीगढ़ का हस्तांतरण नहीं हो पाया, हालांकि 26 जनवरी काफी पहले व्यतीत हो गई है। फिर नहर की खुदाई के सभी उपाय किए जाने चाहिए तथा नहर को शीघ्र ही कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए। जल अधिकरण के कार्य को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए तथा इस परियोजना के लिए सभी प्रशासनिक कार्यवाहियां की जानी चाहिएं···

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करने की चेष्टा करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं समझता हूं कि आप व्यवधानों के कारण नष्ट हुए समय का ध्यान नहीं रख रहे।

असम के मामले में निःसंदेह हमने इसका विरोध किया था क्योंकि इससे लाखों लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित किया गया है। (व्यवधान) जब मैं पंजाब समझौते का समर्थन करता हूं वह सो जाते हैं परन्तु जब मैं असम समझौते का विरोध करता हूं तो वह जाग जाते हैं तथा सजग हो जाते हैं।

निस्सन्देह अब निर्वाचित सरकार आ गई है। हम कामना करते हैं कि यह सरकार सुचारू रूप

में काम करे। वैसे उस सरकार से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। परन्तु जहां तक अल्प संख्यकों के संरक्षण का सम्बन्ध है, असम समझौते का क्रियान्वयन ठीक तरीके से किया जाना चाहिये। अल्पसंख्यकों, भाषाई तथा अन्य सभी अल्पसंख्यकों के दिलो-दिमाग से हर प्रकार का भय एवं आशंका दूर करनी होगी।

मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता जिससे गलतफहमी हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि असम में शान्ति एवं अमन हो जो कुछ भी हमारी मूल आपत्तियां इस समझौते के लिए हैं उसे सभी जानते हैं। लोकतांत्रिक अधिकारों एवं अल्पतम मानव अधिकारों को शांति तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण में संरक्षित काम चाहिए।

एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैं बताना चाहता हूं वह है हमारे देश के अर्ध-संघीय स्वरूप, जो कि हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था है, पर पड़ रहे दबावों के बारे में है। विभिन्न राज्यों का विधान सभाओं द्वारा पारित विधेयक, विशेष रूप में विपक्षी राज्यों द्वारा, उन्हें वर्षों से सहमति नहीं दी गई है, 1981 में पश्चिम बंगाल विधान सभा में एक भूमि सुधार कानून पारित किया गया था। वह पिछले पांच वर्षों से अभिलेखागारों; नार्थ ब्लाक या साऊथ ब्लाक के गलियारों की धूल चाट रहा है। एक ऐसा भूमि सुधार विधान भूमिहीन निर्धन व्यक्तियों को भूमि बांटने के उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जायेगा और उस भूमि को लिया जाएगा जोकि कांग्रेस दल के समर्थकों के नाम पर गलत ढंग से चढ़ाई हुई हैं...

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (हावड़ा) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं अध्यक्षपीठ से जानना चाहता हूं क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते समय हम राष्ट्रपति जी के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों पर भी चर्चा कर सकते हैं। राष्ट्रपति होने की हैसियत से विधेयकों को सहमति देते हैं। यह संगत प्रश्न है क्योंकि वह सरकार पर प्रश्नचिह्न नहीं लगा रहे हैं अपितु राष्ट्रपति की सत्यनिष्ठा पर संदेह कर रहे हैं। इस पर आपको विनिर्णय देना होगा। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : इस पर चर्चा की जा सकती है। वह हमेशा सरकार की सलाह के अनुसार ही कार्य करते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : राष्ट्रपति को सरकार की सलाह के अनुसार ही काम करना होता है तथा वह अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता।

प्रो० मधु दण्डवते : हम स्वीकार करते हैं कि ये गलत सलाहें हैं। परन्तु उन्हें इन्हीं सलाहों के आधार पर काम करना होता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : केन्द्रीय सरकार औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित करने के प्रस्तावों पर देर कर रही है, विशेषरूप में उन राज्यों में जहां पर विरोधी पक्ष की सरकारें हैं।

श्री भोलानाथ सेन (कलकत्ता दक्षिण) : ऐसा कोई अधिकार नहीं है। क्या किया जा सकता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, क्या प्रणाली अपनाई गई है ? राज्यों द्वारा संसाधनों को ज्यादा गतिशील बनाने के बारे में उन्हें भाषण देना तो बहुत आसान है। वो कौन से साधन हैं जिनसे संसाधन को गतिशील बनाया जायेगा ? यहां पर तो केन्द्र सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि करके संसाधनों को जुटाती है। मेरी राज्य सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी और ना ही वह ऐसा कर सकती है।

कुमारी ममता बनर्जी : 1200 करोड़ रुपए की वह राशि क्यों वापस की गई थी जो कि पश्चिम बंगाल में निर्धन व्यक्तियों के उत्थान से लिए दी गई थी ? (व्यवधान)

श्री अमल दत्त : मैंने उपाधि देने का वायदा किया था, अब मैं उसे वापस लेता हूं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या किया जा सकता है ? नश्वर, अपूर्ण मानव होने के नाते, अभिव्यक्ति की भ्रांति में दिक्कत के साथ, हमसे काफी दिक्कतें पैदा हो गई हैं...

श्री भोलानाथ सेन : केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किये गए 1204 करोड़ रुपये आप क्यों नहीं खर्च कर सके ? आप उद्योगों को बिजली नहीं दे सके; जिससे उद्योग आगे नहीं बढ़ सके। (व्यवधान)

श्री अमल दत्त : वह दुभाषिये हैं, परन्तु इस बात को किसी ने नहीं समझा। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप को यह स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है कि अन्य सदस्य क्या कहना चाहते हैं। माननीय सदस्य को यह स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है कि अन्य लोग क्या कहते हैं। मैं भी श्री चटर्जी से यह अनुरोध करूंगा कि वह अपने भाषण को जल्दी समाप्त करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : केन्द्र में, श्रीमती इंदिरा गांधी के समय जब वे प्रधानमंत्री थीं, भारत के संविधान में संशोधन किया गया था...

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : इसमें कई बार संशोधन किया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : और उनमें से एक संशोधन था 'परेषित माल कर' लगाने के बारे में प्रावधान करना। मुझे नहीं मालूम कि विपक्ष के बहुत से सदस्यों ने इस पद के बारे में सुना है। यह 'परेषित माल कर' भारत के संविधान में दिया हुआ है। यह राज्यों के फायदे के लिए है, कांग्रेस (इ) सरकार वाले राज्यों के समेत। यह सच है कि उनका क्षेत्र कम होता जा रहा है। मुद्दा यह है कि केन्द्रीय संसद को एक आवश्यक विधान पारित करना पड़ेगा। तीन वर्ष समाप्त हो चुके हैं तथा कोई भी

कानून पारित नहीं किया जा रहा है और हमें अतिरिक्त संसाधन जुटाने के बारे में भाषण दिया जा रहा है। राज्य में आप किस पर कर लगाएंगे ? (व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल व्यास की इच्छा से हम वहां नहीं हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दिसम्बर 1984 पश्चिम बंगाल में दोबारा कभी नहीं आएगा। हमने देखा है कि दिसम्बर 1985 में क्या हुआ था। श्री एस० एस० रे के विरुद्ध ज्यादा व्यक्तियों ने मत दिये बावजूद इस तथ्य के भी कि बड़े-बड़े धुरन्धरों एवं छुटभइयों ने उस स्थान का दौरा किया था। हमने वहां पर लोगों के निर्णय को देखा है। मुद्दा यह है कि राज्य सरकारों को भाषण देने के बजाय, उन्हें आवश्यक कानून पारित करने चाहिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं। यह अध्यादेशीय राज है। बिहार में अध्यादेश की फिर से घोषणा की गई है और केरल भी उसमें सम्मिलित है।

और फिर महोदय हमारे यहां बेरोजगारी की गम्भीर समस्या है। बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक बढ़ गई है। केन्द्र सरकार के दफ्तरों में तीन वर्ष से भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध के कारण अकेले रेलवे प्रशासन में ही चार लाख पद रिक्त पड़े हैं। यहां तक कि श्री गनी खान चौधरी द्वारा रेलवे में लगाये गये नैमेत्तिक कर्मचारियों को भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा —हमने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि उन्हें निरस्त किया जाना चाहिए था चूंकि वे गलत तरीके से नियुक्त किये गये थे। मैं इन कांग्रेस बरखास्त कर्मचारियों के लिए पैरवी कर रहा हूं।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्योंकि वे आपको इसकी फीस दे रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : एक वकील के बारे में आपके यही विचार हैं। फर्क यही है। उन लड़कों ने मुझे बताया था कि वे मेरे पास इसलिए आये हैं क्योंकि वे कांग्रेस के वकीलों की फीस नहीं दे सकते। मैंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में उनकी वकालत की थी तथा दास मुंशी उनसे पता लगाएंगे या संभवतः वह उनसे ये पूछेंगे कि वे प्रतिवादी दल से संबंधित हैं। वे नादिया के रहने वाले हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : मेरे प्रतिवादी हमेशा उनके मित्र होते हैं। यह उनके कार्य करने का ढंग है।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करिए। अब मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं सविनय निवेदन करता हूं कि स्वाभावतः बेरोजगारी की समस्या आधुनिकीकरण की सनक से नहीं सुलझाई जा सकती। आधुनिकीकरण से नौकरियों की संख्या में कमी आती है। इससे भयंकर स्थिति पैदा हो सकती है। अगर आप इसकी उपेक्षा करेंगे तो यह आपके लिए खतरनाक होगी। परन्तु इस देश के युवा लोग इसको सहन नहीं करेंगे। कहीं पर भी कोई रिक्तियां नहीं हैं। आप स्वचलन की शुरुआत कर रहे हैं, आधुनिकीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं तथा कम्प्यूटरों

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिक्तियां कहां पर निकाली जा रही हैं ? कारखाने बन्द हो रहे हैं यहां तक कि केन्द्र सरकार के कारखाने भी बन्द हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे देश में लगभग एक लाख कारखाने रुग्ण एवं बन्द हो गये हैं। उन कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों का क्या होगा।

कृषि का क्या हाल है ? गांवों में आम आदमी की क्रयशक्ति में क्या कोई वृद्धि हुई है ? उद्योगों का क्या होगा ? ज्यादा औद्योगिक उत्पादन कैसे हो सकता है ? उनके उत्पादों के लिए बाजार कहां हैं ? अतः महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें मन्त्री जी द्वारा चर्चा का उत्तर देते समय लेना चाहिए। राष्ट्रपति का अभिभाषण एक धार्मिक प्रथा बन गई है तथा देश के आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करता है।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलप्पी) : माननीय सभापति महोदय, श्री एडुआर्डो फैलीरो द्वारा प्रस्तुत किये गये राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। जैसाकि इस पक्ष के मेरे मित्र ने कहा पिछले वर्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण में बताई गई बहुत सी नीतियों एवं कार्यक्रमों को पिछले एक वर्ष के दौरान क्रियान्वित किया गया है। अतः मैं वे सब बातें दुबारा नहीं कहना चाहता। परन्तु मैं यही कहूंगा कि देश में गरीबी विरोधी कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए गम्भीर प्रयास किये गये हैं। तथा मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि हमारे प्रधान मन्त्री जी ने इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की देख-रेख करने के लिए विशेष ध्यान दिया है।

महोदय, हाल ही में प्रधान मन्त्री जी ने केरल का दौरा किया था तो उन्होंने राजधानी अथवा जिला मुख्यालयों में भी विशाल बैठक को सम्बोधित किया। परन्तु उन्होंने गरीब मछुआरों के रहन-सहन को देखना पसन्द नहीं किया। श्री कुरूप ने स्वयं भी इस बात को देखा तथा उन्हें इस बात में कोई सन्देह नहीं है अतः, महोदय, प्रधान मन्त्री जी वहां पर निर्धन मछुआरो के रहन-सहन को देखने गये। उन्होंने उन पहाड़ी क्षेत्रों का भी दौरा किया, जहां पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं तथा उन स्थानों का भी जहां पर कृषक मजदूर रहते हैं दौरा किया। महोदय, उन्होंने व्यक्तिगत रूप में 20-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन का निरीक्षण किया। मैं कहना चाहता हूं कि इससे पूरे देश में गरीबी दूर करने सम्बन्धी कार्यक्रमों तथा 20-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वियन में प्रेरणा मिली है। यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में सातवीं पंचवर्षीय योजना की आधारभूत नीति विशेषरूप से देश में गरीबी हटाने की बात प्रस्तुत की गई है। अतः इस कार्यक्रम को प्राथमिकता देने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। सबसे अधिक दुःखदायी बात गरीब के लिए एक छोटी झोंपड़ी की मूलभूत न्यूनतम आवश्यकता के बारे में है। यह प्रशंसनीय है कि अनुसूचित जातियों और जन-जातियों तथा मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों के लिए मकान बनाने हेतु एक करोड़ रुपए की राशि प्रति वर्ष रखी गई है। महोदय, पिछड़े वर्गों और हरिजनों की दशा बहुत शोचनीय है। संविधान में इन अभागे निर्धनों के लिए कुछ संरक्षण और सुरक्षण दिए गए हैं। हमारे देश में पिछड़े वर्गों, पिछड़े समुदायों और हरिजनों की संख्या बहुत अधिक है। ये हमारी जनसंख्या का लगभग 80 प्रतिशत हैं। लेकिन आजकल देश के विभिन्न भागों में उच्च वर्ग के लोगों, जो अल्पसंख्यक हैं रोजगार, शिक्षा,

आदि में आरक्षण सहित इन पिछड़े लोगों को दिए गए अधिकारों के विरोध में कोई आन्दोलन शुरू कर दिया है। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

अनुच्छेद 340, जो पिछड़े वर्गों की दशा की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति के बारे में है, में यह कहा गया है :

"(1) भारत राज्य क्षेत्र में सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की दशाओं के तथा जिन कठिनाइयों को वे झेल रहे हैं उनके अनुसंधान के लिए तथा संघ या किसी राज्य द्वारा उन कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दशा को सुधारने के लिए करने योग्य उपायों के बारे में तथा उस प्रयोजन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान दिए जाने चाहिए तथा जिन शर्तों के अधीन वे अनुदान दिए जाने चाहिए उनके बारे में सिफारिश करने के लिए राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्तियों को मिलाकर, जैसे वह उचित समझे, आयोग बना सकेगा तथा आयोग नियुक्त करने वाले आदेश में आयोग द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया भी परिभाषित होगी।

(2) इस प्रकार नियुक्त आयोग अपने को सौंपे हुए विषयों का अनुसंधान करेगा और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, जिसमें पाए गए तथ्यों का समावेश होगा तथा जिसमें ऐसी सिफारिशें की जाएंगी जिन्हें आयोग उचित समझे। और अगला बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यह उल्लेख है :

(3) राष्ट्रपति, इस प्रकार दिए गए प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि, उस पर की गई कार्यवाही के संक्षिप्त ज्ञापन सहित, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।"

मैं नहीं जानता हूं कि क्या प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि सदन के समक्ष रखी गई है। लेकिन मैं जानता हूं कि मण्डल आयोग के प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अनुच्छेद 340 के उपबन्धों के अनुसार सरकार ने मण्डल आयोग नियुक्त किया था। उस आयोग ने पूरे देश का दौरा किया था। साक्ष्य लिए थे और 1980 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत यह अनिवार्य है और इसमें यह अपेक्षा की गई है कि की गई कार्यवाही को बताने वाला एक ज्ञापन भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। क्या यह अनिवार्य उपबन्ध नहीं है। सरकार द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है ?

हम, कांग्रेसी इन पिछड़े वर्गों, पिछड़े समुदायों और हरिजनों के संरक्षक हैं। मेरा विनम्र अनुरोध है कि सरकार को मण्डल आयोग के प्रतिवेदन पर यथाशीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए।

हमारे देश में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। निस्सन्देह नई औद्योगिक नीति से इस देश में औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर सुलभ हो सकेंगे। हम इस देश के सभी नागरिकों

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन]

को रोजगार चाहे यह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, देने के लिए वचनबद्ध है। बेरोजगारी के कारण किसी को भूखा नहीं मरने दिया जाना चाहिए। केरल सरकार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे रही है। इसको सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जाना चाहिए और यह अनिवार्य योजना होनी चाहिए।

फसल बीमा योजना देश के कुछ भागों में लागू है। मेरे राज्य में भी इसको कार्यान्वित किया गया है। केरल के कुट्टानन्द में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। पिछली बाढ़ में वहां की पूरी फसल बर्बाद हो गई थी लेकिन कुछ छोटी-मोटी प्राविधिक्ताओं के कारण गरीब किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सम्बन्धित अधिकारियों सभी सम्बन्धित किसानों और इसके लिए हकदार लोगों को, फसल बीमा योजना में शामिल है, फसल बीमा का लाभ देने के लिए अनुदेश दे।

पिछले एक वर्ष से हम सरकार से बार-बार यह अनुरोध कर रहे हैं कि नारियल उत्पादकों की रक्षा के लिए उपयुक्त कदम उठाए तथा उनके नारियल का उचित मूल्य दिलाने में उनकी सहायता करे। हालांकि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार ने खुले बाजार से 2500 रुपये प्रति क्विंटल गरी खरीदने के लिए कुछ उपाय किए हैं फिर भी इसके परिणामस्वरूप नारियल के मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है।

4.00 म० प०

महोदय, मेरे राज्य में नारियल की फसल गरीब किसान की फसल है। अतः नारियल के मूल्य गिरने से राज्य की समूची अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। पिछले वर्ष, फरवरी के दौरान नारियल उत्पादक 4 रुपए प्रति नारियल के हिसाब से मूल्य प्राप्त कर रहे थे। परन्तु इस वर्ष की फरवरी में उन्हें 1.50 रुपए प्रति नारियल भी नहीं मिला। यह बहुत शोचनीय स्थिति है। अधिकांशतः सभी उत्पादक छोटे उत्पादक हैं। 10 सेंट भूमि का मालिक भी (जो उसे भूमि सुधारों के कार्यान्वयन के कारण मिली) नारियल उत्पादक है। अतः इन नारियल उत्पादकों को उचित मूल्य की गारंटी के लिए तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कहा गया है कि खाद्य तेल का आयात सीमा से इतना अधिक है कि हमारा देश इसके लिए समर्थ नहीं है। हमें इतना अधिक खाद्य तेल आयात क्यों करना चाहिए जबकि नारियल का तेल, जोकि सबसे उत्तम तेल है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और जबकि उत्पादक को भी उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। हमें खाद्य तेल का आयात कम करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि यह उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि गरीब नारियल उत्पादकों की सहायता के लिए तुरन्त कदम उठाए जाने चाहिएं।

मुझे यह नोट करते हुए बहुत खुशी हुई है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कहा गया है कि सरकार पर्यटन के प्रोत्साहन के लिए नई पहल करेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश के किसी

भी अन्य पर्यटन केन्द्र की तुलना में केरल बहुत ही सुन्दर राज्य है। मेरे राज्य में पर्यटन के विकास की काफी गुंजाइश है। जब हमारे प्रधान मन्त्री और उनकी पत्नी केरल के दौरे पर आई थीं तो वे वेपानद कयाल में सर्प नाव की दौड़ देखकर बहुत खुश हुए थे। विश्व में एक बहुत सुन्दर पर्यटन केन्द्र के रूप में इसका विकास किया जा सकता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि केरल विशेष रूप से अलसी को, जिसे वेनिस आफ ईस्ट कहा जाता है, कुछ प्राथमिकता देनी चाहिए यह मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी है।

मैं श्री फैलीरो द्वारा प्रस्तुत किए गए इस धन्यवाद प्रस्ताव का एक बार फिर समर्थन करता हूं।

श्री मुकुल वासनिक (बुलढाना) : सभापति महोदय, श्री फैलीरो द्वारा प्रस्तुत किए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने के लिए मुझे दिए गए अवसर के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

महोदय, हमें पिछले एक वर्ष में जो उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। याद करते हुए हमें बहुत गर्व होता है। सरकार ने शुरू में जो वायदे किए थे उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश की। और आज सच यह है कि पिछले वर्ष जो वायदे किये गये थे उनमें से बहुत से वायदों को पूरा किया गया है। गरीबी दूर करने के कार्यक्रम पर पर्याप्त बल दिया गया है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और दलित वर्गों के लोगों के विकास के लिए समुचित ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्र के प्रति इस बात की वचनबद्धता कि सार्वजनिक जीवन स्वच्छ होगा उसे दल बदल विरोधी विधेयक इस सदन में पारित किया गया है और आज यह अधिनियम है। हमने राष्ट्र को स्वच्छ जन जीवन देने के लिए दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया और इसके साथ ही देश में विद्यमान भ्रष्टाचार को भी समाप्त करने का प्रयास किया। हमने देखा है कि काला बाजार करने वाले, तस्करों तथा कर चुराने वालों के खिलाफ उचित रूप से कार्रवाई की गई है। वे अपना भविष्य जानते हैं। और यह भी तथ्य है कि कर वसूली में पिछले एक वर्ष में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि एक दशक में सबसे अधिक है। और भी बहुत सी अन्य उपलब्धियां—राष्ट्रीय मामलों पर उपलब्धियां हुई हैं, देश के सामने और अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भी आई विभिन्न समस्याओं का समाधान हुआ है। हमने देखा है कि भारत की पहल से ही दक्षिण पूर्व एशिया में "लार्क" का गठन हुआ।

4 07 म० प०

(श्री सत्यम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए)

हमने यह भी देखा है कि राष्ट्रमण्डल और अन्य स्थानों पर प्रधानमन्त्री के विभिन्न भाषणों से विभिन्न ऐसे अन्य देशों की समस्यायें उठी हैं जो अभी साम्राज्यवाद के अधीन हैं। सरकार ने पंजाब और असम के बारे में दो बड़े कदम उठाए हैं। इन कदमों से लोगों में एक बार फिर विश्वास जागा है कि यह कांग्रेस है और श्री राजीव गांधी का नेतृत्व है जो देश को एक रहने की कोशिश करेगा। जो लोग दूसरी तरफ बैठे हैं उन्होंने और पूरे देश के लोगों ने पंजाब और असम के समझौतों का स्वागत किया है। सरकार आज उन लोगों के हितों की रक्षा करते समय जो इनसे संबंधित हैं दोनों समझौतों

[श्री मुकुल वासनिक]

के कार्यान्वियन के लिए अपने विश्वास को दोहराती है।

आज, दोनों राज्यों में निर्वाचित सरकार स्थापित करके सरकार ने अपना वायदा पूरा किया है। विभिन्न दलों की सरकार हो सकती हैं लेकिन हमने एक बार फिर लोकतन्त्र की स्थापना का अपना वायदा पूरा किया हैं। लोगों की, लोकतन्त्र की और कांग्रेस की भी जीत हुई है, क्योंकि हमने अपना वायदा पूरा किया है। यदि किसी को यह कहना है कि कांग्रेस ने खोया है तो इसने नहीं खोया है, इसने जीत हासिल की है, क्योंकि इसने अपने वायदों को पूरा किया है। आज हमें गर्व है कि राष्ट्र के साथ जो वायदे किए गए थे उससे भी अधिक हम कर सके हैं। कुछ कमियां हो सकती हैं लेकिन हाल ही में प्रधानमन्त्री जी ने कहा था कि हम आराम नहीं करेंगे, यदि हम आराम करते हैं तो यह उन लाखों लोगों के प्रति विश्वासघात होगा जो आराम नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि वे आराम नहीं करेंगे। समस्या को हल करने तथा देश के तीव्र गति से विकास के लिए अपना काम जारी रखेंगे। आज विपक्षी दल ने देशव्यापी बन्द का आव्हान किया है। सरकार देश का तीव्र गति से विकास करने के लिए यथासम्भव प्रयास कर रही है तो इस बन्द का आव्हान करने की क्या जरूरत है? हाल ही में कुछ वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। सरकार कीमतें बढ़ाने से खुश नहीं थी पर विपक्ष में बैठे लोग बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने सोचा कि इस सूत्र को पकड़ कर वे आगे बढ़ सकते हैं।

लेकिन आज जब यहां रेल बजट प्रस्तुत किया गया तो वही लोग बहुत दुःखी हुए जो अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ने पर खुश थे।

आज श्री माधव रेड्डी जी ने कुछ मुद्दों का उल्लेख किया है। उनका कहना है कि लोक सभा में हारे लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर या पिछले दरवाजे से लाया गया है। मैं एक सीधा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं : पिछली लोक सभा में हारे क्या सभी लोग अस्वच्छ हैं? अगर ऐसा है तो स्थिति स्पष्ट है।

मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि देश को नई शिक्षा नीति देने के वायदे के अनुसार प्रधानमन्त्री ने नई शिक्षा नीति पर पिछले साल चर्चा शुरू कर दी है। चर्चा देश भर में जारी है। देश को किस प्रकार की शिक्षा नीति की जरूरत है इस बात को मद्दे नजर रखते हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों और जिला निकायों ने सेमिनारों का आयोजन किया है। नई शिक्षा नीति की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। मौजूदा शिक्षा प्रणाली के कारण बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। ऐसी ही एक समस्या अर्थात् नैतिक और सामाजिक मूल्यों की, बच्चों के दिलो-दिमाग में है। सम्बन्धित मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि नई शिक्षा नीति की घोषणा करते समय पाठ्यक्रम पर विशेष जोर दिया जाए ताकि शिक्षा विद्यार्थियों में नैतिक और सामाजिक मूल्य भर सके।

जहां तक पाठ्यक्रम का सम्बन्ध है, नई शिक्षा नीति में इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए कि जमा दो का स्तर एक सीमांत स्तर है। आज विद्यार्थी स्नातक बनने के लिए इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिलता। कोई विकल्प नहीं है। इसलिए उन्हें आगे शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। उनके लिए यह मजबूरी है। मन्त्री महोदय से हमारा अनुरोध है कि नीति को इस तरह से तैयार

किया जाए कि हर छात्र जमा दो स्तर के बाद अपना काम-धंधा शुरू कर सके।

स्वतन्त्रता के बाद भी, देश में बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां आज तक किसी विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है। विश्वविद्यालय के अभाव में शिक्षा का प्रसार नहीं होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां विश्वविद्यालय नहीं हैं। मैं जोर दूंगा कि देश के हर राज्य में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए।

देश में निरक्षरता के कारण बहुत सी परेशानियां पैदा होती हैं। इस पर भी विशेष जोर दिया जाना चाहिए। हमें खुशी है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस पर भी जोर दिया गया है। देश में निरक्षरता उन्मूलन के कार्यक्रमों को चलाने के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर और राष्ट्रीय समाज सेवा के कैडेटों की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।

अन्त में, मैं उस समस्या का उल्लेख करूंगा जो महाराष्ट्र में पेश आ रही है। महाराष्ट्र में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो अल्प विकसित हैं। इसलिए इन क्षेत्रों के जन प्रतिनिधियों ने सम्बन्धित सरकार से बार-बार अनुरोध किया है कि संविधान के अनुच्छेद 371(2) के अन्तर्गत उल्लिखित विकास बोर्डों की स्थापना की जाए। इस संबंध में, तत्कालीन गृह मन्त्री ने 3 मई, 1984 को राज्य सभा में आश्वासन दिया था कि महाराष्ट्र में विकास बोर्डों का गठन किया जाएगा। इस मामले विशेष पर महाराष्ट्र की राज्य विधान सभा ने एकमत से एक संकल्प पारित किया जिसे, केन्द्र सरकार के पास विकास बोर्डों का गठन करने के लिए भेजा गया। लेकिन इसमें पर्याप्त देरी की गई और इस मामले में अभी तक कोई उपयुक्त उत्तर नहीं दिया गया है। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में इन विकास बोर्डों का गठन शीघ्रता से किया जाए ताकि वहां के प्रत्येक क्षेत्र का एक साथ विकास हो इसलिए इस मामले को उपयुक्त ढंग से निपटाया जाना चाहिए।

प्रस्ताव पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको एक बार और धन्यवाद देता हूं। मैं श्री फैलीरो द्वारा रखे गए इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने मित्र श्री फैलीरो द्वारा रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मुझे प्रसिद्ध कवियों में एक कवि रोबर्ट फ्रास्ट की एक कविता याद आ गई। उन्होंने अपनी इस अमर कविता में लिखा था :—

"जंगल को दो रास्ते जाते हैं
मैंने उस रास्ते को चुना
जिस पर कम लोग जाते हैं।"

और यही सारा अन्तर है।

विभिन्न देशों और समाज के विकास का जहां तक संबंध है, कुछ देशों ने अपने विकास के लिए

[श्री चिन्तामणि पाणिग्रही]

प्रजातांत्रिक जीवन पद्धति को अपनाया है। विश्व के कुछ अन्य देश ऐसे हैं जिन्होंने अपना लक्ष्य समाजवाद रखा है न कि प्रजातंत्र। कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने प्रजातंत्र को अपनाया है समाजवाद को नहीं। हमारे देश में हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने -- इस देश को विदेशी प्रभुसत्ता से छुड़ाने के लिए लाखों लोगों द्वारा दी गई प्राणों की आहुति के कारण और महात्मा गांधी की प्रेरणा और नेतृत्व के कारण—इस देश ने प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से समाजवाद लाने का संकल्प किया। इसलिए आज हमारे समक्ष पेश आने वाली सभी समस्याएं भ्रम और संकट कम होते अगर प्रजातंत्र समाजवाद नहीं अथवा समाजवाद लेकिन प्रजातंत्र नहीं को अपना लिया गया होता।

इसलिए मैं सदन के समक्ष यह कहना चाहता हूं कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष दिए गए अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने यह कहा है कि देश में विभिन्न जातियां, समुदाय और धर्म तथा यहां अल्प विकसित देशों के समान पेश आने वाली लाखों समस्याओं के बावजूद स्वतंत्रता के बाद देश में सामंतवादी समाज से समाजवादी राज्य की स्थापना करने के लिए हम पूंजीवादी प्रक्रिया के माध्यम से उद्योगों का विकास कर रहे हैं। अतः शुरू करने से पूर्व मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि पिछले एक साल के दौरान हमारी प्रमुख उपलब्धियां क्या रहीं।

मैं 27वें साम्यवादी दल सम्मेलन में हाल ही में श्री गोर्बाचोव द्वारा दिए भाषण का उल्लेख करना चाहूंगा। इससे विपक्ष के मित्रों को पता चलेगा कि सोवियत समाज 65 सालों के बाद अपनी विकास की स्थिति के बारे में क्या सोचता है। उन्होंने कहा :—

> "समस्याओं को जिस गति से हल किया जा रहा है, उसी गति से वह बढ़ती जा रही हैं। प्रशासन में निष्क्रियता, और लोचहीनता गतिशीलता का अभाव और बढ़ती नौकरशाही ने समाज और हमारे लक्ष्यों को कम नुकसान नहीं पहुंचाया है। इन नकारात्मक तत्वों से निपटना देश का काम है। प्रशासन की निष्क्रियता गतिशीलता में कमी तथा नौकरशाही में बर्जुवावाद के कारण सोवियत समाज में स्थायित्व जड़ता के लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं।"

अन्ततः में उन्होंने कहा है कि "हाल के वर्षों में उनका नेतृत्व जीवन और समय की मांग को पूरा नहीं कर पाया है।" सोवियत समाज में ऐसा हो सकता है तो हमारे जैसे समाज में किन विरोधाभाषों का सामना हमें करना पड़ रहा होगा।

मैं कहना चाहता हूं कि संस्कृति, समाज और संगठन तभी तक बने रहते हैं जब तक वे समय के अनुकूल संगत हों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अस्तित्व पिछले सौ वर्षों से क्यों बना हुआ है? एक शताब्दी बीत गई और दूसरी शुरू हो गई है। ऐसा इसलिए है कि यह हमेशा लोगों की प्रेरणा और अपेक्षित परिवर्तनों के अनुरूप रही है।

आप मानव सभ्यता का इतिहास पढ़ सकते हैं। प्रासंगिक न रह पाने के कारण 21 से अधिक सभ्यताएं समाप्त हो गईं। 40 मन वजन पर एक औंस के दिमाग वाला दस लाख वर्ष पुराना स्तनपायी

अस्तित्व में नहीं रह सकता। इस देश में ऐसे राजनैतिक दल हैं तो अप्रासंगिक हो गए हैं। लोगों की प्रेरणा और मांगों के लिए वे इतने अप्रासंगिक हैं कि वे नकारात्मक तत्वों और प्रतिक्रियाओं पर ही फल-फूल रही हैं। कांग्रेस या सरकार के द्वारा किए प्रत्येक काम पर उनकी विपरीत प्रक्रिया हुई है। वे केवल विपरीत प्रक्रिया न कि सकारात्मक कार्य पर फल-फूल रही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : लोग निर्णय लेंगे, उन्होंने पहले ही निर्णय ले लिया है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : वे केवल नकारात्मक दर्शन पर चल रही हैं। हैदराबाद में क्या हुआ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : हम विपरीत प्रक्रिया पर फल-फूल रहे हैं और वे प्रतिक्रिया पर।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप भी बहुत समय तक उस नाव में सवार थे।

एक माननीय सदस्य : उसी नाव में नहीं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं सुझाव दे रहा हूं —इतने कम समय में हैदराबाद में हुए नगर-पालिका चुनावों में क्या हुआ था ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : तमिलनाडु।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : नकारात्मक रवैये से आपको हमेशा फायदा नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप इतने अच्छे व्यक्ति हैं, आप उस तरफ क्यों हैं ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : महोदय, सोमनाथ चटर्जी जी बहुत बार बहुत दुःखी होते होंगे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वह अभी तक वहां क्यों हैं ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी को पसंद करता हूं। देखिए वह कई बार बहक जाते हैं और इतने अधिक कांग्रेस विरोधी हैं कि अच्छाइयों को तो देख नहीं पाते और कांग्रेस विरोध पर ही फल-फूल रहे हैं। **(व्यवधान)**

कांग्रेस के प्रभाव का भय उन पर किस तरह प्रभाव डालेगा ?

चटर्जी जी को मालूम होगा; मैं यहां बहुत सालों से हूं और वे भी यहां हैं। वह और हम भी जानते हैं कि 1967 में क्या स्थिति थी और 1971 के बाद क्या स्थिति हुई। भारत की जनता इस भारतीय नाटक की नकारात्मक विशेषताओं के प्रति बहुत जागरूक है और अन्त में उन्होंने इस देश की अखंडता और एकता की सुरक्षा का निर्णय लिया। यही महान बात थी।

[श्री चिन्तामणि पाणिग्रही]

इसलिए देश में हमारे समक्ष सबसे बड़ी समस्या आज यह है कि··· (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : कुछ लोग कभी नहीं सीख पाते और कुछ लोग शर्म छोड़ चुके हैं।

सभापति महोदय : वे आपका समय लेना चाहते हैं। आप जारी रखें।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : सोमनाथ चटर्जी इतना अधिक समय ले रहे हैं कि श्री सिद्धार्थ राय हार गए और यह जीत गए जैसे कि उन्हें कोई बड़ी चीज मिल गई हो। इसीलिए वह इन सब बातों को एक साथ ले रहे हैं। इन व्यवधानों के बारे में मैं भविष्य में अधिक सतर्क रहूंगा। इसलिए इस देश के समक्ष प्रगति की चुनौती हमारे सामने बहुत स्पष्ट है। आप जानते हैं कि रोजगार के अवसर पैदा करना इस देश की बड़ी समस्या है। आपने सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रोजगार के अवसर उत्पन्न करने को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है।

आप जानते हैं कि रोजगार साधन क्षमता 4% प्रति वर्ष पैदा की गई थी, जबकि श्रमिक बल का जहां तक प्रश्न है यह 2.5% प्रति वर्ष से बढ़कर 2.6% प्रति वर्ष हो गया है। इसलिए 7वीं योजना में इस रणनीति को अपनाया गया है और मुझे आशा है कि हम सफल होंगे।

दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो हमने हाथ में लिया है, वह है गरीबी के अनुपात में कमी लाना। यह 1984-85 में 37% था और जो हमें आशा है कि 1989-90 में घटकर 26% से भी कम हो जायेगा। इसलिए ये दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, जिन्हें हमने लिया है, और पिछले एक वर्ष में, यदि हम तुलना करें कि राष्ट्र के शरीर का तापक्रम क्या था और कितनी आड़े आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा चुका है तो यह एक बड़ा परिवर्तन है। यह वह समय है जब प्रजातंत्र ने पंजाब में, और असम में आतंकवाद के ऊपर विजय पाई है।

अब वे लोग जो पंजाब के लोगों के जनादेश के अनुसार निर्वाचित हुए हैं, उनका कर्तव्य है यह देखना कि जिस प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को पंजाब में पैदा किया गया है और स्थापित किया गया है, उसे कैसे जीवित रखा जाए। सारी उथल-पुथल, कठिनाइयों तथा बलिदानों के बावजूद उन लोगों ने प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जनादेश प्राप्त किया है। अब हमें यह देखना है कि क्या वे इसे बनाये रखने में सफल होते हैं। यदि वे इसमें सफल नहीं होते तो, इस बारे में निर्णय लेना पंजाब के लोगों का काम है। यदि प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को पुनर्स्थापित नहीं किया जाता तो मैं समझता हूं कि पंजाब के लोग इस पर प्रतिक्रिया करेंगे।

असम में एक और उपलब्धि हुई है। मैं हाल ही में असम गया था। मैंने देखा कि नई सरकार किस प्रकार समझौते को पूरी तरह लागू करने का प्रयत्न कर रही है, और वे इसकी पूर्ण जिम्मेदारी लेते हैं।

दूसरी समस्या जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान खींचना चाहूंगा, वह है साम्प्रदायिकता। यह

हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए लगातार एक गम्भीर खतरा बना हुआ है, सबसे बड़ी चनौती जो हमारे सामने है, वह यह कि किस तरह इस दैत्य पर पूरी तरह नियन्त्रण पाया जाये, हमारे सामने जो कार्य पहले हैं, उनमें से यह एक है।

हमारी सरकार स्वच्छ सार्वजनिक जीवन के लिए वचनबद्ध है और एक ऐसे प्रशासन की प्राप्ति के लिए, जो कि भ्रष्टाचार से मुक्त हो। इन सारे वर्षों में इस उद्देश्य से प्रयत्न किए गए हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान भ्रष्ट जन-सेवकों तथा व्यापारियों के विरुद्ध कई कदम उठाये गये हैं,' भले ही वे कितने ही महत्वपूर्ण हों। यह सब इसलिए किया गया है कि स्वच्छ सार्वजनिक जीवन तथा स्वच्छ सार्वजनिक प्रशासन की प्राप्ति हो। यह उन कई अच्छी बातों में से एक है जो हमारी सरकार कर रही है और हमें इस सम्बन्ध में सरकार का साथ देना चाहिए। लेकिन छ: माह के भीतर ही दूसरे पक्ष के लोग कहने लग गये हैं कि सरकार की छवि धूमिल पड़ गई है। वे ऐसा क्यों कह रहे हैं ? क्योंकि इस अवधि के दौरान महत्वपूर्ण व्यापारियों के यहां छापे पड़े हैं और कई भ्रष्ट अधिकारी निकाल बाहर किये गये हैं। दूसरे पक्ष के लोग सरकार से इस सम्बन्ध में सहमत नहीं होंगे, लेकिन पूरा देश सरकार का समर्थन करेगा।

पूंजीगत उद्योग जो कि आधारभूत उद्योग है, इस देश में स्थापित किये जाने चाहिए ताकि इससे अधिकाधिक सहायक उद्योग स्थापित करने में मदद मिले। पूंजीगत उद्योगों के विकास की जो रफ्तार 60' के दशक में देखने को मिली थी वह अब नहीं मिलती। इसलिए हमें अधिकाधिक पूंजीगत उद्योगों को स्वयं अपने संसाधनों से स्थापित करने की इस रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमें औरों पर निर्भर न रहना पड़े। इस सम्बन्ध में हमें आत्मनिर्भर रहना चाहिए। जो भी त्याग करने की जरूरत है उसके लिए हम तैयार हैं ताकि हम पूंजीवादी देशों के कर्जे के फन्दे में न पड़ जाएं जैसा कि अन्य बहुत से देशों के साथ हुआ। हमारा ऋण भार अनुपात ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि हमारी आय का 40 से 50 प्रतिशत ऋण चुकाने में या ऋण परिशोधन में ही न चला जाये।

जहां तक विद्युत का सम्बन्ध है, विद्युत की मांग और पूर्ति के बीच लगातार असंतुलन देश के कुछ क्षेत्रों में देखने में आ रहा है। कुछ राज्यों में विद्युत की पर्याप्त पूर्ति है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में लगातार विद्युत कटौती होती है। उड़ीसा में, कई-कई दिनों तक लगातार विद्युत कटौती पिछले दिसम्बर से होती आ रही है। उद्योग मुसीबत में हैं। मजदूरों को छंटनी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालत में है। एक एकीकृत राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड होना चाहिए। जब कभी भी बकाया विद्युत हो उसे ग्रिड के माध्यम से कमी वाले क्षेत्रों को दिया जाना चाहिए ताकि, उड़ीसा जैसे राज्यों में विद्युत संकट दूर हो जाये।

यदि आप ताप विद्युत संयंत्रों के उपयोग न किये गये संयंत्र भार घटक का विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि यदि हम जितना इस समय उपयोग कर रहे हैं, उससे केवल एक प्रतिशत भी अधिक का उपयोग करें तो भी हम देश को प्रतिवर्ष 500 करोड़ रुपये का राजस्व दे रहे होंगे। तलचर ताप संयंत्र जिसकी विद्युत उत्पादन की क्षमता 480 मेगावाट है, आज केवल 180 मेगावाट का उत्पादन कर रहा है। इस प्रकार यह 35 प्रतिशत भी नहीं हैं। यदि हम 280 मेगावाट का भी उत्पादन करें तो

[श्री चिन्तामणि पाणिग्रही]

उड़ीसा में विद्युत का अकाल नहीं पड़ेगा और आप ऐसा कर सकते हैं।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं, वह है मिट्टी के तेल की कम आपूर्ति की समस्या। केन्द्र सरकार पर्याप्त मात्रा में विभिन्न राज्य सरकारों को मिट्टी का तेल और भेज रही है, लेकिन हाल ही में, मैं उड़ीसा गया था और वहां मैंने देखा कि गांवों में मिट्टी का तेल छह रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। व्यापारी साथ मिल गए हैं। वे एक ऐसी मनोविकृति पैदा कर देते हैं जिससे लगता है कि मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं है और अब वे इसे 6/- रुपये प्रति लीटर बेच रहे हैं। अत: लोग बहुत परेशानी भोग रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि या तो मिट्टी के तेल की बिक्री खुले बाजार में होनी चाहिए या केन्द्र को इन चीजों पर लगातार चौकसी रखनी चाहिए। मैं श्री फैलीरो द्वारा प्रस्तावित धन्यवाद प्रस्ताव का पुनः समर्थन करता हूं।

सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, एक समय की बात है हमारा यह परीलोक जो कि 'भारत' कहलाता है, यहां एक शक्तिशाली रानी राज्य करती थी। एक असन्तुष्ट महल-रक्षक द्वारा उनकी हत्या के बाद उनके आकर्षक युवराज ने राज्य का शासन अपने हाथ में लिया और उसने उन लोगों को, जो उसे एक आकर्षक राजकुमार मानते थे, अपने अदन के जंगल में बुलाया तथा कहा कि कोई शीतकाल नहीं है कोई खराब मौसम नहीं है और लोग उसके अदन के जंगल में एकत्र हो गए और उसकी गोल मेज के बगल में, जिसके चारों ओर उसके मंत्री अपने चमकदार कवच में बैठे थे, आ गये और अच्छी बात की आशा करने लगे और तब उन्होंने पाया कि वहां और कुछ नहीं केवल शीतकाल था और केवल बुरा मौसम था। सभापति महोदय, इसी घनघोर जंगल में आज हम अपने आपको पा रहे हैं और इस जंगल में रास्ते और पदचिन्ह देखे भी नहीं जा सकते। जहां हम हैं वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमारी वह पीडा नहीं झलकती कि हम रास्ता भटक गए हैं। एक राष्ट्र के रूप में हम ऐसे लोग हैं जो किंकर्तव्यविमूढ़ हैं। इसमें लोगों की पीड़ा नहीं झलकती, इससे बाहरी असन्तोष नहीं झलकता, इससे जनसाधारण का आक्रोश नहीं झलकता, इसमें वे चीखें नहीं झलकती जो इस एकान्त स्थान की चारदीवारियों को नहीं भेद पातीं।

राष्ट्रपति का अभिभाषण जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं उपदेशों तथा अर्द्ध-सत्यों से भरा हुआ है। यह निरर्थक तथा साधारण टिप्पणियों से भरा है, यह हमें कोई आशा नहीं बंधाता। यह एक बिल्कुल चलताऊ शब्दावली में लिखा गया है। यह बढ़ते हुए वैज्ञानिक मिशनों तथा "महत्व दिए गये क्षेत्रों" की बात करता है, और यह अत्याधुनिकता की बात करता है। और हां, इसमें एक औचित्यहीन ढंग की और स्वयं के पीठ थपथपाने की झलक मिलती है। लेकिन मेरा मूल प्रश्न यह है कि क्या यह इस प्रश्न का उत्तर देता है : क्या व्यक्तियों के रूप में तथा एक राष्ट्र के रूप में हम आज उस समय से ज्यादा खुशहाल हैं जब कि एक वर्ष पूर्व इस सरकार ने शासन संभाला था। इस एक वर्ष में जो बीत चुका है, संस्थाओं का अधःपतन हुआ है, मूल्यों का ह्रास हुआ है। इस दौरान कई बार परिवर्तन किये गये हैं, पत्तों को फेंटा गया है, जैसे कि पत्तों में परिवर्तन से ही विदूषकों के चेहरे बदल जाएंगे। यह खो

दिए गए अवसरों का वर्ष रहा है। यह मोह भंग का वर्ष रहा है। यह देश की अर्थव्यवस्था के भारी कुप्रबन्ध का वर्ष रहा है। यह एक ऐसा वर्ष रहा है जिसके दौरान अभिसमयों आर परम्पराओं की अवहेलना कर दी गई है, और फिर भी अभिभाषण से ऐसा झलकता है मानो हम कहीं जा रहे हैं। इस वर्ष के दौरान विपक्ष की जान बूझकर निन्दा की गई है और सभापति महोदय जैसा कि आप जानते हैं विपक्ष प्रजातंत्र के लिए, संसदीय संस्थाओं के लोकतांत्रिक ढंग से चलने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सत्ताधारी दल। इस दौरान नौकरशाही के समूह का उत्साह भंग हुआ है। जबकि नौकरशाही एक अच्छी सरकार चलाने के लिए अनिवार्य है।

इस वर्ष में सूबेदारों की नियुक्तियां हुई हैं जो न मालूम कहां से प्रकट हो जाते हैं और जिन्हें अचानक ही एक बहुत बड़ी संख्या के ऊपर शासन करने की शक्ति और अधिकार दे दिया जाता है। इस वर्ष में लोगों के मन में एक अनिश्चितता का वातावरण पैदा हो गया है जिसका कारण है—सत्ता का यह केन्द्रीयकरण जिससे कैबिनेट मन्त्री भी यह नहीं जानते कि क्या कहें। और, महोदय निश्चय ही मुख्य मंत्री यह नहीं जानते कि क्या करें। सभापति महोदय, यह वर्ष मुझे ऐसा स्मरण कराता है मानो पाठ्यपुस्तक के अनुसार प्रबन्ध किया गया हो। एक नए प्रबन्धक ने कार्यभार सम्भाल लिया है। इसलिए कार्यालय की धूल चाटनी है, अग्रभाग में फिर से रंग-रोगन करना है, फर्नीचर को दोबारा व्यवस्थित करना है कुछ व्यक्तियों को भी बदलना है। क्या इसका अर्थ है कि एक नया व्यापार हो रहा है। क्या इसका अर्थ यह है कि अचानक ही व्यापार में लाभ होना प्रारम्भ हो गया है; कहीं पहुंचने के कोई चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, व्यापार चल पड़ने के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं? नहीं, यह वही पुराना घटिया व्यापार है जिसे उसी पुराने घटिया तरीके से चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति का अभिभाषण एक घटिया दुकानदार के अव्यवस्थित संतुलन-पत्र से अधिक कुछ नहीं है।

सभापति महोदय, अभिभाषण असम और पंजाब समझौतों के लिए स्वयं पर गर्व करता है। मुझे इस स्थिति पर ज्यादा नहीं बोलना है, यदि किसी चीज की असम और पंजाब में आवश्यकता है तो वह है सामाजिक मेल-मिलाप। और सभापति महोदय, मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं कि क्या हम पंजाब में या असम में सामाजिक मेल-मिलाप की दिशा में आगे बढ़ सके हैं? क्या सरकार पंजाब में आतंक के राज्य पर नियंत्रण करने में सफल रही है? क्या सरकार असम में अल्पसंख्यकों में आशा की भावना जगाने में सफल रही है? यही मेरा प्रश्न है।

एक माननीय सदस्य: श्री बरनाला से भी पूछिए।

सैय्यद शाहबुद्दीन: मेरा प्रश्न देश को संबोधित है। हम यहां देश भक्तों के रूप में तथा राष्ट्रवादियों के रूप में बोल रहे हैं। अलगाववादी लहजे मे नहीं, सरकार लोगों के अलगाव के विषय में सम्वेदनशील नहीं हैं। सरकार पंजाब के युवकों के दिलो-दिमाग पुनः प्रभावित करने में असफल रही है। और असम के लोगों में जहां कि ज्यादा दिन नहीं हुए नरसंहार हुआ था, आशा की एक नई भावना जगाने में असफल रही है। सभापति महोदय, हमारे देश में क्षेत्रवाद ने गहरी जड़ें पकड़ ली हैं; हम समझते हैं कि क्षेत्रवाद एक अल्पकालिक चीज है। हम यह भी समझते हैं कि यदि केन्द्र सरकार राज्यों से उदारतापूर्वक, सही और उचित ढंग से व्यवहार करे तो, क्षेत्रवाद समाप्त हो जायेगा फिर भी इस

[सैय्यद शाहबुद्दीन]

वर्ष हमने यह देखा है कि क्षेत्रवाद ने हमारे देश की जमीन में और भी गहरी जड़ें जमा ली हैं। अतिवादी तथा फासीवादी ताकतें हमारे देश में अवसर की तलाश में हैं। उन्हें एक आदर की भावना से देखा जाता है। वे भद्दे नारे लगाते हुए गलियों में घूम रहे हैं और हमारे लोगों के वर्गों को अपमानित कर रहे हैं और विगत वर्ष में दकियानूसीवाद ही हावी रहा है। शायद इसके पीछे नए शासकों की अप्रत्यक्ष शह रही है। प्रधानमन्त्री कभी भी यह कहते हुये नहीं थकते कि वे हमें 21वीं सदी की ओर ले जा रहे हैं। देश में जो हिंसा हो रही है उसकी ओर नजर डालिये। और हिंसा केवल उन्हीं की, यानि आतंकवादियों की ओर से ही नहीं हो रही है, जिनका काम ही हिंसा करना है, बल्कि राज्य भी हिंसा कर रहा है और लगातार पुलिस राज्य बनने की दिशा में बढ़ रहा है। पहली बार हमारे इस नवजात प्रजातंत्र में "आंतरिक सुरक्षा मन्त्री" आए हैं। इससे मुझे हिटलर और स्टालिन की याद आती है। हम ऐसी स्थिति देख रहे हैं जहां मानव अधिकारों का सारे देश में उल्लंघन किया जा रहा है। पिछले वर्ष देश में पुलिस हिरासत में जितने लोग मरे हैं उतने पहले किसी वर्ष में कभी नहीं मरे थे। इस तथ्य का राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है। लोगों को बेरहमी से मारा जा रहा है, और सरकार चुप है, राष्ट्रपति चुप है, सभापति महोदय, मैं यह चेतावनी दे दूं कि राजनैनिक अस्थिरता और राज्य द्वारा की जाने वाली हिंसा—इन बातों से आतंकवाद पनपेगा। लोगों के कुछ वर्गों के विरुद्ध अत्याचार, हो रहा है चाहे वे हरिजन हों, अल्पसंख्यक हों, स्त्रियां हो, चाहे वह दहेज के कारण हुई मृत्यु हो या वधुओं का जलाया जाना, तनाव चाहे जातियों के बोच हो या समुदायों के बीच, एक दिन हमें इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। सामाजिक तनाव पैदा करने तथा बनाये रखने के लिए जो लोग उत्तरदायी हैं, उन्हें इतिहास के कठघरे में जवाब देना पड़ेगा, यदि इस देश ने रहना है और आगे बढ़ना है तो संकीर्ण और अदूरदर्शी नीतियों को छोड़ना होगा।

सभापति महोदय, सरकार ने अभी राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन किया है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा। कृपया भगवान के लिए पिछले प्रतिवेदनों को देखें, उन पर से धूल झाड़ें और आपके पास पहले से पड़ी सिफारिशों को क्रियान्वित करने का प्रयास करें और उसके बाद ही हमें बुलाएं।

सभापति महोदय, भ्रष्टाचार को सामाजिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है काले धन ने न केवल हमारी अर्थव्यवस्था पर अधिकार कर लिया है अपितु हमारी राजनीतिक प्रणाली की आत्मा पर भी कब्जा कर लिया है। राजनीति भ्रष्टाचार का स्रोत है और हमारे जो लोग भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात कर रहे हैं वे भ्रष्टाचार में ही पनप रहे हैं उनका सारा व्यापार भ्रष्टाचार पर आधारित है और जो दल बदल द्वारा सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ बनाने की बात कर रहे हैं, क्या हम उनको यह भूल जाने दें कि उनकी कुछ सरकारें दल बदल कर बनी हैं? वे सुधार की बात करते हैं। प्रत्येक वस्तु में सुधार की आवश्यकता है क्योंकि एक नये राजा ने राज्य सम्भाला है एक नया युग आरम्भ हुआ है। न्यायिक सुधार, चुनाव सुधार शैक्षिक सुधार, औद्योगिक सुधार, पुलिस सुधार, प्रशासनिक सुधार, लेकिन पिछले एक वर्ष में ये नारे लगाने के अतिरिक्त क्या किया गया है? आपने पुलिस आयोग के एक भी प्रतिवेदन को लागू करने की, ओर ध्यान नहीं दिया है। आपने पूर्व प्रशासनिक

आयोगों की किसी भी सिफारिश को लागू करने की परवाह नहीं की है। आज नागरिकों का न्यायालयों से विश्वास उठ गया है। ऐसा लगता है न्यायालयों ने अपना उत्साह खो दिया है ये धीरे-धीरे व्यवस्था के कैदी बनकर रह गये हैं। ये सब प्रकार के आदेश देते हैं। न्यायालयों की आलोचना करने का यह समय नहीं है। मैं ऐसा नहीं करूंगा लेकिन लोगों में असन्तोष और निराशा है और सरकार उच्च न्यायालयों में भी उन पदों को नहीं भर सकी है जो कई वर्ष पहले रिक्त हुये थे उन रिक्तियों को भरने में दो या तीन वर्ष लग जाते हैं। और फिर भी आप कहते हैं—"हम लोगों को जल्दी न्याय देंगे।" सभापति महोदय, आज वर्गों के अधिकारों पर, हरिजनों पर, आदिवासियों पर, पिछड़े वर्गों पर, अल्पसंख्यकों पर प्रहार किया जा रहा है, यह प्रहार जानबूझकर किया जा रहा है और यह संगठित प्रहार है। आज हमारे देश में आरक्षण पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। मण्डल आयुक्त के प्रतिवेदन को विस्मृति के गर्त में डाल दिया गया है, उसे भुला दिया गया है गोपाल सिंह पेनल प्रतिवेदन को जो 3 वर्ष पहले जून 1983 में प्रस्तुत किया गया था, अभी सभा पटल पर नहीं रखा गया है। तीन वर्ष पूर्व जारी किया गया श्रीमती गांधी का 15 सूत्री कार्यक्रम, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए एक निदेश था सभा के समक्ष एक भी प्रतिवेदन हमें यह बताने के लिए नहीं रखा गया है कि क्या इसको क्रियान्वित किया जा रहा है अथवा नहीं या यह कार्यान्वयन की किस स्थिति में है। आपने अल्पसंख्यक आयुक्त के एक भी प्रतिवेदन पर इस सभा में चर्चा नहीं की है। कब तक हमें खाली वायदों का या बिना औषधि के केवल रोग के लक्षणों का पता लगाने का दिलासा दिया जाता रहेगा ? आप बाल श्रमिकों और बन्धुआ मजदूरों के बारे में मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। कितने लाख बन्धुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया है ? कितने बच्चों से काम छुड़ाया गया है और उनको उनके सम्बन्धित स्थानों पर, स्कूलों में पढ़ने के लिए, या उद्यानों में खेलने के लिए और थोड़ी सी सूर्य की रोशनी और स्वच्छ वायु खाने के लिए भेजा गया है ? कितने स्कूलों में खेल के मैदान उपलब्ध कराये गए हैं ? आप दूरदर्शन की बात करते हैं और आप बच्चों को पेंसिल भी उपलब्ध नहीं कर सकते।

सभापति महोदय, मैंने अभी कहा कि अच्छी सरकार के लिए नौकरशाही आवश्यक है। आज नौकरशाही जितनी हतोत्साहित है उतनी स्वतन्त्रता से पहले कभी नहीं थी और धारा 311 (2) के अधीन आपने उनका भाग्य वास्तव में उनके तत्काल अधिकारियों के हाथ में सौंप दिया है। अगर उच्च अधिकारी कुछ कहता है तो उसकी बिना कचहरी, बिना सफाई बिना पेशी के नौकरी से छुट्टी कर दी जाती है। सर्वाधिकारवाद से बुरा कुछ नहीं हो सकता।

सभापति महोदय, राष्ट्रपति अभिभाषण में शिक्षा के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। मूल दोष सामन्तवादी दृष्टिकोण का और शिक्षा पर निवेश को बहुत कम प्राथमिकता देने का है। यद्यपि वे मानवीय संसाधनों के विकास की बात करते हैं परन्तु पिछले एक वर्ष में अनिवार्य शिक्षा या आम साक्षरता में कोई प्रगति नहीं हुई है। त्रिभाषा सूत्र को धीरे-धीरे छोड़ा जा रहा है। भाषायी अल्पसंख्यकों के अधिकारों को एक तरफ फेंक दिया गया है। आप एक ऐसे देश में संस्कृति की बात करते हैं जहां हम अपने बच्चों को एक वर्ष की स्कूली शिक्षा भी प्रदान नहीं कर सकते हैं।

सभापति महोदय, आंकड़ों के जादू से आप इस वास्तविकता को नहीं छुपा सकते कि बहुत से लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। जो आपने किया है वह लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के

[श्री सैय्यद शाहबुद्दीन]

लिए नहीं किया है। आपने केवल गरीबी की रेखा को नीचे कर दिया है जिससे गरीबी रेखा से नीचे कम लोग दिखाई दें।

सभापति महोदय, मैं कुछ आर्थिक समस्याओं के बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या पिछले एक वर्ष में मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फिति पर नियन्त्रण किया गया है? स्थिर मूल्य स्तर पर क्या सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बढ़ोतरी दर जनसंख्या की वृद्धि दर से बहुत अधिक रही है? क्या बेरोजगारों की संख्या में कमी हुई हैं? क्या अन्न उत्पादन जनसंख्या की बढ़ोत्तरी से पीछे रह गया है या लोगों की बढ़ोतरी को पार कर रहा है? क्या पिछले एक वर्ष में आवश्यक पदार्थों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़ गई है या कम हुई है? क्या प्रादेशिक सन्तुलन के प्रश्न को हल कर लिया गया है? क्या शहर और गांव के अन्तर को कम किया गया है? क्या सामाजिक वर्गों और सामाजिक समूहों में असमानताओं को कम किया गया है? क्या अमीर गरीब में खाई को 5 प्रतिशत ऊपर और 25 प्रतिशत नीचे से कुछ कम किया गया है? क्या गरीब व्यक्ति की क्रयशक्ति में वृद्धि की गई है? हमारे यहां एक अजीब नज़ारा है एक ओर तो खाद्यान्न की भरमार है और दूसरी ओर लोग भूखों मर रहे हैं। एक धनी देश और गरीब जनता।

क्योंकि लोगों के पास खरीदने के लिए संसाधन नहीं हैं। उनके पास खरीदने की शक्ति नहीं है क्या कृषि समुदाय का कोई वर्ग उन कीमतों से खुश है जो वह प्राप्त कर रहा है? क्या ये लाभकारी या उचित मूल्य हैं? क्या सार्वजनिक क्षेत्र कुछ और अधिक कार्यकुशल हुआ है? आप इसकी कार्यकुशलता का या उत्पादकता का केवल आकलित मूल्यों में वृद्धि करके अन्दाजा नहीं लगा सकते। आकलित मूल्य बढ़ाने से यह सिद्ध नहीं होता कि यह अधिक कार्यकुशल हो गया है या अधिक जिम्मेदार या अधिक उत्पादक हो गया है। हमने गंगा को सुन्दर ढंग से साफ किया हैं। हमने भ्रष्टाचार की गंगोत्रीकी ओर नहीं देखा है। प्राकृतिक वातावरण को देखिए। भोपाल गैस दुर्घटना के बाद, क्या वे कुछ बुद्धिमान हुए हैं? मेरी छोटी बेटी ने एक दिन मुझसे पूछा :

[हिन्दी]

"अब्बा, वे फिर श्रीराम की फैक्ट्री को चालू करने जा रहे हैं।"

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : उसने गलत व्यक्ति से पूछा।

सैयद शाहबुद्दीन : बदकिस्मती से पापा की हैसियत से वह गलत व्यक्ति रखती हैं सभापति महोदय, वे पूछते हैं आप खर्चे को कैसे पूरा करने जा रहे हैं?" हां, यह ठीक प्रश्न है और देश को कठिन निर्णय लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन ऊर्जा की खपत को कम करने का निर्णय क्या ठीक है? क्या विकास ऊर्जा की खपत पर निर्भर नहीं है? क्या यह ऊर्जा की खपत विकास का मापदण्ड नहीं है? मैं जानना चाहूंगा कि क्या पिछले एक वर्ष में हमारे देश में ऊर्जा उत्पादन की क्षमता के उप-

योग में कोई सुधार हुआ है ? क्या रेलों, बसों, ट्रकों में भीड़ नियन्त्रण करने के लिए सार्वजनिक यातायात प्रणाली में कोई सुधार हुआ है ? क्या देश के किसी भी भाग में बाढ़ नियन्त्रण प्रणाली को क्रियान्वित करने में कोई प्रगति हुई है ? मैंने उस दिन मन्त्री जी से पूछा तो उन्होंने कहा हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है । निस्सन्देह, बाढ़ को प्रत्येक क्षेत्र में तबाही मचाने दो, हम आवश्यक राहत पहुंचा देंगे परन्तु बाढ़ नियन्त्रण के लिए हमारे पास कोई दीर्घकालिक योजना नहीं है ।"

हमने बहुराष्ट्रीय और एकाधिकारियों के लिए आपने द्वार खोल दिये हैं । उनको सब प्रकार की स्वतन्त्रता प्राप्त है । तब स्वचालन, आधुनिकीकरण, मशीनीकरण उच्च टेक्नालोजी के नाम पर, मैं नहीं जानता और किन क्षेत्रों में विदेशी बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को लाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है जिससे हमारे नवयुवकों को रोजगार के जो थोड़े बहुत अवसर प्राप्त हैं उनसे उनको वंचित किया जा सके । क्या यह सच नहीं है कि बैंक क्षेत्र भ्रष्टाचार का एक समानार्थक बन गया है । सभापति महोदय, ग्रामीण लोगों के लिए कमजोर वर्गों के लिए, युवकों के लिए ऋण देने का ढंग एक स्वांग मात्र है । हमारे ग्रामीण पानी के लिए प्यासे हैं । हमारे ग्रामीण भोजन के लिए भूखे हैं । हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है । हमारे युवकों के पास काम नहीं है । हमारे लोगों के पास मकान नहीं है और हमारे बच्चे बिना स्कूलों के हैं । हमारे बीमार बिना अस्पतालों के हैं और वे कहते हैं कि हमारे देश ने उन्नति की है और 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं ।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : सभापति महोदय, श्री सोमनाथ चटर्जी बोल चुके हैं,

[हिन्दी]

इनके बाद क्या बोलेंगे ?

[अनुवाद]

इतने अधिक तमाशे के बाद बोलना कठिन है ।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : माननीय सभापति जी, सोमनाथ जी को यह पता नहीं है कि इनके बाद भी लोग पैदा हुए हैं और इनको चुनाव में हरा चुके हैं ।

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान : मेरे आदरणीय मित्र, श्री एडुआर्डो फैलीरो के धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं । और मैं इसका समर्थन इसलिए नहीं करता हूं कि मैं इसी पार्टी से सम्बन्ध रखता हूं जिसका शासन है लेकिन मैं इसका समर्थन इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे दृढ़ विश्वास है । यह बहुत खेद की बात है कि मेरे आदरणीय मित्र ने, जो मुझसे पहले बोले हैं, मुझे उन चार अंधों की कहानी की याद दिलाई है जिन्हें हाथी देखने के लिए ले जाया गया था । उनमें से एक ने हाथी की सूंड को छूने

[श्री अजय मुशरान]

के बाद कहा कि हाथी पेड़ के तने जैसा होता है उनमें से एक ने जिसने पैर को छुआ और कहा कि हाथी एक खम्भे के समान होता है। दूसरे ने उसकी पूंछ को छुआ और कहा कि हाथी रस्सी जैसा होता है। चौथे ने हाथी की पीठ को छुआ और कहा कि हाथी एक दीवार की तरह होता है। मेरे आदरणीय मित्र ठीक इसी तरह के रोग से पीड़ित हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरे एक अन्धे मित्र ने कहा कि वह कांग्रेस के स्तम्भ हैं।

श्री अजय मुशरान : सूंड़ की घटना के उपरान्त वह आपके दल की ओर देख रहे होंगे।

पिछला वर्ष अशांति का वर्ष रहा है। यह एक चुनौती का वर्ष रहा है। साम्प्रदायिक लोगों और उन प्रवृत्तियों के कारण अशान्ति रही है और जिन प्रवृत्तियों को हम दबाने का प्रयास कर रहे हैं और मेरे मित्र इन प्रवृत्तियों को देखना नहीं चाहते हैं। यह एक ऐसा वर्ष था जब भारत साम्प्रदायिक उन्माद की तबाही के दौर से गुजरा और राष्ट्र विरोधी दल और राष्ट्र विरोधी लोग विभिन्न संगठनों के रूप में उभरने का और सत्ता हथियाने का प्रयास कर रहे थे। मेरे मित्र भूल जाते हैं अथवा उन्होंने गत वर्ष राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों को दिए गए भाषण को नहीं पढ़ा है। राष्ट्र के नेता अर्थात राष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया था कि वह वर्ष 1985 में सरकार से किस बात की आशा करते हैं, जो नए नेता के लिए परीक्षा की घड़ी थी और यह जनता के उस विश्वास के लिए परीक्षा की घड़ी थी जो चुनावों के दौरान उत्पन्न हुआ और जिसको सत्तारूढ़ दल द्वारा देश पर अच्छे ढंग से शासन करके सच्चा साबित करना है और मुझे यह बात कहते हुए गर्व है कि दल के नेता,-युवा नेता ने जिसे श्री शाहबुद्दीन ने युवराज सुन्दर युवराज कहा है, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि लोग उसे सुन्दर कहते हैं, यह सिद्ध कर दिया है कि उनसे और उनकी सरकार से राष्ट्रपति जिस बात की आशा करते थे वह उन्होंने पूरी कर दी है, प्रत्येक विचार को एक नीति का रूप दिया गया है और प्रत्येक नीति को आरम्भ किया गया है और प्रोत्साहन दिया गया है और देश सचमुच एक सबल, बेहतर तथा सुव्यवस्थित राष्ट्र बन रहा है।

मुझे मेरे मित्र माननीय मेवा सिंह का भाषण सुनकर बहुत दुःख हुआ। वह देश के शहीदों को सिख कह रहे थे। वह कह रहे थे मरने वाले लोगों में इतने सिख थे, अण्डमान भेजे जाने वाले लोगों में इतने सिख थे अण्डमान में अथवा जलियांवाला बाग में मरने वालों में इतने सिख थे। मैं यह बात रिकार्ड में लाना चाहता हूं कि वे सिख नहीं थे। वे भारतीय थे। कोई भी देश के लिए केवल इसलिए नहीं लड़ा या मरा कि वह सिख अथवा ब्राह्मण अथवा दक्षिण भारतीय अथवा मुसलमान अथवा किसी अन्य सम्प्रदाय का था। इससे हमें इस बात का संकेत मिलता है कि कौन-से ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा देश में यह साम्प्रदायिक प्रवृत्तियां जोर पकड़ रही हैं। मेरा अपना विचार यह है कि इस सरकार ने देश की एकता, राष्ट्रवाद, समाजवाद, समाज के लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए ऐसा कार्य किया है जो इन स्थितियों में कोई और सरकार नहीं कर सकती थी। श्री शाहबुद्दीन कहते हैं कि कुछ भी नहीं किया गया है। उन्होंने ऐसी तस्वीर खींची है मानो हम सो रहे थे और वह काम कर रहे थे और वह हमें ऐसा करने के लिए जगाते आए हैं···

सैयद शाहबुद्दीन : मैं इन सबों पर नजर रखे हुए था।

श्री प्रजय मुशरान : वह कैसे जीते हैं—हम सब जानते हैं। राष्ट्रपति के भाषण में गहरी चिंता व्यक्त की गई है। इसमें कहा गया है :

> "साम्प्रदायिकता, राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बनी हुई है। धार्मिक रूढ़िवाद और कट्टरपन से यह खतरा और भी बढ़ता जा रहा है।"

श्री शाहबुद्दीन जी, क्या आपने सुना है ? इस प्रकार की प्रवृत्तियों को रोका गया है, और यह काम सरकार और उस नेता ने किया है जिसको आप सुन्दर युवराज कहते हैं और जिसको देश ने नए नेता के रूप में स्वीकार किया है। उनके नेतृत्व की परीक्षा हो रही थी और वह नेतृत्व की इस परीक्षा में सफल हुए हैं।

एक माननीय सदस्य : जो नया विधेयक आप ला रहे हैं उसके बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री प्रजय मुशरान : मैं उसके विषय में भी बात करता हूं। विधेयक को आने दीजिए। हमारी परीक्षा हो रही थी। हमारे नेता की परीक्षा हो रही थी। युवा पीढ़ी की परीक्षा हो रही थी और हमें समर्थन देने, हमारे साथ सहयोग करने की बजाए विपक्ष ने प्रत्येक ऐसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अवसर पर नेतृत्व को गिराने का प्रयास किया है और हम इन सभी विपरीत स्थितियों के बावजूद सफल हुए हैं।

जहां तक कानून और व्यवस्था का सम्बन्ध है, इस विषय में राष्ट्रपति के अभिभाषण में पहले ही उल्लेख किया गया है जिसके लिए हम माननीय राष्ट्रपति जी के आभारी हैं। उन्होंने सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों को दोहराया है और यह इस सदन तथा सरकार के पास रिकार्ड में है कि वह सभी कार्यक्रम तथा वायदे पूरे किए गए हैं।

वे असम समझौते और पंजाब समझौते की बात करते हैं। यह एक ऐसा मामला नहीं है जिसको आप किसी निर्धारित तिथि तथा समय तक पूरा कर सकें। इसमें अनेक समस्याएं हैं। अनेक उप-समस्याएं जो समस्याओं के बढ़ने से उत्पन्न होती हैं। आज यह कहना सम्भव नहीं है कि 10 महीने के बाद असम की समस्या क्या होगी। किंतु यदि समस्या कोई और मोड़ लेती है, तब सरकार को उस समस्या की ओर ध्यान होता है इसे समस्या के प्रति सजग रहना पड़ता है और वह योजना या कार्य-वाही करनी पड़ती है जिससे देश की भलाई हो।

दूसरा पहलू जिसके बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख किया गया है और जिसके लिए हम राष्ट्रपति के आभारी हैं, वह आर्थिक दृष्टिकोण है, सरकार का दृष्टिकोण क्या होगा, सरकारी सस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र, विपक्ष और सामान्य जनता उन सबकी जिम्मे-वारी क्या होगी। हम जानते हैं कि धन का अभाव है। हम जानते हैं कि चाहे यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था हो अथवा ठोस मुद्रा में लिया गया ऋण हो, चाहे या विदेश से सहायता प्राप्त की गई हो, अथवा जनता से कुछ राशि प्राप्त हुई हो। जनता से ली गई राशि से मेरा अर्थ करों से है। सरकार ने ही बजट सत्र से पूर्व कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया है। माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत

[श्री अजय मुशरान]

गुप्त जी ने कहा है कि यह इस सदन को सूचना दिए बिना ही किया गया है। मैं इसका विरोध करता हूं। यदि यही इरादा होता तो बजट सत्र के पश्चात् वृद्धि की जाती। तब इन्द्रजीत गुप्त जी यह कहते कि मूल्यों में जो वृद्धि हुई है वह इस माननीय सदस्य की उपेक्षा करके की गई है। ऐसा नहीं हुआ है। मूल्य में बजट सत्र से पूर्व उचित सोच-विचार के पश्चात् वृद्धि की गई है। फिर भी यह देखा गया कि मूल्यों में जो वृद्धि हुई है उससे जनता पर भारी बोझ पड़ा है। उसमें कमी की गई है। क्या यह साहसी सरकार नहीं है जो जनता के हित के लिए बात मानने और निर्णय लेने के लिए तैयार है? अपनी गलती स्वीकार करने और शीघ्र इसकी शुद्धि करने वाला व्यक्ति साहसी होता है। इसके लिए हमारे प्रधानमन्त्री बधाई के पात्र हैं।

अब हम योजना के लिए अपने संसाधनों के उपयोग की बात करते हैं। ऐसा कहना बहुत आसान है कि हमें अपनी योजनाओं को अपने संसाधनों के अनुरूप ही रखना चाहिए। मेरा अपना विश्वास यह है और विपक्ष के माननीय सदस्य भी मुझसे सहमत होंगे कि जब तक आप बड़ी योजनाएं नहीं बनाएंगे तब तक आप बड़े नहीं बनेंगे।

5.00 म०प०

मेरे मित्र श्री गोस्वामी जी ने कहा है कि कोहिमा में कब्र के पत्थरों पर कुछ लिखा हुआ है। मैं उनकी शुद्धि करना चाहता हूं। यह कब्र का पत्थर नहीं है। यह एक युद्ध स्मारक है जिस पर लिखा है "जब आप घर जाएं तो घर वालों से हमारे बारे में कहें कि उनके कल के लिए हमने अपना आज न्यौछावर किया है।" यह एक ऐसी अभिव्यक्ति है कि हम कुर्बानी के लिए तैयार हैं किन्तु समर्पण के लिए नहीं। यदि आप आर्थिक स्थितियों के सामने समर्पण करेंगे, यदि आप धन के अभाव के सामने समर्पण करेंगे और यदि आप अपनी योजना में कटौती करेंगे तो यह आर्थिक समर्पण है। यदि आप आज थोड़ी-सी असुविधा से मूल्यों में वृद्धि करेंगे तो आप हमारी भावी पीढ़ियों के लिए एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। मेरा विचार है कि यह बहुत अच्छी नीति है। किसी दिन का बलिदान आत्म-समर्पण से अच्छा है और आदर्श-वाक्य में यही बात संक्षेप में कही गई है जो गोस्वामी जी ने कहनी चाही कि यह दल की कब्र का पत्थर आदि है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें पूर्ण गम्भीरता से उन उपायों के बारे में सोचना है कि हम कितनी बड़ी योजना बना रहे हैं और हम कहां जा रहे हैं? हमें अपने ही देश के आस-पास देखना चाहिए। कुछ देश ऐसे हैं जिन्हें हमारे साथ, हमसे थोड़ा पहले और हमसे थोड़ा बाद में स्वतन्त्रता मिली। उनकी स्थिति क्या है? हमने केवल तीन दिन पूर्व अपने एक पड़ोसी देश में लोकतन्त्र का मजाक देखा है। आज हमारे लोकतन्त्र में सरकार तीन बार बदल चुकी है। एक सरकार आई, उसके पश्चात् दूसरी सरकार और अब तीसरी सरकार आई है और हमने सारा काम शान्तिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से किया है। क्या यह दल की ही शक्ति नहीं है? मेरे माननीय मित्र कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 30 वर्षों में कुछ नहीं किया है। क्या यह महान योगदान नहीं है-- पण्डित नेहरू,

श्रीमती इन्दिरा गांधी से लेकर और आज हमारे युवा प्रधान मन्त्री तक ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : पिछले कई वर्षों से कुछ नहीं किया गया है।

श्री अजय मुशरान : यह अत्यन्त खेद की बात है कि आप मूल्यों की वृद्धि के विरुद्ध प्रदर्शन करते हैं और आपके धरना, दंगों और विरोध के परिणामस्वरूप सैंकड़ों बसें नष्ट हो जाती हैं। आज डी०टी०सी० को बहुत-सी अतिरिक्त राशि बसों को खरीदने के लिए खर्च करनी पड़ेगी जो आपने नष्ट की हैं। अतः मूल्य वृद्धि के लिए अप्रत्यक्ष रूप में आप जिम्मेवार हैं !

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उनका सम्बन्ध इन्दिरा कांग्रेस के साथ है और वह नेहरू कांग्रेस की बात करते हैं। क्या उन्होंने दल-बदल कर लिया है ?

श्री अजय मुशरान : सभापति महोदय, अब मैं उन योजनाओं और आकांक्षाओं की बात करता हूं जिनका उल्लेख राष्ट्रपति के 1986 के अभिभाषण में किया गया है। मुझे इस पर प्रकाश डालना चाहिए और मुझे कहना चाहिए कि अभी तक···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : सभापति महोदय, इस देश में जब भी कोई-प्लान पर आता है तो कहीं न कहीं घंटी बज जाती है।

प्रो० मधु दण्डवते : फैमिली-प्लानिंग के वक्त भी ऐसा ही हुआ, तभी तो पापुलेशन बढ़ गई।

5.04 **म०प०**

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री बालकवि बैरागी : घंटी बजाना अद्भुत काम है। घंटी बजाकर आप खुद ही जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान : महोदय, पांच मिनट के लिए व्यवधान रहा। मुझे पांच मिनट और मिलने चाहिए। अब मैं इस पर आता हूं कि वर्ष 1986 में राष्ट्रपति इस सरकार से क्या आशा करते हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूं और मैं समझता हूं कि पूरी सम्मानित सभा इस बात पर प्रसन्न होगी कि ग्रामों में पेय जल पूर्ति को प्राथमिकता दी गई है। यह ग्रामों की, जिनका प्रतिनिधित्व करने का मुझे गर्व है। एक गम्भीर समस्या है। मैं नगरों, बड़े नगरों का प्रतिनिधित्व नहीं करता हूं। यह एक ऐसी समस्या है जिससे अधिकतर ग्रामीण महिलाएं प्रभावित हैं। उन्हें पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है और मुझे पूरा विश्वास है···**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह पीठ को सम्बोधित करें। मैं किसी प्रकार की बात-चीत नहीं चाहता। उन्हें बोलने दीजिए।

श्री अजय मुशरान : वह बात-चीत को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप इस प्रकार बात कर रहे हैं, तो यह बात-चीत है।

श्री अजय मुशरान : महोदय, मैं तीन बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। सबसे पहले, मैं महसूस करता हूं कि परिवार नियोजन को वर्तमान से थोड़ा अधिक महत्त्व दिया जाए। यदि आप आंकड़े देखें, तो आपको पता चलेगा कि गरीबी की रेखा से नीचे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके परिवार नियोजित नहीं हैं ऐसा कुछ परिस्थितियों के कारण हो सकता है किंतु बहुत से लोगों ने जिन्होंने जन-संख्या के सम्बन्ध में बहुत विस्तार किया है वह उस वर्ग के हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं। गरीबी की रेखा से नीचे इन लोगों का उद्धार करने के लिए हमारे पास गरीबी दूर करने के अनेक कार्यक्रम हैं। रोग का इलाज करने के बदले रोग के कारणों को ही दूर क्यों न करें? हमें उन लोगों के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम तेजी से चलाने चाहिएं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए सहायक होगा यदि हम गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों से सम्बन्धित राष्ट्रीय वित्तीय नीतियों को परिवार नियोजन कार्यक्रमों के साथ जोड़ दें।

अन्त में मैं भूतपूर्व सैनिकों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं···

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात तो समझने योग्य है क्योंकि आप भूतपूर्व सैनिक हैं।

श्री अजय मुशरान : जब किसी आर्थिक कार्यक्रम पर विशेष जोर देना होता है तो हम सदा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के कमजोर वर्गों की बात करते हैं। हमारे देश में लगभग 60 लाख भूतपूर्व सैनिक हैं तथा यदि आप उनके आश्रितों तथा भावी आश्रितों की गिनती करें तो यह संख्या दो करोड़ से अधिक हो जाती है। यही एक निकाय है जो कि अत्यन्त अनुशासित है। महोदय, मुझे विश्वास है कि आप मुझसे सहमत होंगे···

श्री सोमनाथ चटर्जी। जब तक वे कांग्रेस में सम्मिलित नहीं हो जाते हैं।

श्री अजय मुशरान : मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव करता हूं कि जहां भी हम कमजोर वर्गों के लोगों की चर्चा करते हैं, तब हमें भूतपूर्व सैनिकों की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि अपनी अनुशासनात्मक प्रवृत्तियों के कारण उनको ऊपर उठने और चिल्लाने के अवसर नहीं मिल पाते हैं। उन्हें लघु उद्योगों में एकमुश्त अवसर तथा भूमि दी जानी चाहिए और कृषिगत आवश्यक वस्तुओं के लिए आर्थिक सहायता भी ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें।

गृह मन्त्री महोदय यहां उपस्थित हैं। जहां तक प्रोटोकोल (नयाचार) का सम्बन्ध है, जहां तक रक्षा कार्मिकों के रुतबे का सम्बन्ध है, वे परम्परा से ही पुलिस कर्मियों से श्रेष्ठ हैं और उन्हें उनका देय मिलना चाहिए। आज एक ब्रिगेडियर को उपमहानिरीक्षक पुलिस के समान माना जाता

है जोकि उचित नहीं है, तथा जब वह परेड अथवा सरकारी समारोह में जाता है तो उसे, डी०आई०जी से वरिष्ठ होते हुए भी दूसरी पंक्ति में बैठाया जाता है। दूसरी पंक्ति में बैठाये जाने को वह प्रतिष्ठा को ठेस समझते हैं, परन्तु वह बोल नहीं सकते क्योंकि वह सेना अधिनियम के अधीन आते हैं। यह एक पहलू है जिस पर मैं समझता हूं कि गृह मन्त्री महोदय विचार करेंगे। 25-30 वर्ष पहले जो प्रोटोकोल (नयाचार) सुरक्षा सेनाओं में चालू था उसे ही लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपने भूतपूर्व सैनिकों को उचित सम्मान देंगे तो आपको देश की सुरक्षा सेनाओं में भर्ती हेतु सही जवान मिलेंगे। आज देश में सबसे अधिक संगठित समाज न केवल आप अपितु मुझे पूरा विश्वास है कि सभी माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि सुरक्षा सेवाओं की है फिर चाहे वे कार्यरत सेवा में हों अथवा भूतपूर्व सैनिक हों। अतः सरकार के सभी आर्थिक कार्यक्रमों में, उन्हें निश्चित रूप से अच्छा स्थान, व्यवहार दिया जाना चाहिए।

मेरा सम्बन्ध देश के मध्य भाग से है—भौगोलिक दृष्टि से जबलपुर भारत का केन्द्रीय स्थल है और सर्वेक्षण की दृष्टि से मेरा चुनाव क्षेत्र है, हमें अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा - हमें ओलावृष्टि, तीव्र शीत लहर झेलनी पड़ी तथा भारी मात्रा में हमारी फसलों का कृमियों द्वारा विनाश को सहन करना पड़ा।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 16 व्यक्ति काल कवलित हुए तथा 1647 पशु मारे गये और लगभग 6000 एकड़ भूमि पर फसलें नष्ट हो गईं। छः गांवों के कच्चे मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गये। मेरा कृषि मन्त्री से निवेदन है कि कृपया न केवल वहां पर शीघ्र अध्ययन दल भेजें अपितु उन्हें वित्तीय सहायता भी दें क्योंकि जो सहायता राज्य सरकार दे सकती थी वह दी जा चुकी है। परन्तु वित्तीय बाधाओं के कारण वह पूरी तरह अपर्याप्त रही है। आपके माध्यम से मैं सरकार से अपील करता हूं कि तत्काल सहायता दें तथा अध्ययन दल भेजें ताकि सुपात्र लोगों को वित्तीय सहायता मिल सके।

अन्त में, मैं एक बार फिर जोर देकर कहता हूं कि नये नेता तथा नये नेतृत्व का सबसे बड़ा योगदान यही है कि उसने देश की राष्ट्रीयता को फिर से बहाल कर दिया है।

एक माननीय सदस्य : श्रीमती गांधी के बाद ?

श्री अजय मुशरान : कृपया व्यवधान न डालें। मैंने कभी व्यवधान नहीं डाला। यह युक्ति-युक्त नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि हमें हिन्दू, सिख, ईसाई, पारसी के रूप में बात नहीं करनी चाहिए तथा हमें यह याद रखना चाहिए जो कुछ एक उर्दू कवि ने अपनी शायरी में कहा था :

[हिन्दी]

"जो खून गिरा सरहद पर
वह खून था हिन्दुस्तानी"

[अनुवाद]

यह सिख का खून नहीं था, जो कि भारतीय सीमा पर बहाया गया - यह हिन्दुस्तानी खून था।

[हिन्दी]

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सम्मानित सोमनाथ चटर्जी साहब और शाहबुद्दीन साहब के भाषणों को मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। शाहबुद्दीन साहब का भाषण सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि एक कलाकार ने अच्छी तस्वीर बनाकर सामने रखी और लोगों से कहा कि बताओ, इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उसने तो अपने दिल और मन से उस तस्वीर को बनाया था, वही बात उसने कहा कि अगर इसमें कोई डिफेक्ट हो तो बता दो। बहुत से लोग आए और निशान लगा दिए—किसी ने कहा कान टेढ़ा है, किसी ने कहा आंख खराब है, किसी ने कहा नाक ठीक नहीं है, किसी ने कहा होंठ खराब हैं और शाम आते-आते हालत यह हो गई कि लोगों ने उस तस्वीर को काला कर दिया। दूसरे दिन उसी कलाकार ने कहा कि भाई आप लोगों ने मिलकर तस्वीर को काला कर दिया, अब एक वैसी ही तस्वीर आप बना दो। तमाम लोग आए, कोई कहीं से कूंची लाया, कोई कहीं से पेंट लाया और तस्वीर बनाने लगे। उन्होंने काफी कोशिश की लेकिन उनसे एक भी तस्वीर बन नहीं सकी। यहां भी वही स्थिति है कि हमारे विरोधी दल कोई तस्वीर तो बना नहीं सकते हैं लेकिन तस्वीर को खराब करने में सक्षम जरूर हैं।

आज श्री राजीव गांधी भारत के प्रधान मन्त्री हैं। वे कोई नामिनेटेड प्रधान मन्त्री नहीं हैं। (**व्यवधान**) वे श्रीमती इन्दिरा गांधी के जमाने में ही इस सदन में चुनकर आ गए थे। इन्दिरा जी के बाद जब जनता से अपना नेता चुनने के लिए कहा गया तो 401 लोक सभा के सदस्य कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनकर आए और उस विशाल बहुमत ने श्री राजीव गांधी को अपना नेता चुन लिया। उस समय दुर्भाग्य से शाहबुद्दीन साहब भी हार गए थे और हमारे चटर्जी साहब भी हार गए थे लेकिन अब चुनाव में वे जीतकर आ गए हैं तो कौन मना कर रहा है ? दिसम्बर, 1984 में भी जनता का एक आदेश था और एक आदेश यह भी है। (**व्यवधान**)

सैयद शाहबुद्दीन : एक साल में ही तस्वीर बदल गई है।

श्री डी० पी० यादव : आप लोगों से हिन्दुस्तान की तस्वीर बन तो पाई नहीं, है और न कोई तस्वीर बनाई इसलिए आप तस्वीर को बिगाड़ने की कोशिश भी मत कीजिए।

यह जो आपने कहा कि पिछले एक साल में हमने कुछ नहीं किया तो यह कहना बड़ा आसान है। हमारी सिविलाईजेशन एक लाख, 500 हजार साल या 5 हजार साल की पुरानी है—मैं ऐंथ्रापालोजिकल हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता लेकिन यह कहना चाहता हूं कि इतिहास एक साल में नहीं बनता, उसमें बड़ा समय लगता है। इतिहास फिरकापरस्ती या उन्माद फैलाने से नहीं बना करता, इतिहास बनाने के लिए विचार चाहिए, संयम चाहिए, ज्ञान चाहिए, दूरदृष्टि चाहिए और पक्का इरादा चाहिए। श्री राजीव गांधी की सरकार में और राजीव जी में पक्का इरादा है, विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हम एक नया इतिहास बनाएंगे।

1977 में लोगों ने गुस्से में आकर आपको शासनारूढ़ कर दिया। आपको छठी प्लान बनानी थी लेकिन आप छठी प्लान का ड्राफ्ट फर्स्ट इयर में नहीं बना सके। कह दिया कि रोलिंग प्लान कर

दो। श्री मोरारजी देसाई उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने कह दिया कि प्लान को रोल कर दो और उसको रोल कर दिया गया। रोल करने के एक साल बाद क्या हुआ ? यह कहा गया कि इसको और रोल करो और दूसरे साल भी उसको रोल कर दिया और छठी प्लान का डाकूमेंट तक आप तैयार नहीं कर सके। आप इसको 1979-80 में तैयार नहीं कर सके। इसमें दोष किसका है। क्या यह दोष श्रीमती इन्दिरा गांधी का था या श्री राजीव गांधी का है या डी० पी० यादव का है। जी, नहीं। आपकी ढुलमुल नीति के कारण ऐसा हुआ है। आपमें तस्वीर बनाने की क्षमता नहीं है, आपमें तस्वीर बनाने की कला नहीं है। इसलिए आपने रोलिंग प्लान कर दी और आप कुछ नहीं कर सके। इस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। जब श्रीमती इन्दिरा गांधी फिर सत्ता में आईं, तो छः महीने के अन्दर प्लान डाकूमेंट तैयार हुआ और देश के सामने यह चीज आई कि हमारी प्रगति और विकास की रूपरेखा यह होगी। यह सही है कि बहुत जगह हमें सफलता मिली और कुछ जगह नहीं मिली और 1985-86 के दर्म्यान सातवीं फाइव इयर प्लान जिस प्रकार से प्रीपेयर की गई है, आप तो इण्डियन फोरेन सर्विस के एक्स आदमी हैं, कम से कम अपने कलेजे पर हाथ रखकर पूछिये कि प्लान डाकूमेंट में कौन सी खामी है, जिसको आप पसन्द नहीं करते हैं।

सैयद शाहबुद्दीन : पैसा नहीं है।

श्री डी० पी० यादव : पैसा नहीं है, तो इसमें दोष सत्ताधारी दल का ही नहीं है, विरोधी दलों का भी है।

श्री बालकवि बैरागी : आपने गलती से यह कह दिया कि कलेजे पर हाथ रख कर देखिये। इनके कलेजा ही नहीं है।

श्री डी० पी० यादव : किसी चीज को शेप देने की क्षमता इनमें नहीं है और उसके लिए दृढ़प्रतिज्ञा चाहिए और जिस सरकार में यह नहीं होगी, वह सरकार अच्छी नहीं है। इसीलिए जनता सरकार अच्छी नहीं थी और क्योंकि हमारी सरकार में दृढ़ प्रतिज्ञा है और यह पक्का इरादा रखने वाली सरकार है, इसलिए यह अच्छी सरकार है।

अब जहां तक एक साल का सवाल है, एक साल में कोई हाइडिल पावर स्टेशन, सुपर पावर प्रोजेक्ट या इरीगेशन का प्रोजेक्ट बनने वाला नहीं है।

सैयद शाहबुद्दीन : मंडल कमीशन की रिपोर्ट तो आ सकती है।

श्री डी० पी० यादव : मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी आ रही है। मैं आपसे सहमत हूं कि सरकार में कुछ खामी हो सकती है लेकिन यह मतलब कभी नहीं होता है कि पूरे देश में एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया जाए कि कोई सरकार है ही नहीं। आप सरकार बनाने में सक्षम नहीं हैं। तो यह जो डेस्पोडेंसी और डिफीटिस्ट टेन्डेंसी इंजेक्शन इस देश में लगाया जा रहा है। सवा साल के बाद छोटी-छोटी बातों को लेकर, इससे कम से कम आपको बचना चाहिए और मुझे भी बचना चाहिए और भगवान के लिए, अल्लाह के लिए आप इससे बचिए।

[श्री डी० पी० यादव]

शिक्षा के ऊपर थोड़ा सा अध्ययन मेरा भी है और मैंने शिक्षा मन्त्रालय में छः साल बैठकर देखा है। आज शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की बात कही जा रही है। आप याद रखिये कि 1974 में आपने कहा था कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करो और दीवारों पर बड़े-बड़े लफ्जों में लिखा गया था कि शिक्षा में बदलाव लाओ। 1977 में आप बदलाव नहीं ला सके, 1978 में नहीं ला सके और 1979 में नहीं ला सके। तीन साल में आप नहीं ला सके, तो पांच साल में हम भी नहीं ला सके। आप अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं हैं। शिक्षा का जहां तक सवाल है, मैं एक चीज जरूर आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। इस देश में सारे लोगों को इस बात को समझाइये कि 1950 में शिक्षा के क्षेत्र में हम कहां थे और अब 1986 में कहां हैं। हमारी क्या खामियां हैं। अगर बिहार की शिक्षा खराब है, तो 1980 से लेकर 1986 तक सी० पी० एम० की सरकार पश्चिम बंगाल में है। वहां की शिक्षा की हालत बहुत अच्छी नहीं है। वहां पर स्ट्राइक्स हो रहे हैं और प्राइमरी स्कूलों की हालत ज्यादा खराब है बनिस्पत बिहार के, मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के।··· (व्यवधान) ·· मैं बंगाल से ग्रेजुएट हूं और बंगाल से मेरा लगाव है। मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूं। इस देश में जब कभी गणना का सवाल उठता है, तो मैं आपको बताऊं कि आप 1950-51 की फीगर्स देखें। उस समय प्राइमरी स्कूलों की संख्या 2 लाख 96 हजार थी और अब प्राइमरी स्कूलों की संख्या 5 लाख 50 हजार है। उस समय मिडिल स्कूलों की संख्या 13,596 थी और आज वह संख्या बढ़कर 1 लाख 40 हजार हो गई है। हायर सेकेण्डरी स्कूल 7,288 थे वे आज 60 हजार हैं। आर्ट्स, कामर्स और साइंस कालेज 548 थे, वे अब 3,500 हैं। टेक्निकल कालेज 147 थे, वे अब 1,500 हैं। यूनिवर्सिटियों की संख्यां 28 थी, आज उनकी संख्या 135 है। यह क्या शिक्षा के क्षेत्र में हमने कम तरक्की की है?

दादा सोमनाथ जी चटर्जी चले गये, मैं उनको बताना चाहता था लेकिन रिकार्ड के लिए कह दूं कि इस देश में एनरोलमेंट आफ स्टूडेंट्स 13 करोड़ 20 लाख के आसपास हैं।

इस देश के बारे में कहा जाता है कि यहां इल्लीट्रेटों की संख्या बहुत है। जहां इस देश में इल्लीट्रेटों की संख्या बहुत है वहां इस देश में लिट्रेटों की संख्या भी विश्व में सबसे ज्यादा है। हमारे देश की आबादी 78 करोड़ के आस-पास है जबकि इस देश में लिट्रेटों की संख्या 36 करोड़ के आस-पास है। हम कैसे इस बात को मान लें कि हमारे यहां इल्लीट्रेट बहुत हैं। आप इस बात को नहीं कहते, आप इस बात का प्रचार नहीं करते कि हमारे देश में लिट्रेट भी बहुत हैं। आप लोगों को डिमोरेलाईज करने के लिए यह सब नहीं कहते कि आज हमारे देश में 13 करोड़ 20 लाख बच्चे शिक्षा पा रहे हैं।

सैयद शाहबुद्दीन : आप यह क्यों नहीं देखते कि हमारे यहां उस वक्त क्या आबादी थी, आज कितनी अनपढ़ों की आबादी है?

श्री डी० पी० यादव : आबादी की बात को ले लीजिए। उस वक्त हमारे देश में 2 करोड़ 40 लाख बच्चे थे जो शिक्षा पा रहे थे। उस वक्त की आबादी के हिसाब से अब 4 करोड़ 80 लाख

बच्चे होने चाहिए थे लेकिन आज शिक्षा पाने वाले बच्चों की संख्या 13 करोड़ 20 लाख है। क्या यह प्रगति नहीं है ? अगर यह प्रगति नहीं है तो फिर प्रगति क्या होती है ?

आप कहते हैं कि शिक्षा में आवंटन की बहुत कमी है। मैं कहता हूं कि आवंटन की कमी नहीं हैं। आप इस चीज को आंखों से नहीं देखना चाहते हैं या देख नहीं सकते हैं। आप शिक्षा में आवंटन को देखिए। सन् 1950-51 में हम शिक्षा पर मात्र 114 करोड़ रुपये खर्च करते थे आज शिक्षा पर 6 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। जब हम इतना रुपया सालाना शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं तो आप कैसे आवंटन की कमी कहते हैं। हम अपनी राष्ट्रीय आय में से इतना पैसा शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। अब अगर शिक्षा के लिए पैसा बढ़ाने की बात की जाए तो हमें बिजली में कटौती करनी पड़ेगी या अपने हेल्थ प्रोग्राम में से कटौती करनी पड़ेगी। आखिर जो हमारी योजना बनती है वह सब मैथेमेटिकल केलकुलेशन करके ही बनती है। योजना आयोग यह सब करके ही योजना बनाता है।

भारत सरकार की योजना आयोग की सलाहकार समिति है। उसमें विरोधी दल के मुश्किल से एक या दो सदस्य आते होंगे। दुर्भाग्य यह है कि योजना आयोग की सलाहकार समिति में विरोधी दल के लोग बैठेंगे नहीं, फिर चाहेंगे कि शिक्षा पर ज्यादा आवंटन हो तो यह सब कैसे होगा। कैसे बढ़िया योजना बनेगी, कैसे हम अधिक आवंटन की उम्मीद कर सकते हैं।

शिक्षा के बारे में मैं आपको बताऊं। शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक होता है। सन् 1950-51 में मुश्किल से 4 लाख शिक्षक थे आज 38 लाख शिक्षक हैं। आज इस देश में 13 करोड़ 20 लाख विद्यार्थी, 6 हजार करोड़ रुपये का सालाना खर्च, 5 लाख 50 हजार प्राइमरी स्कूल क्या यह हमारी कम उपलब्धि है ?

यह है हमारी उपलब्धि। फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ खामियां हैं जिनको कि पाटना होगा। वे कैसे पाटी जाएं, इसके लिए आपको और हमको बैठकर विचार करना होगा कि वे कैसे पाटी जाएं। केवल यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि सरकार नालायक है, या शिक्षा मन्त्रालय नालायक है।

जहां तक शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की बात है उसके लिए हम सबको बैठकर सोचना होगा और मेरे जैसे देहाती व्यक्ति को भी अपने साथ बिठाकर सोचना होगा। शिक्षा को यहां की जन-भावनाओं से जोड़ना होगा। इसके लिए शिक्षा मन्त्रालय में एक गहन अध्ययन किया जा रहा है। हम सब लोग उस अध्ययन में पार्टनर होंगे। हम सबको उसमें हिस्सा लेना चाहिए। मैं आपको इन्वाईट करता हूं कि आप उसमें हिस्सा लें। योजना आयोग में भी उस पर डिबेट चल रही है।

सारे देश में पहली बार एक स्टेटस रिपोर्ट तैयार की गई है और लोगों को दी गई है। उस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ें नहीं, उसे पढ़ने में आलस्य करें और फिर कहें कि सरकार सब कुछ करे तो यह नहीं हो सकता है। सरकार साधन जुटा सकती है, साधन का इन्जेक्शन आपके दिमाग में नहीं दे सकती है। वह हमको और आपको करना होगा। ठीक है, लिमिटेड साधन हैं, लेकिन राज्यों को हम क्या मदद दे रहे हैं इसका डाकूमेंट हमारे पास है। मैं एक उदाहरण देकर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सिक्स्थ प्लान में आई० आर० डी० पी० जो स्कीम है उसका टारगेट बनाया गया 1500

[श्री डी० पी० यादव]

रुपये का, 1980-85 के लिए, भारत सरकार का इरादा अगर खराब होता कि राज्य सरकार को पैसा हम नहीं देना चाहते तो सिर्फ टारगेट बनाकर छोड़ दिया जाता, पैसा कम दिया जाता, लेकिन दिया कितना 1766.81 करोड़। इसका मतलब है कि कोताही या खामी या कोई कंजूसी उसमें नहीं की गई। जब गरीबों का चेहरा दिखाई देता है तो फिर ज्यादा नहीं सोचा जाता, जहां 1,500 करोड़ रु० टारगेट में रखा गया था वहां 1,766 करोड़ रुपया दिया गया और 1,766 करोड़ रुपया देने के बाद मैं आपको बताऊं, यह उम्मीद थी कि राज्य सरकारें पूरा खर्च करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मामले में बिहार भी बदनाम है और बंगाल के बारे में ममता जी बता देंगी। बंगाल सहित जो हमने 1,766 करोड़ रुपया दिल्ली से राज्यों को भेजा उसमें से 1,661 करोड़ ही खर्च हुआ। जो साधन जुटाए गए उनको तो खर्च करने की क्षमता आपकी नहीं है, और साधनों के सम्बन्ध में बात कर रहे हैं कि साधनों की कमी के कारण आई० आर० डी० पी० का काम ठीक से नहीं चल रहा है। यह तोहमत आप केन्द्र सरकार पर मत लगाइये, यह डाकूमेंट देखिए।

सैयद शाहबुद्दीन : वहां भी तो आप ही बैठे हैं ?

श्री डी० पी० यादव : यह डाकूमेंट आपके पास है, देखिए।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : आपका फंक्शन केन्द्र में और राज्य में बराबर है।

श्री डी० पी० यादव : जी नहीं, आप यहां पर 1980 से राज कर रहे हैं, तो राज्य सरकार ज्यादा खराब है बनिस्पत दूसरे के। **(व्यवधान)**

इसमें राष्ट्रपति जी ने कुछ तथ्यों की ओर इशारा किया है, मैं उनको बार-बार दोहराना नहीं चाहूंगा, लिखा हुआ डाकूमेंट है। इसमें राष्ट्रीय एकता की बात की गई है। राष्ट्रीय एकता की ठेकेदारी केवल सत्ताधारी दल नहीं ले सकता है, राष्ट्रीय एकता की ठेकेदारी में आपको भी बराबर साथ देना पड़ेगा। इसके बगैर राष्ट्रीय एकता कैसे बनी रहेगी। केवल बातों से नहीं, ईमान से साथ देना होगा।

कुछ नीतियां निर्धारित की गई हैं। शिक्षा के सम्बन्ध में मैंने आपसे बात की। एक नीति है "राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड" की स्थापना। जिस लैण्ड मास में 324 मिलियन हैक्टेयर में से 124 मिलियन हैक्टेयर जमीन बंजर हो, अगर उसके लिए हम नई नीति, मजबूत नीति निर्धारित करें और इसके लिए राष्ट्रपति जी ने आदेश दिया है तो कौन-सा गुनाह किया है। राष्ट्रपति जी ने ठीक ही कहा है। लैण्ड मास का एक तिहाई भाग बंजर है और उस बंजर भूमि में कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे उसका विकास करें, इस ओर कार्य करना आवश्यक है। श्री शाहबुद्दीन साहब ने कहा कि हम एकदम गरीब हो गए हैं, कुछ नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। सुनिये, आपने कहा है कि बच्चों को खाना नहीं मिलता है, यहां से खाना विदेशों को जाता है। 1950 ईस्वी के आसपास 1948-49 या 50 में जहां मुश्किल से 45 मिलियन टन गल्ले का उत्पादन होता था वहीं आज 156-157 मिलियन टन गल्ले की पैदावार आपके सामने है या नहीं ?

सैयद शाहबुद्दीन : फिर भी लोग भूखे हैं, क्योंकि गल्ला सड़ रहा है।

श्री डी० पी० यादव : मन भूखा रहेगा, दिल में भूख रहेगी, विश्वास भूखा रहेगा तो आपकी भूख भी रहेगी।

योजना में परिवर्तन लाया गया 5 साल की योजना जो बनी है इसके लिए जो प्रास्पेक्टिव बना है वह 15 साल का प्रास्पेक्टिव बना है। 15 साल के प्रास्पेक्टिव को 5 साल में एडजस्ट किया गया है जिससे कोरिलेशनशिप में आसानी हो। मैं दो-तीन मिनट उपाध्यक्ष महोदय और लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं इसलिए इस बारे में अवश्य कुछ कहना चाहता हूं, कुछ लेबोरेटरीज में आता-जाता रहा हूं। मन प्रसन्न हो जाता है जब मैं देखता हूं कि भारत का विज्ञान अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि भारत का विज्ञान और भारत की टेक्नालाजी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। आज परमाणु क्षेत्र में भारत ने इस बात को दिखा दिया है कि हम अपने पैरों पर खड़े हैं। हमारा डिजाइन होगा, हमारा अपना कन्सट्रक्शन होगा और जेनरेशन अपनी होगी।

पोखरन के परीक्षण ने और सी० वी० रमन द्वारा और मेघनाथ साहा द्वारा स्थापित की गई इंस्टीट्यूट आफ न्युक्लियर फिजीकल, इंडियन एसोसिएशन फार दी कल्टीवेशन आफ साइन्स तथा बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट में से निकले हुए 35 से 45 साल के युवा वैज्ञानिकों ने परमाणु शक्ति का उत्पादन करके यह बता दिया है कि भारत विश्व में पांचवें या छठे स्थान पर है। क्या यह गौरव की बात नहीं है। चालकविहीन टारगेट एयरक्राफ्ट का निर्माण भी हो रहा है।·· **(व्यवधान)**

सैयद शाहबुद्दीन : कितने सालों की दास्तान सुना रहे हैं।

श्री डी० पी० यादव : देश को विश्वास चाहिए··· **(व्यवधान)**

सैयद शाहबुद्दीन : क्या एक साल में हुआ है।

श्री डी० पी० यादव : जब सन् ·7 से 80 तक नहीं हुआ तो एक साल में भी नहीं होगा। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जानना चाहूंगा। इतना ही कहूंगा कि देश में जो फिसीपेरस टैन्डेन्सीज बढ़ रही हैं या जो रीजनलिज्म या सब-नेशनलिज्म इस देश में उभर रहा है उस पर सख्ती से कार्यवाही करने की आवश्यकता है, उन सबको मिल-जुलकर दबाने की आवश्यकता है। अपने क्षेत्र की बात इस समय नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि क्षेत्र वाले कहेंगे कि देश की बात के साथ क्षेत्र की बात भी होनी चाहिए। शाहबुद्दीन साहब से निवेदन करूंगा कि इस बात पर वोट दीजिए कि बिहार जैसे जियो-फिजीकल बैकवर्ड इसको कहता हूं, उत्तर बिहार में लेटरल रोड प्रोजेक्ट को डवलप करने के लिए सेन्ट्रल सैक्टर की स्कीम फारबिसगंज से दरभंगा तक बननी चाहिए। मोकामा से लेकर फरक्का तक 275 किलोमीटर गंगा की लम्बाई है, वहां पर एक भी पुल नहीं है। भारत सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि गंगा में मुंगेर, सुलतानगंज, भागलपुर में जहां कहीं फिजीबिलिटी रिपोर्ट

[श्री डी० पी० यादव]

हो, यह पुल हमको बिहार की प्रगति के लिए मिलना चाहिए। जमालपुर में 120 साल पुराना रेल का कारखाना है। उसकी प्रगति के लिए अधिक से अधिक साधन मिलने चाहिए। कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन पिछड़े हुए इलाके में भारत सरकार ने दिया, उसको त्वरित गति से लगाने की आवश्यकता है। जहां तक मण्डल कमीशन की रिपोर्ट और एस० सी० एस० टी० के हितों का सवाल है और उनकी रिपोर्ट का सवाल है, मैं भी उसके समर्थन में हूं। उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, रिपोर्ट भी जल्दी लागू होनी चाहिए। जल्दी से जल्दी नेशनल कंसेन्सस हो और सारे दल के लोग बैठकर विचार करें। इन शब्दों के साथ राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य केवल अपने क्षेत्र की ही परियोजना की बात कर रहा है। वे देश के अन्य भागों को भूल रहे हैं। राष्ट्रीय एकता की क्या स्थिति है ?

श्री डी० पी० यादव : नहीं मह्रोदय, ऐसी बात नहीं है मैंने पूरे देश से सम्बन्धित सभी मामले उठाए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुलनदईवेलू।

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोविचेट्टिपालयम) : मैं तथा सभा के अन्य सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा आठवीं लोक सभा में दूसरा अभिभाषण देने के लिए उनके आभारी हैं। मैं समझता हूं कि पहले तथा दूसरे व र्ष में काफी अन्तर है। पहले वर्ष के अभिभाषण की गुणवत्ता थी तथा अंग्रेजी में केवल आठ पृष्ठ थे और मुख पृष्ठ का रंग बहुत गहरा था। इस वर्ष के अभिभाषण में पृष्ठों की संख्या अधिक है। इसमें 12 पृष्ठ हैं। रंग भी अब फीका पड़ गया है।

इसका आकार तो बढ़ गया है, परन्तु गुणवत्ता नहीं। यही मुख्य बात है। 1985 और 1986 में अन्तर यह है कि, 1985 में उन्होंने दस नियमों को लिया था, 1986 में केवल पांच ही रह गए हैं। इस प्रकार नियमों की संख्या भी 10 से घटा कर 5 कर दी गई हैं। मैं राष्ट्रपति से यह तो उम्मीद नहीं करता कि वह इन परियोजनाओं का विश्वकोष पेश करें। परन्तु राष्ट्रपति को बजट से पूर्व प्रथम सूचना प्रतिवेदन तो पेश करना चाहिए था। मैं देखता हूं कि अभिभाषण में किसी भी नई योजना का उल्लेख नहीं है – सभी योजनाएं वही है जो श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय में थीं, अर्थात 20 सूत्रीय कार्यक्रम, आर०एल० ई० जी० पी०, एन०आर०ई०पी०। तथा आई० आर०डी०पी०। ये सभी कार्यक्रम 4 या 5 वर्ष पूर्व भली प्रकार शुरू हो चुके थे। जनता सरकार के समय भी ये थे। इस अभिभाषण में कोई कार्यक्रम जोड़ा नहीं गया। मैं इस सभा में निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी, आम बजट आने से पूर्व उन्हें कुछ नई योजनाओं की व्याख्या करनी चाहिये। नदियों के राष्ट्रीयकरण तथा अन्तर-राज्यीय जल विवादों का उल्लेख नहीं किया गया। कई दशकों से अन्तर-

राज्यीय जल समस्याएं विद्यमान हैं। हमारे प्रधान मन्त्री के सत्ता में आते ही समस्याएं समाप्त हो जानी चाहिए थीं। परन्तु समस्याएं उसी रूप में बनी रही। यहां तक कि गंगा के कावेरी और गोदावरी सम्पर्क योजना का भी अभिभाषण में उल्लेख नहीं हुआ। गरीबी दूर करने की किसी योजना का भी उल्लेख नहीं हुआ है। अभिभाषण में पहले वाले कार्यक्रमों को ही दोहरा दिया गया है। गरीबी उन्मूलन के लिए कोई नई योजना शुरू नहीं की गई। किसानों को उनकी उपज के आश्वासित मूल्य का उल्लेख नहीं हुआ।

महोदय, मेरा निवेदन है कि अभी भी प्रधान मन्त्री महोदय ने नये मन्त्रियों का परिचय कराया हैं। उन्होंने इतना ही किया है। मैं कह सकता हूं कि नये मन्त्रियों में कई आम निर्वाचन में पराजित हुए थे तथा उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से लाया गया है। मैं पं० जवाहर लाल नेहरू के उस समय के कथन को, जबकि वे सत्ता में थे, उद्धृत करना चाहता हूं :

"मैं व्यक्तियों को पीछे के दरवाजे से सत्ता के गलिहारे में नहीं लाना चाहता हूं, जबकि उनका प्रवेश मुख्य द्वार से रोक दिया गया है।"

वास्तव में हमारे प्रधान मन्त्री महोदय अपने नाना के पद्चिह्नों पर चलना चाहते हैं। वह अपनी माता के पदचिह्नों पर चलना चाहते हैं। परन्तु वास्तव में व; लोगों को पीछे के दरवाजे से सत्ता में लाये हैं। इस तरह की बातों को समाप्त किया जाना चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि हमें युवा प्रतिभाशाली तथा प्रगतिशील प्रधान मन्त्री प्राप्त हुआ है ? लोग चाहते हैं कि इस युग में, इस समय कुछ नई योजनाएं शुरू की जानी चाहिए। परन्तु नई योजनाओं का कोई उल्लेख नहीं हुआ है।

मेरा सुझाव है कि यदि पार्टी का नैतिक सूत्र खो जाता है तो सभी कुछ समाप्त हो जाता है। कोई भी पनप नहीं सकेगा। लोकतन्त्र में विधि की उपेक्षा वैधता का अधिक महत्व है। अब किसी पार्टी के बने रहने हेतु वैधता होनी ही चाहिए। मैं पिछले एक वर्ष के दौरान केन्द्रीय वित्त मंत्री के प्रयासों की प्रशंसा करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा बजट पेश किया था। सभी ने उसकी प्रशंसा की थी। परन्तु केन्द्रीय वित्त मन्त्री को ऐसा क्या हो गया कि आम बजट के सभा के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व ही उन्होंने प्रशासनिक कीमतों में वृद्धि कर दी। उन्हें इन बढ़ी हुई कीमतों से 2000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। वित्त मन्त्री महोदय छापों का आयोजन कर रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं। मैं इसकी प्रशंसा एवं सराहना करता हूं।

वकीलों और डाक्टरों जैसे छोटे-मोटे लोगों के घरों पर जो छापे मारे गये, मैं उनकी निन्दा करता हूं। आप बड़े करोड़पतियों के घरों पर छापे मार सकते हैं, आप बजाज और अन्य लोगों पर छापे मार सकते हैं। लेकिन क्या कारण है कि आपने इन डाक्टरों और छोटे वकीलों के घरों पर छापे मारे ? आपने लगभग सभी के घरों पर छापे मारे हैं। मान लीजिए, यदि इसी तरह छापे डाले जाते रहे, तो इस सरकार पर से लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा। मुझे इतना ही कहना है।

वित्त मन्त्री का नियन्त्रण देश के केवल 50% धन पर ही है। शेष 50% धन काला धन है। उस 50% धन पर किसी का नियन्त्रण नहीं है। वास्तव में, काला बाजारियों की भी समानांतर

[श्री पी० कुलनवईवेलू]

सरकार है। आप इस पर कैसे नियंत्रण करने जा रहे हैं? वित्त मन्त्री जी को इन सब बातों के लिए कोई अन्य समाधान खोजना होगा।

मैंने देखा है कि आजकल खुशामदी लोगों की संख्या बढ़ रही है। मान लीजिए कोई दल सत्ता में है। यदि उनकी खुशामद की जाती है, और उनके खुशामदी लोगों की संख्या बढ़ जाती है, तो इसका अर्थ है कि सत्तारूढ़ दल का अस्तित्व बना रहने की संभावनाएं ही नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधान मन्त्री खुशामद और खुशामद करने वालों पर रोक लगाएं।

मैं आपको एक बुद्धिमानी की बात बताना चाहता हूं। हमें पता होना चाहिये कि मन्च पर सभा में और दूसरों के साथ कैसे बोलना चाहिए। मैंने एक बात पर ध्यान दिया है। हमारे माननीय सदस्य, श्री अमिताभ बच्चन ने 'इम्प्रिंट' पत्रिका में एक साक्षात्कार दिया है। उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए जो कुछ कहा, उसे मैं उद्धृत करता हूं :—

"वह कार चलाते हैं, वह जानते हैं कि विमान कैसे उड़ाया जाता है, और मोटर साइकिल कैसे चलाते हैं। कितने प्रधानमन्त्री ऐसा कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि कार चलाना व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्पष्ट द्योतक है।"

इसका क्या अभिप्राय है? यहां कई टैक्सी ड्राइवर हैं। क्या सभी टैक्सी ड्राइवर प्रधानमन्त्री बन सकते हैं? क्या इसका यही अर्थ है? श्री अमिताभ बच्चन का कहना है "कार चलाना·· का द्योतक है।" हमारे अधिकांश सदस्य, करीब 75% सदस्यों को गाड़ी चलानी आती है। क्या इसका अभिप्राय यह है कि सभी प्रधानमन्त्री बन सकते हैं?

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : इससे व्यक्तित्व में निखार आता है।

श्री पी० कुलनवईवेलू : श्री बच्चन ने यह कहा था। सदस्यों का यह रवैया था (**व्यवधान**) क्या टैक्सी कार नहीं है?

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : जनता का समर्थन मिले तो हर नागरिक प्रधानमन्त्री बन सकता है।

श्री पी० कुलनवईवेलू : इस सम्बन्ध में 'वाशिंगटन पोस्ट' में श्री फिलिप जेयलिन द्वारा कही बात का जिक्र करना चाहता हूं : —

"प्रशासन के स्वरूप का अनुमान उसके द्वारा कार्यवाही करने के लिए की गई पहल से लगाया जाना चाहिये न कि जनता के दबाव के अन्तर्गत की गई कार्यवाही से।

उन्होंने बताया है कि प्रशासक का चरित्र कैसा होना चाहिए। उन्होंने इस बारे में बताया है।

अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रधानमन्त्री को समय की परख होनी चाहिए। मानदण्ड यह है। यहां तक कि भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति 'श्री संजीव रेड्डी' ने हमारे प्रधानमन्त्री के संबंध में एक लेख लिखा है। मैं उनकी बात उद्धृत करता हूं :

"प्रधान मंत्री और कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष के रूप में श्री राजीव गांधी की कथनी और करनी में बढ़ते अन्तर पर गम्भीर चिंता।

श्री राजीव गांधी द्वारा हाल ही अपनाया गया कार्य करने का ढंग क्षुब्ध करने वाला था।"

उन्होंने ऐसा कहा है। यही व्यक्ति पांच साल तक यहां राष्ट्रपति रहे हैं। हमारे राष्ट्रपति जब हैदराबाद गए थे तो वह भी श्री संजीव रेड्डी को देखने गए थे···**···

उपाध्यक्ष महोदय : उसका जिक्र यहां कैसे किया जा सकता है ?

श्री पी० कुलनवईवेलू : यह समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह सकते हैं कि वह वहां गए थे। हो सकता है वह वहां शिष्टाचार के नाते गए हों। लेकिन आपने जो कुछ कहा वह आप नहीं कह सकते··· **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : यह अंतर बढ़ रहा है। हम क्या कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं जानता हूं।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : वह भारत के राष्ट्रपति को इस विवाद में घसीटना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री पी० कुलनवईवेलू : यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है।

श्री ए० चार्ल्स : वह ठीक है। लेकिन इस सन्दर्भ में, हमें भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री संजीव रेड्डी को नहीं लाना चाहिए।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें आराम करने दीजिए।

श्री पी० कुलनवईवेलू : ठीक है आप चाहते हैं कि वह आराम करें। लेकिन उन्होंने समाचार-पत्रों में यह बात कही है। उन्होंने यह भी कहा कि श्री राजीव गांधी राजनैतिक नीतियों का पालन नहीं कर रहे हैं वह अब उपदेश दे रहे हैं।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री ए० चार्ल्स : क्या यह सभ्यता है ?

श्री पी० कुलनदईवेलू : वह बात ठीक है। मैंने भी यही कहा कि समाचार पत्रों में ऐसा प्रकाशित हो रहा है मैं श्री संजीव रेड्डी के ही शब्दों को उद्धृत कर रहा हूं।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं पर यह भी एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से आप उन पर आक्षेप लगा रहे हैं और इसलिए इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनमति नहीं दी जा सकती।

श्री पी० कुलनदईवेलू : क्यों नहीं ? जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तो वह राष्ट्रपति थे।

(व्यवधान)

श्री राम सिंह यादव : भूतपूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख यहां नहीं किया जा सकता।

श्री ए० चार्ल्स : उनमें इतनी शालीनता होनी चाहिए कि वह उनका जिक्र यहां न करें।

(व्यवधान)

श्री राम सिंह यादव : आपको इस संबंध में प्रक्रिया संबंधी नियम देखने चाहिए।

श्री ए० चार्ल्स : उनमें इतना शिष्टाचार नहीं है।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : आप अपनी बात कीजिए। प्रधानमन्त्री जो कुछ कह रहे हैं, आप उसका भली-भांति विवेचन कर सकते हैं। आप भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री संजीव रेड्डी द्वारा दिए गए अभिभाषण का जिक्र क्यों कर रहे हैं ? इस सभा का वरिष्ठ सदस्य होने के नाते, आपको अपना निर्णय देना चाहिए।

श्री ए० चार्ल्स : उन्हें उनका जिक्र नहीं करना चाहिए था। वह शिष्टाचार नहीं जानते हैं, कम से कम उनमें शिष्टाचार होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : कुलनदईवेलू साहब, दो राष्ट्रपतियों के भाषण पर बहस मत कीजिए, एक पर कीजिए।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलू : यह बहुत हैरानी की बात है कि श्रीलंका समस्या के संबंध में भी, जो कि नाजुक समस्या है और हम सब जानते हैं··· (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : आप यह बात दोहरा क्यों रहे हैं ?

श्री पी० कुलनवईवेलू : आप क्या कर रहे हैं ? पिछले साल राष्ट्रपति के अभिभाषण में श्रीलंका समस्या को महत्व दिया गया था। पृष्ठ 6, पैरा 28 में उन्होंने कहा है :

"श्रीलंका में जातीय हिंसा से हमें बहुत चिंता है। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि ताकत के जोर पर कोई हल नहीं निकाला जा सकता। एक राजनीतिक प्रक्रिया ही न्यायोचित समाधान निकाल सकती है जिसमें सभी संबंधित पक्ष शामिल हैं। श्रीलंका में ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए जिससे भारी संख्या में भारत में आए शरणार्थी वापस जा सकें।"

1986 के राष्ट्रपति के अभिभाषण, पैरा 38 में श्रीलंका के बारे में केवल दो पंक्तियां कही गई हैं। पृष्ठ 8 पर उन्होंने कहा है :

"परन्तु हम श्रीलंका में जातीय समस्या से उत्पन्न स्थिति और पाकिस्तान द्वारा परमाणु हथियारों की क्षमता हासिल करने की लगातार कोशिशों से चिंतित हैं।"

शरणार्थियों के सम्बन्ध में आपने कोई जिक्र नहीं किया है यहां तक कि वहां विद्यमान जातीय समस्या का भी आपने कोई जिक्र नहीं किया है, वहां हो रहे सामूहिक नरसंहार का आपने कोई जिक्र नहीं किया है। अतः राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह रुख अपनाया गया है।

मैं माननीय प्रधानमन्त्री और सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को यह सुझाव देना चाहता हूं कि आपको ठोस प्रस्ताव रखने चाहिए और ठोस योजनाएं बनानी चाहिए। नैतिकता के नारों के बल पर कोई दल बना नहीं रह सकता। लोगों पर नारों का कोई असर नहीं होगा। उन्हें कुछ ठोस योजनाएं चाहिए और सरकार को ठोस योजनाएं लोगों के समक्ष रखनी होंगी।

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने विपक्षी दलों के कुछ सदस्यों के बहुत ही वाक्पटु सदस्यों विशेष रूप से श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री सैफुद्दीन चौधरी के जोरदार भाषण बहुत ध्यान से सुने हैं।

महोदय, मैं श्री फलीरो द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

किन्तु अब जो त्रासदी का नाटक खेला जा रहा है उसे मैं शांतिपूर्वक देखता रहा हूं लेकिन अब वितृष्णा हो रही है बल्कि लोगों के प्रति जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, और अपने राज्य के प्रति और अपनी जन्मभूमि के प्रति मेरी जिम्मेदारी कह सकते हैं। मुझे एहसास हुआ है कि मैं कुछ कहूं और इस प्रतिष्ठित सभा के समक्ष कुछ ऐसे विचार रखूं, जिन्हें मुझे बहुत पहले बताना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण के आरम्भ में ही पंजाब समझौते का जिक्र किया गया है। पंजाब जल रहा था। वहां वर्षों से जीवन अस्त-व्यस्त रहा और मामला यहां तक पहुंच गया कि पंजाब में सेना भेजनी पड़ी। तथापि वहां ठीक समय आया, और स्वर्गीय संत लोंगोवाल और हमारे

[श्री चिरंजी लाल शर्मा]

सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के बीच एक समझौता हुआ है।

उस समझौते के अनुसरण में, वहां राष्ट्रपति शासन समाप्त किया गया और लोकप्रिय सरकार का निर्वाचन हुआ। कांग्रेस हार गई और अकाली जीत गए। तथापि, वहां का वातावरण अच्छा हुआ, हमें खुशी है क्योंकि अकालियों को भी एक अवसर मिला है कि वे सिद्ध कर सकते हैं कि वास्तव में वे क्या चाहते हैं और उनकी मंशा क्या है। श्री बरनाला ने सरकार बनाई। यह समझौता क्या था ?

लोंगोवाल गांधी समझौते में यह प्रावधान है कि 26 जनवरी को चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा और उसके बदले में पंजाब राज्य के कुछ हिन्दी भाषी गांवों को हरियाणा में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सतलुज-यमुना लिंक नहर 15 अगस्त, 1986 तक पंजाब द्वारा पूरी कर दी जाएगी। ये दो प्रावधान किए गए थे चंडीगढ़ के स्थानांतरण के बारे में केन्द्र सरकार ने मैथ्यू आयोग का गठन किया। मैथ्यू आयोग ने दोनों दलों की बातें सुनी और दोनों दलों को यह अवसर दिया गया कि वे अपने दावों को सिद्ध करने के लिए प्रमाण दें। वास्तव में हुआ यह कि शाह आयोग का गठन किया गया। न्यायमूर्ति शाह जी सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे। उन्हीं न्यायाधीश को शाह आयोग में जनता सरकार ने श्रीमती गांधी के विरुद्ध खड़ा किया था। शाह कमीशन ने यह निर्णय दिया कि पूरा खरड़, अम्बाला जिले की तीन तहसीलें हरियाणा को मिलेंगी। इसमें चंडीगढ़, खरड़ और रोपड़ आदि शामिल थे। हरियाणा 1 नवम्बर, 1966 को बनाया गया था। जब यह निर्णय दिया गया था तो लोगों ने शोर मचाया कि चंडीगढ़ हरियाणा को मिले। पंजाब में बहुत अशांति थी।

स्वर्गीय संत फतह सिंह ने यह धमकी दी थी कि यदि चंडीगढ़ पंजाब को नहीं दिया गया तो वह दरबार साहिब की छत पर अपने आपको उबलते तेल में जलाकर खत्म कर देंगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उनके बुढ़ापे पर दया आ गई और उन्होंने शाह आयोग द्वारा दिए गए निर्णय में संशोधन किया। संशोधन यह किया गया कि चंडीगढ़ के आसपास के 7 गांवों को छोड़कर चंडीगढ़ पंजाब को मिलेगा। और उसके बदले अबोहर और फाजिल्का तहसीलों के 107 गांव हरियाणा को मिलेंगे। यह निर्णय 1970 में लिया गया। 1971 में केन्द्र में कांग्रेस सरकार सत्ता में आई। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनी और उसके अध्यक्ष थे श्री बंसी लाल। पंजाब में भी हमारे राष्ट्रपति जी ज्ञानी जैल सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी। उस संशोधित निर्णय को किन्हीं कारणों से लागू नहीं किया गया था हरियाणा को इसकी जानकारी नहीं थी और चंडीगढ़ हरियाणा तथा पंजाब दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनी रही। 1977 में पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस की हार हो गई। जनता सरकार सत्ता में आई। वर्तमान मुख्य मन्त्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला, जो आज पंजाब का मार्गदर्शन कर रहे हैं उस समय केन्द्र सरकार में अकालियों का प्रतिनिधित्व किया, अकाली दल के श्री धन्ना सिंह गुलशन भी केन्द्र में मंत्री थे और अकालियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

इसके बाद श्री प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में अकाली सरकार बनी। 1977, 1978, 1979 में किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा। पंजाब का प्रत्येक व्यक्ति चुप रहा और किसी ने भी यह

नहीं कहा कि चंडीगढ़ पंजाब को स्थानांतरण कर दिया जाना चाहिए। जब इस विषय में प्रश्न किया गया तोउन्होंने उत्तर दिया कि उन्होंने तत्कालीन भारत के प्रधानमन्त्री श्री मोरारजी देसाई से अनुरोध किया था लेकिन उन्होंने उनकी बात मानने से इंकार कर दिया था। 1980 में कांग्रेस भारी बहुमत के पुन: सत्ता में आई। जैसे ही श्रीमती गांधी चुनाव जीतकर सत्ता में आई अकालियों ने फिर पंजाब में समस्याएं और अशांति पैदा करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपने हाथ में कानून लेना शुरू कर दिया वहां फिर अशांति हो गई। यहां तक कि सरकार के विरुद्ध जुलूस निकाले जाने लगे। शायद नवम्बर 1981 या 82 में एक हिंसक जुलूस के कारण संसद के परिसर में लगभग चार व्यक्ति मारे गए। यह चलता रहा, मांग क्या थी ? पंजाब के हिन्दी भाषी क्षेत्रों को, जो कि हरियाणा को मिलने थे, को अलग दिए बिना चंडीगढ़ पंजाब को दिए जाने के अतिरिक्त कोई विशेष मांग नहीं थी। श्रीमती गांधी चंडीगढ़ यात्रा पर गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वह पंजाब को चंडीगढ़ देने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें सन्तुलन रखना चाहिए उन्होंने आगे कहा कि वह हरियाणा के अधिकारों की उपेक्षा होती नहीं देख सकती इसलिए यह मसला चिरकालिक बना रहा वे सहमत नहीं होंगे··· (व्यवधान)

6.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : शर्मा जी, कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मेरा विनम्र, अनुरोध है कि मुझे कल भी अपना भाषण जारी रखने की आज्ञा दी जाये···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं आप अभी भाषण समाप्त करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको समय दे रहा हूं लेकिन संक्षेप में कहने का प्रयास कीजिए।

संसदीय कार्य विभाग के राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, मैं सभा का समय एक घंटा और बढ़ाने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूं कि सभा इसे स्वीकार करेगी।

श्री पी० कुलनदईवेलू : कल हमारे पास पर्याप्त समय है देर तक बैठने की क्या आवश्यकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जो सदस्य बोलना चाहते हैं उनकी सूची लम्बी है।

एक माननीय सदस्य : अभी क्यों ? क्या जल्दी है ?

श्री गुलाम नबी आजाद : हमें इसे कल ही समाप्त करना है क्योंकि परसों सामान्य बजट है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कोरम भी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : कल हम समय बढ़ा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल एक घंटा ही हम बैठेंगे। लेकिन शर्मा जी कृपया संक्षेप में कहिए।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मैथ्यू आयोग ने अपना निर्णय दे दिया है। मैथ्यू आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 83 गांव और दो कस्बे अर्थात् अबोहर और फाजिल्का हिन्दी भाषी क्षेत्र हैं लेकिन आयोग ने विकटता के कारण चण्डीगढ़ का अन्तरण करने का कोई हवाला नहीं दिया है और इस बारे में कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिये हैं। इस विषय में मैं इस सभा को याद दिलाना चाहता हूं 1961 की जन-गणना के अनुसार जब पंजाब और हरियाणा एक थे कंदूखेड़ा भी हिन्दी भाषी था। 107 गांव ने अपनी भाषा हिन्दी बताई थी। 1966 में हरियाणा की स्थापना हुई। इसी प्रकार 1971 और 1981 में फिर जनगणना हुई और जनगणना रिकार्ड में तब पंजाब सरकार ने उनकी भाषा के बारे में गलत प्रविष्टियां कराई जनगणना रिकार्ड में उन्हें पंजाबी भाषी दिखाया गया। इसलिए मैथ्यू आयोग को उन गांव के लोगों की वास्तविक भाषा मालूम करने के लिए गणनाकारों को भेजना पड़ा। इस संबंध में मैं आपका ध्यान 1966 में हुए एक समझौते की ओर आकर्षित करता हूं। मैं उद्धृत करता हूं :—

"जब दस या अधिक गांवों के समूह में प्रत्येक गांव उपर्युक्त प्रकार का संकल्प पारित करे और उनके सामीप्य में एक ग्राम पंचायत या ग्राम सभा जैसा भी हो, के कारण दो या उससे कम गांवों की वजह से बाधा पैदा हो तो इसे उस राज्य की सीमा से सामीप्य का अभाव नहीं माना जाएगा जिसमें वे जाना चाहते हैं उनके संकल्पों को सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।

राष्ट्रपति प्रस्ताव की वास्तविकता के विषय में आवश्यक पूछताछ करने के पश्चात् ऐसे गांवों को या गांवों के समूह को उनके द्वारा चुने गये राज्य में स्थानांतरण करने के लिए अधिसूचना जारी करेगा। तत्पश्चात् ऐसा गांव या ऐसे गांवों का समूह उनके द्वारा चुने गये राज्य का हिस्सा बन जाएगा।

"इसके अतिरिक्त पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकारें आपसी समझौते के द्वारा एक क्षेत्र को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए सहमत हो सकती हैं और राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकती हैं, जो इन सिफारिशों को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा क्रियान्वित करेंगे।"

अब सामीप्य का यह प्रश्न आड़े आ रहा है। आपने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा होगा कि पंजाब के मुख्य मन्त्री श्री बरनाला ने कंदूखेड़ा गांव का दौरा किया और कहा कि उस गांव का संगठित विकास होगा। कंदूखेड़ा के लिए किसी ने अभी तक जरा सी भी परवाह नहीं की थी यद्यपि पंजाब 20 वर्ष पहले बना था। अब वे इसका विकास करना चाहते हैं। फिर कल ही पंजाब के मुख्य मन्त्री ने घोषणा की कि अबोहर को प्रोन्नत करके सब-डिवीजन बना दिया गया है। अगर आप अखबार का हवाला चाहें तो मैं एक नहीं बहुत से पत्र उद्धृत कर सकता हूं। आज व कल के समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है कि अबोहर और फाजिल्का के निवासियों का एक दल भूतपूर्व विधायक श्री तेग राम के नेतृत्व में दिल्ली आया है। मैं उच्च पदस्थ व्यक्तियों के नोटिस में ला रहा हूं कि इन गांवों के लोगों के साथ अत्याचार किये जा रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने मैथ्यू आयोग द्वारा हाल ही में की गई

गणना में अपनी भाषा हिन्दी लिखाई। क्या इसके लिए उनको सजा दी जानी चाहिए ? इन हालातों के बीच हम क्या यह सहन करेंगे जबकि यह सच है कि ये गांव हिन्दी भाषी हैं हिन्दी रहे हैं ? और तब बरनाला जी कहते हैं कंदूखेड़ा हरियाणा के 800 गांवों में जाने का रास्ता है। यह उनका वक्तव्य है वे कहते हैं कंदूखेडा 800 गांव में जाने का रास्ता है। मैं कहता हूं कंदूखेड़ा पंजाब के हिन्दी भाषी क्षेत्रों में जाने का रास्ता है और हम मौन दर्शक बनकर नहीं रह सकते हैं। देश के हर कोने से एक मांग है कि लोंगोवाल राजीव समझौते को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ पंजाब को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि इसे पूरी तरह से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। समझौता एक ही समय, एक बार, एक ही पैन से, एक ही मेज पर और एक ही मौके पर किया गया था। और मैं यह अनुरोध करता हूं कि चंडीगढ़ पंजाब को हस्तांतरित किया जाना चाहिए और उसके साथ ही, उसी पैन, उसी मौके पर, उसी मेज पर, उसी कागज पर पंजाब के इन हिन्दी भाषी गांवों को हरियाणा को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। महोदय, सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना के संबंध में, यह उसी समझौते में, एक दूसरा उपबन्ध था सतलुज-यमुना (स०य०न) लिंक नहर को 15 अगस्त, 1986 तक पूरा किया जाना चाहिए। हरियाणा ने 110.5 करोड़ रु० से एक भी पैसा कम अग्रिम रूप में नहीं दिया है। यह नहर लगभग 115 कि०मी० लम्बी है। इस नहर की खुदाई का काम महीनों से क्यों रुका हुआ है इसका कारण उनको अच्छी तरह से पता है इसके 15 अगस्त तक पूरा होने की बात ही क्या करनी। क्या करें ? मैं पूरे विश्वास के साथ ही नहीं बल्कि पूर्ण जिम्मेदारी से यह कह सकता हूं कि इस गति से इसको 15 अगस्त 1987 तक भी पूरा नहीं किया जा सकता। क्या हम मूक दर्शक बने रहें ? हम उनको पैसा दे रहे हैं वे इसको बेरहमी से खर्च कर रहे हैं। हरियाणा द्वारा दिये गये धन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। ट्रक व ट्रेक्टर खरीदे जा रहे हैं अनावश्यक मशीनरी खरीदी जा रही है अनावश्यक भर्तियां की जा रही हैं यह सब हरियाणा के खर्चे पर हो रहा है। जहां तक किये जा रहे काम का सम्बन्ध है, अब पंजाब एक या दूसरा बहाना बनाकर यह कहता है कि इसे समझौते में परिवर्तित किया जाना चाहिए और यह बात पंजाब का भूतपूर्व मुख्य मन्त्री प्रकाश सिंह बादल जैसा व्यक्ति कह रहा है जो पंजाब जो 1977-78 में पंजाब का मुख्य मन्त्री रहा है। 31 दिसम्बर, 1981 को एक समझौता किया गया था, एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। पंजाब के मुख्य मन्त्री, श्री दरबारा सिंह, हरियाणा के मुख्य मन्त्री श्री भजनलाल, राजस्थान के मुख्यमन्त्री द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, तत्कालीन कृषि मन्त्री द्वारा प्रति हस्ताक्षर किए गए थे और इसका सत्यापन श्रीमती गांधी ने किया था। उस अनुबन्ध के अनुसार उतना अधिक हिस्सा अर्थात् 35 लाख एकड़ फीट पानी हरियाणा को दिया जाना था। उसको देखते हुए श्रीमती गांधी ने 18 फरवरी को वास्तव में इस नहर का उद्घाटन किया। एक बहुत बड़ी सभा हुई। तब उन्होंने कहा "हम इस नहर को खोदने नहीं देंगे।" क्या इस तरह से सरकार चलाई जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया समाप्त कीजिए। आपने 20 मिनट ले लिये हैं। मैंने दूसरों को भी समय देना है।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : श्रीमान, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, एक ज्वंलत विषय है। मैं घड़ी देख रहा था और मैंने देखा कि मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने 20-25 मिनट लिए हैं।

[श्री चिरंजी लाल शर्मा]

इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे पांच मिनट और दिए जायें। मेरा नम्र निवेदन यह है कि जब श्रीमती गांधी ने उद्घाटन किया था तब क्या यह सरकार का कर्तव्य नहीं था कि वह इस नहर की खुदाई सुनिश्चित करे ? फिर एक नये समझौते पर हस्ताक्षर किये गये जिसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। श्री बरनाला और श्री बलवन्त, लोंगोवाल-गांधी समझौते पर हस्ताक्षर के समय उपस्थित थे। क्या यह उनका नैतिक कर्तव्य नहीं था वे यह सुनिश्चित करें कि यह काम निष्ठापूर्वक पूरा किया जाएगा? उन्होंने अपनी विवशता व्यक्त की है। वो सरकार कैसे चला सकते हैं? इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इनमें से कुछ लोग कहते हैं कि हम इस नहर को तब तक नहीं खोदने देंगे जब तक समझौते में परिवर्तन नहीं किया जाता। इसका मतलब है हमारे अधिकारों को पंजाब की वर्तमान व्यवस्था के लोहे के पैरों तले कुचला जा रहा है। यह क्या हो रहा है ? ये उग्रवादी क्या कर रहे हैं ? उनका आक्रमण इतना भयंकर है, उनका प्रहार इतना खतरनाक है, उनकी मशीनरी इतनी खूनी है कि सारा पंजाब उनकी लोहे की एड़ी के नीचे घबरा गया है। हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। यह हमारे ध्येय प्राप्ति में भी एक बहुत बड़ी बाधा है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, समझौते को लागू किया जाना चाहिए और अगर चंडीगढ़ पंजाब को हस्तांतरित किया जाता है तो वहां पर शांति हो जाएगी। मैं कहता हूं यह केवल तभी किया जा सकता है जब सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा किया जाए। यह हरियाणा के लिए प्राणाधार है ? और महोदय, हरियाणा के लोग निस्सन्देह विनीत हैं, स्वभाव से सज्जन हैं, परन्तु वे कायर नहीं हैं। हम अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं और हम जानते हैं कि यह कैसे की जाती है। लेकिन महोदय, हमें अपनी प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में पूरा विश्वास है जिन्होंने हमें साफ-साफ आश्वासन दिया है और इस पर टिके हुए हैं कि हरियाणा के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा। हम इसको महसूस भी कर रहे हैं और इसी कारण हम चुप हैं। पंजाब की सरकार की नेकनीयती पर संदेह करने के हमारे पास कारण हैं। वो उसको पूरा करने नहीं जा रहे हैं, उसको शुरू करने नहीं जा रहे हैं केवल यही उपाय बचा है कि सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण कार्य को भारत सरकार अपने हाथ में ले ले। जब तक भारत सरकार इस नहर के निर्माण का कार्य को अपने हाथ में नहीं लेती तब तक पृथ्वी पर कोई भी शक्ति इसको पूरा नहीं कर सकती। कम से कम पंजाब तो इसको पूरा नहीं करेगा। ये पंजाब के इलाकों से होकर निकलती है और पैसा हरियाणा द्वारा खर्च किया जा रहा है। वो धन को लुटा रहे हैं वे खर्च कर रहे हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा है। यह 115 कि०मी० लम्बी है इसकी शुरू की लागत 50-60 करोड़ रुपये थी अब यह बढ़कर 270 करोड़ रुपये हो गई है। महोदय जरा अंदाजा लगाइये। हरियाणा में सतलुज यमुना लिंक नहर का हिस्सा जो 106 कि० मी० लम्बा था 6-7 साल पहले पूरा किया गया था और तब से यह बेकार पड़ा है। ये व्यर्थ जा रहा है क्योंकि पंजाब से इसका बाकी हिस्सा पूरा नहीं हुआ है। इसलिए भारत सरकार को राजीव-लोंगोवाल समझौता लागू करना चाहिए। न्याय और निष्पक्षता के हित में, मैं सरकार पर दबाव डालूंगा वह सतलुज यमुना सम्पर्क नहर का निर्माण कार्य अपने हाथ में ले और यह सुनिश्चित करे कि यह कार्य निर्धारित समय से पहले पूरा हो। अगर ऐसा नहीं किया जाता या किया जा सकता है तो उचित बात यह होगी कि चंडीगढ़ का पंजाब को 15 अगस्त, 1986 को हस्तांतरण किया जाए अगर सतलुज यमुना सम्पर्क नहर का निर्माण

कार्य 15 अगस्त को पूरा हो जाता है। पंजाब को चंडीगढ़ का हस्तांतरण और हरियाणा को अबोहर और फाजिल्का के हिन्दी भाषी गांवों का हस्तांतरण साथ-साथ होना चाहिए। मुझे आशा है कि आदरणीय उपाध्यक्ष जी मुझे दूसरे विषयों के बारे में कुछ कहने की अनुमति देंगे…

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मुझे क्षमा करें। जब आप दूसरे किसी अवसर पर बोलें तो आप दूसरे विषयों पर बोल सकते हैं।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : श्रीमन् मैं इस टिप्पणी के साथ समाप्त करता हूं।…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी विषयों पर बोल सकते हैं, ऐसा करने में कोई समस्या नहीं होगी।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : चंडीगढ़ का हस्तांतरण तब तक नहीं किया जायेगा जब तक 85 हिन्दी भाषी क्षेत्रों को जिसमें ये कस्बे भी शामिल हैं साथ-साथ स्थानांतरित नहीं किया जाता। हरियाणा के लोग इसे सहन नहीं कर सकते। दूसरे, इस समझौते को लागू करने के लिए, सरकार को सतलुज यमुना सम्पर्क नहर के निर्माण को अपने हाथ में लेना चाहिए और निर्धारित समय से पहले इसे पूरा करना चाहिए। यही सब मुझे कहना है।

इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने तथा इसका समर्थन करने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और दूसरी ऐसी चीजें इस सदन की महान धरोहर हैं। विरोधी पक्ष के मेरे मित्र आलोचना करते रहे हैं कि पीने का पानी नहीं है, बहुत से लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र में, कृषि और अन्य चीजों में कोई सुधार नहीं हुआ है। जो उन्नति हमने की है क्या वे उसे नहीं देख सकते ? क्या वे उन कार्यक्रमों को नहीं देख सकते जो हमने चुनावों से पहले घोषित किये थे ? क्या वे जो प्रगति हमने कृषि के क्षेत्र में की है उसे नहीं देख सकते ? स्वतन्त्रता से पूर्व हमारी जनसंख्या केवल 35 करोड़ थी और हम अनाज बाहर से आयात करते थे। आज हम अनाज निर्यात करने की स्थिति में आ गये और देशवासियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए हमारे पास पर्याप्त अनाज है। यह महात्मा गांधी के स्वदेशी आन्दोलन की देन है। श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में हम अब भी उत्पादकता कार्यक्रमों को चला रहे हैं। पहले हम चम्मच भी नहीं बना सकते थे। अब हम हवाई जहाज, समुद्री जहाज और वैज्ञानिक उपकरण बना सकते हैं। गरीबों को ऊपर उठाने के लिए हम वैज्ञानिक यंत्रों का भी निर्माण भी कर रहे हैं। पर्याप्त प्रगति तथा गरीबों को ऊपर उठाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रमों में उपयुक्त परिवर्तन किया जायेगा। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि गरीबी इस देश में थी, गरीबी है, और गरीबी रहेगी। हजारों-हजारों वर्षों से गरीबी विद्यमान थी। महाभारत के समय में भी सुदामा एक छोटा चावल का कटोरा उपहार के रूप में लेकर कृष्ण के पास मदद के लिए गये थे क्योंकि वह गरीब थे। लेकिन गरीबी की परिभाषा बदल गई है। पहले गरीबी का अर्थ भोजन, मकान और काम

[श्री एस० बी० सिदनाल]

का न होना माना जाता था। अब परिभाषा बदल गई है क्योंकि अब भोजन और आवास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों के और अल्पव्यवस्यकों के कल्याण के कार्यक्रम लागू हैं और वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इसलिए कांग्रेस 100 वर्ष तक चल सकती है। दूसरे दल इधर-उधर बिखरे पड़े हैं। वे कभी भी संगठित नहीं हुए और उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। अभी तक वे केवल यह जानते हैं कि सरकार की आलोचना कैसे की जा सकती है। पिछले 35 वर्षों में उन्होंने कभी भी सदन की मेज पर कोई कार्यक्रम नहीं रखा और न ही कभी चुनाव घोषणापत्र में कोई कार्यक्रम घोषित किया है। आज वे हमारे युवा नेता की आलोचना करना चाहते हैं जिसका कोई आधार नहीं है।

विद्युत, परिवहन, सीमेंट और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं - सभी क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ गया है। क्या यह प्रगति नहीं है ? मुद्रा स्फीति विकसित देशों का एक अभिन्न अंग हैं क्योंकि विकास पर धन खर्च किया जाता है, बाहर के देशों से ऋण भी लिया जाता है और इसके परिणामस्वरूप मुद्रा स्फीति बढ़ती है। सरकार ने रचनात्मक उपायों द्वारा इस पर नियंत्रण पाने की भरसक कोशिश की है। मुद्रा स्फीति केवल हमारे बस की बात नहीं है। इसका अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से भी सम्बन्ध है। इसलिए श्री राजीव गांधी की सरकार सौ प्रतिशत सफल हुई है।

आप जानते हैं कि पंजाब और आसाम की समस्याएं कितना उग्र रूप धारण कर चुकी हैं और यह श्रेय हमारे नेता को ही जाता है कि उन्होंने चुनाव के दौरान घोषणा की कि हम इन समस्याओं को हल करेंगे। इस आश्वासन को पूरा किया गया है। चुनाव में हार या जीत हो सकती है। कांग्रेस का यह मुख्य ध्येय नहीं है। हमारा दल एक रक्तहीन क्रान्तिकारी दल है। हम देश को कार्यक्रम और गरीब तथा सभी लोगों को प्रगति देना चाहते हैं। हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया है और इस पर अमल कर रहे हैं। लेकिन विरोधी दल कभी भी संतुष्ट नहीं हैं। इन 35 वर्षों में कोई भी बिना किसी कार्यक्रम के आलोचना कर सकता था, कोई भी त्रुटि निकाल सकता था और कोई भी कार्यक्रम में कुछ गलती निकाल सकता था। उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। उनके पास केवल एक ही कार्यक्रम है और वह है सत्तारूढ़ दल को आलोचना करना। हमारे बहुत से मित्रों ने जिनमें श्री शाहबुद्दीन भी शामिल हैं, कहा, "कुछ भी नहीं किया गया है।" मैं नहीं जानता कि उन्होंने अपनी आंखें क्यों बन्द कर रखी हैं। पिछले 35 वर्षों में बहुत विकास हुआ है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में साम्प्रदायिकता और क्षेत्रवाद का उल्लेख किया गया है। हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। हमने और हमारे नेता ने उन चुनौतियों को स्वीकार किया है। हम उनका हल निकालेंगे। उनको हल करते समय निश्चित रूप से कुछ कठिनाइयां आएंगी। लेकिन विरोधी दल हमेशा आग भड़काने का काम करते हैं और वे कोई हल नहीं निकलने देते। यही सारी समस्या है। कांग्रेस दल चुनाव द्वारा और लोकतांत्रिक ढंग से सत्ता में आया है। हम चाहते हैं कि लोकतन्त्र इस देश में कायम रहे। मैं सदन और पूरे देश के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को अभी तक इस देश में इतना बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है जितना श्री राजीव गांधी को

मिला है। इस सम्बन्ध में मैं इस देश के मतदाताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने देश की अखण्डता और प्रभुसत्ता को ध्यान में रखकर हमारे दल के -पक्ष में मतदान किया। हमारा दल धर्मनिरपेक्ष में विश्वास रखता है और इसने सिद्ध कर दिया है कि अन्य दल कभी भी धर्म-निरपेक्ष नहीं रहे हैं और उनके पास कोई कार्यक्रम तथा समाजवाद नहीं है। उनके पास कहने के लिए एक ही चीज है और वह यह है कि जो कुछ भी हम करते हैं वे उसे बाहर नकारात्मक बना देते हैं और 'बन्द' का आह्वान करते हैं यह क्या है ? हमने क्या नहीं किया है ? लेकिन वह सब करने के बाद और भी बहुत कुछ करना बाकी है। इससे कौन इन्कार करता है ? हमने चुनौती को स्वीकार किया है। हमारे पास कार्यक्रम है। हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या हम शिक्षा पद्धति को नहीं बदल रहे हैं ? क्या यह एक चुनौती नहीं है जिसे हमने स्वीकार किया है ?

क्या हम सारे देश को इसे अपनाने के लिए नहीं कह रहे हैं ? श्री राजीव गांधी के नेतृत्व की धाक न केवल इस देश में बल्कि विदेशों में भी जम चुकी है। उन्होंने .4 से अधिक देशों का भ्रमण किया है और वहां भारत की ख्याति स्थापित की है और धर्मनिरपेक्षता और तटस्थता के लिए हमारा देश प्रसिद्ध है। यही हमारा सिद्धांत रहा है। यह सत्य है कि पंजाब, आसाम और श्रीलंका की समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। हमें उनका मुकाबला करना है। वहां राजनीतिक समस्याएं हैं। हमें उनको राजनीतिक ढंग से हल करना है। हम एक बन्द कमरे में बैठकर उन पर वार्तालाप और वाद-विवाद नहीं कर सकते जैसे कि विरोधी दल करते हैं। हमारी उनको हल करने की इच्छा है। हमें बहुत सी चीजों का बलिदान करना पड़ेगा। श्री राजीव गांधी अपने वचन पर कायम रहे हैं और उन्होंने वायदा किया है और वह वायदा पूरा किया गया है। विरोधी दलों के पास वायदा करने के लिए कोई चीज नहीं है और वे कभी भी वायदे पूरे नहीं करते। प्रो० मधु दण्डवते किस प्रकार आलोचना करते रहे हैं। अब वह कह रहे हैं कि हमने देश के लिए कुछ नहीं किया है। वे क्या कर रहे हैं ? स्वच्छता क्या है ? राजनीति का मूल्य क्या है ? क्या उनका कोई आदर्श है ? प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि पिछले सप्ताह कर्नाटक में किस प्रकार नाटक खेला गया और क्या उन्होंने देश के लिए कुछ किया है ? पिछले 2 या 3 वर्षों तक जब वह मन्त्री थे देश की आर्थिक स्थिति क्या थी ? देश को सामान्य स्थिति में लाना बहुत कठिन था। उन्होंने कभी भी किसी कार्यक्रम की घोषणा नहीं की। उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन हम प्रत्येक पांच वर्ष के उपरान्त अपने कार्यक्रमों की घोषण करते हैं। यह एकमात्र धर्मनिर-पेक्ष दल है। यही कारण है कि इसने अपने कार्यक्रमों को निष्पादित किया है। अन्य दल धर्मनिरपेक्षता में विश्वास नहीं रखते और उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। वे कभी-कभी आते हैं और कुछ कहते हैं और साम्प्रदायिकता और क्षेत्रवाद का प्रचार करते हैं। वे देश में बहुत सी जहरीली बातों को फैलाते हैं। मुझे विरोधी दलों के व्यवहार पर खेद है। वे कभी भी रचनात्मक ढंग से सहयोग नहीं देते। पैट्रोल कहां था ? क्या यह कांग्रेस सरकार नहीं है जिसने पहले से सोचा और इतने अधिक पैट्रोल का उत्पादन किया ? क्या हम आत्मनिर्भरता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं ? और क्या चाहिए ? हम महिलाओं तथा दहेज के विषय में उपाय करने के बारे में सोच रहे हैं और सब चीजों का हल निकालना है। यह एक बड़ा देश है और जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ रही है। हमारे पास कार्यक्रम हैं। मुझे यह बताते हुए दुःख होता है कि एक बार श्रीमती गांधी ने आपातकाल की घोषणा की। ऐसा करना संवैधानिक दृष्टि से आवश्यक था। वह देश में अनुशासन लाना चाहती थीं। लेकिन बहुत से लोगों ने उसका पूर्णतया गलत अर्थ लगाया। इन लोगों द्वारा बहुत-सी चीजों की आलोचना की जाती है। उन आलोचनाओं

[श्री एस० बी० सिदनाल]

के कारण वे विजयी हुए और जब लोगों ने महसूस किया तो फिर हार गए। इस देश की जनता इस बारे में पूर्ण रूप से जागरूक रही है। गरीबी दूर करने के बारे में श्रीमती गांधी के योगदान को देश कभी भी नहीं भूल सकता। क्या हमने 20 सूत्री कार्यक्रम घोषित नहीं किया? क्या किसी अन्य दल के पास कोई कार्यक्रम है? उन्होंने गरीबों की ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने गरीब लोगों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के बारे में कभी भी नहीं सोचा। श्री राजीव गांधी आगे बढ़ रहे हैं और वह इस देश के युवा नेता हैं। उनको हमारे देशवासियों ने ही नहीं बल्कि विदेशियों ने भी स्वीकार किया है। इसलिए मैं विरोधी पक्ष के अपने मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि वे देश की उन्नति और राष्ट्रीय हित में उनका समर्थन करें।

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : राष्ट्रपति का अभिभाषण वास्तव में हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है और मैं विनीत भाव से यह महसूस करता हूं कि भारत के राष्ट्रपति के अभिभाषण का, जो इस देश के संविधान के अन्तर्गत दिया जाता है, बहिष्कार करके विपक्ष ने न केवल इस देश के सर्वोच्च पदाधिकारी के प्रति अनादर व्यक्त किया है अपितु स्वयं संविधान का अनादर किया है···(**व्यवधान**)। यदि विपक्ष का यह विचार है कि इस प्रकार उन्होंने जनता का ध्यान आकृष्ट किया है और जनता की सहानुभूति प्राप्त की है तो यह उनकी भूल है। यदि आपने अपने बहिष्कार के पश्चात् जनता की सहानुभूति का आकलन किया है तो मैं नहीं समझता हूं कि बहिष्कार करने से आपने कुछ प्राप्त किया है। आपके किसी ठोस कार्य को सहानुभूति प्राप्त हो सकती है किन्तु राष्ट्रपति के भाषण का बहिष्कार करने जैसे नकारात्मक कार्य से मैं समझता हूं कि आपको किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं मिलेगी।

पिछले वर्ष हमारे प्रधान मन्त्री ने देश में स्वच्छ सरकार और स्वच्छ सार्वजनिक जीवन कायम करने का वायदा किया था। यह प्रधान मन्त्री द्वारा इस देश को दिए गए संदेश तथा वचनबद्धता का सार है। मैं इस सदन के सदस्य के रूप में और सरकार द्वारा किए गए कार्य के प्रेक्षक के रूप में तथा दल की सदस्यता को ध्यान में रखे बिना अत्यन्त नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि सरकार और हमारे दल ने इस एक पहलू पर युद्धस्तर पर कार्य किया है। इस वचनबद्धता की घोषणा के थोड़े ही समय में दलबदल विरोधी कानून सदन में लाया गया और इस पर पूर्णतया चर्चा हुई और सदन ने स्वीकार किया और आज यह स्वच्छ सार्वजनिक जीवन प्रदान करने के लिए लागू है और आज हम पहली बार देख रहे हैं कि कहीं भी कोई दलबदल नहीं हो रहा है। अत: एक विधान सभा सदस्य को एक दल में शामिल होने के लिए त्यागपत्र देना पड़ा। इस प्रकार का राजनीतिक जीवन हमारी सरकार ने इस देश को दिया।

दूसरे, हमने इस सदन में लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया और यह प्रवर समिति को भेज दिया गया है। यह भ्रष्टाचार के सभी पहलुओं से संबंधित है। अर्थात यदि सरकार के महत्वपूर्ण तंत्र-मंत्रियों आदि में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार है तो इस पहलू की जांच करने के लिए इस विधेयक के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण तंत्र की स्थापना की जाएगी जब यह कानून बन जाएगा। दलबदल विरोधी कानून

के पश्चात् तत्काल यही कदम उठाया गया। जो कदम उठाया गया है वह कोई मामूली कदम नहीं है। प्रधान मन्त्री की वचनबद्धता के अनुसार यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और महत्वपूर्ण कानून बनाया गया है।

तीसरे, अब जनता की शिकायतों का पहलू है। चूंकि हमारे पास बहुत से संगठन और सहकारी मंत्रालय हैं और दूरस्थ स्थानों पर जो जनता की समस्याएं हैं उन्हें सुलझाया नहीं जाता है और जनता की अपनी शिकायतें हैं जो उपयुक्त अधिकारियों के पास उपयुक्त समय और उपयुक्त ढंग से नहीं पहुंच पाती हैं। जो जानकारी मुझे मिली है उसके अनुसार भारत सरकार प्रत्येक विभाग में लोगों की शिकायतें सुनने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने का विचार रखती है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को किसी अधिकारी अथवा किसी पहलू के सम्बन्ध में कोई शिकायत है तो वह सीधे उस तंत्र के पास चला जाए जिसकी स्थापना की गई है और वह सीधे निदेशक, उप-निदेशक अथवा सहायक सचिव या जो कोई भी हो उसके विरुद्ध शिकायत कर सकता है। यह तंत्र प्रत्येक विभाग में उपलब्ध होगा। इस सम्बन्ध में, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि यदि यह तंत्र न्यायपालिका की भांति एक स्वतन्त्र प्रशासनिक तंत्र है तो बेहतर होगा। मान लीजिए कि हमारे पास स्वास्थ्य मन्त्रालय में प्रशासनिक तन्त्र है जिसमें स्वास्थ्य मन्त्रालय के अधिकारी हैं; तो यह स्वतन्त्र तंत्र नहीं होगा। यदि प्रत्येक राज्य में और केन्द्रीय स्तर पर हमारे पास जनता की शिकायतें सुनने के लिए एक स्वतन्त्र तंत्र है, तो वह व्यक्ति जो उद्योग मन्त्रालय अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालय के निर्णय से पीड़ित है तो वह सीधे उस तंत्र के पास जा सकता है और शिकायत कर सकता है। इस तंत्र को अधिकारियों और फाइलों आदि को मंगाने का अधिकार होना चाहिए, ताकि वह इनकी जांच कर सके कि क्या शिकायत सही है अथवा नहीं। मैं केवल यह सुझाव दे रहा हूं। निस्स देह, यह देखना है कि सरकार किस प्रकार लोक शिकायत तंत्र की स्थापना करेगी। सरकार इस विषय में बहुत रुचि ले रही है।

सरकार ने ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मेरे विचार में इसके पक्ष में किसी और दलील की आवश्यकता नहीं है कि सरकार का देश में एक स्वच्छ सार्वजनिक जीवन की स्थापना करने का विचार है।

जहां तक प्रक्रिया का सम्बन्ध है, मैं शिकायतों की बात करता हूं यह एक सामान्य बात है जो हम देखते हैं : एक नागरिक को किसी चीज को प्राप्त करने के लिए मारा-मारा फिरना पड़ता है। मेरा विचार है कि सरकार ने प्रक्रिया को संक्षिप्त करने के इस पहलू और इस प्रकार की प्रक्रियाओं के कारण जनता को होने वाली परेशानियों को दूर करने की ओर भी ध्यान दिया है। किसी काम को पूरा करने के लिए, यदि एक व्यक्ति को चार अधिकारियों के पास चार विभिन्न समयों पर जाकर बहुत समय नष्ट करना पड़ता है, तो इसे रोका जाना है। यदि इसे रोकना है, तो केवल प्रशासनिक आदेशों से ही काम नहीं चलेगा। कभी हमें ऐसा करना पड़ता है कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए हम मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी करते हैं। किन्तु ये सिद्धान्त कभी-कभी वर्तमान कानून के अनुरूप नहीं होते हैं। मान लीजिए कानून में यह कहा गया है कि किसी विशेष बात के लिए किसी व्यक्ति

[श्री शांताराम नायक]

को चार अधिकारियों के पास चार बार अलग-अलग जाना पड़ता है और चार या पांच फार्म भरने पड़ते हैं और यदि आप मार्गदर्शक सिद्धान्तों में यह कहते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है, तब तो यह कानून में दी गई प्रक्रिया के विपरीत होता है। अधिकारी कानून में उल्लिखित विशेष प्रक्रिया अपनाने पर जोर देगा। अतः मैं सरकार को यह सुझाव दूंगा कि हमें इस देश के सभी कानूनों विशेषकर केन्द्रीय कानूनों की पुनरीक्षा करनी है और यह देखना है कि क्या इसकी प्रक्रिया में कमी की जा सकती है। जहां भी यह बात स्वीकार की गई है कि प्रक्रिया में कमी होनी चाहिए तो सम्बन्धित कानूनों में उचित संशोधन लाने पड़ते हैं। काम उचित रूप से करने हैं। यदि आप अपने अच्छे इरादे के बावजूद मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी करेंगे, तब भी उद्देश्य पूरे नहीं हो सकते हैं।

दूसरी बात जो सरकार ने की है वह यह है कि देश भर में प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित किए गए हैं। यह इस प्रकार से ठीक ही है कि उन कर्मचारियों, जिन्हें अपने अधिकारियों के निर्णयों से दुख पहुंचा है, को सामान्य न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। उनकी याचिकाएं सुनने के लिए विशेष न्यायाधिकरण स्थापित किए गए हैं। अतः निपटारा भी तेजी से होगा और उन शिकायतों को सुनने के लिए विशेष प्राधिकरण होगा। पहले विभिन्न उच्च न्यायालय थे जिनको याचिका भेजी जाती थी। अब सरकार ने केवल कुछ ही प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित किए हैं। इसके परिणामस्वरूप उन लोगों को जो सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, न्यायाधिकरण के पास आना पड़ता है जिसमें बहुत सारा समय व्यतीत होता है और इस प्रकार कर्मचारियों की परेशानियां भी दूर नहीं होती हैं। मैं सरकार पर अधिक प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए बल देना चाहता हूं।

न्यायपालिका के सम्बन्ध में, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैंने पहले भी इस सदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। मुझे नहीं मालूम कि क्या विधि मन्त्री ने इस बात को नोट किया है। कानून तो इस संसद तथा राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा बनाए जाते हैं। न्यायपालिका को कानून की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है। किन्तु दुर्भाग्य से जो कुछ हम आज देख रहे हैं वह यह है कि न्यायपालिका संसद के तथा राज्यों के विधान मण्डलों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है। यहां तक कि यह कौन कहता है कि कौन-कौन सी परियोजनाओं की मंजूरी दी जानी चाहिए, परियोजना के लिए कितनी राशि दी जानी चाहिए और परियोजना कब पूरी हो जानी चाहिए ये सारी बातें न्यायपालिका बता देती है। ऐसा किया गया है, ऐसे भी उदाहरण हैं जहां उच्चतम न्यायालय के कुछ न्यायाधीश सरकारी अधिकारियों को कुछ करने, कोई परियोजना पूरी करने, किसी परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता, आदि देने का काम करते हैं। हम कहां हैं ? हमारे अधिकारों के क्षेत्र में ये सारी बातें आती हैं। अतः यदि कोई अनियमितता है तो विधि मन्त्रालय को इसकी जांच करनी चाहिए और इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

इसी प्रकार सार्वजनिक मुकदमे भी अच्छे हैं जो उच्चतम न्यायालय ने आरम्भ किए हैं। संसद ने सार्वजनिक मुकदमेबाजी पर कोई कानून पारित नहीं किया है। ऐसा केवल न्यायालय की व्याख्या से

हुआ है। अन्यथा यह ठीक है; किन्तु पहल होनी चाहिए और वह अधिक से अधिक संसद को यह सुझाव दे सकते कि इस प्रकार की चीजों की आवश्यकता है। अन्यथा उनके लिए कोई ऐसा कानून होना चाहिए जिससे वह इस बात को समझ लें कि कहां और किस प्रकार की सार्वजनिक मुकदमेबाजी को लिया जाए। ऐसा केवल इसलिए होता है कि कोई व्यक्ति एक पोस्ट कार्ड अथवा एक अन्तर्देशीय पत्र लिखता है और यह अच्छा लगता है। पोस्ट कार्ड को एक याचिका समझा जाता है। यह बहुत ही अच्छी बात है। एक अन्तर्देशीय पत्र को एक याचिका समझा जाता है। किन्तु हम कहां जाते हैं और कहां तक? यह किसी तरह से निर्धारित होना चाहिए था अथवा इसके लिए मार्ग-निर्देश होना चाहिए। अतः इन सभी सार्वजनिक मुकदमों के सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस उद्देश्य के लिए किस प्रकार का कानून बनाया जाना चाहिए।

जल संसाधनों के सम्बन्ध में हम पेय जल के लिए अगले वर्ष भी कुछ धनराशि की मंजूरी दे रहे हैं। मेरे क्षेत्र गोआ में दो महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं हैं। ये माण्डोवी और तिल्लारी सिंचाई परियोजनाएं हैं। यह ठीक है कि हम पर्यावरण की भी देख-भाल कर रहे हैं। जब कोई परियोजना आरम्भ की जाती है तो हम वन सम्पदा को भी देखते हैं। कभी कोई वन-क्षेत्र अथवा इसके किसी भाग को कोई परियोजना चलाने के लिए काट दिया जाता है किन्तु पर्यावरण के नाम पर कुछ ऐसे रुख अपनाए जाते हैं कि यदि किसी विशेष क्षेत्र में कोई वन है तो यह परियोजना नहीं चलेगी। मेरे क्षेत्र में कभी-कभी इस प्रकार की आपत्तियां उठाई जाती रही हैं। ऐसी अच्छी सिंचाई परियोजनाओं को, जिनसे भूमि के बहुत से एकड़ में सिंचाई हो सकती है, रोक दिया जाता है। इनके निर्माण के लिए किसी वन की झाड़ियों को काट दिया जाता है; किन्तु इसके लिए आपत्तियां उठाई जाती हैं। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि सिंचाई और पर्यावरण की परियोजनाओं पर विचार करते हुए, केवल पर्यावरण पर ही कोई एकतरफा विचार नहीं किया जाना चाहिए; अपितु समस्त पहलुओं और समाज के समस्त लोगों की ओर ध्यान देना चाहिए।

जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूं, जैसा कि मैंने गत सत्र में भी कहा है हमारे पास औद्योगिक कानून के सम्बन्ध में अनेक खण्डशः कानून हैं। अब समय आ गया है जबकि उद्योग के सभी पहलुओं से सम्बन्धित एक समेकित औद्योगिक कानून बनाया जाए—विशेषकर बड़े उद्योगों के सम्बन्ध में। हम एक ही कानून में सभी औद्योगिक पहलुओं को शामिल नहीं कर सकते हैं; किन्तु औद्योगिक कानून के मुख्य पहलुओं को एक समेकित कानून के रूप में लाने पर विचार करने की मांग है।

जहां तक महिलाओं का सम्बन्ध है, मैं विधि मन्त्री से कहना चाहूंगा कि कुछ उद्योग महिला श्रमिकों के लिए आरक्षित रखे जाएं। हम कुछ उद्योगों को अलग रखेंगे जहां केवल महिला श्रमिक ही नियुक्त की जाएंगी। यदि हम ऐसा करेंगे, तो हम महिला श्रमिकों को नियुक्त करके कुछ काम करेंगे।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमने साक्षरता कार्यक्रम पर उचित बल दिया है। जब तक हम अपने लोगों को साक्षर नहीं बनाएंगे अपनी जनता को साक्षर नहीं

[श्री शांताराम नायक]

बनाएंगे, उन्हें उनके अधिकारों के सम्बन्ध में जानकारी नहीं देंगे, तो उन्हें सभी अधिकार संवैधानिक अथवा अन्य देने के सम्बन्ध में हमारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें उन सभी अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए जो उन्हें संविधान, कानून और देश से प्राप्त होते हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन पांडे (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से मैं, जो धन्यवाद का प्रस्ताव राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर यहां प्रस्तुत हुआ है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इस सिलसिले में आज जो भाषण अपोजिशन की तरफ से बड़े जोर-शोर का था, वह शाहबुद्दीन साहब का था और उन्होंने इस तरह से इस तस्वीर को पेश किया जिससे मालूम पड़ता था कि भारतवर्ष में केवल दरिद्रता है, केवल भूख है और इस प्रकार की अव्यवस्था है जैसे कोई किसी प्रकार की सरकार न हो, किसी प्रकार की व्यवस्था न हो। हमारे देश का जो मीडिया है, वह थोड़ा-बहुत इधर का भी पक्ष प्रस्तुत कर देता है, अगर वह भाषण सारे हिन्दुस्तान में एक-तरफा प्रसारित हो जाये और सारी दुनिया के सामने आये तो यह समझा जायेगा कि हिन्दुस्तान में कुछ भी काम नहीं हुआ है। इस तरह से उन्होंने एक गलत तस्वीर प्रस्तुत करके हमारे सारे ऐवान के सामने कुछ इस ढंग से अपने आपको पेश किया है कि उनका मेड़न भाषण होते हुए भी तारीफ को जी नहीं चाहता है।

उपाध्यक्ष जी, मैं एक बात शाहबुद्दीन साहब के भाषण के ऊपर जो तालियां पीट रहे थे उनसे कहना चाहता हूं कि क्या उन लोगों के सामने क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन का उदाहरण नहीं है। क्या यह किसी से छिपा हुआ है कि भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कितने छापे पड़े हैं। अखबार पढ़ने के बाद क्या उन्हें महसूस नहीं होता है कि यह जो राजीव गांधी की सरकार है, यह भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए तैयार है और राजनीति को भी स्वच्छ देखना चाहती है। क्या शाहबुद्दीन साहब को यह मालूम है कि उनकी कर्नाटक की सरकार इसलिये बरकरार है कि दल-बदल विधेयक, जिसके बारे में कहा गया था कि राजीव गांधी जी ने जल्दबाजी में पेश किया था, वह आज वहां पर भी अमल में है। आज उसी की बदौलत कर्नाटक में जनता पार्टी की सरकार है और हेगड़े साहब मुख्य मंत्री बने हैं। मैं उनसे यह भी कहना चाहता हूं कि आप याद रखिए कि हमने पूंजीपतियों के ऊपर भी हाथ डाला है।

शाहबुद्दीन साहब ने ब्लैकमनी के बारे में बहुत-सी बातें कही हैं। उन्होंने यह नहीं बताया है कि ब्लैकमनी का जो सागर लहलहा रहा है, उसमें डूबने से बचने के लिए हमें अथक प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन यह बताया है कि हम उसमें डूब और उतरा रहे हैं। यह डूबने और उतराने का जो सिलसिला है वह उन ढाई वर्षों में पैदा किया गया, जिनमें जनता पार्टी सत्ता में रही। राजीव गांधी जी ने पिछले एक साल में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए काफी प्रयास किया है और अगले चार सालों में और प्रयास करेंगे। हमारे प्रतिपक्ष के लोगों के दिमाग में यह बात नहीं आ रही है कि कांग्रेस की सरकार ने आपके सामने जिन योजनाओं को प्रस्तुत किया है, उनके बारे में आज चारों तरफ तारीफ हो रही है।

हमें तो ऐसा समझ में आ रहा है कि पंजाब और असम से शाहबुद्दीन साहब इसलिए नाराज हैं क्योंकि वहां से एक भी जनता पार्टी को सीट नहीं मिली है। हमें आज फख्र है कि हम असम में हार कर भी जीते हैं और वहां विरोध पक्ष की सरकार देखते हैं। हमने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे असम और पूर्वी हिस्से का जो भारत है, वह प्रगति के रास्ते पर और आगे बढ़ेगा। पंजाब के लिए राजीव गांधी जी को दोष देने वालों से मैं कहना चाहता हूं कि वह बरनाला साहब से पूछें कि पंजाब में उनकी सरकार होने पर भी वह आतंकवादियों का सफाया क्यों नहीं कर पाये। यदि केन्द्र सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी यह विरोधी दल वाले आवाज उठायेंगे कि जो हमारे प्रांतीय स्वायत्ता के अधिकार हैं, उसके ऊपर दखलअंदाजी हो रही है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि माइनोरिटीज फ्रंट असम में नहीं जीता है, इसलिए नाराज हो रहे हैं। कांग्रेस ने हार कर भी अपनी जीत को माना है और हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब से आतंकवादियों का सफाया बरनाला सरकार करेगी। अगर नहीं कर पायेगी तो बरनाला गवर्नमेंट को जनता के सामने जवाब देना होगा। देर तक केन्द्र सरकार इसको तमाशायी बनकर नहीं देख सकती।

अकाली दल के एक सदस्य ने कहा कि केवल सिखों ने ही आजादी में योगदान किया था। यह सभी जानते हैं कि पंजाब में लाला लाजपत राय ने जो कुर्बानी की थी उसमें सिखों ने भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई में योगदान दिया था। लेकिन आज जिस वक्त वह बोलने खड़े हुए थे, हम उनसे पूछना चाहते थे, उस वक्त हमें बोलने का मौका नहीं मिला, इस समय वह बोल कर चले गए, लेकिन बरनाला साहब और जिस दल का वह प्रतिनिधित्व करते हैं, शिरोमणि अकाली दल, उनको आज यहां यह बताना पड़ेगा, अपनी सफाई पेश करनी पड़ेगी, उनके जो प्रतिनिधि यहां पर हैं वह बताएं कि पंजाब में खून-खराबा क्यों हो रहा है ?

इसमें कोई शक नहीं है कि हमने जो कुछ एक साल में किया है उसकी तारीफ अगर उधर के लोग न करना चाहें तब भी आज दुनिया कर रही है। यह जरूर है कि सूरज जब चमकता है तो उसकी रोशनी सब जगह पड़ती है। मगर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां कि ज्यादा गहरा गड्ढा होता है तो उस जगह रोशनी नहीं पड़ती है। हमारी जो योजनाएं बनी हैं उनसे हमने हिन्दुस्तान के सारे हिस्सों में रसद पानी पहुंचाने की चेष्टा की है। खून इस शरीर में सब जगह दौड़े इसकी हमने व्यवस्था की है। लेकिन यह भी सही है कि अगर किसी जगह कुछ ज्यादा गहरा गड्ढा रहा है तो वह रोशनी उस पर बराबर नहीं पड़ी होगी। यह खामी कबूल करने के बावजूद भी जो हमारा एक साल का परफार्मेंस है वह कमेंडेबल है। इस परफार्मेंस को देखते हुए इस धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन विपक्ष के लोगों को भी करना चाहिए। यह मेरी उन लोगों से अपील है।

जो थोड़े से कुछ प्वाइंट्स दब से गए हैं उनकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। हिन्दुस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा पिछड़ा हुआ है। वह है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का पश्चिमोत्तर हिस्सा। इन दोनों के बीच में एक बड़ी भयंकर नदी है--बूढ़ी गन्डक। आज जो रेलवे का बजट पेश हुआ है उसमें मुझे उम्मीद थी कि उस नदी पर छितौनी बगहा के पुल को बनाने के लिए कोई व्यवस्था रखी गई होगी। उस पुल का उद्घाटन 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। लेकिन आज मुझे यह

[श्री मदन पांडे]

देखकर निराशा हुई है कि उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं रखी गई है। मैं चाहूंगा कि आगे जो कुछ भी व्यवस्था करनी हो उसमें इसके लिए भी प्रावधान रखा जाए। उस नदी पर जो पुल बनेगा उससे राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से नेपाल के बार्डर के समीप हम एक ऐसा रास्ता पाएंगे जिस रास्ते से हम जो उधर के पिछड़े हुए हिस्से हैं उनका उत्थान करने की योजना बना सकेंगे सड़कें मिलेंगी, रेल का मार्ग मिलेगा।

हम उसमें इस बात का भी अभाव पाते हैं कि जो योजनाएं हाथ में ली हुई हैं उनको तेज करने के लिए जिन जगहों पर कुछ थोड़ी बहुत रकम जो दे रहे हैं वह केवल उनको जिन्दा रखने के लिए दे रहे हैं। उसके बजाए उनको पूरा करने के लिए देते तो वह ज्यादा अच्छा होता। इसका भी हम इसमें अभाव पाते हैं। हम चाहेंगे कि यह सरकार और बाकी सभी लोग इस पर ध्यान देंगे।

एक तबका ऐसा है मजदूरों का जिसके बारे में इस अभिभाषण में कम से कम कहा गया है हालांकि किया बहुत गया है। मैं समझता हूं कि अभिभाषण तैयार करते वक्त वह प्वाइंट ओवर लुक हो गया है। 1600 तक वेतन पाने वाले जो लोग हैं उनको बोनस मिलेगा, प्राविडेंट फंड कटेगा और इसी प्रकार ग्रेच्युइटी की रकम भी बढ़ाई गई है। इसका जिक्र इसमें नहीं किया गया है। मैं चाहता था कि इसका भी जिक्र इसमें होता।

एक चीज की कमी और भी है जिसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए था और वह है श्रमिकों के जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट बने हुए हैं वह 1947 में बने थे और जिस वातावरण में उनका गठन हुआ था, वह ऐक्ट बनाए गए थे उससे आज का वातावरण बहुत भिन्न है। इसको देखते हुए इसमें बहुत सुधार लाना चाहिए था··· (**व्यवधान**) ···

बहुत सी बातें और कहनी थीं लेकिन घंटी दो बार बज चुकी है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं इस धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बाला साहेब विखे पाटिल (कोपरगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो श्री फैलीरो जी ने आभार प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति जी ने यह सही कहा है कि हमें शक्तिशाली मुल्क बनाना होगा और इसे शक्तिशाली बनाने के रास्ते में जो भी बाहर की ताकतों का सहारा लेकर हिन्दुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, वह कम्युनल हों या कोई भी ताकतें हों, उनका हम सबको पार्टी के स्तर से ऊपर होकर सामना करना जरूरी है। उसमें सभी पार्टियों की एक सहमति होना जरूरी है क्योंकि आज हम यह देख रहे हैं कि पंजाब में जहां पाकिस्तान के बोर्डर का एरिया है उसी हिस्से में ज्यादा से ज्यादा अशांति फैल रही है। श्रीनगर, जम्मू तथा कश्मीर में भी वही गंभीर स्थिति है, कम्युनल बातें जोर पकड़ रही हैं। जब हम एक शक्तिशाली भारत का निर्माण करना

चाहते हैं तब सभी पार्टियों की ऐसी नीति होनी चाहिए और सभी पार्टीज को इस मामले में एक साथ रहना चाहिए ताकि हम शक्तिशाली भारत का निर्माण कर सकें। हमारे संविधान में भी इस बात को शामिल किया गया है कि राष्ट्रीयता, धर्म-निरपेक्षता, लोकतन्त्र तथा समाजवाद हमारे राष्ट्र के मूल आधार हैं और इसके लिए सभी में एकता की जरूरत है। हमारे देश की कुछ पोलिटिकल पार्टीज इन बातों से भी पोलिटिकल फायदा उठाना चाहती हैं, भारत की कमजोरी उनके लिए खुशी की बात बन जाती है परन्तु मैं उन सभी पार्टीज से अपील करूंगा कि देश की एकता के लिए, देश की जनता की भलाई के लिए और लोकतन्त्र को मजबूत करने के लिए इस विषय पर एक साथ रहना जरूरी है। पंजाब में पापुलर गवर्नमेंट बन गई है परन्तु उसके बाद जो शांति का वातावरण वहां बनना चाहिए था, वह बन नहीं पाया है तथा अभी भी लोगों के दिलों में भय का वातावरण व्याप्त है। पंजाब का जो अकार्ड हुआ है उसके सम्बन्ध में पंजाब गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर्स पब्लिक मीटिंग्ज में अलग-अलग स्टैंड ले रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से दोनों ही राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा अन्य नेताओं से अपील करूंगा कि जो एवार्ड हुआ है और जस्टिस की अध्यक्षता में जो कमेटी नियुक्त की गई है उसके कार्य संचालन के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करें। अभी दोनों ही मुख्य मंत्री अलग-अलग पब्लिक मीटिंग्ज में पापुलेरिटी गेन करने के लिए जो कुछ अलग-अलग बातें कह रहे हैं वह मेरे विचार में देश की एकता व अखण्डता के लिए खतरनाक होगा। इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से उनसे अपील करूंगा कि वे ऐसा न करें बल्कि एक अच्छा वातावरण बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने जो एक हिम्मत और दृढ़ता दिखाई है उसमें उनको कामयाब बनाने में सहायक बनें तथा उनकी जरूरी मदद करें।

आपको याद होगा कि संयुक्त महाराष्ट्र निर्माणकाल में महाराष्ट्र के समय में इस बात पर काफी झगड़ा हुआ था कि बम्बई को महाराष्ट्र में रहना चाहिए या गुजरात में रहना चाहिए तथा इस सम्बन्ध में काफी मूवमेंट्स चले थे लेकिन उस समय जो हमारे मुख्य मंत्री, श्री वाई० बी० चव्हाण थे उन्होंने इस बात को मान लिया था कि कुछ पैसा हम गुजरात को अपनी राजधानी बनाने के लिए दे देंगे और गुजरात को दिया गया। उस समय मेरे ख्याल में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हमारी नेता स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी जी थीं, उन्होंने भी इस समस्या को सुलझाने के लिए बड़ी सक्रिय भूमिका अदा की थी, पं० जवाहर लाल नेहरू जी ने भी इस बात को मान लिया था तथा इस सदन की सहमति से बिल्कुल शांतिपूर्वक यह मसला हल हो गया था। उसी प्रकार से पंजाब और हरियाणा के बार्डर का जो मसला है उसका उचित हल सोचने के लिए तथा सुझाव देने के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए वहां के मुख्य मंत्री एवं सभी पक्ष अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें ताकि इस समस्या को भी शांतिपूर्वक सुलझाया जा सके।

जहां तक सरकार की कृषि नीति का संबंध है, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उसके संबंध में गहराई से सोच-विचार करने की बात कही गई है और बताया गया है कि जो छोटे-छोटे किसान हैं उनके लिए ऐसी नीति अपनाई जायेगी जिससे कि उनका उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ सके। मैं सावधानी के तौर पर सरकार से कहना चाहूंगा कि मैं कई दिनों से ऐसी बातें सुन रहा हूं तथा अखबारों में भी पढ़ रहा हूं कि कारपोरेट सेक्टर का यह प्रयत्न चल रहा है तथा उनकी यह पूरी चेष्टा है कि

[श्री बाला साहेब विखे पाटिल]

निर्यात के नाम पर बड़े-बड़े फार्म स्थापित कर दिए जाएं और लैंड रिफार्म्स अधिनियमों के अन्तर्गत उनको एग्जम्प्शन मिल जाए। ये नहीं होना चाहिए इससे हमारा लैंड रिफार्म कानून का कोई मतलब नहीं होगा।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करूंगा कि कृषि के इनपुट्स के दाम कम से कम होने चाहिए तथा कृषि उत्पादन के अच्छे दाम किसानों को मिलने चाहिए। आजकल किसानों की आमदनी तो अवश्य कुछ बढ़ी है लेकिन इसके साथ-साथ आपको इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा कि देश में जो इतना अच्छा रिसर्च का कार्य हुआ है उनका लाभ लैब टु लैंब का लाभ छोटे किसानों को मिलना चाहिए। आज भी हम देखते हैं कि सूखे इलाकों में अच्छी पैदावार नहीं होती है। सूखे इलाकों की ओर जितना ध्यान सरकार का जाना चाहिए वह नहीं दिया जाता है। श्रीमती इन्दिरा जी ने ड्राउट-प्रोन एरियाज के लिए कुछ प्रोजेक्ट चलाए थे और मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह अपनी कृषि नीति को सुचारू रूप से चलाए। छोटे किसानों को इनपुट्स में सब्सीडी मिलनी चाहिए। बड़ा किसान जिनको आप मानते हैं उनके लिए आप चाहे कोई भी रवैया अलग से अपनायें, उस पर हमें कोई भी आपत्ति नहीं होगी। उससे उत्पादन बढ़ेगा—रोजगार बढ़ेगा। उसके लिए राष्ट्रीय जल-नीति की आवश्यकता है। जब तक राष्ट्रीय जल-नीति नहीं बनाई जायेगी, तब तक हमारी कृषि भूमि भारी मात्रा में सिंचित नहीं हो सकती है। यदि कृषि भूमि सिंचित नहीं होगी तो हमारा उत्पादन नहीं बढ़ेगा। उत्पादन नहीं बढ़ायेंगे तो हमारे अनाज का भण्डार नहीं बढ़ सकता है। पंजाब, आंध्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को छोड़कर भारत के अन्य राज्य अनाज के मामले में सैल्फ-सफिशियेंट नहीं हैं। दालों में कमी है, आयल-सीड्स में कमी है। इसलिए मैं चाहूंगा राष्ट्रीय जल-नीति और ड्राई-फार्मिंग को रिसर्च के बारे में हम लोगों को सावधानी से काम करने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई ऐसे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, जो राष्ट्रीय जल-नीति का समर्थन न करने की वजह से अधूरे पड़े हुए हैं। कुछ राज्य राष्ट्रीय जल-नीति चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। जो नहीं चाहते हैं, वे ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे राज्य का पानी चला जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जल-नीति को जल्दी से जल्दी तय किया जाए, ताकि अधूरे पड़े हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सके। और ज्यादा से ज्यादा भूमि में सिंचाई हो।

जहां तक परिवार नियोजन का सवाल है, परिवार नियोजन को ध्यान में रखते हुए उसको कारगर बनाने की बात राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में कही है। परिवार नियोजन को लागू करने के लिए हम जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं, कठिनाइयों की वजह से हम उस रास्ते पर नहीं जा पा रहे हैं। मुझे यह भी पता है कि कई राज्यों ने अपने टार्गेट बना रखे हैं, लेकिन वे टार्गेट सही मायने में पूरे नहीं करते सही नहीं है। वे लोग फिक्टिशियस नाम लिख देते हैं और कह देते हैं कि हमने टार्गेट पूरा कर दिया। परिवार नियोजन को कई धर्म के लोग नहीं मानते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब तक परिवार नियोजन को सबके लिए एक साथ नहीं लगाएंगे, तब तक हम परिवार नियोजन को किसी भी ढंग से लागू करने की कोशिश में कामयाब नहीं होंगे। एक तरफ हमारी आबादी बढ़ रही है और दूसरी तरफ आबादी बढ़ने से दूसरी समस्याएं पैदा हो रही हैं। बेरोजगारी कम करने और

आबादी को बढ़ने से रोकने के लिए हमारे नौजवान प्रधानमंत्री हमेशा कह रहे हैं कि परिवार नियोजन करो। मैं कहना चाहता हूं कि फैमिली प्लानिंग की बात सभी पक्षों की तरफ से कही जानी चाहिए। कोई एक पार्टी यह न देखे कि यह रिलीजियस पार्टी नहीं चाहती है। इसलिए कुछ ऐसा इन्सैन्टिव दिया जाना चाहिए, ताकि परिवार नियोजन की तरफ अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए। इसका एक परिणाम यह हो रहा है कि हमारा अर्बन-सिटी स्लम में कन्वर्ट हो रहा है। बेरोजगार लोग गांवों से शहरों की तरफ आ रहे हैं। मैं सरकार से जानना चाहूंगा, जब हमारा बीस सूत्री कार्यक्रम ठीक है, तो क्यों हमारे लोग गांव से शहर की तरफ भाग रहे हैं? हम शिक्षा नीति में भी सुधार करने जा रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा नीति पर ज्यादा से ज्यादा धन देने के लिए शिक्षा मंत्री ने कहा है। नई शिक्षा नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए जब नई टैक्नोलाजी की बात आती है, तो कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नई टैक्नोलाजी से बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन सी० पी० आई० के प्रमुख लीडर, श्री एस० ए० डांगे, जो हिन्दुस्तान के भी हैं, उन्होंने कहा है···

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सी०पी०आई० नहीं ए०आई०सी०पी०।

श्री बाला साहेब विखे पाटिल : बाद में झगड़ा हुआ, लेकिन पहले तो सब एक थे। 1969 में भोपाल में उन्होंने महात्मा गांधी के जन्मदिन पर भाषण में कहा है—

[अनुवाद]

"हर समाज सुधारक और पिछड़े वर्गों और जातियों को मुक्ति दिलाने वाले को कारखाने और खेत में मशीन के विकास का स्वागत करना चाहिए और प्रोत्साहन देना चाहिए।"

[हिन्दी]

मशीनरी को वैलकम करना चाहते हैं और कहते हैं कि नई बेरोजगारी बढ़ेगी टैक्नोलाजी के अलावा हमारा दूसरा सहारा और कौन सा हो सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि नई टैक्नोलाजी के कारण हमारी बेरोजगारी हट जाएगी, हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। उत्पादन क्षमता बढेगी तो देश प्रगति करेगा। हम लोग स्टार वार नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं।

7.00 म० प०

हमारा जो ट्रेड डेफीसिट है, उस बारे में भी हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। शाहबुद्दीन साहब ने बहुत सारी बातें सरकार के खिलाफ कही है। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि कल हाऊस में जो बिल पेश हुआ, उसके बारे में उन्होंने यह नहीं बताया कि यह गलत है या अच्छा है। क्यों नहीं बताया, यह एक सीधा सा सवाल है। जब सरकार यह बिल पेश कर रही थी, तो वह ठीक है या गलत है, इस बारे में उन्होंने अपनी कोई राय नहीं दी। इसलिए यह जो कम्युनल प्रैक्टिस है, जिसको आप चलाना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है। इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में जो कम्युनल पार्टीज हैं, उन पर पाबन्दी लगानी चाहिए। आज कम्युनल लोग रास्ते पर आ रहे हैं अपनी ताकत

[श्री बाला साहेब विखे पाटिल]

दिखाने के लिए, हिन्दू करके रास्ते पर आ रहे हैं, मुस्लिम कर के रास्ते पर आ रहे हैं, ईसाई करके रास्ते पर आ रहे हैं और पारसी करके रास्ते पर आ रहे हैं, तो यह ठीक नहीं है। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, उनके घर के अन्दर लेकिन जब वे रास्ते पर आते हैं, तो सभी का धर्म एक होता है और वह हिन्दुस्तानी होता है। इसके अलावा वहां उसका कोई दूसरा धर्म नहीं होता है। जब तक हम यह सब नहीं करेंगे। और हिम्मत के साथ नहीं करेंगे, एकता कैसे बनेगी ?

हमारे नये प्रधान मंत्री बड़ी हिम्मत के साथ आगे जा रहे हैं और हमें उनका साथ देना बहुत जरूरी है। आप सुरक्षा के बारे में देख लीजिए, नए प्रधान मन्त्री जी की सुरक्षा के बारे में आप देखें। अभी उनके बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं सकते क्योंकि उनके मास्टर ने कह दिया कि हम उनकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। अभी हिन्दुस्तान में सुरक्षा की जो अवस्था है, उसको देखें। हिन्दुस्तान के एक बड़े नेता के रूप में प्रधान मन्त्री को दुनिया मानती है लेकिन उनके बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, वे स्कूल के दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेल सकते और जीवन का आनन्द नहीं लूट सकते। इसलिए मेरा कहना यह है कि सुरक्षा की व्यवस्था को और भी कड़ा करना पड़ेगा और सभी पक्षों को इस बारे में ध्यान देकर जो विघटनवादी शक्तियां हैं, ताकतें हैं, उनको मजबूती के साथ दबाना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति

19वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11 बजे म० पू० पर पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

7.03 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 27 फरवरी, 1986/8 फाल्गुन, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग, दिल्ली-53